खण्ड-359, अंक-4
मंगलवार, 19 माघ, शक संवत् 1904
(8 फरवरी, 1983 ई0)

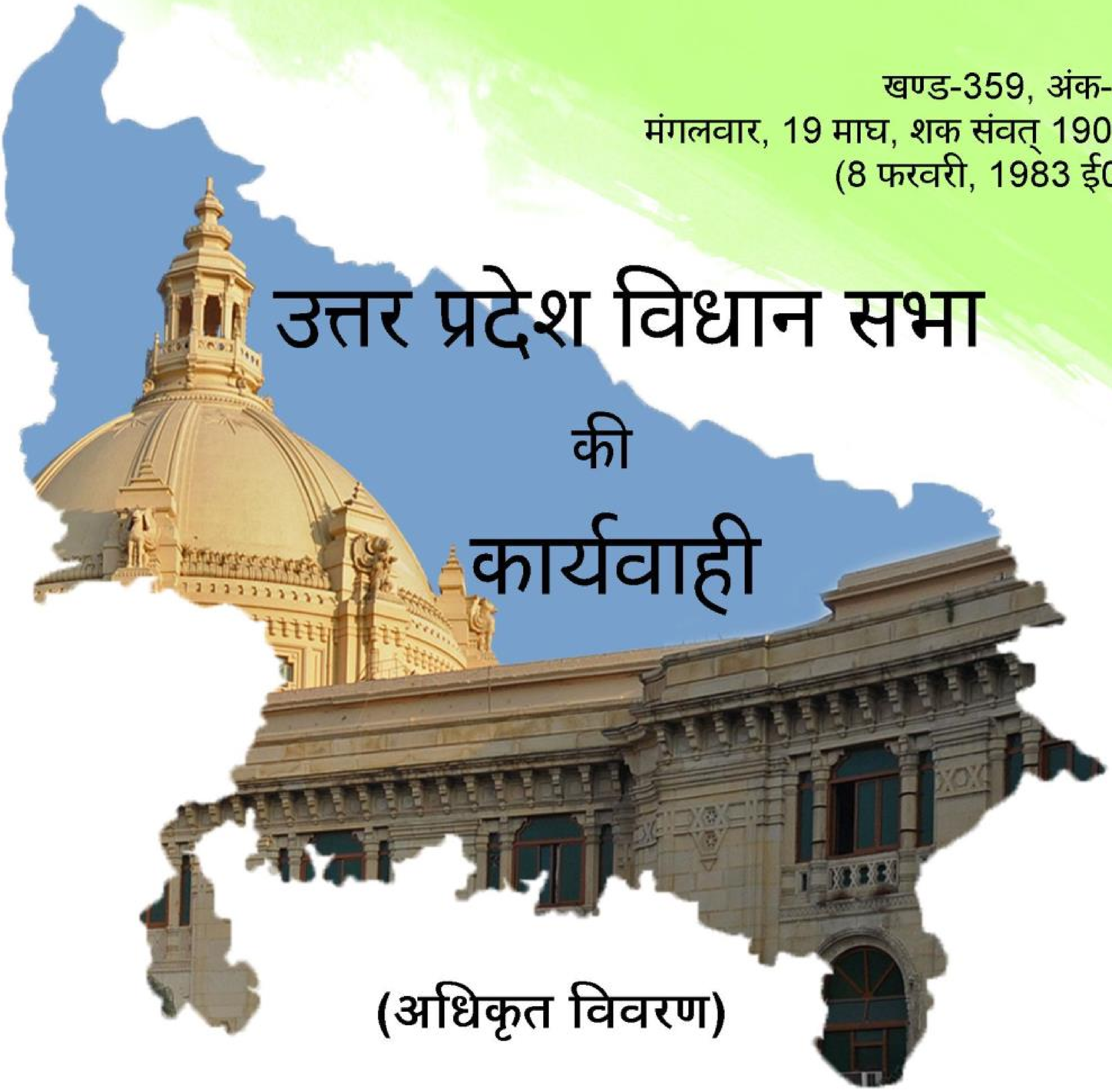

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	217–221
प्रश्नोत्तर	222–291
प्रशासन की साठ गांठ से वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	292
कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने पर किसानों द्वारा सत्याग्रह के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	292–293
सीतापुर जनपद के शुगर मिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में किसानों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	293–294
श्री गांधी खादी आश्रम मजहर को असामाजिक तत्वों द्वारा लूटे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	294
जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय क्षेत्रों में ओला वृष्टि से फसल को हुयी क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	295
श्री देशराज सिंह रेजीडेण्ट आयुक्त, नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	295–297
श्री एस0 एस0 शुक्ल, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..	297–298
श्री आजाद कुमार कर्दम एवं श्रीमती किशोरी शुक्ला की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को निरस्त किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग ..	298–301
विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 (वापस लिया गया)..	301
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1980 (वापस लिया गया) ..	301–302
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 (पुरः स्थापित किया गया) ..	302
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	302–311
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	311–340
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाए	340–341
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	341–349
नस्थियां	350–416

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 8 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 362

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजात कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ अनिल सिंह — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अंसारी, श्री — बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए० सी० ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशो राम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अंसारी, श्री — देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा

गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोण्डा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नारायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' — फैजाबाद
जोराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़

दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धुप्र राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर

बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री	रामपुर
बाबूराम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बुद्धपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा०	देवरिया
बेटी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भोला लाल, श्री	उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री उर्फ शबरोज	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनाम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेन्द्र चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्र, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी

रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम नरायन एडवोकेट, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम-श सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सेवक, श्री — सुल्ता पुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारन पुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) — इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजयपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर — पीलीभीत
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर

विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भू नाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्री कृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर

सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमनलता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल श्री	सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री	मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

अनुभाग पदेश्वर सभा

मंगलवार, 8 फरवरी, 1983

प्रथम सत्र 1980 के 7वें सोमवार दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 के श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के मूल उत्तर में संशोधन।

मुजफ्फरनगर में बिक्री कर सचल दल के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप एवं गिरफ्तारी

श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि विगत 24 अगस्त, 1980 को मुजफ्फरनगर में बिक्रीकर सचल दल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया गया ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप क्या हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-8-80 को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर सुजडू चुंगी के पास सहारनपुर के बिक्रीकर सचल दल के तीन अधिकारियों को धारा 161/165/34 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिकारियों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया नहीं गया। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कुछ ट्रक वालों से रिश्वत लेने का आरोप है।

संशोधित उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-8-80 को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर सुजडू चुंगी के पास सहारनपुर के बिक्रीकर सचल दल के तीन बिक्रीकर अधिकारियों को कुछ ट्रक वालों से रिश्वत लेने के आरोप में धारा 161/165/34 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। कोतवाली से न्यायालय तक उक्त बिक्रीकर अधिकारियों को हथकड़ी लगाकर पैदल ले जाया गया।

उक्त अभियोग तथा धारा 409/420 भा0 दं0 वि0 व 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पंजीकृत कराये गये अन्य दो अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई। किन्तु पुलिस के कृत्या कृत्यों से उत्पन्न कुछ त्रुटियों एवं ठोस साक्ष्य के अभाव के कारण अभियोग न्यायालय में चलाये जाने योग्य नहीं पाया गया। तीनों अभियोगों में अन्तिम आख्या प्रेषित कर जांच समाप्त कर दी गई है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

संशोधित उत्तर में साधारणतया प्रश्न नहीं होते हैं ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस सरकार ने तीन बार संशोधित उत्तर दिया और तीनों बार सही उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, अभियोग दो तरफ से दर्ज कराये गये। एक पुलिस की ओर से अभियोग दर्ज कराया गया और दूसरा बिक्री कर अधिकारियों की ओर से एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी। मान्यवर, जिन्होंने यह कहा कि रिश्वत ली, इसमें अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी या अन्य ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी ? मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं की किसकी ओर से, बिक्रीकर अधिकारियों की ओर से या पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी, उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और बिक्री कर अधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट लिखायी गयी थी, उसमें सी0 आई0 डी0 को इन्क्वायरी के लिए दे दिया गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

आजमगढ़ पालीटेक्निक स्कूल के एस० टी० एस० में प्रवेश में अनियमिततायें

*1—श्री राजकुमार राय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें आजमगढ़ पालिटेक्निक स्कूल में एस0 टी0 एस0 में प्रवेश हेतु तथा प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्ता का आवेदन दिनांक 9-10-80, 10-12-80 तथा 14-1-81 प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है और इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मूल शिकायती पत्र दिनांक 9-10-80 प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी फोटो कापी व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा दिनांक 20-8-82 को प्राप्त की गई। शेष दो पत्र जो अनुस्मारक मात्र थे, प्राप्त हुये। उक्त शिकायती पत्र में की गई शिकायतों का विवरण संलग्न है। प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करवाई गई। जांच के फलस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोषी पाये गये अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 350–351 पर)

[मंगलवार, 8 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमित किये जाने हेतु कार्यवाही

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सेवाओं में 30 जून, 1983 तक की गयी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के सिलसिले में मिले-जुले 8 संगठनों की ओर से एक ज्ञापन 2 अगस्त, 1982 को शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां। उक्त संगठनों की समन्वय समिति ने जो मांग शासन के समक्ष प्रस्तुत की है, ठीक उसी प्रकार की मांग करते हुए शिक्षा, गृह तथा चिकित्सा विभागों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर रखी हैं जो अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो मांग पत्र समन्वय समिति की ओर से रखा गया है उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें जो मांगें हैं वह इस प्रकार से हैं—पहली मांग है, राज्य के सभी विभागों में 30 जून, 82 तक तदर्थरूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों को विनियमित किया जाय। इसके लिये 14 मई, 79 की नियमावली की प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 79 के पूर्व के बजाय 30 जून, 82 की जाय। दूसरी मांग यह है कि 30 जून, 82 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी जिनकी सेवायें 1 वर्ष से अधिक की हैं उनको नियमित करने की प्रक्रिया 14 मई, 79 की नियमावली के अनुसार की जाय। मान्यवर, तीसरी मांग है कि राज्य के सभी विभागों में हर स्तर पर तदर्थ नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूर्णतः समाप्त की जाय तथा उसमें किसी प्रकार की शिथिलता का अधिकार किसी को न दिया जाय। वर्तमान तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने के उपरान्त तथा रिक्त पदों पर मूल नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाय जिसके लिये सभी विभागों को अग्रिम योजना बनाने के लिये उचित एवं प्रभावी निर्देश दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये मैं चाहूंगा कि न्यायालय के विचाराधीन बिन्दुओं पर प्रश्न न पूछे जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि न्यायालय से कितना संबंध इस उत्तर का है। न्यायालय में अगर याचिका दायर हुयी है तो किसी एक विशिष्ट बिन्दु को लेकर हुयी है। मंत्री जी बता दें कि वह बिन्दु कौन है जिसको आधार बनाकर न्यायालय में याचिका दायर की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियों को आधार बनाया गया है और जो बातें उसमें कही गयी हैं उसी प्रकार का प्रतिवेदन शासन को मिला था जिसकी रिट भी न्यायालय में दायर है। शासन इस स्थिति में नहीं है कि जो मामला सब-जुडिस है उस पर किसी प्रकार का प्रकाश डाल सके।

पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध श्री एस० के० रिजवी के विरुद्ध जांच

*2—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर 22 मई, 1982 को पुलिस अधीक्षक, देवरिया की जांच में गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप पुलिस अधीक्षक, देवरिया (श्री एस० के० रिजवी) पर सही पाए गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां। जांच से आरोप सत्य नहीं पाये गये। अतः किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया मूल शिकायती पत्र क्या है ? उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, माननीय विधायक ने जो पत्र लिखा है उसमें 11 आरोप हैं। दो पज का है आप आज्ञा दें तो पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में बता दें।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इसमें आरोपों का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। श्रीमन्, इसका सारांश क्या हो सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा का मंत्री जी पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने इस प्रश्न को नियमित मान लिया और आज्ञा दे दी तो मंत्री जी के उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने माननीय हुकम सिंह को बुलाया है।

श्री हुकम सिंह—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने यह जांच की और क्या उस अधिकारी ने प्रश्नकर्त्ता से संपर्क किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर ने इसमें जांच की।

श्री हुकम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक जी ने क्या शिकायत की थी ? क्या उनसे पूछताछ की गयी और उन्हें मौका दिया गया साक्ष्य देने का ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इस बात की जानकारी इसमें नहीं है। इन्होंने जो आरोप पत्र दिया था, उस की रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी माननीय विधायक जी के पत्र को पढ़ने में संकोच कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उसके अंतिम पैरा में जो बातें हैं, उसको वे कृपया पढ़ दें, या उसको वे न पढ़ सकें तो मैं पढ़ दूं। क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्तिम पैराग्राफ के दो पैरा हैं जिसमें माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि एस0पी0 ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि इन्होंने एस0पी0 की बहुत शिकायतें की हैं कि आपके राज्य में बहुत भ्रष्टाचार है, तुम्हारे हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुये हैं। तो इस पर एस0पी0 ने कहा कि मान्यवर विधायक जी आप 302 के अपराधी बन जायेंगे और आप अगले सत्र में विधान सभा की कार्यवाही में नहीं रह पायेंगे। यह उन्होंने कहा। अन्तिम पैराग्राफ आप पूरा पढ़ दें, ताकि तमाम तथ्य सामने आयें तथा यह बता दें कि किस आधार पर इन आरोपों को आप निराधार बता रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो 11 आरोप लगाये हैं उसकी कुछ लाइनें आपकी आज्ञा हो, तो पढ़ दूं।

"श्रीमन्, शिकायत 1 से 9 तक को विस्तृत विवरण के साथ मैंने आई0 जी0 पुलिस एवं गृह राज्य मंत्री जी को दिया है।

इसी संदर्भ में मैंने श्री एस0 के0 रिजवी पुलिस अधीक्षक देवरिया से मिलकर जांच के विषय में जानना चाहा श्री रिजवी ने कहा कि श्री मिश्र की जांच तो होगी ही और गम्भीर जांच होगी परन्तु दुख है कि आप उस जांच को नहीं देख सकेंगे क्योंकि आप ही के 302 की जांच होगी और आप अगले सत्र में विधान सभा की कार्यवाही में नहीं रह पायेंगे। तब से मैं अपने को असुरक्षित पा रहा हूं। जहां कहीं भी जाता हूं कुछ अपराधी मेरे इर्द गिर्द बने रहते हैं। मेरी जीवन लीला खतरे में है मेरी रक्षा की जाय तथा श्री रिजवी को तत्काल प्रभाव के साथ स्थानान्तरित कर जांच की जाय। श्री रिजवी एस0पी0 देवरिया के रहते मैं दवरिया और अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हूं। त्वरित कार्य वाही के लिये अनुग्रहीत हूंगा।

धन्यवाद।

भवदीय,
ह0
(दुर्गा प्रसाद मिश्र)"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सदन कैसे चलेगा। मेरे सवाल का उत्तर कहां आया।

श्री अध्यक्ष—बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, क्षमा करें मुझे यह कहने के लिये मजबूर न करें। मैं नहीं बैठूंगा मेरे सवाल का उत्तर दिला दीजिए। मान्यवर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। (व्यवधान) नहीं, मान्यवर, आप इसको सुन लें। मैंने प्रश्न यह पूछा था कि जो आरोप की जांच की जानी थी ....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जो पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, उससे बहुत स्पष्ट है कि माननीय दुर्गा प्रसाद जी भी स्वयं इस कम्पलेन और शिकायत के पार्ट हुए ? तो किस अधिकारी

ने जांच की और क्या उस जांच करने वाले अधिकारी ने माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का साक्ष्य लिया ? यदि नहीं लिया, तो शासन ने उस जांच को मुकम्मल किस तरीके से मान लिया ? क्या इस पर दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ? चूंकि श्री दुर्गा प्रसाद जी भी कम्पलेन के पार्ट हैं तो जिस अधिकारी ने जांच की तो क्या उस जांच का कोई अंतिम निष्कर्ष निकला ? मैं अनुरोध करूंगा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बात को देख लिया जाय कि दुर्गा प्रसाद जी का साक्ष्य उसमें हुआ या नहीं ? यदि नहीं हुआ, तो वह जांच कैसे मुकम्मल कर ली गयी ? इसलिए, क्या इस पर दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जांच में जिन बिन्दुओं को उठाया गया था उनकी विस्तृत जांच की गयी। डी0 आई0 जी0 ने लिखा है कि जहां तक श्री मिश्र को जान से मारने की धमकी का प्रश्न है वह निराधार है। सारे तथ्य विवरण के साथ उजागर कर दिये गये। अब मैं इसकी दुबारा जांच की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, हमारा प्रश्न है जो अन्तिम पैरा पढ़कर सुनाया उसमें श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र एक पार्टी है। इंन्डायरेक्टली यह हाउस का अपमान है। क्यों कि उसमें कहा गया है कि विधान सभा में आप जाने योग्य नहीं रह जायेंगे। क्या डी0 आई0 जी0 ने श्री मिश्र से भी इन्क्वायरी के समय पूछताछ की थी ? किस आधार पर यह कह दिया गया कि यह अर्नगल है ? चूंकि बिना बुनियाद के अर्नगल कह दिया गया इसलिये मैं दुबारा जांच की मांग कर रहा हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, धमकी की जहां तक बात है स्पष्ट लिखा गया है कि एस0पी0 ने धमकी नहीं दी थी। दूसरी बात आंकड़ों सहित यह बताया गया कि जितने आरोप हैं वह निराधार पाये गये। जहां तक अपराधों का सवाल है इनके समय में अपराध कम हुये हैं। कितने छापे मारे गये यह सब इसमें है। डी0 आई0 जी0 ने एक विवरण यह भी लिखा है कि माननीय सदस्य के कुछ साथी असामाजिक तत्वों से संबंधित हैं।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो एक्स पार्टी हो गया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह किया जा रहा है कि श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र ने लिखित शिकायत की उनसे भी जानकारी की गयी या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सूचनार्थ यह बता दूं कि वह एस0पी0 अब वहां नहीं हैं। अगर आप चाहें तो डी0 आई0 जी0 को मैं कह दूं वह श्री मिश्र से भी सम्पर्क कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने मुझे संरक्षण दिया लेकिन दुख है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाया। माननीय मंत्री जी ने जो अन्तिम पैराग्राफ पढ़कर सुनाया और जांच की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो उत्तेजना है। उसके सम्बन्ध में उत्तर आया, आरोप निराधार हैं। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि वह कौन से आधार या साक्ष्य डी0 आई0 जी0 को मिले हैं जिनके आधार पर वह इस बात को साबित कर रहे हैं कि आरोप निराधार हैं ? दूसरी चीज माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री मिश्र से पूछताछ की गयी या नहीं ? मेरी प्रार्थना है कि मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये और जब पूरी जांच हो जाय तब इसको रखें। इसमें माननीय सदस्य के जीवन-मरण का सवाल है। एक सदस्य को वही विशेषाधिकार है जो सदन का विशेषाधिकार है। इस प्रकार से एस0पी0 ने सदन की अवमानना की है और विशेषाधिकार का हनन किया है। मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री गुलाब सेहरा—

उन्होंने लिखा है कि श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र को पुलिस अधीक्षक द्वारा जान से मार डालने की धमकी देना असम्भव प्रतीत होता है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

चूंकि जवाब ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है इसलिये मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। दोबारा पूरी छानबीन के साथ इसे लाया जाये।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ के कर्मचारियों के स्थायी किये जाने हेतु कार्यवाही

*3—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री सन्त बक्स रावत—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (बी) (2) (ए) (11) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में जिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने 240 दिन कार्य कर लिया है उनको स्थायी कराने हेतु श्रम विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से आवर्त्त अवश्य है लेकिन श्रम विभाग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि जिसके अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थाईकरण के सम्बन्ध में कोई सीधे कार्यवाही की जा सके। धारा 25 (बी) में नियमित सेवाओं एवं 2–ए में कर्मचारियों के पदमुक्त सेवामुक्त किये जाने के कारण संराधन बोर्ड में लाभ दिये जाने का प्राविधान है। अतः जो कर्मचारी 12 माह में कार्यदिवस के 240 दिन पूरा कर लेते है एवं स्थाईकरण चाहते है वह स्वयं अपना विवाद यूनियन के माध्यम से संराधन बोर्ड में प्रस्तुत कर सकते हैं। विवाद प्रस्तुत करने पर तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय श्रम मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, श्रम मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि "अवश्य है" और यह कहा कि कोई इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत न कोई अधिकार है कि सीधी कार्यवाही की जा सके। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इण्डिस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत बैंक के इन अधिकारियों का या बैंक का चालान किया जा सकता है अथवा नहीं? और तृतीय तथा चतुर्थ श्रणी के जो कर्मचारी हैं उनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से ज्यादा है और वे अब तक परमानेन्ट नहीं किये गये हैं। क्या आपका कोआपरेटिव विभाग इस संबंध में राय देगा?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि 1947 के औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत सीधी कार्यवाही हम उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के विरुद्ध नहीं कर सकते। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, जिनकी शिकायत है, उन कर्मचारियों ने श्रमायुक्त के पास कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। वाद प्रस्तुत करें, केसेज लायें, पूरा विभाग इस संबंध में कार्यवाही करेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

जो कंसिलियेशन डिपार्टमेन्ट है, उसकी जिम्मेदारी है यह देखना कि जहां पर कर्मचारियों को 240 दिन पूरे हो गये हों, इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है या नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस विभाग ने इस सबध म क्या कार्यवाही की?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने पहले ही कह दिया कि वे इस संबंध में मामले लायें और विभाग उन पर पूरी कार्यवाही करेगा।

अस्थाई खण्ड हरदोई में सेंधा सेतु पर पथ कर वसूली के ठेके की नीलामी

*4—श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड हरदोई में सेंधा पुल की जो नीलामी विगत कुछ माह पूर्व हुई थी, उस नीलामी की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि नीलामी बन्द कमरे में (अधिशासी अभियन्ता के कक्ष में) नियत समय से पूर्व कराई गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री अम्मार रिजवी—

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा जिला हरदोई में बिलग्राम सांडी अल्लागंज मार्ग के कि0 मी0 27 में सेंधा सेतु पर पथकर वसूली के ठेके की नीलामी दिनांक 26 नवम्बर, 1981 को की गयी थी। नीलामी सूचना दैनिक समाचार पत्र नवजीवन लखनऊ में प्रकाशित हुयी थी। नीलामी नियत समय एवं तिथि को अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खंड, हरदोई कार्यालय के प्रांगण में सार्वजनिक रूप से की गयी थी।

कार्मिक अनुभाग—१ व कार्मिक अनुभाग—४ के शासनादेश का अभिसूचना विभाग में अनुपालन

*5—श्री गोपीनाथ दीक्षित (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कार्मिक अनुभाग—1 व कार्मिक अनुभाग—4 के शासनादेश संख्या क्रमशः 19/13/1977 दिनांक 30 मई, 1977 के प्रस्तर 8 एवं ई0 एम0 248 दिनांक 9 फरवरी, 1981, तथा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 18—306—14 दिनांक 2 अगस्त, 1974 के पैरा 3 का पालन अधिसूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासनादेश संख्या 19/13/1977—कार्मिक—1, दिनांक 30—5—77 के प्रस्तर 8 में दिये गये निर्देशों का पालन पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उस सीमा तक किया जाता है जहां तक पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 520 में दिये गये स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन न हो।

शासनादेश संख्या ई0 एम0 248/कार्मिक—4—81, दिनांक 9—2—81 पुलिस विभाग पर लागू नहीं है क्योंकि पुलिस विभाग स्थायी विभाग है।

प्रश्न में उल्लिखित पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1974 के प्रस्तर 3 का अनुपालन अधिसूचना विभाग में हो रहा है।

ग्राम पालपुर, जनपद फैजाबाद में हरिजन हत्याकाण्ड के अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र

*6—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 13—2—81 को ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में हुए हरिजन हत्या काण्ड में 57 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर के जेल भेजा ? यदि हां, तो क्या उक्त 57 अभियुक्तों में से कुछ लोगों के अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष न पेश करके मात्र 38 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किये गये ? शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग दाखिल न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित घटना के संबंध में थाना कुमारगंज में 57 व्यक्तियों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 6/81 धारा 147/148/149/323/324/307/302 भा0दं0 वि0 व 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इनमें से 51 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 21-2-81 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शेष 6 अभियुक्त फरार हो गये थे अतः उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 13-7-82 को न्यायालय भेजा गया है। अब किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करना शेष नहीं है।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि 57 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने थे जिसमें 6 लोग शेष रह गये थे। क्या फैसला जान-बूझकर 6 लोगों को बचाने के लिये किया गया ? क्या अविलम्ब उनके विरुद्ध न्यायालय में रिपोर्ट नहीं देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन 6 व्यक्तियों को फरार दिखाकर उनकी संपत्ति कुर्क की गयी है, उस कुर्क की गयी संपत्ति को नीलाम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

अगर कुर्क कर ली गयी है तो नीलाम भी हो ही जायेगी।

मेसर्स रजा टेक्सटाइल्स लि०, रामपुर में हड़ताल में निकाले गये मजदूरों की पुनर्नियुक्ति

*7—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में सन् 1980-81 तथा 1981-82 में हुई रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल की हड़ताल में निकाले गये मजदूरों को काम पर अब तक न लिए जाने पर सरकार मिल मालिक के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स रजा टेक्सटाइल लि0, रामपुर में दिनांक 24-11-1980 से दिनांक 20-5-1981 तक हुई हड़ताल के कारण 3 कर्मचारियों को छोड़कर निकाले गये सभी कर्मचारी काम पर वापिस ले लिये गये हैं। उक्त 3 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी का विवाद श्रम न्यायालय बरेली के विचाराधीन है। एक कर्मचारी के सम्बन्ध में उभयपक्षों में आपसी वार्ता चल रही है तथा एक कर्मचारी के विवाद को अभिनिर्णय में भेजने के संबंध में विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सेवायोजक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, पहली बात माननीय मंत्री जी के उत्तर में यह माना गया है कि रामपुर में हड़ताल रही है। मैं आप के जवाब के संबंध में यह जानना चाहूंगा कि तीन कर्मचारियों को छोड़कर निकाले गये सभी कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने कर्मचारी थे जो निकाले गये, उनके क्या-क्या नाम थे ?

श्री अध्यक्ष—

नाम बताना तो मुश्किल होगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यू ही बता दें कि कितने कर्मचारी निकाले गये ।

श्री सुनील शास्त्री—

19 कर्मचारी निकाले गये थे। 16 वापस ले लिये गयें । तीन के बारे में उत्तर दिया गया कि एक कर्मचारी का विवाद श्रम न्यायालय बरेली में विचाराधीन है, एक के बारे में उभय पक्षों में वार्ता चल रही है, एक कर्मचारी के विवाद को अभिनिर्णय में भेजने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इन तीनों व्यक्तियों के नाम हों तो बता दें ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री अमीर अहमद का विवाद लेबर कोर्ट बरेली के विचाराधीन है। मुमताज के संबंध में श्रम आयुक्त, कानपुर के समक्ष रिपोर्ट सबमिट कर दी गयी है। तीसरे बकरीदी के संबंध में आपसी बातचीत से मसला तय किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मुझे एक सवाल और कर लेने दें। यह हड़ताल लगभग 7 महीने रही। 19 मजदूर निकाले गये। मेरी जानकारी सही मान लें तो 16 वापस ले लिये गये थे यह गलत है तीन मजदूर को नहीं लिया गया।

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य कर्मचारियों की सूची मेरे समक्ष भिजवा दें मैं उन पर विशेष सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा और उनकी सहायता की जायेगी।

मुख्य मंत्री सचिवालय के आई० ए० एस० श्री राजीव रत्न शाह के विरुद्ध कार्यवाही

*8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मन्त्री सचिवालय के एक आई० ए० एस० (श्री राजीव रत्न शाह) सचिव को उच्च न्यायालय ने अपनी मान हानि करने का दोषी पाया है ? यदि हां, तो उक्त सचिव के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस वाद में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है और विषय न्यायालय के विचाराधीन है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में न्यायालय के स्थगन आदेश कब प्राप्त हुआ, पूछना चाहता हूं। प्रश्न करने से पहले या प्रश्न करने के बाद, अगर बाद में हुआ तो इस बीच सरकार ने क्या कार्यवाही की ? मेरा अभिप्राय यह है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 3-9-1982 को न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते रहेंगे तो इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। मान्यवर, सरकार इस मद में स्पष्ट उत्तर दे कि इस मद में उसने क्या कार्यवाही की और न्यायालय क्या कर रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं।

श्री अम्मार रिजवी—

स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है, लिहाजा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंशराज सिंह, सचिव लवकहवा एल० एस० एस० पचपेड़वा, जनपद गोंडा के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

*9—श्री अकबाल हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जुलाई 81 में प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्त्ता ने बंशराज सिंह, सचिव लवकहवा एल0एस0एस0 पचपेड़वा, जनपद गोंडा के विरुद्ध 3/7 ई0सी0एक्ट की प्रथम सूचना पचपेड़वा, थाना जनपद गोंडा में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उसके विवेचना कर्त्ता पुलिस अधिकारी ने प्रश्नकर्त्ता का कोई बयान उस सम्बन्ध में लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा बंशराज सिंह, सचिव लवकहवा एल0 एस0 एस0 पचपेड़वा, जनपद गोण्डा के विरूद्ध माह जुलाई, 1981 के प्रथम सप्ताह में धारा 3।7 ई0सी0एक्ट की कोई सूचना थाना पचपेड़वा में दर्ज नहीं करायी गयी थी अतः बयान लेने का प्रश्न नहीं उठता। हां, तहसीलदार बलरामपुर द्वारा 10—7—81 को जो अपराध बंशराज सिंह के विरुद्ध दर्ज कराया गया था उसकी विवेचना के दौरान माननीय विधायक महोदय का बयान लिया गया था।

श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 10—7—1981 को तहसीलदार, बलरामपुर ने सूचना प्राप्त की। उस समय मेरा किसी भी विवेचना अधिकारी ने बयान नहीं लिया। यह बिल्कुल भ्रामक और असत्य है। किस विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान लिया, किस तारीख को लिख लिया और किस स्थान पर लिया और उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा—

दिनांक 10—7—1981 को तहसीलदार, बलरामपुर द्वारा जो अपराध बंशराज सिंह के विरुद्ध लगाया गया था, उस समय माननीय विधायक का विवेंचना अधिकारी ने बयान लिया था।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, किसी विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान नहीं लिया। यदि किसी ने लिया तो कब लिया ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, श्री गोपाल सिंह, एस0 आई 0 ने लिया।

श्री हुकम सिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी कहतेहैं कि बयान लिया गया और इस आरोप में माननीय विधायक कहतें हैं कि उन्होंने किसी विवेचना अधिकारी को बयान नहीं दिया। इस परिस्थिति में बहुत गम्भीर जांच की आवश्यकता है। मान्यवर, आजकल अधिकारियों की हालत यह है कि बगैर किसी का बयान लिये हुए अपने घर पर बैठकर बयान लिख लेते हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, सूचना के आधार पर श्री अकबाल हुसैन विधायक ने लिखित शिकायत किया था और एस0 आई0 गोपाल सिंह ने आपका बयान लिया और उसकी नकल हमारे पास है।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, प्रश्न गंभीर है, अभी तक सदन की परिपाटी रही है कि जब कोई सदस्य बयान देता है सदन में तो वह सही माना जाता है। तो जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि उनका कोई बयान नहीं लिया गया है तो क्या कोई नया मामला बन गया जिससे मंत्री जी का कहना है कि बयान लिया गया है। इसलिये क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि जो एस0 आई0 का कहना है कि बयान लिया गया है तो मेरा कहना है कि वह बयान फर्जी है और उसका कोई आधार नहीं है, इसलिये उस अधिकारी के विरुद्ध जांच करके तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि माननीय विधायक ने लिखित में शिकायत किया है कि सहकारी समिति ने चीनी ब्लैक में बेचा है जिसकी जांच विवेचना अधिकारी गोपाल सिंह ने किया। उन्होंने विधायक से बात करके विधायक का बयान लिया है 16–11–81 को।

श्री अध्यक्ष—

विधायक ने कहा है कि मैंने कोई बयान नहीं दिया तो क्या मंत्री जी जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया था कि इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय विधायक कह रहे हैं तो इसकी मैं जांच करा सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जब कोई इंक्वायरी होती है तो किसी के बयान लिये जा सकते हैं और विशेषकर, विधायक के, तो बयान पर संबंधित व्यक्ति के दस्तखत होते हैं। हमने भी बयान दिये हैं और हमसे दस्तखत लिये गये हैं। माननीय अकबाल हुसैन कह रहे हैं कि हमने कोई बयान नहीं दिया, न दस्तखत दिये हैं तो क्या मंत्री जी यह देखकर कि फर्जी बयान दिखाया गया है तो इस जालसाजी पर उस गोपाल सिंह एस0 आई0 के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी श्री गोपाल सिंह ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया है, इसलिये उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पहले तय तो हो जाय।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि 7–8 जुलाई, 81 को मैंने एल0 एस0 एस0 पचपेड़वा का मुआयना किया चूंकि यहां से चीनी ब्लैक में नैपाल जाती थी। मुआयने में चीनी कम मिली तो शाम को गोपाल सिंह द्वारा उस सचिव को गिरफ्तार करवाया। रात में वह सचिव थाने में था लेकिन बाद में वह छोड़ दिया गया जिसको पेचपड़वा की जनता जानती है कि शाम को वह थाने में रखा गया और सुबह उसको छोड़ दिया गया। उसी गोपाल सिंह, एस0 आई0 ने अपने मनगढंत बयान बनाकर इस तरह की सूचना यहां दे दी और पूरे सदन को गुमराह किया है, जबकि इस संबंध में हमारा कोई बयान कहीं पर भी नहीं लिखा गया, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही गंभीर मामला बनता है, इस एस0 आई0 के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय और इस पूर मामले की छानबीन कराई जाय।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मा0 गुलाब सेहरा जी को जल्दी ही मुख्य मंत्री बनवा दीजिए ताकि जल्दी ही यह सरकार को ढाह दें।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं और इनके ही कथनानुसार जांच जल्दी ही करा लूंगा और जांच में यदि तथ्य सही नहीं पाये गये तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी। (शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य का साक्ष्य लिया गया होगा तो पहले उन्हें संबंधित कार्यालय से सूचित किया गया होगा कि फलां तारीख को फलां स्थान पर आपका बयान होगा, तो वह पत्र माननीय सदन को दिखा दें अथवा पढ़कर सुना दें, यदि ऐसा नहीं है तो उस कर्मचारी और अधिकारी द्वारा मा0 मंत्री जी को व आदरणीय सदन को गुमराह किया गया है, इस तरह मान्यवर, यह आवमानना का प्रश्न है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही शीघ्रता से किये जाने के आदेश दिय जायें और मामले की जांच तुरन्त करवाई जाए।

श्री गुलाब सेहरा—

विवेचना अधिकारी द्वारा लिये गयें बयान पर मान्यवर, कभी दस्तखत कराए भी जाते हैं और कभी नहीं भी। (शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने पहले भी यही निवेदन किया था कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने कहा कि हम इन तथ्यों की जानकारी करा लेंगे और अगर यह मिथ्या पाये गये तो उन्हें जरूर दण्डित किया जायेगा।

*10—श्री रियासत हुसैन—

[दिनांक 21–8–82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 124 द्वारा उत्तरित]।

ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में श्री राम औतार के घर पड़ी सशस्त्र डकैती

*11—श्री विजय सिंह राना—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 20/21 सितम्बर, 1982 की रात को ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के राम औतार पुत्र जगनू पासी हरिजन के यहां डकैती पड़ी थी? क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना की रात को ग्राम नेवलगंज से ही मिले हुए ग्राम हाजीपुर तरेहा में दो सिपाही भी मौजूद थे, वह घटना के समय ग्राम नेवलगंज नहीं गये। यदि हां, तो क्यों? क्या इस मामले की सरकार सी0 आई0 डी0 से जांच कराकर दोषी पुलिस जनों को दंडित करेगी और मुल्जिमानों को तत्काल गिरफ्तार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20/21 सितम्बर, 1982 की रात को ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, उन्नाव के श्री राम औतार पुत्र जगनू पासी हरिजन के यहां सशस्त्र लूट की घटना सही पायी गयी। श्री राम औतार की लिखित सूचना पर थाना हसनगंज में मु0 अ0

सं0 155 धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम हुआ। घटना की रात को नेवलगंज से मिले हुए ग्राम हाजीपुर तरेहा में कोई सिपाही मौजूद नहीं था। घटना की रात में गश्त करने के लिए नेवलगंज की ओर का0 सीताराम पाण्डेय तथा कानिस्टेबिल कमलेश कुमार भेजे गये थे। घटना के समय जिन गांवों की गश्त थी वह घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मामले में विवेचना से चार अभियुक्त प्रकाश में आये हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश जारी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। सी0 आई0 डी0 जांच कराने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया देखें कि यह घटना 20/21 सितम्बर की रात की है और आज फरवरी है, इतने दिनों बाद भी 4 अभियुक्तों में से केवल एक अभियुक्त ही पकड़ा जा सका है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शेष अभियुक्त अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किये जा सके दूसरे इस मामले में अब तक क्या प्रशासनिक कार्यवाही हुयी और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, कार्यवाही अभी चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

यही माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है ?

श्री विजय सिंह राना--

और मान्यवर, हमने यह भी पूछा है कि अभियुक्त में से तीन अन्य को गिरफ्तार करने में क्या कठिनाई हो रही है तथा इस मामले में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

इस मामले में जो विवेचनाधिकारी कार्य कर रहा है वह श्रीमन्, एक माह से कुछ बीमार हैं। इसलिये इस मामले में कुछ विलम्ब हो रहा है।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि घटना के वक्त जो गश्त कर रहे थे, ग्राम हाजीपुर तरेहा में नहीं थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन गांव हैं, जिसमें उनकी गश्त लगी हुई थी ? घटना के समय किस गांव में मौजूद थे ?

श्री गुलाब सेहरा--

घटना की रात में गश्त करने के लिये नेवलगंज की ओर दो सिपाही का0 228 सीता राम पाण्डे व का0 354 कमलेश कुमार भेजे गये थे, जिनका गश्त 11 से 12 मलभा, 1 से 2 कोइयां मदारपुर और 3 से 4 बजे रात तक ग्राम शंकरपुर का था।

श्री मेंहदी असगर--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभियुक्त नहीं पकड़े गये, क्या उनके मकान वगैरह की कुर्की की कुछ कार्यवाही की गयी ? यदि की गयी, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि कार्यवाही हो रही है, विलम्ब इसलिये हो गया कि एस0 आई0, जो इसकी विवेचना कर रहा था, एक महीने से बीमार है।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 82-83 की कार्यवाही है, इसमें अभी तक कोई एस0आई0आर नहीं है। मेरा आरोप है कि यह प्रश्न टाला जा रहा है।

श्री गुलाब सेहरा--

इसे शीघ्र करा देंगे।

श्री विजय सिंह राना--

ये 82-83 की कार्यवाही अब करा रहे हैं, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? कार्यवाही क्यों नहीं करायी?

श्री गुलाब सेहरा--

जो पहले विवेचना कर रहा था, उसका ट्रांस्फर हो गया है, दूसरा अधिकारी एक माह से बीमार है। अगर आवश्यकता होगी तो किसी और अधिकारी से इसकी विवेचना करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, यह हरिजनों से संबंधित मामला है। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री सन्त बख्श रावत सदन त्याग कर चले गये।)

राजस्थान के रेगिस्तान की गति रोकने के उपाय

*12--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश की ओर प्रति वर्ष तेज गति से बढ़ रहा है? सरकार उसे रोकने के लिये कौन-कौन से उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। सरकार राजस्थान से मिली हुई वन भूमि, नहरों, सड़कों तथा रेलवे लाइनों के किनारे एवं ग्राम समाज की भूमि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण करवा रही है ताकि रेगिस्तान की गति रुक सके।

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश की तरफ एक साल में कितने कि0मी0 की गति से बढ़ रहा है। जवाब में सामान्य चीजें दे दी गयी हैं। क्या शासन की तरफ से कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक रेगिस्तान की गति का सवाल है, इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा या शोध के द्वारा कोई जानकारी नहीं की गयी। जो यह रिपोर्ट वहां के लोगों से प्राप्त हो रही है कि रेगिस्तान बढ़ रहा है और साथ ही साथ वहां पर क्लाइमेट में भी परिवर्तन आ रहा है, उसके लिये शासन प्रयत्नशील है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाय जिससे रेगिस्तान की गति को रोका जा सके।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, रेगिस्तान के बढ़ने के कई कारण हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि जब नीचे का वाटर लेविल ऊपर नहीं आता, तो जमीन रेगिस्तान होने लगती है। इनका भू-सर्वेक्षण विभाग भी कार्य कर रहा है। क्या माननीय मन्त्री जी इस विभाग के लोगों को भेजकर विवेचना कराने की कृपा करेंगे? अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि इस

सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण नहीं कराया गया है, तो ऐसा परीक्षण न कराने का क्या कारण है ? और यदि इस संबंध में जानकारी है तो केवल पेड़ लगाने के साथ ही साथ वहां के वाटर लेविल को नीचा करने के लिये शासन क्या कर रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

शासन वाटर इवेलुएशन के लिये योजना बना रही है जो कि वर्ष भर में एक सप्ताह के लिये इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी और इस दिशा में शासन शीघ्र ही कार्यवाही करेगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि राजस्थान से मिलीहुई वन भूमि, नहरों, सड़कों तथा रेलवे लाइनों के किनारे एवं ग्राम समाज की भूमि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार वृक्षारोपण करवा रही है ताकि रेगिस्तान की गति रुक सके । तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान से लगे हुए किस गांव में, किस नहर के किनारे तथा किस रेलवे लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है, क्या मंत्री जी उनके नाम बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत विस्तृत सवाल है, मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, फतेहपुर-सीकरी राजस्थान से लगा हुआ है। मुझे जानकारी है कि वहां पर कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। मंत्री जी किसी गांव का नाम बतायेंगे जहां कि वृक्षारोपण किया गया हो ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, तीन जिलों में अलीगढ़, आगरा तथा मथुरा में 20 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछा था कि वह राजस्थान से लगा हुआ है और वहां पर किस ग्राम में वृक्षारोपण किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, फतेहपुर, आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़ से राजस्थान की सीमा मिली हुई है । मंत्री जी वहां के किसी एक गांव का नाम बता दें जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कराया हो ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट मंगा ली जायगी, जो गांव होंगे वह बता दिये जायेंगे ।

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

*14—श्री राज कुमार राय—

(माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित)

*15—श्री राधेश्याम पटेल—

(5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी नीति

*16—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पहले साधारण सीटों के प्राप्तांकों के आधार पर भर्ती करने के बाद जो अनुसूचित एवं जनजाति व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी बचते हैं उनमें से आरक्षित कोट के उम्मीदवार लिए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह आदेश विद्यमान है कि श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी सफल हो जायेंगे उन सभी को, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों की संख्या को नजरअन्दाज करते हुए चयन किया जाना चाहिए ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार श्री वाराह गिरि वेंकट गिरि जो कि वहां पर उम्मीदवार थे उन्हें शैड्यूल कास्ट के इतने वोट नहीं मिले थे कि वो पहले नम्बर पर आयें और पहले नम्बर पर शैड्यूल कास्ट का उम्मीदवार आया और दूसरे नम्बर पर श्री बाराह गिरि वेंकट गिरि आये तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जनरल सीट के लिये जो चुना जाता है वो कास्ट के बेसिस पर चुना जाता है इसलिये श्री बाराह गिरि वेंकट गिरि की सीट डिक्लेयर हुई । ये मैनडटरी आर्डर देंगे जो सामान्य तौर से चुने जायेंगे उन्हें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत नहीं रखा जायगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आरक्षण की नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि सर्विस में उन वर्गों को रिप्रजन्टेशन हो जाय जो कि उस लेविल पर नहीं है । इसलिय साक्षात्कार में या परीक्षाओं में पास करने के बाद जो आते हैं और जो नीचे लेविल के लोग हैं उन्हीं का आरक्षण किया जाता है । जो बात श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने कहीं वह इस नीति से भिन्न है । जैसे 4 जगहों की वैकन्सीज है, शैड्यूल कास्ट के लिये और 4 से अधिक 6 व्यक्ति जनरल एक्जामिनशन में आ जाते हैं तो 4 के बजाय 6 लोगों को ले लिया जायगा। इसमें परिवर्तन करने का शासन का कोई इरादा नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सरकार इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेगी कि जो सामान्य प्राप्तांकों के आधार पर लोग चुने जायेंगे चाहे उसमें शैड्यूल कास्ट के लोग हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, ऐसे लोग जो सामान्य कोट में आ जाते हैं उनको आरक्षित कोर्ट में नहीं लिया जायेगा, इसके मैनडेटरी आदेश दिए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आरक्षण इसीलिये किया गया है कि लोग इसमें आ जाये । जिन वर्गों के लोग सामान्य लोगों के साथ नहीं आ पाते है, वह आरक्षण के आधार पर आ जाते हैं । इस समय इस प्रक्रिया में किसी परिवर्तन का इरादा शासन का नहीं है ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जनरल कैन्डीडेट के लिए एक स्टैंडर्ड रखा जाता है और अनुसूचित जाति के लोगों को उससे न्यून स्टैंडर्ड रखा जाता है, ताकि उनको स्थान मिल सके। अनुसूचित जाति का कोई कैन्डीडेट जनरल सीट पर आ जाता है तो उसको रिजर्व कोटा में नहीं माना जाना चाहिये । विधान सभा में रिजर्व सीट है और कोई जनरल सीट से चनकर आ जाता है तो आप कहें कि कोटा पूरा हो गया। उसको जनरल माना जाना चाहिय । क्या आप इस प्रकार के आदश जारी करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो प्रक्रिया है और जो माननीय सदस्य ने अभी कहा, उस पर अभी शासन का विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री धनी राम वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी न अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें परिवर्तन करने की शासन की मन्शा नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जो चल रही है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि 18 प्रतिशत हरिजन और 15 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के लोगों को स्थान दिये जायेंगे, तो जब तक 18 प्रतिशत और 15 प्रतिशत का कोटा नहीं पूरा हो जायगा तब तक जनरल से उनको अलग करके 18 प्रतिशत और 15 प्रतिशत लेने के आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कोटा पूरा किया जायें, लेकिन इसके अतिरिक्त परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

श्री धनीराम जी, आप बैठिए मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, यह अपनी जगह पर सही है कि आरक्षण नीति के दोषपूर्ण होने के कारण पिछले 37 वर्ष में आज तक न तो हरिजनों का कोटा पूरा हो सका है और न बकवर्ड क्लास का कोटा पूरा हो सका है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या शासन इस बात की व्यवस्था करेगा जिससे निकट भविष्य में आरक्षण पूरा हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस बात का प्रयास किया जायगा कि कोटा पूरा हो जाय।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, यदि जनरल 4 के स्थान पर 6 आ जाते हैं तो कोटा अपने आप पूरा हो जाता है, इसी तरह से क्या वह इस बात की व्यवस्था करेंगे कि यदि अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर जनरल में नहीं चुना जाता है तो शेष बचे हुए लोगों को नियमों को रिलक्स करके कोटा पूरा करने के आदेश देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उसमें प्राविधान है कि उनका स्टैंडर्ड नीच करके उनको चुना जाता है। यह पहले से मौजूद है ?

देवरिया शहर में श्री जनार्दन की हत्या तथा कतिपय व्यक्तियों द्वारा जाली करेन्सी के धन्धे का पंजीकृत अपराध

*17--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया कोतवाली में दिनांक 18-11-81 को देवरिया शहर में एक खाद के दुकानदार को 8 बजे सुबह दो हत्यारों ने गोली मार

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कर हत्या कर दी है ? क्या यह भी सही है कि हत्यारों के गिरफ्तारी के समय गुलाब कटरा में नोट छापने का कारखाना, छापा नोट एवं कागजात पुलिस ने बरामद किया है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनसार दिनांक 18-11-81 को तो नहीं वरन् दिनांक 17-11-81 को श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री शिव शंकर सा0 रतसड़, थाना गढ़वार, जिला बलिया हाल पता ठठेरी गली थाना कोतवाली ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 16-11-81 को उसके भाई जनार्दन ने हरिशंकर की दूकान से तीन बोरी खाद खरीदी जिसमें से दो बोरी में खाद मौजूद कम थी दिनांक 17-11-81 की सुबह जब वादी तथा उसका भाई उक्त दो बोरी जिसमें खाद कम थी हरिशंकर की दूकान पर वापस करने गया तो आपस में गाली गलौज तथा कहासुनी हो गई और श्री प्रेमशंकर आदि अभियक्तों ने उसके भाई जनार्दन को गोलीमार कर हत्या कर दी। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली में एक अपराध सं0 585/81/धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत होकर विवचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

दिनांक 18-11-81 को श्री सूर्यनाथ पुत्र राम बिलास यादव सा0 बढ़या बुजुर्ग थाना कोतवाली ने लिखित सूचना दी कि कतिपय लोगों द्वारा जारी करेन्सी का धन्धा किया जा रहा है तथा लोगों की रकम हड़पी जा रही है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली में एक अपराध सं0 588 धारा 419/420 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण के घरों से रुपये दूना करने का उपकरण आदि बरामद किया गया और विवेचनोपरान्त 4 अभियक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।

श्री पुन्नी लाल कलवार के घर पड़ी डकैती

*18—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि माह मार्च, अप्रैल, 1982 में श्री पनीराम कलवार ग्राम खेमाषुर थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद के घर में भीषण डकैती की घटना हुई ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जब गृह स्वामी उक्त थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थानाध्यक्ष श्री लालजी यादव द्वारा जी0 डी0 में डकैती का मकदमा कायम न करके फर्जी कागज पर उसका बयान दर्ज करके उसे टाल दिया। यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करवायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, श्री पुन्नी लाल कलवार के घर माह मार्च में डकैती पड़ी थी। यह सही है कि इस घटना की रिपोर्ट पर श्री लाल जी यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमारगंज ने डकैती का मुकदमा कायम न करके धारा 323 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कर चुके हैं। दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जा रही है तथा अपराध को डकैती में तरमीम कराकर विवेचना की जा रही है।

मुख्य मंत्री द्वारा भूतपूर्व विधायकों से मिलने का समय

*19—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से विधायकों के लिये मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य मंत्रियों ने मिलने का एक खास समय मुकर्रर कर दिया है, उसी प्रकार से भूतपूर्व विधायकों के लिये भी मिलने का कोई टाइम मुकर्रर करने की कृपा करेंगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुलाकात के संबंध में वर्तमान तथा भूतपूर्व विधायकों में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। अधिकांश मंत्रियों ने विधायकों से मिलने का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया है और वे उनसे तथा भूतपूर्व विधायकों से हर समय, यदि वे किसी अति आवश्यक

सरकारी कार्य में व्यस्त नहीं हुए तो, मिल लेते हैं। मुख्य मंत्री और जिन मंत्रियों ने विधायकों के लिये अलग से समय निर्धारित कर रखा है वे उस समय में भूतपूर्व विधायकों से भी मिलते हैं। अतः मुख्य मंत्री तथा मंत्रियों द्वारा भूतपूर्व विधायकों के लिये मिलने का अलग से कोई समय निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड मुफ्तीगंज में पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव

*20—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर का विकास खंड मुफ्तीगंज सई और गोमती नदियों से घिरा हुआ है ? क्या सरकार मुफ्तीगंज में शीघ्र पुलिस स्टेशन कायम करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जौनपुर का विकास खण्ड मुफ्तीगंज क्षेत्र के कुछ ग्राम सई और गोमती नदियों से घिरे हुये हैं। मुफ्तीगंज में इस समय पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है यहां जनपद के स्वीकृत नियतन से एक अस्थायी चौकी स्थापित की गई है, जो कार्यरत है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय सुरक्षा गार्ड सेवा का पुर्नगठन

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड सेवा का पुर्नगठन किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह प्रश्न था कि अभी कुछ दिन पहले जो अनेक्सी सचिवालय में एक काण्ड हुआ था जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसे कि प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज न रह गई हो। दो दिन तक ला-लेसनेस की वहां पर स्थिति पैदा हो गई थी। उसी संदर्भ में मैंने पूछा था कि क्या सचिवालय सुरक्षा गार्ड सेवा का पुनर्गठन किया जाना शासन के विचाराधीन है ? इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि "जी नहीं"। तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर जो घटना घटित हुई है वह दुखद है और इस बात को सिद्ध करती है कि प्रदेश में प्रशासन नहीं रह गया है। इस तरह की घटना दुबारा घटित न हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्या कदम उठाये हैं ? बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

यहां पर पुर्नगठन की बात कही है जिसका कि मैंने उत्तर दिया है। जो आपने पूछा उसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लें, उसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एक बड़ी शर्मनाक घटना अनेक्सी में घटित हुई उसके उपरान्त शासन ने ऐसी घटना दुबारा न हो, उसमें सुधार लाने के लिये किसी योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

घटना का प्रश्न इसमें नहीं है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यहां पर पुर्नगठन की बात पूछी गई थी उसका उत्तर दिया गया है। जो आप अब पूछ रहे हैं उसके लिये अलग से प्रश्न कर लें, उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुरक्षा सेवा कर्मचारियों के अन्दर काफी असन्तोष है। उसको दूर करने के लिये इसी प्रश्न से संबंधित सरकार क्या आगे कोई सुधार पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उसके लिये सारे कदम उठाये जा रहे हैं और उठाये जायेंगे लेकिन जहां तक ब्योरे का सवाल है उसके लिये अलग से सवाल किया जाना चाहिए।

श्री ऊदल

श्रीमन, मैं अपने प्रश्न को दुहरा दूं। मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। इस वक्त सचिवालय सुरक्षा गार्ड्स संघ में काफी चीजों को लेकर असन्तोष है। क्या सरकार उनको दूर करने के लिये भविष्य में कोई विचार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, किसी भी प्रकार की समस्या जब प्रदेश के सामने आती है तो उसके समाधान के लिये विचार किया जाता है। बहुत सी ऐसी बातें है जिन पर विचार किया जा रहा है।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि अनेक्सी कांड के बाद क्या सुरक्षा गार्ड्स की मांगों के बारे में कोई प्रत्यावेदन लिखित या मौखिक रूप से सरकार को या मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो वह क्या है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मांगों के सम्बन्ध में कोई सवाल नहीं उठता है। मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति आपके सचिवालय प्रशासन से होती है और जो आर0 आई0 होता हैं वह बाहर से अथवा पुलिस सेवा से यहां पर आते हैं या डेपुटेशन पर आते हैं जिससे कि वहां पर विसगति पैदा हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऊपर के अधिकारी की दूसरी तरफ से चयन की जो आपकी व्यवस्था है जिससे कि उनमें तालमेल नहीं हो पा रहा है, उसको समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से कोई विचार चल रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था जब भी कोई ऐसी बात होती है तो शासन उस पर विचार करता है। कई समस्यायें ऐसी है जिन पर शासन विचार कर रहा है और समस्याओं के समाधान के लिये प्रयास किया जा रहा है साथ ही प्रशासनिक ढांचे को और भी चुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सचिवालय कांड के बाद कैबिनेट में इस पर विचार हुआ और उसके बाद बहुत सारे निर्णय लिये गये। उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पुर्नगठन किया जायेगा जिसकी खबर अखबारों में प्रकाशित हुई और सरकार

की ओर से उसका खंडन नहीं किया गया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जो मुख्य मंत्री जी की ओर से इसका उत्तर दे रहे हैं इसको गोपनीय समझ कर ब्योरा नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि क्या यह प्रश्न गार्डों के पुनर्गठन का सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संदर्भ में कि प्रशासनिक समस्यायें सामने आई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है और कार्यवाही की जायेगी। तो मैं जानना चाहता हूं इसमें कौन कौन सी प्रशासनिक समस्यायें सामने आईं और उसमें किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के सवाल का जवाब न दिया जाय तो उन्हें शिकायत पैदा होती है। इसलिये इसका अलग से वह प्रश्न कर लें तो उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

26 नवम्बर की जो घटना हुई अनेक्सी में जिसमें काउन्सिल हाउस गार्ड और पुलिस में टकराव हुआ और उसकी खबरें सारे अखबारों में आई। जैसा कि भीखालाल जी ने कहा काउन्सिल हाउस गार्ड और पुलिस में आपस में मनमुटाव पैदा हुआ उस संदर्भ में कोई पुनर्गठन करने का विचार है जिसके उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि पुनर्गठन का विचार नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने जवाब के परिपेक्ष्य में इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि काउन्सिल हाउस गार्ड एवं पुलिस से संबंधित दूसरे अधिकारियों के बीच सद्भाव पैदा हो। इस संदर्भ में काउन्सिल हाउस गार्ड के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है जिसके बारे में वे अनशन कर रहे हैं और कल एक कैबिनेट मिनिस्टर के आश्वासन पर वह समाप्त कर दिया गया। तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि काउन्सिल हाउस गार्ड के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है उसको वापस लिया जाय ताकि सद्भाव उत्पन्न हो ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय रियासत साहब, प्रश्न का पहला भाग था कि जो टकराव हुआ उसके नतीजे में पुनर्गठन किया जा रहा है ? तो हर टकराव का नतीजा पुनर्गठन होने लगा तो बहुत सी जगहों पर पुनर्गठन करना पड़ेगा।

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है इस बात का प्रयास किया जा रहा है जिससे टेन्शन कम कर सकें और एक दूसरे के प्रति सचिवालय में सद्भाव पैदा हो। उसके लिये जो भी मुमकिन कदम होंगे उठायें जायेंगे।

श्री जटाशंकर सिंह—

मैं, मान्यवर, जानना चाहता हूं कि जो गार्डों की भूख हड़ताल चल रही थी उसके संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इससे संबंधित नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सर्विस कंडीशन को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से इस बात की आवश्यकता समझते हैं कि गार्डों की सेवा का पुनर्गठन किया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो गार्ड निलम्बित किये गये है, उनके निलम्बन को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह तो अलग प्रश्न है ।

रेलीज इन्डिया केमिकल्स, मगरवारा, उन्नाव में श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की मैजिस्टीरियल जांच

**2—श्री भीखा लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलीज इन्डिया केमिकल्स, मगरवारा, उन्नाव में 3 जनवरी, 1982 को श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की मैजिस्ट्रेरीयल जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है तथा जो 6 श्रमिक लापता थे उनके संबंध में जांच अधिकारी किस निष्कर्ष पर पहुंचे ?

श्री अम्मार रिजवी—

घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

श्री भीखा लाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 3 जनवरी, 82 की घटी इस घटना पर जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी बिठाई गई है, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट देने के लिए उस जांच मैजिस्ट्रेट को कोई समय दिया गया था कि इतने दिनों के अन्दर उसे रिपोर्ट करनी है ? यदि समय दिया गया था तो क्या वह समय व्यतीत हो गया है और रिपोर्ट न आने का कारण क्या है ? यदि इस पर कोई अन्तरिम रिपोर्ट आई हो तो उसके बारे में भी मंत्री जी बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आई है । 4-1-82 को इनकी नियुक्ति हुई है। जो उन्होंने कहा है वह बात ठीक है, इस बात का प्रयास किया जायगा और उम्मीद है...

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मैं इस मामले की गम्भीरता से याद दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि यह इस प्रदेश की ऐसी घटना है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक मजदूर पुलिस गोली से मार दिये गये थे, कई महीनों तक वहां आतंक रहा था और कारखाना भी बन्द रहा था। उसके बाद ट्रेड यूनियन, जनप्रतिनिधियों, सरकार और मालिकान के मध्य बात हुई और समझौते का एक मसौदा बना। लेकिन उसका कार्यान्वियन इसलिये नहीं हुआ कि उसमें यह बात थी कि मैजिस्ट्रीरियल जांच के बाद जो आख्या, रिपोर्ट आएगी, उसकी रोशनी में उस पर अमल किया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए कि एक साल हो गया है और उसकी रिपोर्ट आना तो दूर रहा, उसकी प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स भी अभी शुरू नहीं हुई हैं मेरी जानकारी के अनुसार, जिससे समझौते की बहुत सी बातों का कार्यान्वियन नहीं हो पा रहा है, तो उनके द्वारा इस पर प्राथमिक कार्यवाही भी न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वहां पर कुछ लोगों ने उस इंक्वायरी का बायकाट किया, कुछ मजदूर नेताओं ने उसके सामने साक्ष्य देने से इनकार कर दिया, यह मुख्य कारण है, लेकिन जो भीखालाल

और मोहन सिंह जी ने बात कही है वह सही है और यह बात बहुत गम्भीर है। सरकार निश्चित रूप से दो महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट रखेगी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह कोई नई वारदात नहीं है, रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन सरकार को यह मालूम होना चाहिये और होगा कि किस मैजिस्ट्रेट के आर्डर से वहां पर गोली चली थी उसका नाम क्या है ? जिन 6 मजदूरों के इसमें लापता होने का जिक्र है, तो इसका मतलब यह है कि यह मारे गये हैं, तो इन 6 लोगों के परिवार वालों को किस तरह की शासन की ओर से मदद की गई है, वह बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह सारी बात तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर ही बताना ठीक रहेगा कि किसके आदेश से गोली चली और कौन दोषी था। अब एक समय निर्धारित कर दिया गया है, उसके बाद मालूम हो जाएगा। यह इस समय बताना रिपोर्ट और इंक्वायरी के हित में नहीं है।

श्री भीखालाल--

इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मुख्य दो मुद्दे हैं। एक तो 3-1-82 को जो गोली चली उसके लिए जिम्मेदार कौन है--मैजिस्ट्रेट जिम्मेदार है जिसने आर्डर दिया या मजदूर जिम्मेदार हैं ? इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट रास्ता ढूंढ़ रहे हैं कि वह जिम्मेदार है गोली चलवाने के लिए, लेकिन वह आज तक रास्ता नहीं ढूंढ़ पाये हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार मानती है कि दो मजदूर मारे गये है, लेकिन जितने विरोधी दल के लोग हैं और जो विभिन्न अखबारों के संवाददाता है वह मानते हैं कि उसमें 8 मजदूर मारे गये हैं। गुजरात हाईकोर्ट के एक जज ने भी एडवोकेट की टीम के साथ जाकर इंक्वायरी की थी और उसने भी माना है कि 8 मारे गये हैं। दो सरकार मानती है, 6 लापता है, लेकिन उनके बारे में सरकार अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई है तो ऐसी स्थिति में जब कि लोग बायकाट भी कर रहे है, क्या आप किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच रिपोर्ट आने के पूर्व इस प्रकार का सोचना ठीक नहीं होगा। पहले जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिये, माननीय भीखालाल जी भी उसे देख लें, उसके बाद मजदूरों के हक में जो भी न्यायोचित होगा किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसमें एक मैजिस्ट्रेट का एक्शन इन्वाल्व है और आप एक मैजिस्ट्रेट से ही उसकी जांच करवा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। तो क्या आप, निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिये किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसका उत्तर मैं अभी दे चुका हूं। पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिये, उसके बाद मजदूरों के हित में जो उचित होगा किया जायेगा। मजदूरों के साथ ज्यादती कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी।

श्री सूबेदार सिंह--

एक साल पहले यह घटना घटी और अभी तक जांच पेंडिंग है। मैजिस्ट्रेट ने भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है। क्या कोई औपचारिकतायें अभी तक पूरी हुई हैं और कोई चीज प्राप्त हुई है।

श्री अम्मार रिजवी--

अभी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामस्वरुप वर्मा--

अभी अन्तरिम रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि लोग बायकाट कर रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच हो और विलम्ब भी और न हो, तो जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा यदि सम्भव नहीं है तो किसी जिला जज द्वारा ही जांच करवाने की सरकार कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो वे दे चुके हैं।

श्री सत्यपाल सिंह--

इसकी जांच लोकल पुलिस कर रही है या सी0 आई0 डी0 ? अगर लोकल पुलिस कर रही है जिस पर उनका भरोसा नहीं है, तो क्या सरकार इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

अभी तो मैजिस्टीरियल जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट पहले आ जाने दीजिये उसके बाद विचार कर लेंगे कि क्या करना है।

श्री हुकम सिंह--

यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस घटना में 8 मजदूर मारे गये हैं और दो को ही आपने सहायता दी है। तो क्या शेष 6 लोगों के परिवार वालों को भी आप कोई अन्तरिम सहायता देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जो तथ्य माननीय हुकम सिंह ने बताये हैं, अगर उनकी सूची प्राप्त हो जाती है, तो शासन सहायता उनको अवश्य देगा।

अतारांकित प्रश्न

जिला देवरिया में सड़कों को पिच करने का प्रस्ताव

1--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में किन-किन रोडों का जिला देवरिया में पिच कराया जाना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक के लिए अलग अलग कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1982-83 में पिच कराने हेतु मार्गों की सूची संलग्न है। उक्त सूचीम प्रत्येक मार्ग के लिये 1982-83 में आवंटित धनराशि भी मार्ग के सामने अंकित है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 352 पर)

देवरिया के कतिपय मार्गों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

2--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से देसही-देवरिया को जाने वाली सी0 सी0 रोड को ग्राम डुमरी से देसही देवरिया तक (जो अभी कंकर रोड है) कब तक पिच करा दिया जायेगा ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी—

केवल ग्राम बैजनाथपुर से देसही देवरिया तक वाटर बाउन्ड मार्ग का आधुनिकीकरण 4·5 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है तथा उक्त कार्य वर्ष 1984–85 तक पूर्ण कर दिये जाने की सम्भावना है।

ग्राम डूमरी से ग्राम बैजनाथपुर तक 8.10 कि0 मी0 सी0 सी0 ट्रेक धनाभाव के कारण अभी स्वीकृत नहीं है। अतः इस भाग को पूरा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में स्थित सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों को पक्का करने का कार्य

3—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जुलाई, 1980 से 30 अप्रैल, 1982 के बीच कितने कि0 मी0 नई सड़क का निर्माण कराया गया तथा कितने कि0 मी0 कच्ची सड़क पक्का कराया गया है तथा इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

आजमगढ़ जनपद में स्थित सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जुलाई, 1980 से 20 अप्रैल, 1982 तक 0.90 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य 6.3 कि0 मी0 में पुलिया का निर्माण, 6.5 कि0 मी0 में खड़ंजा लगाने का कार्य तथा 12.7 कि0 मी0 में प्रथम सतह लेपन का कार्य कराया गया है। इस पर कुल 11.26 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है।

4—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कुल की स्वीकृति छः लाख रुपये की लागत पर दिनांक 24–4–81 को प्रदान किए जाने के उपरान्त आज तक उसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायगा और कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

अभी तक धन के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है और अगली वर्षा ऋतु तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रक्खा गया है।

5–6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

विद्युत सब-स्टेशन पर विजिलेंस दल की निरीक्षण आख्या

7—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8–9 मार्च, 81 को विजीलेन्स के दल के ताजपुर (बिजनौर) में विद्युत सब स्टेशन पर निरीक्षण के समय कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं तथा क्षेत्रीय जनता ने भी प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 29–4–81 के संलग्न आपसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। विजिलेंस दल की निरीक्षण आख्या के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है—

(1) श्री के0 के0 अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी ताजपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है तथा उसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री खड़ग सिंह, अवर अभियन्ता, श्री लल्लू सिंह एवं श्री किशन लाल, ताजपुर उपसंस्थान परिचालकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जा चुके हैं।

(3) श्री ओम प्रकाश, उप संस्थान परिचालक, धामपुर, विद्युत उप-संस्थान को चेतावनी दी जा चुकी है।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 29-4-81 प्राप्त हुआ था जिस पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, मिर्जापुर के श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कार्यरत आफिसर्स असिस्टेंट

8—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में मस्टर रोल में तदर्थ दैनिक श्रेणी लिपिक एवं वर्तमान में श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से बहुत से लोग सन् 78 से कार्य कर रहे हैं, और उन्हें आपूर्ति 10-11 रु0 रोज के हिसाब से मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या इस सम्बन्ध में दैनिक श्रेणी लिपिक, श्रमिक आपूर्ति अनपरा तापीय परियोजना में कार्य करने वालों ने अप्रैल, 82 में महाप्रबन्धक, अनपरा परियोजना एवं मा0 मुख्य मंत्री, विद्युत मन्त्री, चेयरमैन राज्य विद्युत परिषद उ0प्र0 को प्रार्थना पत्र भेजा है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में वर्तमान में श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कुल 21 व्यक्ति आफिस असिस्टेन्ट 'ए' और 'बी' के रूप में कार्यरत हैं, जिनमें से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 1978 में मस्टर रोल में दैनिक श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत थे और छटनी किये जाने के उपरान्त श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से आफिस असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मस्टर रोल में तदर्थ दैनिक श्रेणी लिपिक के रूप में कोई भी व्यक्ति अब कार्यरत नहीं है। इन कर्मचारियों को स्किलड कैटेगरी का वेतन जो उस क्षेत्र में 9 रु0 से 11 रु0 तक निर्धारित है, के समक्ष क्रमशः 12 रु0 एवं 11 रु0 प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है। परियोजना अधिष्ठान में रेगुलर कैडर में दैनिक श्रेणी लिपिक कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त न होने के कारण श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से इन व्यक्तियों को रखा गया था।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में प्राप्त हुआ था जिसमें संबंधित श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कार्यरत आफिस असिस्टेंट ने दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में इन पदों पर नियमित नियुक्ति विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। आयोग आवश्यकतानुसार समय-समय पर रिक्त पदों का विज्ञापन करता है, और नियमित सेवा में उपरोक्त माध्यम से ही नियुक्ति की जाती है। इस तथ्य से संबंधित व्यक्तियों को भी अवगत करा दिया गया है।

जनरल मैनेजर हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर, अलीगढ़ को अनस्किल्ड मस्टर रोल एवं दैनिक वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें हेतु दिये गये निर्देश

9—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सिविल निर्माण सर्किल यू0 पी—1—डी0/3 चर्च लेन इलाहाबाद ने अपना आदेश सं0 5624/ई0 सी0

सी0-ए-एस-9 तारीख 29-12-81 व श्री हरीश चन्द्र, अतिरिक्त, सचिव, राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या 3963 डब्लू0 बी0/(1) एस0 ई0 बी0/14 डब्लू0 बी0 75/अप्रैल, 81 के द्वारा मिनिमम वेज अनस्किल्ड लेबर व मस्टर रोल डेली रेट कर्मचारियों के बारे में जनरल मैनेजर हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर, अलीगढ़ को भेजा है कि अनक्लिल्ड व मस्टर रोल लेबर का वेज निश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्या रेट निश्चित किये गये है और सरकार ने ये रेट अनपरा तापीय परियोजना विद्युत पर लागू कर दिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

परिषदादेश संख्या 3963-डब्लू0 बी0/एस0 ई0 बी0/14-डब्लू0 बी0 सी0-75, दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के द्वारा जनरल मैनेजर हरदुआगंज, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कासिमपुर, अलीगढ़ एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि अनस्किल्ड मस्टर रोल एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें अपने स्तर पर क्षेत्र विशेष में प्रचलित मजदूरी की दरों के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों से परामर्श कर निर्धारित करें। अधीक्षण अभियन्ता सिविल निर्माण सर्किल, यू0 पी0 एस0 ई0 बी0, इलाहाबाद के प्रश्नगत आदेश केवल उनके मंडल में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होता है। विद्युत परिषद् के उपरोक्त आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1982 में निहित न्यूनतम मजदूरी दिये जान से सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन अनपरा तापीय परियोजना में भी किया जा रहा है।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिक

10— श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में कितने दैनिक श्रेणी लिपिक व श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इनको स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना मिर्जापुर में दैनिक मजदूरी पर कोई भी दैनिक श्रेणी लिपिक कार्यरत नहीं है। श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कुल 21 व्यक्ति आफिस असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, इनमें से 4 आफिस असिस्टेंट (ए) तथा 17 आफिस असिस्टेंट (बी) के रूप में कार्य कर रहे है। इनमें से 13 व्यक्ति ऐसे है जो अब तक 3 वर्ष या उससे ऊपर तथा शेष 8 व्यक्ति 3 वर्ष से कम समय से सेवारत हैं। विद्युत परिषद् में केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्थायी किया जाता है जो परिषद् की नियमित सेवा में हों। श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों को स्थायी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में राप्ती रोहन नदियों के बीच जल विद्युत परियोजना का विचार

11—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में राप्ती रोहन नदियों के बीच प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है और इस के निर्माण में बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गोरखपुर जनपद में राप्ती रोहिन नदियों के बीच कोई जल विद्युत परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः सरकार द्वारा इस परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य करने में बिलम्ब करने का प्रश्न नहीं उठता है।

अलीगंज (लखनऊ) योजना के भूखंडों में 33 के० वी० लाइन को हटाये जाने हेतु कार्यवाही

12—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 82 के पहले मंगलवार दिनांक 24-8-82 के अता० प्र० सं० 147 के उत्तर के सन्दर्भ मे क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि संबंधित विषय पर दिनांक 10-9-82 तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और उस का उक्त कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अलीगंज (लखनऊ) योजना के अन्तर्गत सेक्टर "जी" में भूखण्डों के ऊपर से जाने वाली 33 के० वी० लाईन को हटाये जाने के कार्य के सर्वकृत प्राक्कलन के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य विद्युत परिषद को रु० 2,49,531 की धनराशि प्राप्त कराई जानी थी। इसके विपरीत लखनऊ विकास प्राधिकरण से अभी तक रु० 1,99,922 की धनराशि प्राप्त कराई गई है समुचित धनराशि का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में भी परिषद ने कार्य का सम्पादन प्रारम्भ कर दिया है। तथापि कार्य का पूरा किया जाना प्राधिकरण द्वारा अवशेष रुपये 49,609 की धनराशि के भुगतान किये जाने पर निर्भर करता है।

अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

13—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश के पत्रांक 7843 ई० डी०/22, ई० डी०/82, दिनांक 11 जून, 1982 के अन्तर्गत क्रम संख्या 89, 113, 116, 117, 117 (बी०) 118 तथा 127 के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण एक ही जनपद में तथा क्रम संख्या 100 तथा 145 के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण गृह जनपदों में किए जाने का क्या औचित्य है ? इन अनियमित स्थानान्तरण के लिए कौन कौन अधिकारी उत्तरदायी है और शासन ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के पत्र सं० 7843 ई० डी०/22 ई० डी०/82 दिनांक 11-6-82 के अन्तर्गत क्रम संख्या 89 पर अंकित अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण अस्थायी भवन खण्ड-1 लखनऊ से रा० मा० खण्ड-लखनऊ (मुख्यालय फैजाबाद) किया गया है। अतः यह स्थानान्तरण एक ही जनपद में नहीं है।

क्रम सं० 113, 116, 118 तथा 127 पर अंकित अवर अभियन्ता सर्वे/डिजाइन/प्लानिंग/रिसर्च में दो वर्ष या इससे अधिक कार्य कर लेने के कारण वहां से स्थानान्तरण के लिये अर्ह थे। परन्तु चूंकि लखनऊ जनपद में उन्हें कार्य करते 5 वर्ष नहीं हुये थे अतः उनका स्थानान्तरण लखनऊ स्थित कार्यकारी खंडों में जहां स्थान रिक्त थे, किया गया।

क्रम सं० 117 तथा 117 (बी०) पर अंकित अवर अभियन्ताओं को कार्यरत जनपद में 5 वर्ष नहीं हुये थे और उसी जनपद के जिन खंडों में उनका स्थानान्तरण किया गया वहां अवर अभियन्ताओं की आवश्यकता थी।

क्रमांक 100 तथा 145 पर अंकित अवर अभियन्ताओं ने अपनी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने गृह जनपद में स्थानान्तरण किये जाने की मांग की थी।

विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में अकार्यकारी खंडों में अवर अभियन्ताओं की नितान्त कमी को ध्यान में रखकर उन्हें उनके गृह जनपद में परिकल्पना विंग तथा सर्वे खंड में स्थानान्तरित किया गया।

उपरोक्त स्थानान्तरणों में कोई अनियमितता नहीं की गई। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

साप्ताहिक छोटे हिन्दी अखबारों को प्रोत्साहन देने हेतु विज्ञापन नीति

14—श्री रामस्वरुप वर्मा—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साप्ताहिक छोटे हिन्दी अखबारों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई नयी विज्ञापन नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और कौन से आधार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

विज्ञापन नीति की मुख्य बातें ये हैं—

(क) पर्वतीय क्षेत्रों से प्रकाशित छोटे साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्रों की विज्ञापन मान्यता हेतु सशुल्क प्रसार संख्या 500 रखी गयी है जबकि अन्य के लिये यह 1000 है।

(ख) विज्ञापन मान्यता हेतु, सहकारिता पर आधारित समाचार पत्रों के मुद्रण प्रकाशन की अवधि तीन महीने है, जबकि अन्य समाचार पत्रों के लिए यही अवधि छः माह है।

इन सुविधाओं का आधार उत्तर प्रदेश विज्ञापन मान्यता समिति की संस्तुतियां हैं।

(ग) पर्वतीय क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की कठिनाईयों और उन पर होने वाले व्यय को देखते हुये रेल हैड से 10 कि0 मी0 दूर से प्रकाशित समाचार पत्रों को, वर्तमान दरों पर, 10 प्रतिशत अधिभार दिया गया है।

(घ) समय-समय पर विशेष अभियानों के अन्तर्गत, समस्त मान्यता प्राप्त छोटे साप्ताहिक समाचार पत्रों को सजावटी विज्ञापन प्रकाशनार्थ जारी किये जाते हैं।

15—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सर्व श्री वीर बहादुर सिंह व सत्य नारायण सिंह को बन्दूकों के लाइसेन्स का निलम्बन

16—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बीरबहादुर सिंह पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह लिपिक भूमि विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ तथा श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0 सुमेश्वर सिंह, लिपिक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया मोती महल मार्ग, लखनऊ निवासी ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह रोड, बलिया की दो नाली बन्दूकों का लाइसेन्स जिलाधिकारी, बलिया द्वारा दिनांक 27 जून, 81 को निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों लोगों ने अपने-अपने आग्नेयास्त्र व लाइसेन्स पुलिस को सौंप दिये है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित सर्वश्री बीर बहादुर सिंह व सत्य नारायण सिंह की बन्दूकों के लाइसेन्स जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा दिनांक 27–6–81 को निलम्बित कर दिये गये थे। शस्त्रों को जमा करने के आदेश संबंधित जिला पुलिस को दिये गये थे। श्री सत्य नारायण सिंह ने आयुध व्यवहारी के यहां अपनी बन्दूक दिनांक 20–8–82 को जमा की थी जो उक्त फर्म के पास अभी यथावत् जमा है। जहां तक उक्त आदेशानुसार शस्त्र जमा कराने का प्रश्न उठता है वह श्री सत्य नारायण सिंह के संबंध में आयुक्त लखनऊ द्वारा दिनांक 14–9–82 तथा श्री वीर बहादुर सिंह के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29–7–82 के आदेशानुसार स्थगित कर दिया गया है।

जनपद फैजाबाद में स्थित अयोध्या के विद्युत अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार जैन की घूस लेते हुए गिरफ्तारी

17—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित अयोध्या के विद्युत अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार जैन को पांच सौ रुपया घूस लेते रंगे हाथ भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा दिनांक 10 जून, 82 को गिरफ्तार किया गया था जिसके विरोध में फैजाबाद के विद्युत कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल कर दी? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री अनिल कुमार जैन, अवर अभियन्ता को 10 जून, 1982 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कथित रु0 200 न कि रु0 500 के घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था परन्तु इस संबंध में किसी और कार्यवाही की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है। विद्युत कर्मचारियों का यह आरोप था कि श्री अनिल कुमार जैन, अवर अभियन्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके पास से रुपया बरामद करने और इस सिलसिले की अन्य कार्यवाही उस स्थल पर न करके अयोध्या पुलिस स्टेशन पर ले जाकर की गई थी। इस काण्ड से विद्युत कर्मचारी अत्यधिक उत्तेजित हुये और रात को जब मेन 33/11 के0 वी0 सप्लाई में कुछ अवरोध हुआ तो उसको ठीक करने के लिये कर्मचारी तैयार नहीं हुए और दूसरे दिन प्रातः दस बजे तक विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ हो पायी। आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने शासन से इन परिस्थितियों में मामले की जांच आपराधिक अनुसंधान विभाग द्वारा करने की संस्तुति की है। अतः दोषी कर्मचारियों को दंडित किये जाने का उक्त स्थिति में फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में खोले गये नवीन थाने तथा नियुक्त थानाध्यक्ष

18—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में अगस्त, 1981 से फरवरी 1982 के बीच कितने नए थाने खोले गये हैं, तथा कितने थानों पर थानाध्यक्ष नियुक्त हैं? क्या यह सत्य है कि अधिकांश थानों पर ए0 आई0 थानाध्यक्ष का कार्य देख रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद देवरिया में अगस्त, 1981 से फरवरी 1982 के बीच नौ नवीन थाने खोले गये हैं। सभी थानों पर थानाध्यक्ष नियुक्त हैं। सभी थानाध्यक्ष स0 इ0 पद के हैं क्योंकि इन्सपेक्टर इन्चार्ज उन्हीं थानों पर नियुक्त किया जाता है जहां कि गत तीन वर्ष के हस्तक्षेपीय अपराधों की औसत वार्षिक संख्या 400 अथवा अधिक होती है।

19—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कानपुर महानगर में लाइसेंसधारी दुकानों पर बेचे गये शस्त्र

20—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर महानगर में वर्ष जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1982 तक कितने अस्त्र-शस्त्र किन किन लाइसेन्सधारी दूकानों से बिके? क्या सभी दुकानदारों ने खरीदने वालों से खरीददारी का अधिकार-पत्र प्राप्त किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1981 से अप्रैल, 1982 तक कानपुर महानगर के संलग्न सूची में अंकित लाईसेन्सधारी दुकानों द्वारा उनके सम्मुख अंकित संख्या में शस्त्रों को बेचा गया। आर्म्स ऐक्ट एवं रूल्स के प्राविधानों के अनुसार शस्त्र विक्रेता को खरीददार से अधिकार पत्र प्राप्त करके

का कोई नियम नहीं है। नियमानुसार शस्त्र विक्रेता को शस्त्रों की बिक्री वैध लाईसेन्स पर करनी होती है और उसे लाईसेन्स पर शस्त्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम व पता, बेचे गए शस्त्र का विवरण आदि अंकित करना होता है

(देखिए नाथी "ग" आगे पृष्ठ 353 पर)

जिला बस्ती के थाना मिश्रौलिया के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

21—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत मिश्रोलिया थाना का भवन निर्माण हेतु शासन से धन आवंटित है ? यदि हां, तो भवन न बनने का कारण क्या है तथा भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला बस्ती के थाना मिश्रोलिया के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1981–82 में 5.29 लाख रु0 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके यथाशीघ्र पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के सीमा क्षेत्र में हत्याओं की घटना

22— श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया कोतवाली के सीमा क्षेत्र में वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत कितनी हत्यायें नाम पता सहित किस दिनांक को हुई तथा इन बढ़ रहे आपराधिक कृत्यों के लिये उत्तरदायी अधिकारी पर पुलिस अधीक्षक ने कौन सी कार्यवाही की ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश हत्यायें एस0 पी0 एवं सी0 ओ0 सदर के बंगले और कार्यालय के निकट हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थाना कोतवाली जनपद देवरिया के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में कुल आठ हत्याओं की घटना हुई है। मृतकों के नाम पते व घटना की तिथि संलग्न तालिका में अंकित हैं।

उक्त अपराधिक कृत्यों के लिये कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

यह सही नहीं है कि अधिकांश हत्यायें एस0 पी0 और सी0 ओ0 सदर के बंगले के निकट हुई हैं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 354 पर)

सब इन्सपेक्टर श्री कन्हैया लाल उपाध्याय श्री जे0 के0 सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

23—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28–12–81 को लिखे मेरे पत्र के साथ श्री पंचानन तिवारी ग्राम शेरवा बभनौली थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया का मूल रूप में संलग्न प्रार्थना पत्र उप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र को मिला है जिसमें स0 इं0 कन्हैया लाल उपाध्याय खुखुन्दू पर विभिन्न आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच में कौन कौन से तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, सदर देवरिया द्वारा की गई। जांच से सब इन्सपेक्टर श्री कन्हैया लाल उपाध्याय के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः किसी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

24—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-1-82 को श्री सत्य नारायण गुप्त का शिकायती प्रार्थना-पत्र जो सा0 इ0 जे0 के0 सिंह एवं स0 इ0 कन्हैया लाल उपाध्याय खुखुन्दू के विषय में है पुलिस अधीक्षक देवरिया को मिला है ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

संक्षेप में आरोप थे कि पुलिस ने टैक्सी देने से इन्कार करने पर प्रार्थी को धमकी दी, मारा एवं रुपया छीन लिया । आरोपों की जांच कराई गई और वह प्रमाणित नहीं हुई ।

थाना सलेमपुर देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-12-81 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक देवरिया को एक शिकायती पत्र थाना सलेमपुर देवरिया के विरुद्ध दिया गया है ? यदि हां, तो जांच में कौन सी बात प्रकाश में आई तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 31-12-81 को थाना सलेमपुर देवरिया की पुलिस के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, देवरिया को प्राप्त नहीं हुआ है ।

लाटूश रोड, लखनऊ में हुये दंगे की कैसरबाग, कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

26—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 मई, 1981 को लाटूश रोड, लखनऊ में कोई दंगा हुआ था ? यदि हां, तो कितने लोग नागरिक एवं पुलिस जन घायल हुए तथा उन का नाम एवं पद क्या था, इसे नियंत्रित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन दिया गया एवं कर्फ्यू की अवधि क्या रही ? इसमें कितने लोग बंदी हुए ? इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत घटना में सात अभियुक्त (नागरिक) एवं 14 पुलिस जन घायल हुए जिनका विवरण संलग्न है । घटना को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया । घटना के संबंध में कर्फ्यू की अवधि दिनांक 11-5-81 के सायंकाल से 16-5-81 तक रही । घटना के संबंध में कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कैसरबाग ने दिनांक 11-5-81 को 11-30 बजे दिन केसरबाग कोतवाली में इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उसी दिन 9-30 बजे जब वादी अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ ड्यूटी एवं चेकिंग के उपरान्त केसरबाग चौराहे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि नया गांव पूर्वी के सरकारी राशन की दूकान पर दो व्यक्तियों के बीच तकरार हुई जिसके फलस्वरूप लाटूश रोड सब्जी मंडी, नयागांव पूर्वी तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में ढेलेबाजी व छतों से छुट पुट फायरिंग हो रही है । तुरन्त ही पुलिस फोर्स की सहायता से दोनों पक्षों के 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । कुछ दुकानों को भी क्षति पहुंची एवं पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आयीं । उक्त सूचना के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/336/427/188 भा0 दं0

वि0 पंजीकृत किया गया। कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।]

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 355 पर)

शिया-सुन्नी के दंगे में लखनऊ में गिरफ्तार हुए व्यक्ति

27—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 1981 को हुए शिया-सुन्नी के लखनऊ के दंगे में कितने लोग घायल हुए तथा कितने बंदी हुए ? दंगा होने का कारण क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-9-81 को शिया समुदाय द्वारा निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके जुलूस निकालने तथा तबर्रा पढ़ने का कार्यक्रम था। इससे सुन्नी समुदाय में उत्तेजना व्याप्त हो गई थी अतएव शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु 41 व्यक्तियों को धारा 151/107/166 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था।

कसअना मगहरा मार्ग का निर्माण

28—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में कसअना मगहरा मार्ग जो मगहरा की तरफ से पिच होना है कब तक पिच हो जायगा तथा अब तक इसके पिच न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद देवरिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कसअना-मगहरा नामक कोई मार्ग नहीं है।]

29—श्री राम आसरे वर्मा—

(दिनांक 9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 86 द्वारा उत्तरित)

30—श्री राम आसरे वर्मा—

(3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री नन्द किशोर, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध अपनी पत्नी को जलाकर हत्या किये जाने की दर्ज रिपोर्ट

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री नन्द किशोर उर्फ पोसई ग्राम सभा आदिमपुर पूरे भवानी तिवारी का पूरा, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध स्वयं अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर एवं जलाकर हत्या किये जाने के संबंध में श्री नन्दकिशोर के ससुर के द्वारा कोतवाली फैजाबाद में भारतीय दण्ड विधान 302 के अन्तर्गत दिनांक 29-6-82 को रिपोर्ट दर्ज कराई ? क्या यह भी सही है कि एस0 ओ0 थाना इनायतनगर द्वारा उक्त रिपोर्ट न दर्ज करने के कारण रिपोर्टकर्त्ता द्वारा कोतवाली फैजाबाद में रिपोर्ट दर्ज करायी ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी व्यक्तियों एवं एस0 ओ0 इनायतनगर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नन्द किशोर के ससुर श्री भागवत प्रसाद ने कथित घटना की रिपोर्ट दिनांक 7–7–82 को क्षेत्राधिकारी बीकापुर को दी थी जिस पर थाना कोतवाली में एक अपराध सं0 141 धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है। उक्त रपोर्ट के अनुसारवादी घटना की रिपोर्ट करने थाना इनायतनगर गया था किन्तु अभियुक्तों की असलहे सहित वहां उपस्थिति के कारण वह भयवश वहां लौट आया। थानाध्यक्ष इनायतनगर द्वारा उक्त मामले की विवेचनोपरान्त साक्ष्य न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है अतः मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

थाना खण्डासा जिला फैजाबाद के पुलिस कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में आई चोटें तथा श्री अर्जुन सिंह सब इन्सपेक्टर की मृत्यु

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 31–5–82 को थाना खण्डासा फैजाबाद जिला के कितने पुलिस कर्मचारियों को स्थान कुचेरा बाजार में चुनाव ड्यूटी में फैजाबाद जाते समय सड़क दुर्घटना में चोटें आयी हैं? क्या किसी कर्मचारी की मृत्यु भी हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने मृत कर्मचारी के आश्रितों अथवा घायल कर्मचारियों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों को तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 31–5–82 को थाना खण्डासा जिला फैजाबाद के चार पुलिस कर्मचारियों को स्थान कुचेरा बाजार में चुनाव ड्यूटी में फैजाबाद जाते समय सड़क दुर्घटना में चोटें आई हैं। सब इन्सपेक्टर श्री अर्जुन सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है।

मृत सब इन्सपेक्टर श्री अर्जुन सिंह के आश्रितों को शासन द्वारा 500रु0की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त घायल कान्सटेबिल श्री हंसराज वर्मा को रु0 682 की आर्थिक सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अन्य देय सहायता विचाराधीन है। शेष घायल कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मेरठ डिवीजन में अर्ह तथा अनर्ह मानचित्रकारों का वेतनमान

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ डिवीजन में नान क्वालीफाईड ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान दिनांक 1–7–74 में क्वालीफाईड ड्राफ्ट्समैन के बराबर कर दिये गये थे? यदि हां, तो इनको अब कम करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। केवल मेरठ डिवीजन ही नहीं वरन् सार्वजनिक निर्माण विभाग के उन सभी अनर्ह मानचित्रकारों का वेतनमान जिन्होंने अपने पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी और वे प्रोन्नति के लिये अन्यथा उपयुक्त थे, को 25 जून, 1974 की राजाज्ञा द्वारा अर्ह मानचित्रकारों का वेतनमान रु0 280–450 स्वीकृत किया गया था क्यों कि उक्त आदेश वेतन असंगतियां समिति की संस्तुतियों पर मंत्रि परिषद् की उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय के प्रतिकूल थे अतः राजाज्ञा दिनांक 12–1–1977 द्वारा उक्त राजाज्ञा दिनांक 25–6–1974 को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर उन अनर्ह मानचित्रकारों को जिन्होंने अपने पद पर 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया था, को 1–10–1975 से रु0 230–385 का वेतनमान स्वीकृत किया गया।

प्रेस मान्यता समिति में संगठनों का प्रतिनिधित्व तथा प्रदेश ग्रामीण पत्रकार परिषद् का समिति में मनोनयन

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि लघु समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने की शासन की नीति के बावजूद भी जुलाई 1982 में घोषित प्रेस मान्यता समिति में उन्हें प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रेस मान्यता समिति में निम्न तीन संगठनों का ही प्रतिनिधित्व होता रहा है :—

1—अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन,

2—उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसियेशन तथा

3—उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ।

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त प्रेस मान्यता समिति में प्रदेश दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों को ही अधिकांशतः रखा गया है ? क्या शासन इस पर पुनर्विचार कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार परिषद (रजिस्टर्ड) को भी उक्त समिति में मनोनीत कर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने वाले गैर दैनिक पत्रों को भी प्रोत्साहन देने के कदम उठायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

हरदोई कानपुर मार्ग पर बसों में यात्रियों से जुर्माना लिये जाने संबंधी शिकायत

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कनिष्क मेहरोत्रा लखनऊ रोड, हरदोई के थानाध्यक्ष, सुरसा (हरदोई) द्वारा अनधिकृत रूप से हरदोई से कानपुर मार्ग पर बसों में यात्रियों से जुर्माना लिये जाने सम्बन्धी शिकायत पुलिस अधीक्षक हरदोई को दिनांक 21 जून, 82 को लिखित रूप में दी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कनिष्क मेहरोत्रा का कोई शिकायती पत्र दिनांक 21-6-82 को या उसके आस पास पुलिस अधीक्षक, हरदोई के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।

इस संबंध में दिनांक 21-1-83 को प्रार्थी श्री कनिष्क मेहरोत्रा से व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर उन्होंने उक्त आशय का लिखित प्रार्थना पत्र दिया है ।

प्रश्नगत मामले में कराई गई जांच से पाया गया कि दिनांक 21-5-82 को थानाध्यक्ष सुरसा अ0 सं0 33 धारा 392/384 भा0 दं0 वि0 की तलाश के संबंध में सेमरा चौराहे पर मौजूद थे। बस आपरेटर एसोसियेशन की तरफ से बसों में बिना टिकट चलने वाले यात्रियों की चेकिंग चल रही थी। इस चेकिंग के दौरान कुछ बिना टिकट सवार यात्रियों ने अशान्ति उत्पन्न करने की कोशिश की जिसके कारण वहां उपस्थित थानाध्यक्ष सुरसा मौके पर पहुंच गये और कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई । थानाध्यक्ष द्वारा चेकिंग के कार्य में किसी

प्रकार की मदद नहीं की गई। घटना के समय बस आपरेटर ऐसोसियेशन हरदोई के कर्मचारियों ने नियमानुसार बिना टिकट चलने वाले यात्रियों से रु0 11 तक की पिनाल्टी वसूल की और उसकी रसीद दी जिसकी डुप्लीकेट कापी यूनियन के कार्यालय में जमा है।

चूंकि घटना में थानाध्यक्ष सुरसा को कोई दोष नहीं पाया गया। इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

स्थानीय चकबन्दी अधिकारी द्वारा थाना केनिगटन में फर्जी इन्दराजों से संबंधित मामले में व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

37—श्री राम नारायण सिंह, श्री राधेश्याम पटेल, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के फूलपुर लोक सभाई क्षेत्र के फर्जी इन्दराजों से संबंधित मामले के सिलसिले में स्थानीय चकबन्दी अधिकारी ने थाना केनिगंटन में दिनांक 7–5–81 को 10 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा दिनांक 30-11-81 को 66 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित मामले के संबंध में स्थानीय चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 7–5–81 को थाना कैनिगटन में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 120 बी/420 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत तथा दिनांक 20–2–82 (30–11–81 को नहीं) को 66 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420/468/120 बी भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराय गये जिनकी विवेचना प्रचलित है।

प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

38—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण ने जून, जुलाई, 1982 में कितने अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये? क्या स्थानान्तरण मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अर्द्ध0 शा0 पत्र संख्या 16/3/1980–कार्मिक–2 दिनांक 17–4–1982 के अनुरूप नहीं हुए हैं? यदि हां तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जून/जुलाई 1982 में कुल 354 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये।

जी नहीं। उक्त स्थानान्तरण मुख्य सचिव के अर्ध0 शा0 पत्र सं0 16/3/1980–कार्मिक–2, दिनांक 17–4–82 में दिये गये निर्देश तथा विभागीय नीति के अनुरूप किये गये हैं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

39—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 2–3–82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित]

डायमन्ड डेरी आवासीय योजना में क्रय किये गये एम० आई० जी० समूह में आवासों का मूल्य

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् की डायमंड डेरी आवासीय योजना में क्रय किये गये एम0 आई0 जी0 समूह के 12 आवासों (ई0 डी0-41 से ई0 डी0 52 तक) के अलग अलग क्या मूल्य राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा दिया गया है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त आवासों में से भूतल के आवासों का और उनके साथ संलग्न भूमि (एपरटेनेन्टलैण्ड) का अलग अलग क्षेत्रफल क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

डायमन्ड डेरी आवासीय योजना में क्रय किये गये एम0 आई0 जी0 समूह के आवासों का मूल्य (भूतल के आवासों के साथ सम्बद्ध भूमि के मूल्य को सम्मिलित करते हुये) निम्नवत् है—

भूतल के आवास	मूल्य
	रु0 पैसे
ई0 डी0-41	83,745.00
ई0 डी0-42	88,329.50
ई0 डी0-43	87,880.00
ई0 डी0-44	86,595.00
प्रथम तल के आवास	
ई0 डी0-52, 65, 68 एवं ई0 डी0-71	75,000.00 रुपये प्रति आवास
द्वितीय तल के आवास	
ई0 डी0-53, 66, 69 एवं ई0 डी0-72	76,000.00 प्रति आवास

उक्त आवासों में से भूतल के आवासों का कुर्सी क्षेत्रफल 103.80 वर्ग मीटर प्रति आवास है तथा इनसे सम्बद्ध भूमि का क्षेत्रफल निम्नवत् है:—

ई0 डी0-41	69 वर्गमीटर
ई0 डी0-42	111.30 वर्गमीटर
ई0 डी0-43	102.00 वर्गमीटर
ई0 डी0-44	102.00 वर्गमीटर

आवासों से सम्बद्ध उक्त खुली भूमि (अपरटेनेन्ट लैण्ड) का समस्त अध्यधिकारों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है।

टांगिया श्रमिकों के आवासों के निर्माण में हुई कथित धांधली की शिकायत

41—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 26 अगस्त, 1982 को जब वे गोरखपुर गये थे तो प्रभागीय वन अधिकारी गोरखपुर, के विरुद्ध गंभीर आरोप एवं कुछ तथ्यगत वित्तीय अनियमितताएं उन्हें मिलीं ? यदि हां, तो क्या उन अनियमितताओं की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

श्री संजय सिंह के गोरखपुर के दौरे में दिनांक 27 अगस्त, 1982 को कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने उनसे टांगिया श्रमिकों के आवासों के निर्माण में हुई कथित धांधली की शिकायत की थी। इन शिकायतों की उनके द्वारा जांच की गयी तथा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

42—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन

43—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्हें केन्द्र सरकार से पेंशन मिलती है परन्तु राज्य सरकार से नहीं मिल रही है ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश में 23,667 सेनानियों को केन्द्र सरकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन मिल रही है। इनमें से केवल 865 सेनानियों को राज्य सरकार की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नहीं मिल रही है, अधिकांश ऐसे सेनानियों ने राज्य सरकार की पेंशन के लिए आवेदन पत्र ही नहीं दिया है, कुछ सेनानी प्रदेश के बाहर चले गये हैं, तथा कुछ सेनानियों की सूचनाओं का सत्यापन भारत सरकार एवं सम्बन्धित जिलों के जिला अधिकारियों से पूरा नहीं किया जा सका है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् का पुनर्गठन

44—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां तो उनके सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् का पुनर्गठन कर दिया गया है। इस सिलसिले में जारी किये गये शासन दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 तथा 6 जनवरी, 1983 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।]

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 356–357 पर)

तहसील महराजगंज में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का निर्णय

45—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की तहसील महराजगंज में मुन्सफी अदालत खोलने का निर्णय शासन ने वर्षों पहले ले लिया है ? यदि हां तो अब तक अदालत का कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं एवं यह कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तहसील महराजगंज में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का निर्णय 19 दिसम्बर, 1979 को लिया गया था।

गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित करने के लिए एक न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारी के लिए आवासिक भवन तथा लिटीगेन्ट शेड व हवालात आदि के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1979–80 में दी जा चुकी है, लेकिन

अभी तक वहां पर भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई थी। अब ग्राम पीपर देवरा, महाराजगंज-फरेंदा मार्ग पर स्थित डेढ़ एकड़ क्षेत्रफल के भूखण्ड को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अध्याप्त किये जाने के लिये 13 दिसम्बर, 1982 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भूमि अर्जन सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी किये जाने व भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

महाराजगंज में न्यायालय कक्ष एवं आवास के लिये कोई किराये का उपयुक्त भवन भी सतत् प्रयासों के पश्चात् उपलब्ध नहीं हो सका। इसलिये भवनों के निर्माण होने पर ही वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना सम्भव हो पायेगी।

जनपद वाराणसी के ग्राम सरोई, थाना भदोही के श्री पन्ना लाल एवं श्री रामबली के घर आग लगने से क्षति तथा दी गई आर्थिक सहायता

46—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सरोई पोस्ट भदोही जनपद वाराणसी के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई, 1982 के आसपास भूमिहीन हरिजनों के 6 घरों को वहीं के सवर्ण निवासियों द्वारा जला दिया गया ? जिसमें हरिजनों का बहुत सामान जलकर नष्ट हो गया ? यदि हां तो अभी तक दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा सरकार द्वारा प्रत्येक को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-5-82 को श्री पन्ना लाल एवं श्री रामबली निवासी ग्राम सरोई थाना भदोही से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना से ज्ञात हुआ कि मात्र दुर्घटनावश वादीगण के घर में आग लग गयी थी। इस घटना में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया अतएव मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा प्रभावित दोनों व्यक्तियों को सौ-सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

पचपेड़वा, जनपद गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का निर्माण कार्य

47—श्री अबाबील हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पचपेड़वा जनपद गोंडा में उनके विभाग द्वारा कोई अस्पताल बनवाया जाना है ? यदि हां तो उस पर दो साल बाद भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका ? कब तक यह कार्य पूरा होने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

पचपेड़वा जनपद गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

कार्य के प्रारम्भ होने में विलम्ब के मुख्य कारण कार्य के लिये पर्याप्त भूमि का उपलब्ध न होना, कार्य स्थल पर स्थित पुराने निर्माण एवं अन्य अवरोध एवं कार्य के पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति में विलम्ब थे। मूल स्वीकृत आंगणन तक की धनराशि का कार्य, जो प्रारम्भ कराया जा चुका है, के जून 84 तक पूरा होने की आशा है। पूरा कार्य पूर्ण कराये जाने की सम्भावना पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति, जो प्रतीक्षित है, के बाद ही बतायी जा सकती है।

लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर मुन्शीगंज से क्योली मार्ग का निर्माण

48—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर मुन्शीगंज से क्योली मार्ग का निर्माण 1977 में प्रारम्भ हुआ था तथा 1978 में मात्र 2 कि0 मी0 पक्का करके छोड़ दिया गया ? यदि हां तो महुआ खुर्द गांव तथा शेष 5 कि0 मी0 मार्ग पूरा करने हेतु शासन ने अब क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

महुआ खुर्द तथा शेष 5 कि0 मी0 मार्ग को वर्ष 83–84 के नये प्रस्तावित छूटी कड़ियों की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को भेज दिया गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण कोटा

49—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है वर्ष 1977–78, 78–79, 79–80, 80–81 में चौकीदार-जमादार-लिफ्टमैन और टेलीफोन अटेन्डेन्ट के 28 पदों पर नियुक्ति की गई जिनमें 4 स्वीपर और 5 अन्य हरिजनों की ही नियक्ति की गई है? यदि हां तो आरक्षण पूर्ण न करने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र—

राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी–4 के पदों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा, सफाई कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुये, पूर्ण है। श्रेणी–3 के अन्तर्गत आने वाले पदों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनका आरक्षण किसी भी श्रेणी में पूरा नहीं है।

उक्त वर्षों में चौकीदार, जमादार, लिफ्टमैन और टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स के पदों पर कुल 28 नियुक्तियां की गयी जिसमें से 9 कर्मचारी अनुसूचित जाति के तथा 4 कर्मचारी पिछड़ी जाति के नियुक्त किये गये। इस प्रकार नियुक्त किये गये कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण है।

अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त तथा अर्ह अभ्यर्थियोंके उपलब्ध न होने के कारण नियुक्तियां करते समय उनके आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो सका है।

विधायक निवासों के होटलों में मसालची, कुक और बैरा की नियुक्तियों में आरक्षण कोटा

50—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81–82 में विधायक निवासों में 6 होटलों में मसालची, कुकर और बेयरा (वेटर) के पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गई और उनमें क्या आरक्षण का कोटा पूरा किया गया है? यदि नहीं तो पूर्ण करने की क्या व्यवस्था की गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1981–82 में विधायक निवासों के 6 भोजनालयों में मसालची, कुक और बैरा के पदों पर कुल 47 नियुक्तियां की गयीं। अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है। पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण है।

उपयुक्त एवं अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो रहा है। भविष्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त तथा अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर शासनादेशों के अनुसार आरक्षण पूरा किया जायेगा।

जनपद देवरिया में भिगारी भाटपार रोड पर बने पुल के टूट जाने की शिकायत

51—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में भिगारी-भाटपार रोड पर बने पुल के बारहवें दिन टूट जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र माननीय मंत्री को दिनांक 3–9–82 को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो पत्र में मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं? तथा क्या शिकायतों के आधार पर जांच कराई गयी? जांच का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु पत्र दिग्भ्रमित होने के फलस्वरुप कार्यवाही न हो सकी। प्रयास जारी है।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौली भाटपाररानी मार्ग के निर्माण में गड़बड़ी

52--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौली भाटपार रानी तक पक्की सड़क के निर्माण में गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 3-9-82 को माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराई गयी और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु पत्र दिग्भ्रमित होने के फलस्वरूप कार्यवाही न हो सकी। प्रयास जारी है।

चिकित्सा विभाग के वर्तमान ससंयुक्त सचिव श्री माहेश्वरी एवं अनुभाग अधिकारी श्री होला राम थडानी के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

53--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि सचिवालय के चिकित्सा विभाग के वर्तमान संयुक्त सचिव (श्री माहेश्वरी) एवं अनुभाग अधिकारी (श्री थडानी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, अनियमितता तथा अन्य प्रकार की अनेक शिकायतें और उनको अविलम्ब वहां से हटाने तथा सतर्कता विभाग द्वारा इन आरोपों की जांच कराने की मांग अनक विधायकों ने जनवरी से सितम्बर, 1982 की अवधि में की है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

चिकित्सा सचिव शाखा के संयुक्त सचिव श्री माहेश्वरी के विरुद्ध नियुक्ति विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अन्य सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है। चिकित्सा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री होला राम थडानी के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

54--श्री राम आसरे वर्मा--

(5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम सिसवा जनपद बस्ती में पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा लूट एवं बलात्कार की जांच

55--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23-24 अप्रैल, 1982 को ग्राम सिसवा जनपद बस्ती में पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा लूट एवं बलात्कार की सी0 आई0 डी0 जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस मामले में न्यायिक जांच करायी जा रही है। जांच प्रचलित है अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ल, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच

56—श्री सन्त बक्स रावत—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 की कार्यसूची दिनांक 22-9-81 के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 16-10-79 को तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ल थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध दायर इस्तगासा न्यायालय ज० एम० चतुर्थ उन्नाव की अदालत के सम्बन्धित पैरोकार कौन-कौन हैं? क्या यह सही है कि इसके एक पैरोकार श्री जटाशंकर निवासी नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव को थानाध्यक्ष ने दिनांक 2-11-79 को झूठा आरोप लगाकर तीन डकैतियों में बन्द करके जेल भेज दिया था? यदि हां तो क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों की जांच सी०-आई० डी० से कराने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 16-10-79 को श्री मोहम्मद अफरोज खां निवासी अमीनाबाद लखनऊ ने एक इस्तगासा तत्कालीन थानाध्यक्ष हसनगंज, जनपद उन्नाव श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ल तथा अन्य के विरुद्ध न्यायालय जे० एम० चतुर्थ उन्नाव में दायर किया था। इस मुकदमें का पैरोकार मोहम्मद अफरोज खां स्वयं था। यह इस्तगासा दिनांक 23-5-81 को सी० जे० एम० उन्नाव की अदालत से अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। यह असत्य है कि इस इस्तगासे के पैरोकार श्री जटाशंकर, निवासी नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव थे।

दिनांक 17-10-79 को अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह उर्फ बुढ़ऊ सिंह निवासी वरादेव थाना औरास जिला उन्नाव मु० अ० सं० 245/79 धारा 399/402/307 भा० दं० वि० में गिरफ्तार हुआ था जिसमें पूछ ताछ पर मु० अ० सं० 344/79 धारा 396 भा० दं० वि० व मु० अ० सं० 318 धारा 395/397 भा० दं० वि० की डकैतियों का इकरार जुर्म करते हुए धारा 161 जा० फौ० के कथन में श्री जटाशंकर को शरीक जुर्म होना बताया था। दिनांक 1-11-79 को जटा शंकर को बाजाफ्ता गिरफ्तार किया गया था जिसमें बरवक्त गिरफ्तारी अ० सं० 110/79 धारा 394 भा० दं० वि० का इकरार जुर्म किया था। इन मुकदमात में जटा शंकर तथा उसके साथियों के भय से किसी गवाह ने उसकी शिनाख्त नहीं की फलतः वह धारा 169 जा० फौ० में रिहा हो गया।

इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग के भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करायी गयी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय, लखनऊ में पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ सहायक रसायनिकों का विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण

57—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय लखनऊ में पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञों एवं पदोन्नति प्राप्त सहायक शोध अधिकारियों का विनियमितीकरण स्थायीकरण, सेवा नियमावली संख्या 1926, एन० जी०/23 स० नि० अनु० 4-42 एन० जी०/69, दिनांक 16-10-1974 के अनुसार इन्टर-सी ज्येष्ठता सूची बनाई गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय लखनऊ में तदर्थ रूप से पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ सहायक रसायनिकों के अनुमोदन का मामला लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सन्दर्भित है। लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही इनका विनियमितीकरण स्थायीकरण तथा इन्टर-सी ज्येष्ठता सूची बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले सहायक शोध अधिकारी के 3 पदों पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत सहायक शोध अधिकारियों का विनियमितीकरण लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ सहायक रसायनिकों की नियमानुकूल तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के उपलब्ध हो जाने पर किया जाना सम्भव हो सकेगा, तत्पश्चात ही उनके स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न उठता है।

श्री शिव नारायन गोस्वामी, जिला सुल्तानपुर द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

58—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 27-9-82 के साथ श्री शिव नारायन गोस्वामी, थाना कूड़ेभार जिला सुल्तानपुर का कोई शिकायती पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि उनके परिवार को गांव के कुछ सरहंग लोग मार देने/निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं ? यदि हां तो उक्त शिकायती पत्र के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त परिवार के सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था की ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ श्री शिवनारायन गोस्वामी का एक शिकायती पत्र विपक्षियों द्वारा उसे तथा उसके परिवार वालों को उत्पीड़ित करने तथा मार डालने की धमकी देने के संबंध में प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कराई गई। जांच से आरोप सत्य नहीं पाए गए। शांति भंग का भी कोई अन्देशा नहीं पाया गया। अतः कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

ग्राम नन्दपुर, थाना खामपार जिला देवरिया में श्री हाफिज अंसारी के घर पड़ी डकैती

59—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नन्दपुर, थाना खामपार जिला देवरिया में 21-22 मई, 1982 को श्री अजीज मियां के घर डकैती पड़ी, जिसमें डाकुओं को ईटों से मारकर एक बालक ने भगा दिया ? यदि हां तो क्या बालक को पुरस्कृत किया गया ? यदि हां तो किस प्रकार ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सत्य है कि दिनांक 21-22 मई, 1982 की रात्रि में ग्राम नन्दपुर, थाना खामपार, जिला देवरिया में श्री हाफिज अंसारी के घर डकैती पड़ी थी जिसमें एक बालक श्री बेचू ने ईटों से मारकर एक डाकू को घायल कर दिया जिससे सभी डाकू भाग गये।

श्री बेचू को पुलिस अधीक्षक देवरिया ने एयर गन प्रदान करके पुरस्कृत किया है।

थाना साण्डी, हरदोई में मुकदमा संख्या 199-ए को समाप्त करने की कार्यवाही

60—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना साण्डी में 1981 में मुकदमा संख्या 199-ए किस दिनांक व समय लिखा गया तथा घटना का विवरण किस दिन व समय लिखा दिखाया गया है ? क्या सरकार इस मुकदमें को तुरन्त समाप्त कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना साण्डी,हरदोई में मु0 अ0 सं0 199–ए/81 धारा 147/336/504/506 भा0 दं0 वि0 वादी श्री राम शरण पुत्र श्री राम शंकर निवासी मोहल्ला भखुरी, कस्बा साण्डी, हरदोई द्वारा दिनांक 17–11–81 को समय 12–05 बजे पंजीकृत कराया गया। घटना का दिनांक 16–11–81 पांच बजे सायं अंकित है। इस मुकदमे में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है।

अब इस मुकदमें को तुरन्त समान्त करने की कार्यवाही न्यायालय पर निर्भर करती है।

श्री देवनाथ राय, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की आकस्मिक मार्ग दुर्घटना के विषय में पत्र

61—श्री राजकुमार राय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री देवनाथ निवासी रीयांव तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ आकस्मिक मार्ग दुर्घटना नं0 4410 सन 1979 जोन गाजीपुर के विषय में सन 81–82 में प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। श्री देवनाथ राय, उनके बैल तथा अन्य दो व्यक्तियों की दुर्घटना संबंधी आख्या मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश एवं विभागीय अधिकारियों से प्राप्त हो चुकी है। श्री देवनाथ राय के बैल की मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु 500 रु0 के भुगतान के आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा अन्य दो व्यक्तियों की साधारण दुर्घटना के लिए उनको नियमानुसार कोई क्षति पूर्ति देय नहीं है।

जयराम गढ़ नकटा सउदी मार्ग को आजमगढ़ सार्वजनिक निर्माण में लिये जाने संबंधी पत्र

62—श्री राजकुमार राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय उप मन्त्री संसदीय कार्य, भारत सरकार का कोई पत्र मार्च, अप्रैल, मई, 1982 जयराम गढ़ नकटा सउदी मार्ग को आजमगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग में लिए जाने के बाबत प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन उस पर कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में कतिपय स्वीकृत मार्ग

63—श्री राज कुमार राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घोसी तहसील में मधुबन भैरोपुर मार्ग, 4 कि0मी0 के बजाय 2 कि0मी0 चकउथ घुसना मार्ग वास्तविक लम्बाई से 2 1/2 कि0 मी0 कम इब्राहिम पट्टी से महाड़ मार्ग 6 1/2 कि0 मी0 की जगह केवल 4 कि0 मी0 तथा दुबारी भठिया किशुनपुर मार्ग 2–35 कि0 मी0 की जगह 4 कि0 मी0 व दुवारी सोनाडीह मार्ग 2 कि0 मी0 की जगह 4 कि0 मी0 स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र जून, 1981 में प्राप्त हुआ था तथा विभाग ने भी इसके शुद्धीकरण के लिये स्वीकृति भेजी है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। सही स्थिति नीचे दी जाती है। मधुबन से भैरोपुर मार्ग 2.00 किलोमीटर, (वास्तविक लम्बाई 4.5 किलोमीटर) चकउथ असना मार्ग 12.00 किलोमीटर, (वास्तविक लम्बाई 12.00 किलोमीटर) इब्राहिम पट्टी से नेमडीह मार्ग 4.00 किलोमीटर, (वास्तविक

लम्बाई 6.5 किलोमीटर) दुबारी भठिया किशुनपुर मार्ग 4.00 किलोमीटर (वास्तविक लम्बाई 4.00 किलोमीटर) दुबारी सोनाडीह मार्ग 8.00 किलोमीटर (वास्तविक लम्बाई 8.00 किलोमीटर) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां। किन्तु विभाग से शुद्धीकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

थानाध्यक्ष महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

64—श्री राजकुमार राय—

प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—153 प्रथम सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच कब तक पूरी कर लिए जाने के आदेश दिये गये हैं ? क्या शासन उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थानाध्यक्ष महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा पूरी की जा चुकी है । जांच से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हुये हैं । जांच आख्या सदन के पटल पर रखा जाना जनहित में उचित न होगा ।

थानाध्यक्ष मधुबन, श्री राम नगीना यादव के विरुद्ध मैजिस्टीरियल जांच

65—श्री राज कुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ के मधुवन थाने के थानाध्यक्ष (तत्कालीन) श्री राम नगीना यादव के विरुद्ध मई, सन 1981 से चल रही मैजिस्टोरियल जांच अब समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार 16/17—5—81 को ग्राम छपरा घूसर में थाना मधुबन की पुलिस एवं वहां के हरिजनों के बीच घटित घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिनांक 18—5—81 को दिये गये थे । मैजिस्टीरियल जांच 4—2—82 को समाप्त हुई । जांच से तत्कालीन थानाध्यक्ष मधुबन श्री राम नगीना यादव के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

66—श्री राज कुमार राय—

(2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राज्य सेतु निगम द्वारा प्रदेश के बाहर दूसरे प्रान्तों व विदेशों में लिये गये कार्यों के ठेके

67—श्री राजकुमार राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने 1980—81 में उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रान्तों तथा विदेशों में अलग अलग कुल कितने और किन कामों का (धनराशि सहित) ठेका लिया ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 1980—81 में उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रान्तों तथा विदेशों में अलग-अलग लिये गये कुल कामों के ठेके का विवरण निम्नलिखित है—

उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रान्तों में लिये गये कार्यों के ठेके

	(लाख रु0 में)
1—स्कूल लेन फ्लाईओवर, नई दिल्ली ..	298.00
2—स्कूल लेन फ्लाईओवर (रेलवे का भाग नई दिल्ली) ..	59.00
3—ओबेराय पैलेस फ्लाईओवर नई दिल्ली ..	253.00

	लाख रु0 में
4—इन्द्रप्रस्थ फ्लाई ओवर, नई दिल्ली	209.00
5—ओखला बैराज (केवल मुख्य सेतु) नई दिल्ली	89.00

विदेशों में लिये गये कार्यों के ठेके

1—ववैर के पास ग्रेटर जैव सेतु (ईराक में)	1220.00
2—खान अल्धूलिया के पास सेतु (ईराक में)	830.00
3—सुरई खोला सेतु (नैपाल में) ..	33.00

जनपद आजमगढ़ ग्राम चांदपुर रसूलपर उर्फ रामपुर की सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को देने संबंधी प्रार्थना पत्र

68—श्री राजकुमार राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि उन्हें आजमगढ़ जनपद के मधुबन थाने के चांदपुर रसूलपुर उर्फ रामपुर, परगना नत्थूपुर के निवासियों का कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ फरवरी तथा मार्च सन् 1982 में मिला था जिसमें उन लोगों ने अपने गांवों की सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को देने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद हरदोई में सण्डीला-गौसगंज मेंहदी घाट मार्ग का निर्माण

69—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—2 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

धन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद हरदोई में सदरपुर-ललितपुर-बधियारी मार्ग की मरम्मत

70—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सत्र 1982 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित मार्ग के मरम्मत कार्य को सम्पन्न न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हरदोई में सदरपुर-ललितपुर बधियारी मार्ग की मरम्मत करा दी गई है।

बरेली के पत्रकार श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली के पत्रकार श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता का दिनांक 1 मई, 82 का प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा उनके साथ किये गये अत्याचारों के सिलसिले में जो प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुलिस अत्याचार के आरोपों से संबंधित श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता बरेली का दिनांक 1-5-82 का नहीं बल्कि दिनांक 16-4-82 का प्रार्थना-पत्र माननीय विधायक महोदय के पत्र दिनांक 1-5-82 के साथ प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली से जांच करायी गयी। जांच से श्री गुप्ता के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये तथा यह पाया गया कि श्री गुप्ता एक कुख्यात अपराधी हैं एवं थाना प्रेमनगर के हिस्ट्री-शीटर हैं।

बाराबंकी के पत्रकार श्री जगत बन्धु द्विवेदी के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी के पत्रकार श्री जगत बन्धु द्विवेदी का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 मई, 1982 (प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित) सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के सिलसिले में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी और अब तक सुरक्षा व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगत बन्धु द्विवेदी स्थानीय थाना कोतवाली बाराबंकी के हिस्ट्रीशीटर है। ये जनपद फतेहपुर में 3 मुकदमों में सजा पा चुके हैं तथा इनकी प्रवृत्ति धोखाधड़ी एवं अवांछनीय कार्य करने की रही है। जांच से उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा लगातार परेशान करने की बात प्रमाणित नहीं हुई। अतः श्री द्विवेदी को शासन द्वारा अंगरक्षक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

73—श्री राम आसरे वर्मा—

(3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी शाहाबाद, हरदोई का स्थानीय पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र

74—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी शाहाबाद जनपद हरदोई की स्थानीय पुलिस के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-6-82 का गृह सचिव को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त प्रार्थना पत्र में श्री वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा ने थाना शाहाबाद के उप निरीक्षक श्री राम अवध यादव पर यह आरोप लगाया था कि प्रार्थी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक ने उनके घर की तलाशी ली। मकान पर कुछ न मिलने पर उनकी पत्नी के गले से सोने की जंजीर तोड़ ली, भद्दी भद्दी गालियां दीं और कहा कि प्रार्थी नेतागीरी छोड़ दें अन्यथा किसी संगीन अपराध में दर्ज करके गोली मार दी जाएगी।

प्रार्थना पत्र की जांच हेतु पुलिस महानिरीक्षक को भेजा गया। जांच में आरोप असत्य पाये गये।

मेसर्स पुरी प्रिंटिंग प्रेस, सदर बाजार, लखनऊ के विद्युत का अवैध प्रयोग करने पर शिकायती पत्र

75—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र माह मई, 1982 में मेसर्स पुरी प्रिंटिंग प्रेस 37-38/1, सदर बाजार, लखनऊ के मालिक श्री वी0 पी0 पुरी एवं सुरिन्दर पुरी द्वारा प्रेस में विद्युत् का अवैध प्रयोग करने पर जांच कराए जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायत के सम्बन्ध में क्या जांच कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेवाओं के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करने हेतु नीति

76—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 1982 को कोई नई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा यह नीति कब से लागू होगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

77—श्री राम आसरे पासवान तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

(4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा जनपदों के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

78—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा जनपदों में कितने अवर अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग में विगत 5 वर्षों या उससे अधिक से एक ही जनपद में कार्यरत हैं? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

79—श्री गोपीनाथ वर्मा—

(6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राज्य कर्मचारी महा संघ शाखा, रायबरेली द्वारा जिला प्रशासन रायबरेली को दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

80—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-7-82 को श्री टी0 आर0 सिंह, पुलिस सब इन्सपेक्टर पुलिस चौकी सिविल लाईन, थाना कोतवाली, रायबरेली द्वारा श्री सतीशंकर अवस्थी प्रधान लिपिक कार्यालय उप कृषि निदेशक (भूमि) संरक्षण शाखा सहायक समादेश मण्डल (प्रथम) राबरेली को उत्पीड़ित एवं मारपीट कर अपमानित किए जाने के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा रायबरेली द्वारा जिला प्रशासन रायबरेली को दिनांक 7-7-82 को कोई ज्ञापन पत्र दिया गया? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित ज्ञापन जिला प्रशासन रायबरली को प्राप्त हुआ। ज्ञापन का पूर्ण विवरण संलग्न है। इसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक नगर रायबरेली द्वारा की गई। जांच से पाया गया कि श्री सती शंकर अवस्थी तथा उनके मकान मालिक श्री कृष्ण किशोर के मध्य मकान खाली कराने की बात को लेकर दिनांक 6-7-82

को मारपीट हुई थी एवं उसी दिन श्री स्वामीदीन के प्रार्थनापत्र दिनांक 1-7-82 पर जांच के लिये उप निरीक्षक मौके पर गये और शान्ति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की गिरफ्तारी धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में की एवं धारा 107/116 के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई। स्थानीय पुलिस के विरुद्ध आरोप निराधार पाये गये हैं। स्थानीय पुलिस शान्ति व्यवस्था की ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए है। श्री सतीशंकर अवस्थी को राजकीय कर्मचारी कालोनी में दिनांक 31-8-82 को आवास गृह आवंटित हो चुका है।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 358-360 पर)

ग्राम सलेमपुर, ब्लाक टांडा, जिला फैजाबाद का विद्युतीकरण

81—श्री गोपीनाथ वर्मा—

द्वितीय सत्र सन 1982 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सलेमपुर, ब्लाक टांडा जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन दिया गया?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। ग्राम सलेमपुर का विद्युतीकरण दिनांक 28 अगस्त, 1982 को कर दिया गया है।

उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक ग्रामवासियों को नियम व शर्तें जुलाई 1982 में जारी करने के पश्चात अभी तक किसी भी ग्रामवासी द्वारा अनुबन्ध पत्र न किये जाने की स्थिति में कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग (अधिष्ठान) में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

82—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग (अधिष्ठान) में कितने ऐसे कर्मचारी है, जो 10 साल से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में तुरन्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग (अधिष्ठान) में 74 ऐसे कर्मचारी है जो 10 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत है। इन कर्मचारियों को आगामी शिक्षा सत्र में शासन की सामान्य नीति के अनुसार स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायगी।

निर्वाचन क्षेत्र टांडा में मार्गों एवं पुलों का निर्माण

83—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि टांडा, जनपद फैजाबाद में मार्गों एवं पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-11-81 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र टाण्डा में मार्गों पुलों का निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी नहीं। कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या (फैजाबाद) में राम जन्म भूमि पर लूटपाट की घटना की जांच रिपोर्ट

84—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या (फैजाबाद) में राम जन्म भूमि पर दिनांक 28 फरवरी, 1982 को लूटपाट की घटना में अयोध्या कोतवाली के सब इन्सपेक्टर के ऊपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दबाव डालकर भा0 दं0 वि0 145 की कार्यवाही कराई गई? जिसके पश्चात उक्त तिथि को ही सब इन्सपेक्टर द्वारा रोजनामचे में कोई रिपोर्ट अंकित की गयी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है? क्या सम्पूर्ण घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई गयी? जांच का पूर्ण विवरण क्या है जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार 28-2-82 को नहीं बल्कि दिनांक 16-2-82 को राम-जनम भूमि पर लूटपाट की घटना को लेकर थाना अयोध्या की पुलिस ने जांचोपरान्त संबंधित सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये धारा 145 दं0 वि0 सं0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दी थी। दिनांक 19-2-82 को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा उप निरीक्षक के बयान लेने के उपरान्त रामलला मंदिर, उसके महन्त की झोपड़ी व रसोई घर को कुर्क करने के आदेश दिये थे। परगना मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में उप निरीक्षक पर कोई दबाव नहीं डाला गया। सब-इन्सपेक्टर द्वारा रोजनामचा में लिखी गई संबंधित रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। मामले की जांच ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर श्री आर0 पी0 सिंह की तत्परता से कार्यवाही न करने, तथा निरीक्षक श्री अवधेश कुमार सिंह व उप निरीक्षक श्री सुरेश सिंह को पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने तथा घटना जो डकैती की हद तक पहुंचती थी पर कार्यवाही न करने एवं सशस्त्र गार्द जो उक्त घटना के समय श्री जन्म भूमि पर तैनात थी द्वारा घटना के समय निष्क्रियता बरतने का दोषी पाया गया है। फलस्वरूप श्री रिया राघव शरण दास के प्रार्थना पत्र पर थाने पर एक अपराध धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया जिसमें विवेचनोपरान्त 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। दोषी क्षेत्राधिकारी नगर को कठोर चेतावनी दे दी गई है तथा अन्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 361 पर)

ग्राम इल्तिफातगंज, टांडा, फैजाबाद के अन्तर्गत सड़क एवं पुल का निर्माण

85—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इल्तिफातगंज (बाजार) टांडा, फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सड़क एवं पुल का निर्माण 1982-83 तक पूर्ण करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विचाराधीन नहीं है।

थाना बसखारी, जनपद फैजाबाद की पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच

86—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 जहां, पुत्र श्री सैयद हुसैन, ग्राम बीबीपुर, थाना बसखारी, पर0 व तह0 टांडा, जनपद फैजाबाद को थाना बसखारी की पुलिस द्वारा

परेशान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 30-4-82 का शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। श्री मो0 जहां के प्रार्थना पत्र पर जांच कराई गई जिससे पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हुये। अतएव कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

87--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयकरन पुत्र श्री शिव चरन निवासी ग्राम अन्नापुर, थाना जहांगीरगंज, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध मुकदमा नं0 172/79 धारा 148/30 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत फर्जी मुकदमा स्थानीय पुलिस थाना जहांगीरगंज जनपद फैजाबाद के द्वारा कायम किये जाने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 25-8-81 को मैजिस्ट्रेटी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है तथा जांच के दौरान कोई अधिकारी दोषी पाया गया तथा उसे दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित अभियोग से संबंधित श्री जयकरन सा0 पंडित का पुरवा मजरे अन्नापुर थाना जहांगीरगंज के एक प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी टांडा को जांच करने के आदेश दिये गये थे। परगनाधिकारी प्रार्थी के निर्दोष होने या न होने के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सके। उनकी जांच से कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। फिर भी मामले की विशेष जांच कोष्ठ से गहराई से जांच कराई जा रही है।

88--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय पुलिस थाना जहांगीरगंज के द्वारा दिनांक 30-11-79 को श्री जयकरन के घर पर पड़ी डकैती एवं हत्या को लेकर मुकदमा नम्बर 172/79 धारा 148/302 भा0 दं0 वि0 के तहत श्री जयकरन पुत्र श्री शिव चरन हरिजन ग्राम अन्नापुर, पोस्ट अन्नापुर, थाना जहांगीरगंज, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध दायर किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच सी0आई0डी0 विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित अभियोग श्री जयकरन के यहां दिनांक 30-11-79 को पड़ी डकैती के संबंध में नहीं वरन वादिनी श्रीमती श्रीपती पत्नी श्री बखेड़ू साकिन अन्नापुर थाना जहांगीरगंज के पति को अभियुक्तों द्वारा जान से मार देने के संबंध में उसकी लिखित सूचना पर पंजीकृत हुआ है जिसमें श्री जयकरन व कुछ नामजद अभियुक्त हैं। उक्त मामले में विवेचनोपरान्त 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा जा चुका है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

89--श्री गोपीनाथ वर्मा--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

श्री पानसिंह बिष्ट, मानचित्रकार का स्थानान्तरण

90--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अरण्यपाल एक्सटेंशन सर्किल, बरेली के तत्कालीन मानचित्रकार (श्री पान सिंह बिष्ट) एक साथ में तीन बार स्थानान्तरित किए जाने के विरोध में उन्होंने 7-10-67 को सशर्त त्यागपत्र दिया था, जो 3-6-75

को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया ? क्या उक्त मानचित्रकार ने पुनः नौकरी में लिए जाने हेतु 1977 में जनता शासन में तत्कालीन वन मन्त्री तथा मुख्य मंत्री को प्रार्थना पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

श्री पान सिंह बिष्ट, मानचित्रकार का स्थानान्तरण वर्ष 1967 में केवल एक ही बार, अरण्यपाल, विस्तार वृत्त, बरेली द्वारा उत्तरी दोआब वन प्रभाग मेरठ से दक्षिणी दोआब वन प्रभाग, इटावा को जनहित में किया गया था। इस स्थानान्तरण के विरोध में श्री बिष्ट ने दिनांक 5–9–67 को सशर्त त्यागपत्र प्रस्तुत किया जो नियमानुसार स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में अनधिकृत रूप से सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवायें 8–7–67 से, अरण्यपाल, विस्तार वृत्त बरेली, द्वारा, अपने आदेश दिनांक 3–6–75 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गयी थी। वर्ष 1977 में श्री पान सिंह बिष्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र मूल रूप में नियुक्ति प्राधिकारी, अरण्यपाल विस्तार वृत्त, बरेली को भेजे गये थे, जिन्होंने शासन को सूचित किया था कि श्री पान सिंह बिष्ट को पुनः सेवा में लेने का कोई औचित्य नहीं है।

अस्थायी खण्ड, हरदोई में टी० एण्ड बी० में सामान का क्रय

91—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अस्थायी खण्ड, हरदोई में 1981 अप्रैल, से अब तक टी0 एण्ड बी0 में कितने धन का सामान क्रय किया गया ? क्रय किए गये सामानों का विवरण क्या है तथा उसका उपयोग कहां-कहां किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई में अप्रैल, 1981 से दिनांक 30 नवम्बर, 1982 तक 82340 रुपये का टी0 एण्ड बी का सामान क्रय किया गया। क्रय किये गये सामान का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

क्र0 सं0	सामान का नाम	संख्या
1	टार ब्यायलर	1
2	ग्रिट मिलाने वाली ट्रे	10
3	टार पैंचर	5
4	फावड़ा	200
5	गैंती	50
6	तिरपाल	13
7	लेबिलमशीन आई0 ओ0 पी0	3
8	लेबिलिंग स्टाफ फोल्डिंग	6
9	लेबलिंग स्टाफ टेलिस्कोपिक	3
10	रेंजिंग राड (लकड़ी 2 मीटर)	20
11	रेंजिंग राड (लकड़ी–3 मी0)	15
12	बरनियर थडोलाइट	1
13	कार्यालय कुर्सी लकड़ी	12
14	कार्यालय मेज लकड़ी	1
15	स्टूल लकड़ी	4

1	2			3
	16—ड्रेसिंग टेबिल ..	..	..	1
	17—सेट एक्वायर			
	100×125 एम एम	..	.. सेट	3
	200×250 एम एम	..	.. सेट	3
	320×400 एम एम	..	.. सेट	2
	18—प्रोटेक्टर सरकूलर			
	200 एम एम	..	.. सेट	1
	100 एम एम	..	.. सेट	1
	19—प्रोटेक्टर सेमी सरकुलर			
	200 एम एम	..	.. सेट	3
	100 एम एम	..	.. सेट	3
	20—पैरलल रूलर ..	..	.. सेट	1
	21—ड्राइंग ईस्ट्रूमेन्ट बाक्स	..	.. सेट	2
	22—ड्राइंग बोर्ड			
	500–350 एम एम	..	.. सेट	2
	1000×700 एम एम	..	.. सेट	2
	23—टी स्क्वायर			
	1000 एम एम	..	.. सेट	2
	500 एम एम	..	.. सेट	2
	24—इक्जास्ट फैन वाटर पम्प			
	कुलिंग फिटिंग आदि सहित	..	.. सेट	3
	25—टेस्टिंग सील ..	..	.. सेट	3
	26—स्टील आलमारी छोटी	..	.. सेट	3
	27—स्टील अलमारी मीडियम	..	.. सेट	3
	28—स्टील रैक ..	..	.. सेट	3
	29—स्टील चेयर्स ..	..	.. सेट	20
	30—आफिस टेबुल			
	120×60×700	..	..	2
	31—आफिसर्स टेबुल			
	1500×900×760	..	..	3
	32—आफिस टेबुल			
	1500×900×760	..	..	3

उपरोक्त सामानों में से क्रम सं0 1 से 12 तक का सामान खण्ड के विभिन्न मार्गों के रख-रखाव हेतु पेन्टिंग करने, दाग मरम्मत कार्य व नवनिर्माण आदि कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। क्रम संख्या 13 से 15 तथा क्रम संख्या 24 एवं 26 से 32 तक का सामान कार्यालय के उपयोग मे लाया जा रहा है। क्रम संख्या 16 से 23 तक का सामान खण्डीय कार्यालय के प्राविधिक वर्ग के मानचित्रकार व खण्ड के अन्य अवर अभियन्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। क्रम संख्या 25 का सामान मार्गों पर ग्रिट एवं बैलास्ट की टेस्टिंग हेतु सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रयोग मे लाये जा रहे हैं।

गर्रा सेतु पर पथ कर वसूली के ठेके की नीलामी

92—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड, हरदोई द्वारा कस्बा सांडी, जिला हरदोई के गर्रा नदी के पुल के टोल की नीलामी 26-5-80 को 2 ल.ख 6 हजार में किया गया जिसमें 17510 रु0 की कोटफीस लगनी थी परन्तु उसमें केवल 2200 रुपए के स्टाम्प लगाए गए जिसमें सरकार को लगभग 15000 रु0 की हानि हुई ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी अल्लगंज मार्ग के कि0 मी0 15 में गर्रा सेतु पर पथ कर वसूली का ठेका अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा दिनांक 26–5–80 को 2 वर्ष के लिये नीलाम किया गया था। इससे प्राप्त उच्चतम बोली रु0 1,03,000 प्रतिवर्ष पर ठेका 2 वर्ष के लिये दिया गया। पथकर वसूली के ठेके के पट्टे पर नियमानुसार देय रु0 8,755 के स्टाम्प लगाकर पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 19–8–82 को की गयी। अतः क्षति का प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर और हवाई जहाज पर कुल व्यय

93—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने वर्ष 1981–82 में हेलीकाप्टर और हवाई जहाज से कितनी बार सरकारी यात्रा की और सरकार को कितना व्यय भार उठाना पड़ा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वर्ष 1981–82 में हेलीकाप्टर और हवाई जहाज से 116 बार सरकारी यात्रा की और इस पर कुल व्यय भार रु0 2,51,174.25 हुआ।

पुराने लखनऊ मोहल्ला राजा बाजार में स्थित मंदिर को तोड़ते समय पुलिस कर्मियों तथा मंदिर समर्थकों के बीच मार पीट तथा जांच

94—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पुराने लखनऊ, मोहल्ला राजा बाजार में स्थित एक मंदिर को दिनांक 26–4–82 को तोड़ते समय नगरमहापालिका अतिक्रमण हटाव दस्ते व पुलिस कर्मियों तथा मंदिर समर्थकों के बीच मार पीट लाठी चार्ज व पथराव में पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुभाष जोशी एवं नगर मजिस्ट्रेट श्री रायजादा सहित 50 व्यक्ति घायल हुए ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26–5–82 (26–4–82 को नहीं) को पुराने लखनऊ स्थित राजा बाजार पार्क में एक अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाते समय वहां पर मौजूद भीड़ ने इस कार्य में बाधा पहुंचाई तथा ईंट व पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नगर मजिस्ट्रेट द्वारा हल्का बल प्रयोग करने के आदेश दिये गये जिसके फलस्वरुप उग्र भीड़ को तितर बितर करने में सफलता मिली। इस घटना में पुलिस अधीक्षक (नगर) नगर मजिस्ट्रेट अति0 नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी चौक, पी0 ए0 सी0, नागरिक पुलिस तथा नगर महापालिका के कुल 38 व्यक्तियों को चोटें आईं। उक्त घटना के संबंध में उसी दिन एक अभियोग धारा 447, 147, 332, 336, 338, 427, 307, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना चौक पर पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

95—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त तिथि को घटना स्थल पर गृह मन्त्री ने स्वयं पहुंच कर शान्ति व्यवस्था कायम करते हुए तोड़े गए मंदिर को पुनः निर्माण कराए जाने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मंदिर का निर्माण पुनः पूर्ण कराया गया तथा सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त तिथि को जब तत्कालीन गृह मंत्री जी घटना स्थल पर पहुंचे तो स्थिति सामान्य हो चुकी थी। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा मंदिर के निर्माण के विषय में कोई आदेश नहीं दिए गए। कथित मंदिर के विषय में एक दीवानी वाद न्यायालय के विचाराधीन है। अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में घटित हरिजन हत्याकांड में अधिकारी के विरुद्ध दिये गये निर्देश

96—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में 13 फरवरी 1981 को घटित हरिजन हत्याकांड में सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, फैजाबाद (श्री रमन प्रकाश मथुर) के निर्णय में पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्टर तथा थाना कुमारगंज के जांच अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। अपेक्षित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

97—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मऊरानीपुर के समीप सुगनई नदी पर पुल का निर्माण

98—श्री भागीरथ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी स्थित मऊरानीपुर नगर के समीप सुगनई नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता विधायक के दिनांक 1-1-1982 से 18-9-82 तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? उक्त पत्रों में की गयी मांग के अनुसार पुल का निर्माण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्बार रिजवी—

चार पत्र प्राप्त हुए हैं। (दिनांक 16-2-82, 23-8-82, 2-9-82 तथा 14-9-82) पुल स्वीकृत नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू इंटर कालेज रतनपुरा, के कर्मचारियों के अभिलेख छीन लिये जाने के संबंध में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट

99—श्री पंचाननराय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू इंटर कालेज रतनपुरा के 45 कर्मचारियों का सेवा पंजिका, विकल्प पत्र तथा वेतन पंजिका 16-8-82 को छीन लिए जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हलधरपुर, जिला बलिया में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त अभिलेख संस्था अधिकारियों को वापस करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित अभिलेख प्रधानाचार्य को वापस प्राप्त हो गये हैं।

श्री किसान इण्टर कालेज घिरामयी, एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

100—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किसान इण्टर कालेज घिरामयी, एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले के विरुद्ध कोई मुकदमा अपराध संख्या 58, दिनांक 22-7-82 थाना मिरहची जनपद एटा में दर्ज हुआ है? यदि हां, तो इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं? इसकी जांच किन अधिकारी से करवाई गयी है तथा जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। हरिजन छात्रवृत्ति के रु0 15,984 के गबन तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाये गये हैं। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत चील्ह से चेतगंज बाजार तक अनधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही

101—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ व्यक्तियों ने चील्ह गोपीगंज मार्ग, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत चील्ह से चेतगंज बाजार तक सड़क के दोनों पटरियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच करायेगी तथा अवैध कब्जों को तुरन्त हटाने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत चील्ह से चेतगंज बाजार तक सड़क के दोनों पटरियों पर अनधिकृत रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है। अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसलिये नहीं हो पा रही है, क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला परिषद मिर्जापुर द्वारा भूमि का स्वामित्व अभी तक विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

श्री घरहू जनपद मिर्जापुर द्वारा किया गया अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही

102—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घुरहू पुत्र बन्धू निवासी ग्राम मंहगूपुर चेतगंज पो0 खमरिया पखवाइया जनपद मिर्जापुर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ग्राम मंहगूपुर चेतगंज बाजार अमरनाथ त्रिपाठी के मकान चक नं0 85 के सामने सड़क की पटरी पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उक्त ग्राम के निवासी श्री अमरनाथ त्रिपाठी ने क्रमशः 19-8-81 तथा 20-8-81 को एस0 डी0 एम0, अधिशासी अभियन्ता, डी0 एम0 सदर, मिर्जापुर को तथा 20-8-81 को सिटी मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को तथा 6-11-81 को सार्वजनिक निर्माण मन्त्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को की है? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। श्री घुरहू पुत्र बन्धू मुसहर निवासी मंहगीपुर चेतगंज पखवइया पो0 खमरिया मिर्जापुर में चील्ह गोपीगंज मार्ग के कि0मी0 8 हेक्टोमीटर एक में श्री अमरनाथ त्रिपाठी के चक नं0 85 के सामने मार्ग की पटरी पर झोपड़ी बनाकर अस्थाई अतिक्रमण किया था। श्री अमरनाथ त्रिपाठी की लिखित रिपोर्ट दिनांक 19 अगस्त, 1981 तथा नवम्बर, 1981 कार्य अधीक्षक कार्यालय विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण

विभाग मिर्जापुर में प्राप्त हुई है। दिनांक 20 अगस्त, 1981 की लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्री अमरनाथ त्रिपाठी की लिखित रिपोर्ट दिनांक 20 अगस्त, 1981 सिटी मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को प्राप्त नहीं हुई है। श्री त्रिपाठी की रिपोर्ट दिनांक 24 अगस्त, 1981 को नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर को प्राप्त हुई है। दिनांक 6 नवम्बर, 1981 की कोई लिखित रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

श्री घुरहू मुसहर द्वारा किया गया अवैध निर्माण दिनांक 28 अगस्त, 1981 को रोक दिया गया था। कानूनी राय लेने के बाद दिनांक 19 जनवरी, 1982 को अतिक्रमण हटाने के लिये अतिक्रमणकर्त्ता को नोटिस दिया गया, जिस पर अतिक्रमणकर्त्ता ने स्वयं दिनांक 26 जनवरी, 1982 को हटा लिया।

फर्रुखाबाद कायमगंज बाई-पास के स्वीकृत सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना

103—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद-कायमगंज बाई-पास के स्वीकृत सड़क निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो इस देरी के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

फर्रुखाबाद- कायमगंज बाई-पास के स्वीकृत सड़क निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की धारा-4 की अधिसूचना जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1982 को जारी कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी हो गई है और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों में अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की स्थिति

104—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 को उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे उनमें से कितने अनुसूचित जाति के एवं कितने जन जाति के, कितने पिछड़े वर्ग के और कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे?

श्री अम्मार रिजवी—

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1982 को कुल कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की स्थिति निम्नवत थी—

कुल कार्यरत राजपत्रित अधिकारी	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
25,896	1665 / 6.4%	63 / 0.24%	1744 / 6.7%

2—जहां तक अल्प संख्यक वर्ग का प्रश्न है, उनके लिए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण नहीं है।

न्याय पंचायत खण्डौली के सरपंच श्री विश्वनाथ सिंह की हत्या की जांच

105—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फर्रुखाबाद के सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं न्याय पंचायत खण्डौली के सरपंच विश्वनाथ सिंह को दिन दहाड़े की गयी हत्या के सम्बन्ध में 24-5-82 को थाना राजेपुर को सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा को सौंप दी गयी है।

श्रीमती वीणा अग्रवाल की मृत्यु की जांच

106—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के थाने में श्रीमती वीणा देवी हत्या काण्ड के सम्बन्ध में कोई पत्र अप्रैल, 82 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर जांच कराई गयी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्राप्त पत्र जिलाधिकारी, जालौन को जांच हेतु भेजा गया। प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट कोंच द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि श्रीमती वीणा अग्रवाल पत्नी श्री अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 23-10-81 को समय 9-30 बजे प्रातः चाय बनाते समय उसकी साड़ी की तन्नी में आग लग जाने से हुई थी। जांच में कोई ऐसा साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिस के आधार पर यह समझा जाये कि श्रीमती वीणा को उसके ससुराल वालों ने आग लगा कर मार डाला हो। इस संबंध में थाना कोंच में मुकदमा अपराध संख्या 335/82 धारा 302 भा0 दं0 वि0 कायम होकर विवेचना हुई। विवेचना में अपराध का होना नहीं पाया गया।

श्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री, टाइगर ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ, अलीगढ़ के कर्मचारियों की मांगें

107—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित श्री लक्ष्मी नारायण, मन्त्री, टाइगर ग्रुप आफ इंण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ, अलीगढ़ के कर्मचारियों की मांग से संबंधित पत्र दिनांक 10-8-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम में स्टोर कीपर के पद हेतु इन्टरव्यू

108—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ में दिनांक 26-12-81 को स्टोरकीपर के पद पर इण्टरव्यू हुआ था और उसमें कितने व्यक्ति चयनित हुए ? क्या उन चयनित व्यक्तियों को नियुक्तियां शासन द्वारा कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है और कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

दिनांक 26-12-81 को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में स्टोरकीपर के पद के लिये इण्टरव्यू तो नहीं हुआ था, किन्तु उससे पूर्व उक्त पद के लिये चयन की कार्यवाही के फलस्वरूप निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 26-12-81 द्वारा 57 अभ्यर्थियों के नाम (अपूर्व्ड पैनल) अनुमोदित सूची में रखे जाने का आदेश निगम द्वारा किया गया था।

नियुक्तियां शासन द्वारा नहीं की जानी हैं। अतः शासन द्वारा कोई नियुक्ति कर दी जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, फैजाबाद में कार्यरत श्रम अधिकारी

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक श्रम युक्त कार्यालय, फैजाबाद में कौन-कौन से श्रम अधिकारी हैं और उन्हें श्रम से संबंधित कौन-कौन से कानूनों का वाद (मुकदमा) देखने का नोटिफिकेशन है? क्या श्रम के क्षेत्रीय कार्यालय में ट्रेड यूनियन निरीक्षक भी हैं। यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है?

श्री सुनील शास्त्री—

सहायक श्रम युक्त कार्यालय, फैजाबाद में श्रम अधिकारी का एक पद है जिस पर वर्तमान में श्री के0 ए0 श्रीवास्तव कार्यरत हैं। श्रम अधिकारी श्रम से सम्बन्धित कानूनों का मुकदमा करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना बिसवां, जिला सीतापुर में श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि थाना बिसवां, जिला सीतापुर में दिनांक 21 मार्च, 82 को अथवा उसके आसपास किसी दिन श्री लक्ष्मी नारायण निवासी बिसवां द्वारा कोई इस आशय की सूचना लिखायी गयी कि रूप लाल आदि ने उसकी (लक्ष्मी नारायण की) दुकान तोड़कर सामान लूट लिया? यदि हां, तो उस पर पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, इस संबंध में दिनांक 21-3-82 को थाना बिसवां पर दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान मामले को धारा 395 भा0 द0 वि0 का न पाये जाने के कारण अभियोग धारा 147/148/149/452/448/429 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचक द्वारा इस अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

फर्रुखाबाद जनपद के मुन्ना लाल की पुलिस द्वारा मारने से मृत्यु, विधवा को आर्थिक सहायता

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि फर्रुखाबाद जनपद के कमिल थाने की पुलिस ने अगस्त, 1982 में मुन्ना लाल उर्फ नत्थू लाल को मार मार कर हत्या कर दी है? यदि हां, तो क्या उसकी विधवा को कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-8-82 को श्री नाथूराम द्वारा अपने पुत्र श्री मुन्नालाल की मृत्यु के संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/323/304 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग में 7 अभियुक्त नामजद किए गये हैं जिनमें से 4 पुलिसकर्मी हैं। सभी अभियुक्त जमानत पर हैं। मृतक की विधवा को रु0 5,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है।

जनपद कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में श्री राम लड़ैते गुप्ता की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद कायमगंज में बिजली के खम्भे में बिजली करेन्ट आ जाने से नवम्बर, 81 के आस पास राम लड़ैते गुप्ता की मृत्यु उसके छू जाने से हुई थी? यदि हां, तो क्या उसकी विधवा को कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

माह नवम्बर, 1981 के आसपास के बजाए दिनांक 4-5 जनवरी, 1982 को अर्द्ध रात्रि को कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में श्री राम लड़ैते गुप्ता नामक व्यक्ति की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गई थी। मृतक के वैध उत्तराधिकारी को अनुग्रह क्षति पूर्ति के रूप में रु0 5000 (पांच हजार) भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 4 फरवरी, 1983 को निर्गत कर दिये गये हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में वृद्धि तथा भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव

113—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को 5 रु0 माहवार मंहगाई दे रही है जो इस समय की मंहगाई को देखते हुए कम है? क्या सरकार इसे बढ़ा कर 25 रु0 माहवार तक करने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राप्त होने वाली राज्य पेंशन में 1-11-82 से 20 रु0 प्रतिमाह की वृद्धि कर दी गयी है तथा सेनानियों को प्राप्त 5 रुपये की तदर्थ वृद्धि को पेंशन में समायोजित कर दिया गया है इस प्रकार सेनानियों की पेंशन को 1-11-82 से कुल मिला कर रु0 125 प्रतिमाह कर दिया गया है।

114—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पेंशन से कटौती करके जो कई लाख रुपया सरकार ने लखनऊ में उनके ठहरने के लिये मकान बनाने को जमा किया है, वह मकान कब तक बन सकेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन से कटौती की गयी धनराशि से लखनऊ में सेनानियों के लिये सेवा सदन के भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भवन के निर्माण हेतु लखनऊ में उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी सेवा सदन के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

सरकारी वस्त्रों की धुलाई की निर्धारित दरें

115—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी विधायक निवास (दारुलशफा में) जो धोबी रखे गये हैं उनके लिए फी कपड़ा धुलाई में रेट निर्धारित है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या सरकार रेट निर्धारित करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

सरकारी वस्त्रों की धुलाई की निर्धारित दरें निम्नांकित हैं--

1--नेवाड़ प्रति पलंग	..	रु0 2.00 प्रति की दर से,
2--चांदनी बड़ी	..	रु0 5.00 प्रति कीदर से
3--चांदनी छोटी	..	रु0 2.00 प्रति की दर से,
4--अन्य कपड़े	..	रु0 18.00 प्रति सैकड़ा की दर से

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के जैरामगढ़ नकटा सिपाह मार्ग (घोसी) के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही

116--श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें आजमगढ़ जनपद के जैरामगढ़ नकटा सिपाह मार्ग (घोसी) के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्त्ता तथा उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का दिसम्बर, 1981 में तथा केन्द्रीय संसदीय उप मंत्री का पत्र मार्च, 1982 में मिला था ? यदि हां तो उसमें क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नकर्त्ता एवं तत्कालीन उप मन्त्री जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र दिसम्बर, 1981 का प्राप्त हुआ था ? किन्तु केन्द्रीय संसदीय उप मन्त्री जी का पत्र मार्च 1982 में नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लिख दिया गया है।

ग्राम पिपरा चन्द्रभान थाना कोतवाली में चुनाव के समय गोली चलने की दर्ज रिपोर्ट

117--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में दिनांक 4 जुलाई, 82 को ग्राम पिपरा चन्द्रभान थाना कोतवाली में चुनाव के समय गोली चली ? यदि हां तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

इस संबंध में थाना कोतवाली देवरिया पर मु0 अ0 सं0 260/82 धारा 307 भा0 द0 वि0 दिनांक 4-7-82 को पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 16-7-82 को प्रस्तुत किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

लोक सेवा न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विभिन्न पीठों में रिक्त पद व नियुक्तियां

118--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के विभिन्न पीठों में अध्यक्ष न्यायिक सदस्य प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी व सहायक प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की कुल कितनी-कितनी जगहें अलग-अलग प्रत्येक पीठ में खाली हैं और उनमें कब तक नियुक्तयां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-2 में न्यायिक सदस्य का एक पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-3 में अध्यक्ष का एक पद तथा सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-

4 में अध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्य का एक पक पद तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का एक पद तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण–5 में अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य का एक एक पद रिक्त है। उपर्युक्त समस्त पदों को शीघ्रता से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

लोक सेवा अधिकरण के नं० 4 में याचिकाओं की अन्तिम सुनवाई तथा निर्णय

119—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण नं० 4 में माह मई, 82 से जुलाई, 82 तक अन्तिम सुनवाई के लिये कुल कितने मुकदमों की सुनवाई की गई और उनमें से कुल कितनों पर निर्णय दिये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण–4 में माह मई, 1982 से जुलाई, 1982 तक 47 याचिकाओं की अन्तिम सुनवायी की गयी तथा वे सभी निर्णित की गयीं।

प्रदेश की नयी सड़कों को पिच न करने के आदेश

120—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982–83 में प्रदेश की नयी सड़कों को पिच न करने के आदेश सभी जिला केन्द्रों को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले की सड़कों को पक्का कराने की स्वीकृति

121—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के होत्तिमपुर महुआडीह रोड व गोरी बाजार हाटा रोड को बनाने की स्वीकृति शासन द्वारा मिल गई है ? यदि हां, तो दोनों सड़कें कब तक पक्की हो जायेंगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोनों मार्ग पहले से ही पक्के हैं। अतः इन्हें पुनः पक्की कराने हेतु स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खंडों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

122—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड, दसई देवरिया, बैतालपुर तथा गौरी बाजार में ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

देवरिया जिले के विकास खण्ड दसई देवरिया, बैतालपुर तथा गौरी बाजार के लिये कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष गौरी बाजार, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

123—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, गौरी बाजार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र माह जून, 82 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

शिकायती पत्र दिनांक 28-5-82 के विषय में यह बात सत्य पाई गई कि श्री उदय नारायण सिंह, भूतपूर्व थानाध्यक्ष, गौरी बाजार ने अपनी लड़की की शादी ग्राम ऊसरी में की है। श्री उदय नारायण सिंह का स्थानान्तरण तुर्कपट्टी कर दिया गया है। शिकायती पत्र में लगाये गये अन्य आरोप निराधार पाये गये।

देवरिया जिले के तहसील सलेमपुर में मुन्सफी कोर्ट खोलने की योजना

124--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के तहसील सलेमपुर में मुन्सफी कोर्ट खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कोर्ट की स्थापना कब तक हो जायगी?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस प्रस्ताव के बारे में उच्च न्यायालय को स्पष्ट मत भेजने के लिये लिखा गया है।

देवरिया जनपद की तहसील सलेमपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सलेमपुर बार एसोसियशन से फरवरी, 1982 में प्राप्त हुआ था। जिला देवरिया में कुल 4 तहसीलें पडरौना, हाटा, सलेमपुर तथा देवरिया हैं। कसिया में मुसिन्फ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया जा चुका है जिसके क्षेत्राधिकार में पडरौना तथा हाटा तहसीलें हैं। सलेमपुर तहसील जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इस पृष्ठभूमि में सलेमपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को स्पष्ट मत भेजने को लिखा गया है। उच्च न्यायालय का मत प्राप्त होने के पश्चात् आगे विचार किया जायेगा।

श्री राम चन्द्र सिंह, निवासी ग्राम रानीपुर, जिला गोरखपुर की हत्या

125--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के ग्राम रानीपुर थाना सीकरी गंज में दिनांक 16/17 जून, 82 की रात को ग्राम के लोगों ने रामचन्द्र सिंह की हत्या कर दी। यदि हां, तो इसमें कितने लोग गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

श्री राम चन्द्र सिंह निवासी ग्राम रानीपुर, थाना सीकरीगंज जिला गोरखपुर की हत्या उसी गांव के निम्नलिखित लोगों ने 16/17 जून, 1982 की रात करीब दो बज की--

1--राजेन्द्र सिंह पुत्र सरस्वती सिंह
2--सरस्वती सिंह पुत्र जुबराज सिंह
3--धरमचन्द्र पुत्र दुर्गा सिंह
4--दीपनारायन पुत्र राम बली
5--श्रीमती मक्तुलिया पत्नी सरस्वती
6--राम बुद्ध पुत्र राम दरस सिंह

उक्त अभियुक्तों में से दो गिरफ्तार किये गये और शेष 4 न्यायालय में हाजिर हो गये। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

126--श्री राम आसरे पासवान--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री लाल जी यादव, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

127—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री लाल जी यादव थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध श्री राजपाल सिंह विधायक का कोई शिकायती पत्र माह जुलाई, 1982 में सचिव सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

पत्र में श्री लाल जी यादव के विरुद्ध अपराधियों को संरक्षण देने तथा उनसे सांठ-गांठ रखने, गरीब जनता से पैसा वसूलने, अपराध को कम करके दर्ज करने एवं रिश्वत लेने आदि के आरोप लगाये गये हैं।

आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन के सुपुर्द कर दी गई है।

हाईडिल विजिलेंस मैनपुरी के सिपाहियों को वेतन का भुगतान

128—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाईडिल विजिलेंस मैनपुरी के सिपाहियों को वर्ष 1981-82 में देय एक माह के अतिरिक्त वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री लाल जी यादव, थानाध्यक्ष कुमारगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

129—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री लाल जी यादव थानाध्यक्ष कुमारगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध उक्त थाने में नियुक्ति की तिथि से अब तक कितने शिकायती पत्र डी0 आई0 जी0 फैजाबाद, जिलाधिकारी, एस0 एस0 पी0, एस0 पी0 फैजाबाद को प्राप्त हुये और उनमें अलग-अलग क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त सभी प्रार्थना पत्रों की जांच पुनः एस0 पी0 फैजाबाद द्वारा स्वय किये जाने के आदेश देगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना अध्यक्ष के विरुद्ध 19 शिकायती पत्र प्राप्त हुये। इन में से 8 पुलिस उप महानिरीक्षक को, 7 जिलाधिकारी, फैजाबाद को, 2 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को तथा 2 अन्य स्रोतों से प्राप्त हुये हैं। सभी शिकायती पत्रों की जांच कराई गयी। मेवापुर में पड़ी एक डकैती को घटा कर धारा 323/324 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज करायी जाने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अन्य शिकायती पत्रों में सत्यता नहीं पाई गई। शिकायती पत्रों की पुनः एस0 पी0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद फैजाबाद, ब्लाक खण्डासा में सड़क का निर्माण

130—श्री राजपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद ब्लाक खण्डासा में स्थान खण्डासा ब्लाक से मौजा घोड़वल तक की सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा उसमें अब तक कितनी दूर तक सड़क पर डामर पड़ चुका है ? और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ऐसा कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है और न ही कोई कार्य किया जा रहा है ।

जनपद वाराणसी में क्लार्क होटल से कार की चोरी

131—श्री बनवारी राम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्र के अन्तर्गत 7 व 8 दिसम्बर, 81 की रात्रि में क्लार्क होटल से एक कार न0 डब्लू0 एम0 डी0/5410 चोरी की गयी, जिसकी रिपोर्ट अपराध संख्या 802/82 धारा 342, 223, 427 में की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की विवेचना से ज्ञात हुआ कि उक्त कार कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रमवश ले जायी गयी थी अतएव अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

सीतापुर जिले में बिसवां स्थित मोहल्ला शंकरगंज में विद्युत् लाईन का स्थान परिवर्तन किये जाने हेतु आदेश

132—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में बिसवां स्थित मोहल्ला शंकरगंज से जो 11000 के0 वी0 विद्युत् लाइन शुगर फैक्टरी को जाती है उसका स्थान परिवर्तन किये जाने हेतु कोई बिजली बोर्ड द्वारा आदेश जून, 81 के दूसरे सप्ताह में जारी किया गया ? यदि हां, तो उसके कार्यान्वियन की प्रगति क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता सेनानियों के नाती व नातिन को सुविधाएं देने पर विचार

133—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के नाती व नातिन को भी वही सुविधायें देने पर विचार करेगी जो उनके पुत्र तथा पुत्रियों को दी जाती है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 (अ) में संशोधन

134—श्री रघुबीर सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 के अन्तर्गत बिला दफा सात किये दी गई प्रतिकूल प्रविष्टियों (बैड एन्ट्रीज) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1973 ई0 में अवैध करार दी थी उसके बाद 1974 ई0 में सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 (अ) को जोड़ कर संशोधन कर दिया है, ऐसी दशा में सही जांच नहीं हो पाती है । यदि हां, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के 478 (अ) को समाप्त करने की कृपा करेगी, जिससे कि न्याय मिल सके ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में सन्दर्भित विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1973 का कोई निर्णय नहीं हुआ बल्कि वर्ष 1966 में एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के उपरान्त पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-32 के पैरा 478 व 478 (ए)

में विज्ञप्ति संख्या 15/आठ-क-28/67, दिनांक 6 मई, 1968 द्वारा संशोधन किया गया था। इसके बाद पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 32 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 (अ) को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

135—श्री रघुबीर सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

[दिनांक 24-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 99 द्वारा उत्तरित]

मोहनलालगंज, गोसाईं गंज मार्ग से शिवलर तक सम्पर्क मार्ग बनाने की स्वीकृति

136—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहनलालगंज, गोसाईं गंज मार्ग से शिवलर तक सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु शासन के पत्रांक 5115-ई/23 सा0 नि0 अनु0-11-140 ई0/80, दिनांक 2-11-81 के संदर्भ में आगणन प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, लखनऊ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4802 सी/18 सी0(क)-4/81, दिनांक 15-1-82 द्वारा प्रमुख अभियन्ता को भेज दिया गया था? यदि हां, तो शासन इस महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग को बनवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

मार्ग की स्वीकृति दे दी गई है।

जिला सूचना अधिकारी के सम्वर्ग में अनुसूचित जाति का कोटा

137—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में तथा उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मुख्यालय में जिला सूचना अधिकारियों के संवर्ग में हरिजन अभ्यर्थियों का कोटा पूरा है? यदि नहीं तो शासन के आदेशों के बावजूद अब तक कोटा पूरा क्यों नहीं किया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला सूचना अधिकारी के संवर्ग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है। उसे पूरा करने का सक्रिया प्रयास किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 ने इस पद के लिये होने वाले चुनाव/चनावों में इस कमी की यथासंभव सम्पूर्ति कर देने को कहा है। आशा है कि यह कमी शीघ्र पूरी होगी।

सूचना जन सम्पर्क विभाग के मुख्यालय पर हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारी

138—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सूचना जन सम्पर्क विभाग के मुख्यालय पर हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बार रिजवी—

मख्यालय पर अनसूचित जाति के दो तथा पिछड़े वर्ग का एक पदाधिकारी कार्यरत है।

लालघाट में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव

139—श्री पंचाननराय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे शक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 98 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लालघाट में प्रस्तावित विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ है तथा कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

लाल घाट में 33 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव है परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अन्य विद्युत् उप केन्द्रों की आवश्यकता को देखते हुए उक्त विद्युत

उप केन्द्र का निर्माण वर्ष 1982–83 में संभव नहीं है। अतः अभी इस विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जनपद कानपुर में एच० बी० टी० आई० के छात्र श्री देवेन्द्र सचान की मृत्यु

140—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद कानपुर स्थित एच० बी० टी० आई० में श्री देवेन्द्र सचान की 18–1–82 को हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर अध्ययनरत छात्रों में निदेशक के प्रति काफी रोष व्याप्त हो गया है जिसको लेकर वहां के छात्र इस समय आमरण अनशन पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

छात्र देवेन्द्र सिंह सचान की मृत्यु 18 जनवरी, 1982 को नहीं बल्कि दिनांक 18 फरवरी, 1982 की हुई थी। उसके बाद कुछ छात्र दिनांक 19 फरवरी, 1982 से 25 फरवरी, 1982 तक क्रमिक अनशन एवं दिनांक 26 फरवरी, 1982 से 1 मार्च 1982 तक दो छात्र आमरण अनशन पर रहे। दिनांक 2 मार्च, 1982 से कोई छात्र अनशन पर नहीं है।

जिला सुल्तानपुर के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र से जाने वाले राजकीय मार्ग में गोमती नदी पर पुल निर्माण

141—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुलतानपुर के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र से वाया शुकुल बाजार, रुदौली (बाराबंकी) जाने वाले राजकीय मार्ग में गोमती नदी पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण वाहन यातायात नहीं होता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

इस समय इस स्थल पर पुल नहीं है।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम बिशुनपुरा निवासी हरिजन श्री विन्ध्याचल प्रसाद के ऊपर प्राणघातक हमले की सूचना

142—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा से सम्बन्धित ग्राम बिशुनपुरा निवासी हरिजन श्री विन्ध्याचल प्रसाद के ऊपर प्राण घातक हमले की सूचना दिनांक 1–2–82 को मुख्य मंत्री को दिया था जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति एम/341/1 सी० एम०/82, दिनांक 3–7–82 ई० द्वारा की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी। जांच में आरोप असत्य एवं निराधार पाया गया। फिर भी धारा 107/116 भा० दं० वि० की कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद गोरखपुर के थाना चौक के थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर बुलाकर मारपीट की घटना

143—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि माह जून, 82 के प्रथम सप्ताह में जनपद गोरखपुर के थाना चौक के मुन्शी ने कांग्रेस (आई) व लोक दल के दो कार्यकर्त्ताओं को थाने पर बुलाकर बुरी तरह पीटा एवं बंद कर दिया ? यदि हां, तो क्यों तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को थाने पर नहीं बुलाया गया था और न उन्हें बन्द किया गया था। जांच में मारपीट की पुष्टि हुयी। थानाध्यक्ष की शिथिलता के लिए उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है तथा हेड कांस्टेबिल तथा एक कान्सटेबिल को आदेश कक्ष में दंड देने की कार्यवाही चल रही है।

जनपद गोरखपुर के मार्गों का निर्माण

144—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता ने जनपद गोरखपर के कुछ मार्गों के निर्माण हेतु एक पत्र दिनांक 20-3-82 मंत्री जी को लिखा था ? यदि हां तो यह सड़कें कौन-कौन हैं एवं इनका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित सड़कें निम्नलिखित हैं—

1—महाराजगंज से चौक बाजार तक सोलिंग को पिच करना तथा शेष भाग पर मिट्टी डालकर सोलिंग करना ,

2—चौक से निचलौल तक मार्ग,

3—शिकारपुर से सेंदुरिया मार्ग,

4—सिसवा से सेंदुरिया मार्ग,

5—सेंदुरिया से पिपरा कल्याण-फुर्सतपुर तक मार्ग।

उक्त सड़कों का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्राम बरेहटा, फैजाबाद में बोई हुई फसल कुछ व्यक्तियों द्वारा जोत डालने के सम्बन्ध में जांच

145—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थिनी ग्राम बरहटा (खलवइया) थाना तारुन, जिला फैजाबाद का कोई प्रार्थना पत्र विधायक श्री बनवारी राम द्वारा उसी गांव के रकबा नं0 971/1/31,/918/11/4 में बोई गई फसल कुछ व्यक्तियों द्वारा जोत डालने के संबंध में 27 मार्च, 1982 को गृह मंत्री को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

मामले की जांच कराई गई। जांच से मामला भूमि के स्वामित्व के विवाद का पाया गया। अतः स्थानीय पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय से उसे निर्णीत कराने के निर्देश दिये गय हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम भटियाहवा, जिला फैजाबाद के निवासियों का खेत में बोई हुई फसल को काटने के संबंध में प्रार्थना पत्र पर जांच

146—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भटियाहवा, मौजा रजोरा, थाना तारुन, जिला फैजाबाद के कुछ निवासियों का कोई प्रार्थना पत्र श्री गोपीनाथ वर्मा विधायक के पत्र के साथ उसी गांव के रकबा नं0 404/12, 408/11/111, 803/1/2111, 489/1/1 में बोई गई फसल कुछ व्यक्तियों द्वारा काट लेने के सम्बन्ध में 26-5-82 को गृह मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र पर जांच कराई गई तो मामला दीवानी वाद का पाया गया। खेत में बोई हुई फसल को काटने के संबंध में थाना तारुन में अ0 सं0 6/82, धारा 379/323 भा0 दं0 वि0 बहारू आदि पर तथा सं0 9-ए/82 धारा 379/324/323 भा0 दं0 वि0 रामेश्वर आदि पर पंजीकृत हुये हैं। दोनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा बोई हुई फसल सुपुर्दगी में दे दी गई है और शांति भंग की संभावना को देखते हुए उभय पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है।

ग्राम करगैना में स्थित बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की डेरी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

147—श्री चेतराम गंगवार—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में ग्राम करगैना डेरी के कर्मचारियों को पिछले तीन वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो क्यों? क्या वह इस दुग्धशाला के कर्मचारियों को अवलिम्ब वेतन दिलाने की कृपा करेंगे?

पशुधन एवं वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

ग्राम करगैना में स्थित बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की डेरी के कर्मचारियों को अप्रैल, 1980 से अक्टूबर, 1982 तक देय रु0 2,38,373.27 में से 65,576.79 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अक्टूबर 1982 के बाद के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा पूर्ण क्षमता पर कार्य न करने के कारण 17-4-80 से डेरी का कार्य पूर्ण रूप से बंद हो गया। वेतन भुगतान न किये जाने का कारण दुग्ध संघ में कार्यशील पूंजी का अभाव तथा पूर्ण क्षमता पर कार्य न करना रहा है।

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी संस्था है। जैसे ही दुग्ध संघ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी वैसे ही अवशेष भुगतान के संबंध में दुग्ध संघ आवश्यक कार्यवाही करेगा।

प्रदेश के सभी जिलों के मालखानों में रुकी, असलहों की नीलामी

148—श्री राजकुमार राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1977 से प्रदेश के सभी जिलों के मालखानों में असलहों की नीलामी रुकी हुई है? यदि हां, तो नीलामी इतने लम्बे समय तक रोकने का क्या कारण है? तथा कब तक नीलामी कराने का सरकार का इरादा है?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1977 से नहीं बल्कि अगस्त, 1978 से मालखानों के असलहों की नीलामी

रुकी हुएई है। नीलामी की प्रक्रिया में परिवर्तन विचाराधीन है। प्रक्रिया निर्धारित हो जाने पर नीलामी कराने के संबंध में विचार किया जायगा।

149—श्री राज कुमार राय—
(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

150—श्री राम आसरे वर्मा—
(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

राम सागर मिश्र नगर कालोनी में एल टाइप के आवासों में रसोई व स्नान गृहों के दरवाजे लगाने का निर्देश

151—श्री राम आसरे वर्मा—

प्रथम सत्र 82 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के सन्दर्भ में रा0 सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 1981 को शासनादेश जारी होने के बाद उसका कार्यान्वयन एक वर्ष के बाद भी नहीं सम्पादित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 4 सितम्बर, 81 द्वारा स्वीकृत कार्यों में दरवाजे लगाने का कार्य सम्मिलित नहीं था। दरवाजे लगाने का निर्देश 19–2–82 को भेजा गया था। इस विशेष कार्य के लिये प्राप्त आगणन का परीक्षण किये जाने के उपरान्त स्वीकृति शासनादेश दिनांक 7–1–83 के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी है। तदनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दरवाजे लगाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी अधिकारी को दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती विद्यावती पाठक, अध्यापिका जिला हरदोई के परिवार को सुरक्षा व्यवस्था की मांग

152—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विद्यावती पाठक, अध्यापिका निवासी मो0 भटपुरी, कस्बा साण्डी, जिला हरदोई का एक प्रार्थना पत्र फरवरी-मार्च माह में दूधनाथ राजभर विधायक के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा झूठे अभियोग में फसाने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त अध्यापिका की परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तथा उक्त पत्र के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री राम शरण निवासी साण्डी द्वारा मु0 अ0 सं0 199-ए धारा 147/336/504/506 भा0 दं0 वि0 प्रार्थिनी के पुत्र श्री राकेश पाठक व 5 नफर अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। इनकी थानाध्यक्ष साण्डी द्वारा विवेचना की गई। विवेचना से अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 26–12–81 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अतः झूठे अभियोग में फंसाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक प्रार्थिनी के परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है, इस संबंध में थाना साण्डी में देख-भाल व सुरक्षा हो रही है जिसके निकट प्रार्थिनी का घर है।

प्रशासन की सांठ गाठ से वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना (12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझको 21 सुचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं और शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं। श्री सन्त बक्स रावत, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री भीखा लाल, श्री मसरूर जाफरी एवं श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह, श्री ऊदल, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रामआसरे वर्मा, श्री हरिवंश सहाय, एवं श्री नन्द किशोर सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री राम सागर, श्री मोहन सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री विजय सिंह राना, श्री अकबाल हुसैन, की सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोती लाल देहलवी, एवं श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री सोमांश प्रकाश की सूचनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दैनिक उपभोक्ता सामग्री और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। प्रशासन की सांठगांठ से मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का नग्ननृत्य हो रहा है। रु0 1–30 व 1–40 प्रति किलो बिकने वाला गेहूं, 3 रुपया से 3–40 पैसे प्रति किलो बिकता है। सरकार की अव्यावहारिक लकड़ी कटान नीति एवं भष्टाचार के कारण कोयला और जलाने की लकड़ी का न केवल अभाव हो गया है वरन मनमाने दाम वसूल किये गये। लकड़ी का कोयला 2–50 पैसे से 3 रुपया प्रति किलो तक बिका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्जीव सिद्ध हुई। शासन और प्रशासन जीवित रहने की सामग्री भी उपलब्ध नहीं करा सका।

मान्यवर, शासन घोषणाएं कुछ भी करता हो, परन्तु राशन की दुकानों पर आवश्यकता भर खाद्य नहीं है। हकीकत यह है कि आज ग्रामीण अंचल में मात्र 5 से 10 प्रतिशत व्यक्ति को छोड़कर सभी गेहूं खरीद कर खाते हैं। परन्तु गांव की दुकानों पर तो गेहूं तथा चावल जाता ही नहीं। शहरों में बंटने वाला खाद्यान्न ऊंट के मुंह में जीरा है। उदाहरण स्वरूप जिला सीतापुर में 2 लाख 42 हजार यूनिट है, 8 किलो को हिसाब से यदि आधा भी दें, तो 2000 टन चावल तथा इतना ही गेहूं चाहिए। इसके अलावा पी0 ए0 सी0 आदि के 6 हजार लोग हैं, परन्तु आवंटन 100 टन का है। विगत 3 माह से चावल बिलकुल नहीं गया।

अतएव मेरी मांग है कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों अंचलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यकता भर खाद्यान्न वितरित कराया जाये तथा वन निगम की ओर से सस्ती दर पर लकड़ी बिके। प्रशासन की सांठगांठ से वितरण प्रणाली में व्याप्त भष्टाचार रोका जाये।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने पर किसानों द्वारा सत्याग्रह के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न घटना को लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील कानपुर से संबंधित गांवों के किसानों की अच्छी उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बलात एवं हठात् किया जा रहा है, इस अधिग्रहण में एक ही गांव के एक ही तरह की भूमि भिन्न भिन्न दरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों को मुआवजे के रुप में निर्धारित किया गया है। शहर के लोगों को अधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुआवजा और गांव के लोगों को अपेक्षाकृत बहुत मामूली मुआवजा लेने पर बाध्य किया गया है। इस दर के अनुसार गांव शहरपुर में किसानों की भूमि का दर 80 रुपया बीघा और शहरी लोगों को 5 हजार रुपया बीघे तक का रेट निर्धारित किया गया। इसी प्रकार गांव बर्रा-गुजेनी तथा दबौली में मुआवजे की दर 600 रुपया व 900 रुपये बीघे मुआवजा निर्धारित कर दिया गया। भूमि की किस्म व लोकल्टी के अनुसार उपरोक्त सभी गांवों का मूल्य लगभग 40 हजार रुपया प्रति बीघे से कम नहीं है। विकास प्राधिकरण द्वारा भोले भाले मूक किसानों की बहुमूल्य भूमि 4 आने गज में ली गयी और वही भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा 600 रुपये गज में बेची जा रही है।

उक्त अन्यायपूर्ण कार्यवाही को न्याय में बदलवाने के लिये काफी कुछ लिखा गया और अनेकों बार अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया जाता रहा। अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण भुक्त भोगी किसानों को क्षोभ व रोष एवं असंतोष बढ़ता चला गया और अन्ततोगत्वा न्याय पाने के लिये अब किसानों को सत्याग्रह करने पर बाध्य होना पड़ा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सत्याग्रही जिला जेल कानपुर में डाल दिये गये हैं। किसान समुचित मुआवजा की मांग न करें, और उनमें फूट पड़ जाय, इस कारण कुछ सत्याग्रही अपराधिक कैदियों की बैरक और कुछ को सत्याग्रही की भांति अलग रखा जा रहा है।

हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अशान्वित एवं अपेक्षित है कि सरकार तमाम सत्याग्रहियों को अविलम्ब रिहा कर सभी किसानों की भूमि का मुआवजा समान रूप से दिलाने का कष्ट करेगी।

सीतापुर जनपद के शुगर मिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में किसानों द्वारा भूख हड़ताल सेन्टर के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरगोविन्द वर्मा---

मान्यवर, शुगरमिल महोली, महमूदाबाद हरगांव, बिसवां मिलों पर केन यूनियन के सचिव रिसीवर मिल मालिक व प्रबन्धक द्वारा अत्यधिक लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे गन्ना किसान बहुत ही पीड़ित परेशान और दुखी है। सीतापुर जनपद में 26 जनवरी से महोली मिल और महमूदाबाद मिल के किसानों द्वारा संघर्ष प्रारम्भ हो गया है। 26 जनवरी को महोली मिल में गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर गन्ने की हड़ताल कर दी। यह हड़ताल 27 जनवरी को 4 बजे पुलिस की फायरिंग लाठीचार्ज और गिरफ्तारी में बदल गयी। 32 किसान महोली गन्ना गेट से गिरफ्तार होकर सीतापुर जेल भेज दिये गये और निर्दोष किसान आई0पी0सी0 की कठोर से कठोर धारा में बंद किये गये। यह घटना महोली मिल में राज्य मंत्री की भी उपस्थिति में हुयी। 26 जनवरी को ही महमूदाबाद सहकारी शुगर मिल पर सैकड़ों किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गये प्रतिदिन सैकड़ों किसान भूख हड़ताल पर बैठते हैं और भूख हड़ताल जारी हैं। महमूदाबाद मिल गेट पर संघर्ष गांव बस गया है। इसी तरह की स्थिति हरगांव व बिसवां में भी है। किसानों की मुख्य समस्या पिछले साल का बकाया तथा चालू वर्ष का भुगतान। पुराना गन्ना मिलें ले नहीं रही है, उसे लिया जाय। पुराने गन्ने का दाम 5 रुपया कम दिया जाता है। पूरे जनपद में बेसिक कोटा आधा किया गया जिसमे किसानों के सामने गन्ना की समस्या खड़ी हो गयी है। किसान 7 रुपया 8 रुपया कुन्टल गन्ना मिट्टी के भाव फेंक रहा है। मिल में ही जबर किस्म के लोग किसानों से सस्ता गन्ना खरीदकर मिलों को सप्लाई कर रहे है। इसमें सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोबिन्द वर्मा---]
मशीनरी और मिल मालिक की साजिश से गन्ना किसानों से अवैधानिक कटौतियां हो रही है। पूल फंड, बिल्डिंग फंड के नाम बांड का पैसा न देकर रद्दी खाद जबरदस्ती दी जा रही है। दो साल से जिन किसानों ने गन्ना नहीं दिया उनकी सट्टी नहीं बनी है, पूरे जनपद में रोष है। इसी के कारण पूरा जिला पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 की छावनी बन गया है। 7 फरवरी, 82 को महोली मिल पर लोकदल द्वारा प्रदर्शन की तैयारी थी। पुलिस ने अध्यक्ष श्री जानकी प्रसाद मौर्य, मंत्री संतोष कुमार मिश्र और घनश्याम वर्मा के सहित 50 किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरे जनपद के मामले को विशेषकर महोली और महमूदाबाद मिल की घटनाओं की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराकर किसानों को राहत दें। महमूदाबाद के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के कुछ कागजात हमें प्राप्त हो गये हैं जो सदन के पटल पर रखकर मैं मांग करता हूं कि जांच कराई जाय।

श्री गांधी खादी आश्रम मगहर को आसामाजिक तत्वों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान मे लाना चाहता हूं कि 26 जनवरी को मगहर में कुछ लोगों ने एक सभा का आयोजन कर गांधी आश्रम के कर्मचारियों के बीच उत्तेजना पैदा कर हड़ताल कराने का प्रयास किया जिसमें वह सफल नहीं हुए। असफलता से चिढ़कर उन व्यक्तियों ने वहीं घोषणा की कि 1 फरवरी को श्री गांधी आश्रम गोरखपुर के समक्ष प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी सूचना गोरखपुर के खादी आश्रम के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्री, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक व उप निरीक्षक गोरखपुर को भी दे दिया परन्तु पहली फरवरी को नियोजित ढंग से उन असामाजिक तत्वों ने श्री गांधी आश्रम पर हमला बोल दिया जिसमें हाथापाई व लूटपाट भी की गयी। श्री गांधी आश्रम के पदाधिकारियों ने इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी। इसके पश्चात् पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और श्री गांधी आश्रम के सभी कर्मचारियों से कहा कि वह एक स्थान पर बैठ जायं वे सबकी बात सुनना चाहते हैं उन लोगों ने आश्रम के लूटे गये वस्तुओं क रखे स्थान को दिखाया तथा उससे न्यायोचित कार्यवाही की मांग की। इस पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने सभी 110 श्री गांधी आश्रम खादी के कार्यकर्त्ताओं को पकड़ कर थाने ले गये व उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें जेल भेज दिया। बताया जाता है कि खादी आश्रम के अधिकारियों द्वारा लिखाये गये मुकदमों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गयी पुलिस व असामाजिक तत्वों ने मिलकर खादी आश्रम को लूटा व उसको सील कर दिया गया। लूटने वाले असामाजिक तत्व आज भी घूम रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि खादी आश्रम के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी अभी भी जेलों में बन्द हैं। खादी आश्रम की दुकान सील हो गयी है। इस घटना से पूर्वी उत्तर प्रदेश क लोगों में तथा खादी आश्रम के कर्मचारियोंमें घोर असंतोष उत्पन्न हो गया है। शासन से मेरी मांग है कि उक्त घटना की उच्चस्त रीय जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मचारियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करे तथा सील किये गये श्री गांधी आश्रम को तत्काल खोलने की व्यवस्था कराये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय क्षेत्रों में ओला वृष्टि से फसल को हुयी क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सोमांश प्रकाश---

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 29 जनवरी, 1983 को सायंकाल 6 बजे के लगभग ब्लाक थाना भवन ऊन, जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है कि किसानों की 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है, थाना भवन व ऊन क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस प्रकार का ओला 50-60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं पड़ा, ओले की तह एक इंच से डेढ़ इंच की ऊचाई के लगभग है जो 3 फरवरी, 1983 तक जमा पड़ा है। ब्लाक थाना भवन के ग्राम नागवां, चौधरान, भसावा एवं कालरु, पट्टी थाना भवन रशीदगड़, नाजल, हरण, तितरसी, उल्लापुर, ख्यावड़ी, लुहारी, तथा ब्लाक ऊन के ग्राम गढ़ी पोख्ता, हसनपर, अम्बेदा, खड़की, वद्यखाड़ी, पुरमाफी, दरगाहपुर आदि ग्राम की फसल जैसे गहूं, आलू, गन्ना, चारा शतप्रतिशत नष्ट हो गया है। इस दैवी प्रकोप से किसानों के सामने भुखमरी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः श्रीमान्, आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस दैवी प्रकोप के कष्ट से किसानों की सहायता के लिए समस्त सरकारी ऋण माफ किया जाय तथा किसानों को विशेष आर्थिक अनुदान दिलाया जाय और उपरोक्त दोनों ब्लाकों के ग्रामों के किसानों का गन्ना प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिलों की पेराई के लिए भिजवा दिया जाय तथा शासन से मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा रबी की आवपासी की छूट जो राजकीय नलकूप एवं नहरों द्वारा वसूली जाती है उसको छूट तथा बिजली में छूट और कम से कम दो एकड़ के किसानों को आगामी फसल बोने के लिये ऋण व अनुदान की विशेष सुविधा प्रदान की जाय, जिससे किसानों को राहत मिल सकें।

श्री देशराज सिंह रेजीडेण्ट आयुक्त, नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब मैं विशेषाधिकार की सूचना पर निर्णय देने जा रहा हूं। यह सूचनायें मेरे सम्मुख पहले से दी गई थी।

श्री आजाद कुमार कर्दम, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 जून, 1882 को श्री देशराज सिंह, रजीडेण्ट आयुक्त, नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न की सूचना दी थी। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि जब दिनांक 14 जून, 1982 को प्रातः लगभग 9 बजे पालम हवाई अड्ड, दिल्ली के विशेष अतिथि गृह में व तत्कालीन मुख्य मंत्री से बात कर रहे थे, तो उस समय दूसर कक्ष में श्री देशराज सिंह ने कुछ अन्य व्यक्तियों, जिनमें माननीय सदस्य के दो साथी भी थे की मौजूदगी में विधायकों एवं विधान सभा के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपनी सूचना में माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि जब उक्त स्थान से लौटते समय उन्होंने श्री देशराज सिंह से कहा कि उन्हें विधान सभा एवं उसके सदस्यों का अपमान नहीं करना चाहिए था तो वह कहने लगे कि ऐसी विधान सभा और विधायकों को वे कई बार देख चुके है। इस पर जब माननीय सदस्य ने उनसे कहा कि यह मामला गम्भीर है अतः वे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में इसे विधान सभा में उठायेंगे, तो श्री देशराज सिंह ने कहा कि "पिछली बार सारी विधान सभा के सदस्य एक होकर मुझे निलम्बित नहीं करा पाये तो तुम अकेले मेरा क्या कर पाओगे।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी। वर्तमान मुख्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1982 के साथ श्री देशराज सिंह द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण की एक प्रति मुझे भेजी है। उक्त स्पष्टीकरण में श्री देशराज सिंह ने कहा कि जब दिनांक 14 जून, 1982 को तत्कालीन मख्य मंत्री जी लखनऊ वापस जा रहे थे, तब वह सदा की भांति अन्य अधिकारियों के साथ उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ने अपने सरकारी कर्त्तव्य के अधीन पालम हवाई अड्डे पर मौजूद थे। स्पष्टीकरण में श्री देशराज सिंह ने कहा है कि दिनांक 14 जून, 1982 को उनकी कोई बातचीत माननीय सदस्य से नहीं हुई तथा उन्होंने माननीय सदन तथा उसके माननीय सदस्यों की गरिमा एवं सम्मान के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि उस दिन श्री कर्दम अपने विवाह का निमंत्रण देने के लिये विशेष रूप से मख्य मंत्री जी से मिलने आये थे। उस समय श्री देशराज सिंह अपने सहयोगी श्री हर प्रसाद शर्मा से बात कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान उन्होंने श्री शर्मा से यह कहा कि 1980 में वह आगरा मंडल के आयुक्त रह चुके हैं, अतः श्री कर्दम द्वारा अपने शुभ विवाह का निमंत्रण उन्हें न देना कुछ अस्वाभाविक है। कदाचित श्री कर्दम के मन में उनके प्रति कोई खिंचाव अवश्य है। इसी प्रसंग में श्री सिंह ने, जब वे आयुक्त आगरा मण्डल थे, की एक घटना का हवाला देते हुए उक्त श्री शर्मा से कहा था कि उस घटना में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, और इसी कारण से कदाचित श्री कर्दम के मन में उनके प्रति गलतफहमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपनी आख्या में श्री देशराज सिंह ने यह कहा है कि आगरा से उनके स्थानान्तरण को लगभग दो वर्ष हो चुके हैं और तब से श्री कदम से मिलने या बातचीत करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि माननीय सदस्य को किसी पुरानी भ्रान्ति की वजह से कोई गलतफहमी हो गयी हो तो उसके लिये उन्हें खेद है। श्री देशराज सिंह ने यह भी निवेदन किया है कि माननीय सदन तथा उसके सदस्यों की गरिमा तथा आदर में कोई प्रतिकूल बात करने की चेष्टा भी उनके द्वारा असंभव है।

मैंने माननीय श्री कर्दम की शिकायत और इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री के पत्र के साथ प्राप्त श्री देशराज सिंह, रेजीडेंट आयुक्त, नई दिल्ली के स्पष्टीकरण पर विचार किया। माननीय सदस्य की शिकायत में पहला आरोप यह है कि 14 जून, 1982 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर तत्कालीन मुख्य मत्री को विदा करके लौटे तो उनके कुछ साथियों ने उन्हें बताया कि श्री देशराज सिंह ने उनके दो साथियों के समक्ष विधायकों एवं विधान सभा के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग किया था। दोषारोपित अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने सहयोगी श्री हर प्रसाद शर्मा से सहज वातावरण में वार्ता दौरान श्री आजाद कुमार कर्दम के बारे में जिक्र किया था, किन्तु उन्होंने माननीय विधान सभा और उसके सदस्यों की गरिमा तथा आदर के प्रतिकूल कोई बात कहे जाने का प्रतिवाद किया है। माननीय सदस्य का दूसरा आरोप यह है कि लौटते समय जब उन्होंने श्री देशराज सिंह से उनके द्वारा सदन और उसके सदस्यों के सम्बध में अपमानजनक बात कहे जाने के लिए विरोध प्रकट किया तो उक्त अधिकारी ने उनके तथा सदन के प्रति अपमानजनक बातें पुनः कहीं। इस प्रकार माननीय सदस्य की श्री देशराज सिंह से भेंटवार्ता का प्रयोजन उन्हें परोक्ष रूप से अपने साथियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित प्रथम आरोप के सम्बन्ध में पूछ-तांछ करना था, और उसका कोई सीधा सम्बन्ध सदन या उसकी किसी समिति के कार्य से नहीं था। इसके अतिरिक्त अपने दूसरे आरोप के समर्थन में माननीय सदस्य ने किसी प्रमाण का उल्लेख हीं किया है जबकि श्री देशराज सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उस दिन उनकी माननीय सदस्य से कोई बात नहीं हुई थी। इस मामले में विचार करने के उपरान्त मैं समझता हूं कि यह असंदिग्ध रूप से नहीं कहा जा

सकता कि दिनांक 14 जून, 1982 को रेजीडेंट आयुक्त, श्री देशराज सिंह ने माननीय श्री आजाद कुमार कईन से सदन या माननीय सदस्यों की मर्यादा के विरुद्ध कोई बात की थी। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री एस० एन० शुक्ल, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ० प्र० शासन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

इसी तरह से दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निर्णय इस प्रकार है—

श्रीमती किशोरी शुक्ला ने 16 अगस्त, 1982 को सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री एस० एन० शुक्ल के विरुद्ध विशेषाधिकार के एक मामले की सूचना दी थी। माननीया सदस्य का कहना है कि दिनांक 7 अगस्त, 1982 को तीन बजे वह सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कक्ष में गयीं तो उन्होंने न तो श्रीमती शुक्ला से बैठने को कहा और न ही शिष्टता से बात की तथा जब उन्होंने अपने क्षेत्र के एक पुल के बारे में पूछा तो उक्त सचिव ने नाराजगी के साथ कहा कि "आप लोग इसी प्रकार समय बेकार में नष्ट किया करते हैं।" शिकायत में कहा गया है कि माननीया सदस्य के यह बताने पर कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को अवगत कराना चाहती हैं, उक्त सचिव श्री शुक्ल ने जन प्रतिनिधियों के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, और श्रीमती शुक्ला के यह कहने पर कि ऐसी बात न करें नहीं तो विवश होकर विधान सभा में इस मामले को उठाना पड़ेगा, उक्त श्री शुक्ल ने बड़े ही गुस्से से जवाब दिया जिसका आशय यह था कि उन्हें विधान सभा का भय नहीं है। माननीया सदस्य का यह कहना है कि उक्त सचिव श्री एस०एन० शुक्ल के इस व्यवहार से उनका तथा उनके क्षेत्र का अपमान हुआ है।

इस सम्बन्ध में शासन से जानकारी प्राप्त की गयी, जिसके उत्तर में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने दिनांक 24 अगस्त, 1982 के पत्र के साथ उक्त श्री एस०एन० शुक्ल से प्राप्त स्पष्टीकरण को संलग्न करके भेजा है। श्री शुक्ल का कहना है कि सामान्यतया विधान मण्डल के माननीय सदस्य या तो स्वयं उनके कक्ष के अन्दर आते हैं अथवा पर्ची देने पर उन्हें तुरन्त अन्दर बुला लिया जाता है। दिनांक 23 अगस्त, 1982 के अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा है कि कुछ समय पूर्व माननीया श्रीमती शुक्ला उनसे मिलने आयीं थीं और उन्होंने एक अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण को निरस्त करने की अनुशंसा की थी और उसी समय उन्होंने पुल के बारे में भी कहा था तथा उनकी पूरी बात सुनकर उनको पूरी स्थिति बताते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वस्त कर दिया गया था।

जहां तक उनके प्रति लगाए गये आरोपों का प्रश्न है उन्होंने आगे कहा है कि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गयी है और उनकी 15 वर्ष की सेवा में इस प्रकार का लांछन उन पर कभी नहीं लगाया गया है। साथ ही उन्होंने यह सूचित किया है कि श्रीमती शुक्ल उनसे पुनः दिनांक 16 अगस्त, 1982 को उनके कक्ष में मिली थीं जिस समय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) तथा अन्य अधिकारियों के साथ वह विचार विमर्श कर रहे थे और इसके आधार पर अपने पक्ष में उन्होंने यह भी कहा है कि यदि प्रस्ताव में उनके द्वारा तथाकथित दुर्व्यवहार किया गया होता तो सम्भवतः माननीय सदस्य पुनः उनसे मिलने कदापि नहीं आतीं।

श्री अध्यक्ष

मैंने इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी तथ्यों पर उक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया। जो तथाकथित घटना शिकायत में कही गयी है वह सदन की या उसके किसी समिति की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। इसके अतिरिक्त, असंदिग्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे शब्द कहे भी गये हों, विशेष रूप से जबकि इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

अतएव, मैं इस सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के अपमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और इसे समाप्त करता हूं।

श्री आजाद कुमार कर्दम एवं श्रीमती किशोरी शुक्ला को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को निरस्त किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग

*श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष जी आप जो कुछ निर्णय देते हैं वह सिर झुका कर हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। आज तक जो भी आपने निर्णय दिया है उसे हम सभी ने सिर झुका कर स्वीकार किया है। एक मूल प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना होगा। माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है, इस सदन का कर्त्तव्य है। कर्दम जी ने एक प्रश्न उठाया उस पर आपने स्पष्टीकरण मांगा। माननीय सदस्य जो कुछ लिख कर देते हैं सदन में कहते हैं उसको सही माना जाता है। म0 0 सदस्य ने लिखकर दिया उसको यह कहकर अस्वीकार कहकर दिया गया कि उसके प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं है। देशराज सिंह ने जो स्पष्टीकरण दिया, कोई साक्ष्य नहीं था, उसे मान लिया गया। इसी प्रकार श्रीमती किशोरी शुक्ला की बात है। यह गम्भीर बात है इस पर विचार करना होगा। इसी प्रकार सदन के निर्णय होते रहे, थोड़ी सी टेक्निकलटी पर अस्वीकार कर दिया जाय, कैसे व्यवस्था स्थापित हो पायेगी, इस पर विचार करना होगा। इस पर विचार करने के उपरान्त ही निर्णय ले। इन्हें विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजना चाहिए था। मूल प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस पर कृपया विचार कर लें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

अभी आपने म0 आजाद कुमार कर्दम और इस प्रदेश के वरिष्ठतम आयुक्त श्री देशराज सिंह के बारे में अपना निर्णय सुनाया। आप सर्वोच्च पद और सर्वोच्च आसन पर विराजमान हैं। आपका कोई भी निर्णय होगा मस्तक झुकाकर स्वीकार करेंगे। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि देशराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से माननीय आजाद कुमार कर्दम को अपमानित किया है। जिस भी आधार पर जांच की गयी मैं इस सदन के सामने कहता हूं यह जांच झूठी है। यह बात सही है कि कर्दम को अपने कक्ष में बुलाकर साक्ष्य ले लेना चाहिए। बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कहते हैं कि देशराज सिंह ने कर्दम का अपमान किया। यह सदन आपके संरक्षण में चल रहा है अगर माननीय विधायकों को संरक्षण आपके आसन से नहीं मिलेगा तो भारत के किसी भी कोने में हम विधायकों को संरक्षण देने वाला नहीं मिलेगा।

(ताली)

आपसे और किसी माननीय विधायक से यह छुपा नहीं है कि प्रजातन्त्र में आई0ए0एस0 प्रधान शासन है। जो आई0ए0एस0 है वह प्रजातन्त्र का पुतला बनकर शासन कर रहा है। जो निर्णय आपने दिया उसका सदन सम्मान करता है। यदि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें और दोबारा साक्ष्य ले लें तो सम्पूर्ण सदन आपका कृतज्ञ होगा।

(ताली)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती किशोरी शुक्ला का मामला है, पता नहीं माननीय सदस्या यहां हैं या नहीं हैं। उस महिला के खून के आंसू बह रहे थे। जिस तरह से एक अयुक्त स्तर के अधिकारी ने उसका अपमान किया वह बहुत ही शर्म की बात है। मान्यवर, मैंने फरियाद आपके पास तक पहुंचा दी, उसके बाद सरकारी आफिसरों द्वारा रिपोर्ट आई, अपने निर्णय दे दिया। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बात सुन लिया करें। 426 सदस्यों का सदन है। सर्वदलीय एक जांच कमेटी बनाकर आप इसे सुनें।

श्री अनवार खां—

मान्यवर, मैं माननीय श्री आजाद कुमार कर्दम की शिकायत से पूरी तरह से सहमत हूं। श्री देशराज सिंह का जो बर्ताव करने का तरीका है पूरा सदन उसको जानता है। वह सदन में एक बार उनके सामने आए भी थे तथा बैठे भी थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

वह एक भ्रष्ट आदमी है।

श्री अनवार खां—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आज इजाजत दें तो मैं एक शेर कहना चाहता हूं—

वह बेवफा, मगरूर व कातिल है,
मगर खुदा की कसम देखने काबिल है।

मान्यवर, मैं, श्री श्याम लाल बाजपेयी तथा भीखालाल जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा मांग करता हूं कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में मैं नियम 63, जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले का निराकरण है, का उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, आप भी उसे देखने का कष्ट करें। मान्यवर, इस अधिकारी के कारन मे यह सदन खुद जानता है। मान्यवर, इस सदन में अगर उनकी पृष्ठ-भूमि रही है, किसी आदमी से गलती होती है, तो उसकी गलत पृष्ठ-भूमि को देखना पड़ता है उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, सदन इसको व्यक्तिगत रूप से जानता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 65-ग्राह्यता की शर्तें, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें जो अन्त में परन्तुक लगा है 'यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे। यह उस समय है यदि हमारी विशेषाधिकार के अवहेलना की कोई सूचना सदन के किसी दूसरे सदस्य के बारे में हो। हम सदन के बाहर किसी सदस्य को जब कोई सूचना देते हैं, उसमें आपको केवल प्रगदर्शन देना है। श्रीमती किशोरी शुक्ला जब इस सदन में आई थीं, तो माननीय सदस्य ने उसे ग्राह्यता-प्रगदर्शन बनाया था उस समय सदन एक मत था प्रगदर्शन में। सदन ने विशेषाधिकार समिति का गठन कर रखा है, अगर कोई बात आवश्यक हो, तो साक्ष्य भी ले सकती है, जूरिस्प्रूडेंस मे भी यह है। वह साक्ष्य कितना वैलिड है और उसकी क्या हैसियत है यह भी देखना पड़ता है। श्रीमन्, यह परम्परा रही है कि इस सदन में जो कहा जाता है उसे सही माना जाता है। सदन की शिकायत ठीक मानी जायेगी। विशेषाधिकार समिति को निदेश दें कि साक्ष्य सही है। इसलिए मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था सर आंखों पर है तथा हमारे नियम में भी यह है। आज इस स्तर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करके दोनों मामले विशेषाधिकार समिति को निर्देशित करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, अभी विशेषाधिकार के दो मामले पढ़े गये उसमें चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों को जो राय हो उससे मैं सम्बद्ध हूं। आज विधायकों को बड़ी दयनीय स्थिति अधिकारियों के सामने है। लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपका आदेश हो गया तो उस पर आप चर्चा कैसे करा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा कर आप लोग बैठ जायें।

माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है तो जो मैंने निर्णय दे दिया है उस पर किसी माननीय सदस्य को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उस पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जो सिद्धान्तों की बातें मा0 सदस्य कह रहे हैं तो मैं आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक श्री करीम का सवाल है तो वह एक दिन मिलने के लिए आये थे, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं अधिक से अधिक समय तक अपने चैम्बर में बैठता हूं। मा0 सदस्या किशोरी शुक्ला ने किसी समय इन 4-5 महीनों के दौरान मुझसे कुछ नहीं कहा और न इसके बारे में कोई पत्र लिखा है और न किसी माननीय सदस्य द्वारा यह बात कहलवाई। लेकिन मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि भविष्य में जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है उस पर पूरे तरीके से ध्यान दिया जायगा और जिन मा0 सदस्यों ने इस प्रकार से लिखकर भेजा है वह स्वयं मेरे पास आ सकते हैं और बता सकते हैं। यदि नहीं बताते हैं और समय निकल जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पास और क्या चारा रह जाता है। इसलिए इन तमाम चीजों के बारे में भविष्य में एवं विशेषाधिकार के जो और प्रश्न हैं उनके बारे में सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जैसा कि श्री भोला लाल एवं अन्य मा0 सदस्यों ने जिक्र किया है मैं खासतौर से निर्णय देते समय उन पर विचार करूंगा।

श्री अनवार खां—

मान्यवर, इसमें पुनर्विचार कर लें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, आपने एक बात कही कि मा0 किशोरी शुक्ला ने किसी से कुछ नहीं कहा तो मैं आपके समक्ष, सर्वोच्च आसन के सामने मिथ्या कहना सबसे बड़ा पाप समझता हूं, इसलिए सत्य कह रहा हूं कि उस सम्मानित सदस्या ने मा0 अम्मार रिजवी बैठे हैं के समक्ष खून के आंसू रो-रो कर कहा है। सारे सम्मानित सदस्यों से कहा है। आज उत्तर प्रदेश में विधायकों का अपमान करने का अधिकारियों को रोग बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार निर्णय होंगे तो यह रोग और बढ़ता जायगा, इसलिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें और सदन के 5 या 7 सदस्यों की एक समिति बना दें जो इस पर रिपोर्ट दे अधिकारियों की रिपोर्ट पर आप विश्वास न करें यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, विशेषाधिकार का हमारा और श्री माता प्रसाद पाण्डेय का मामला पिछले सत्र का पड़ा है। मैं चाहता हूं कि उन पर निर्णय आप दे दें।

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने यह घोषणा कर दी थी, आप शायद नहीं थे कि इस माह में हमारे पास जितने भी इस विषय से सम्बन्धित मामले पड़े हैं उन सब पर अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जैसा कि आपने अभी निर्णय सुनाते समय कहा कि श्री आजाद कुमार कर्दम व श्रीमती किशोरी शुक्ला लिखित शिकायत देने के बाद आपके चेम्बर मे नहीं, इसलिए . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने यह नहीं कहा जो आपने आशय लिया, मैंने तो यह कहा कि उनको हमसे मिलने व पत्र आदि लिखकर अपनी स्थिति के बारे में बताने के अधिकार हैं। (शोर) अब आप लोग बैठिए, शान्त रहें मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं बोलने की।

(शोर)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, उन लोगों ने अपने अधिकारों के तहत तो शिकायत लिखकर दी थी, फिर आपने कहा कि वह लोग आपके चैम्बर मे नहीं आये तो क्या इस प्रकार हम लोगों के मामले जो विशेषाधिकार से सम्बन्धित हैं, आपके चेम्बर में आकर मिलना आवश्यक है? हम लोग तो यह अब तक समझते रहे कि हमने शिकायत आपके पास मान्यवर, भेज दी उसके बाद किसी भी तरह का हमारा कोई उस मामले में हस्तक्षेप न हो। तो मान्यवर, अब हम लोगों को तो आवश्यकता नहीं है, आपके चैम्बर मे आने की?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। अब आप लोग शान्त रहें।

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक 1980, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन के प्रस्ताव लिए जायेंगे।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, पुरःस्थापन के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

आप यह काफी देर से कह रहे हैं। मैंने दूसरा आइटम ले लिया। आप को पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, फिर भी आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैंने नियम 56 ले लिया है।

नियम 56 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य इनकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में यदि बोलना चाहते हैं कि इन्हें स्वीकार किया जाय या नहीं तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षेप में 2-3 मिनट में अपनी बात कह लें। उसके बाद मैं निर्णय दे सकूंगा कि आपकी बात कहां तक सही है और इसे स्वीकार किया जाय या नहीं।

पहला सूचना श्री मोहन सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री सूबेदार सिंह श्री यशपाल सिंह गहलौत, श्री राम असरे वर्मा, श्री ऊदल, श्री सरदार सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का दिनांक 18-3-82 को मुजफ्फरनगर में करन सिंह नामक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है।

---

†दिनांक 9 फरवरी, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, दिनांक 18 जनवरी, 83 को मुजफ्फरनगर में करन सिंह नामक एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या इस कारण कर दी गयी है कि मृतक करन सिंह भूतपूर्व मुख्य मन्त्री (वर्तमान वाणिज्य मन्त्री,केन्द्र सरकार) श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन्मय भूमिका अदा कर रहा था और मुजफ्फरनगर के एक मन्त्री जिनका विभाग माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, द्वारा कई बार बदला गया था, इस कार्यक्रम को असफल करने में लगे थे। 18 तारीख को रात के लगभग साढ़े आठ बजे जब मृतक करन सिंह कांग्रेस (इ) के विधायक श्री सुखबीर सिंह गहलोत के साथ विधायक श्री नकली सिंह के मकान से मोटरसाइकिल मेरठ के लिए प्रस्थान कर चुके थे, रास्ते में रामवीर सिंह नाम के एक कुख्यात अपराधी ने ट्रक लगाकर उनका रास्ता घेर लिया और जब म0 विधायक श्री नकली सिंह ने आकर हस्तक्षेप किया तो रामवीर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से उनको जान से मारने की नीयत से फायर किया जो श्री नकली सिंह को न लगकर मृतक करन सिंह को लगी जिससे वह जख्मी हो गये और बाद में मर गये। रिवाल्वर की शेष गोलियां बाकी लोगों पर दागी गयीं जो किसी प्रकार बच निकले परन्तु मौके पर खड़ी कार में कई गोलियां लगीं। यदि श्री नकली सिंह के अंगरक्षक ने गोली चलाकर अपराधी रामवीर सिंह को जख्मी न किया होता तो न जाने कितने व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ता। अपराधी यद्यपि मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया परन्तु स्थानीय मन्त्री के निर्देशों के अनुसार पुलिस ने 18 घंटे तक रोजनामचा एवं अन्य अभिलेख रोके रखे और पेशबन्दी के लिए अपराधी की ओर से विधायकों एवं उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध धारा 307 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। यह सर्वविदित है कि काफी समय से मुजफ्फरनगर में शासकीय दल दो गुटों में बंटा है और गत दो वर्षों में वहां पर दर्जनों राजनैतिक हत्याएं हो चुकी हैं।

मुजफ्फरनगर के स्थानीय मन्त्री जनपद एवं बाहर के अवांछनीय तत्वों को संरक्षण देकर राजनैतिक हत्यायें करते हैं। देश की समस्त पत्र-पत्रिकाओं में उनकी ये करतूतें छप चुकी हैं। आज इस जनपद में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। किसी भी सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ता का जीवन सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी विशेषतः पुलिस अधिकारी एकदम पंगु हो चुके हैं। समस्त प्रशासन प्रायः ठप्प है। हत्यारों एवं डकैतों को मन्त्रियों का संरक्षण मिलने के कारण समस्त जनपद में एक आतंक का वातावरण व्याप्त है। अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर घटना पर चर्चा कराई जाय। तो इस देश में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को हम कैसे रोक पायेंगे इसलिए यह महत्वपूर्ण है इसलिए इसमें आप सदन की कार्यवाही रुकवा कर इस पर विचार करवा दें क्योंकि इसमें एक मन्त्री का हाथ है।

*श्री सुखबीर सिंह गहलोत—

मान्यवर, मुझे समय दिया जाय क्योंकि यह मुझसे सम्बन्धित मामला है। 18 तारीख को सुबह 7-30 बजे माननीय मु0पू0 मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सहारनपुर जा रहे थे तो मैंने नीलोत में उनका स्वागत किया। उनका स्वागत करने के बाद बड़ौत में मैं 4 बजे तक रहा। वहां का ए0ओ0 भी साथ में था। हम दोनों ने वहां साथ ही चाय पी। 7 बजे के करीब मैं श्री नकली सिंह विधायक के घर आ गया। मेरे साथ श्री करन सिंह भी थे। 7-30 बजे के करीब मैंने वहां पर खाना खाया। करन सिंह और नकली सिंह वहां रह गये थे और मैं गाजियाबाद आ रहा था। रास्ते में सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था उसमें एक गुण्डा भी था। ड्राईवर ने ट्रक हटाने के लिए कहा। उसने ट्रक नहीं हटाई और गाली देने लगा उसके बाद रिवाल्वर से फायर कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखवीर सिंह गहलोत]

दिया। गोली का आवाज सुनकर हमने बचाओ-बचाओ की आवाज लगाई आगे करन सिंह थे, बीच में उनका शैडो था और फिर नकली सिंह थे। रामवीर ने दो फायर नकली सिंह के ऊपर किए, एक गोली करन सिंह को लगी। शैडो ने भी फायर किया, जिससे एक गोली रामवीर के पैर में लगी। ठाकुर नकली सिंह करन सिंह को लेकर अस्पताल चले गये थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और कहा कि यह दो बदमाश हैं। उसके बाद हम अस्पताल चले गये हमारे भाई थाने में एफ0आई0आर0 लिखाने को लिए गये। वे वहां 12 बजे तक रहे कोई रिपोर्ट बदमाशों की ओर से नहीं दर्ज कराई गयी। दूसरे दिन 307 के अन्तर्गत रिपोर्ट हमारे खिलाफ लिखाई गयी। घर से रामवीर को कई आदमियों के सामने घर से पकड़ ले गये।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्री सुखवीर सिंह गहलोत—

हमारे दो साथी जो 307 में मुलजिम हैं 19 तारीख को गवाह बनाये। रात के लगभग 12 बजे तार दिया गया कि रामवीर को घर से पकड़ कर ले गये और हमारी एफ0आई0आर0 नहीं लिख रहे हैं। मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, आपको कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इस सारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जा रही है। डी0आई0डी0 (क्रिमिनल) और सी0आई0डी0 वहां पर भेजे गए हैं। एस0 पी0 (सी0आई0डी0) को वहां पर डेप्यूट कर दिया गया है। इसमें इस बात का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसमें हमारे दो विधायकों का मामला है।

श्री मोहन सिंह—

और साथ में एक मन्त्री का भी तो मामला है।

श्री अम्मार रिजवी—

प्रयास यही है कि इसकी शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट आ जाय। इसके जो भी तथ्य छिपाए गए हैं, उनको सामने लाया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

इसका मैं बाद में निर्णय दूंगा।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों तथा आपको यह जानकारी है कि प्रदेश में पिछले चार वर्षों से सूखा और बाढ़ से किसानों की फसल का एक दाना भी उनके घरों में नहीं पहुंचा है। किसानों के घरों में फसल का एक दाना नहीं पहुंचा है। आज हम सदन में यहां बैठकर सदन की कार्यवाही चला रहे हैं और बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में बराबर भुखमरी फैली हुई है और लोगों के खाने पीने के लिए अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। राहत के जो कार्य हैं वह भी रुके हुए हैं और एक भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जो गरीब मजदूर हैं वह महंगाई के कारण और बाजार के भाव बहुत बढ़ने के कारण कोई भी सामग्री खरीद नहीं पा रहे हैं। इधर समाचार पत्रों में बांदा, ललितपुर और झांसी के कई लोगों के मरने के सामाचार भी मिले हैं। सरकार ने जो व्यवस्था की है वह पूरी तरह से असफल है। शासन की कार्ड व्यवस्था है वह भी असफल है। माननीय मन्त्री जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्वासन दिया था कि सहकारी दूकानें खोली जायेंगी, लेकिन वह भी नहीं खोली गयीं हैं।

आज मान्यवर. ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है। सदन की कार्यवाही यहां पर चल रही है और बुन्देलखण्ड में लोग रोटी के लिए भूखों मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की जाय और यह प्रदेश सरकार और निकम्मी सरकार जिसके शासन काल में रोटी के लिए लोग भूखों मर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि यह शासन इस बात का आश्वासन दे और इस बात की व्यवस्था करे कि लोगों को राहत कार्य मिल सके और वे भुखमरी से बच सकें। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर. स्थिति बहुत ही गम्भीर है जिसका सरकार को कोई अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति मान्यवर, 1980 में आई थी और उस समय जनता शासन था और उसने जगह-जगह पर राहत कार्य प्रारम्भ करवा दिया था, लेकिन इस सरकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं है कि दो पैसे का कार्य हो रहा हो। किसानों के पास पैसा नहीं है लोग भूखों मर रहे है। देहात में गेहूं क्या ज्वार भी नहीं ढूढें मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में तुरन्त व्यवस्था अगर नहीं की गयी, लोगों को गल्ला न दिया गया तो स्थिति बहुत ही खराब हो जायगी। बुन्देलखण्ड की स्थिति और भी गम्भीर है। इस ओर शासन का ध्यान शीघ्र जाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, भुखमरी फैली हुई है, लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन इस सरकार का कोई प्रबन्ध नहीं है. . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी, आप बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय खाद्य मन्त्री जी खड़े हैं।

(श्री विष्ट के बोलते रहने पर)

यह लिखा नहीं जायगा। कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्टों-

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

श्री विष्ट जी, आप कृपा करके बैठें। यह मामला बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित है आप बैठें।

(1 बजकर 20 मिनट)--

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वही चिन्ता सरकार की भी है. . . . . .

(व्यवधान)

आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मझे कुछ नहीं कहना है।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कृपया सुनिए।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, गेहूं की कमी का जो मामला था उसके लिए कई उपाय किए गये। ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 17 हजार मैट्रिक टन गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डाल दिया गया।. . . .

(व्यवधान)

मान्यवर 21 हजार मैट्रिक टन गेहूं जो मिला उसका मिलों से आटा बनाकर . . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शान्त रहें।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, 45 हजार मैट्रिक टन जो गेहूं मिला था तो जब शीत लहरी चली उसे हमने अपने प्रबन्ध से 40 हजार मैट्रिक टन और बढ़ा दिया। केन्द्र से 10 हजार मैट्रिक टन हमने और लिया और फरवरी में 90 हजार मैट्रिक टन. . .

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह और श्री मु0 आजम खां के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी खड़े हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, आपके द्वारा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार से 70 हजार मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक बुन्देलखण्ड का सवाल है सिर्फ बांदा जिले में 40 लाख . . . .

(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हवाबाजी से काम नहीं चलेगा।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र का सदस्य हूं। वहां लोग भूख से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है। उसे हमने नियम 301 में ले लिया है इसलिए उसे अस्वीकार किया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यह भुखमरी का सवाल है। मैं खाद्य मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।. . . .

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

प्रोफेसर वासुदेव सिंह से स्पष्टीकरण की बात नहीं है, वे आचार्य हैं, चाणक्य हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, खाद्य मन्त्री जी ने जो विवरण दिया है उसके बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन एक जानकारी देना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के पांचों जनपदों में जो वितरण की व्यवस्था है वह पूरी तरह से असफल रही है।

हमारे यहां गांव में राशन कार्डों की व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

आपके नेता श्री वाजपेयी जी ने त्याग पत्र दे दिया है उनकी व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण दे रहे हैं। आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ? मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

हमारा क्षेत्र गरीब और पिछड़ा है, वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है ।. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं अगला आइटम ले रहा हूं ।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 सदस्य आज मुझे सूचना दे रहे हैं मुझे पिछले महीने की 11 तारीख को सूचना मिली है। उस पर कार्यवाही चल रही है। माननीय सदस्य ने जिस अखबार की खबर पढ़ी हैं उसको एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर)

अगर इस प्रकार समय लिया जायगा तो बाकी काम किस प्रकार होगा, आप जरा सोचिए। आप बोल लिए उसके बाद शंकर सिंह जी बोल लिए जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया। इसको अब मेरे ऊपर छोड़ें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने ग्राह्यता के सम्बन्ध में कारण बता दिए। हमें नियमों के अनुसार चलना है।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का जो प्रश्न है वह नियम 301 में स्वीकार हो गया है उसके बाद चर्चा की कोई बात नहीं है। श्री सूबेदार सिंह जी का भी इसी में है।

*राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, एक बात सुन लें। नियम 301 में सूचना आने में 5, 6 महीने लग जायेंगे। मान्यवर, महोली के गेट पर जब किसान पैसा नगद मांगने आये थे तो उन पर गोलियां चलाई गयीं। वहां पर कोई उपद्रव नहीं हो रहा था, न कोई हिंसा हो रही थी। किसान केवल इतना कह रहे थे कि हमें गन्ने का नगद दिया जाय। वहां के जो सचिव श्री सिंह हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे इसी पर गुस्सा होकर गोली चला दी जिसमें 32 आदमी 307 में बन्द कर दिए गये। उनको लाठियों और बन्दूकों के कुन्दों से पीटा गया। मैंने वहां जाकर खुद देखा है। इसलिए जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उनकी जांच कराई जाय । यह अहम सवाल है इसको अगर कार्य-स्थगन में स्वीकार नहीं करते हैं तो नियम 51 में वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री जी, आपको क्या कहना है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मैं बिना वक्तव्य के वक्तव्य देने के लिए खड़ा हो गया हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुलाया है आपका विषय समाप्त हो गया है यह दूसरा आइटम है जिस पर बात हो रही है।

श्री अम्मार रिजवी—

मेरे मित्र माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं कि आप उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें ताकि सारे तथ्य सामने आ जायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। पांचवां श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी का है। लेकिन वह यहां पर नहीं हैं।

छठा श्री राधेश्याम पटेल, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री हुकम सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री हरगोविन्द वर्मा का है। इनमें से केवल एक बोल सकेंगे। वह ग्राह्यता के बारे में बतायें कि क्यों इसे स्वीकार किया जाय।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के थाना उतरांव सराय ममरेज में 7, 8 गांवों में 25 ता0 से लेकर 29 ता0 तक वहां के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिल करके शासन व्यवस्था को समाप्त कर दरिंदगी और लूटपाट की है। वहां पर विपक्ष के ही नहीं पक्ष के लोगों ने भी जाकर देखा है, उन्होंने वहां पर भाषण दिए हैं और वहां पर उन्होंने कलेक्टर और एस0एस0पी0 की उपस्थिति में बताया है कि यहां शासन का सिर झुक जाता है, यहां इनकी कुख्यात दरिन्दगी को देखने से। वहां पर सैकड़ों बोरा गेहूं, चावल, तेल, तिलहन नष्ट कर दिया गया है। घरों को आग लगा दी गयी है। लोगों के कीमती जेवर व कीमती बर्तन आदि लूट लिए गये हैं। वहां के क्षेत्राधिकारी श्री रामशिरोमणि मिश्र ने बैठकर पुलिस और असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने लोगों से जेवरों, कीमती सामानों और नगदी को लुटवाया है। मैं संक्षेप में इस घटना के बारे में कहना चाहता हूं कि 23–1–83 की रात्रि 11 बजे फूलपुर थानान्तर्गत गोरिगो ग्राम से रामकृपाल व मूल चन्द का अपहरण अराजक तत्वों ने पुलिस की सांठ-गांठ से किया। ग्रामीणों ने राम कृपाल व मूलचन्द की तलाश की और पता न लगने पर 24–1–83 को अपहरणकर्ताओं के गांव सेमरी गये तथा पूछतांछ की। अपहरण कर्ताओं ने फायर किया तथा चेतावनी दी कि वे रामकृपाल व मूल चन्द को मार डालेंगे इससे क्रुद्ध होकर ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं के घर में आग लगा दी। इसके बाद उप पुलिस अधीक्षक राम शिरोमणि मिश्र जो इस डकैत गिरोह के रिश्तेदार बताए जाते हैं अपराधियों की कुर्की के नाम पर इनके गांव गये.

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके इसे पढ़ें नहीं। सारांश बतायें कि यह क्यों स्वीकार होना चाहिए।

श्री राधेश्याम पटेल—

हम संक्षेप में ही बता रहे हैं। राम शिरोमणि इन अपराधियों से मिले हुए हैं . . . .

(व्यवधान)

(फिर पढ़ने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको पढ़ने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने आपकी बात को सुन लिया है। लिखा हुआ तो मेरे पास है।

श्री राधेश्याम पटेल—

पुलिस कर्मियों तथा अराजक तत्वों को साथ लेकर सैकड़ों बोरा गेहूं, चावल, उर्द, दाल, तिलहन किसानों के घर से लूटकर कुआं. . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

देखिए मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। ग्राह्यता पर बोलिए कि क्यों स्वीकार हो। मैंने आपकी बात को सुन लिया है। अब कृपा करके आप बैठिए।

(व्यवधान)

मैंने आपकी बात को पूरी तरह सुन लिया है। आप कृपा करके बैठें, यह इस तरह इतना समय लिया गया इसके लिए तो कैसे कार्यवाही हो सकेगी ? माननीय संसदीय कार्य मन्त्री. . . . .

(व्यवधान)

श्री अम्जार रिजवी—

राधेश्याम पटेल जी ने जो आपके सामने प्रश्न रखा है। इसमें जो कार्यवाही की गयी है, मैं उसको आपके द्वारा इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं। इसमें दो पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गये हैं, दो सब-इंस्पेक्टर लाइन हाजिर किए गये हैं, एक हेड-कांस्टेबिल का ट्रांसफर किया गया है तथा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठा दी गयी है। उसकी रिपोर्ट आ जाय तो जो और भी कार्यवाही अपेक्षित होगी, वह भी की जायगी. . . .

(अगली सूचना लेने पर—व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

पुलिस उप अधीक्षक जिसने यह सारा जुल्म किया है और जिसने कराया है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह बहुत गलत बात है, सरकार उनको बचाना चाहती है.

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी खड़ा हुआ हूं, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप बैठ जाइए। नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त होती हैं, उसके लिए मैंने यह जो पद्धति अपनाई है, उसमें इसी तरह से होता रहा तो सदन का पूरा समय तो इसी में समाप्त हो जायगा।

माननीय सदस्यों को केवल ग्राह्यता पर ही अपनी बात एक दो मिनट में कहना चाहिए। पटेल जी की बात को मैंने सुन लिया है, अब और कहने की किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, मा० सदस्य कृपया बैठें।

(व्यवधान)

7वीं सूचना माननीय कुबेर भण्डारी की है और माननीय श्याम नारायण तिवारी की है—गन्ना किसानों का मूल्य न दिए जाने के बारे में। नियम 52 के अन्तर्गत इस पर चर्चा स्वीकार हो चुकी है, अतः इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

8वीं सूचना सर्वश्री हरिवंश सहाय व नन्द किशोर सिंह की है। गोरखपुर मण्डल से गेहूं चीन जाने के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री हरिवंश सहाय—

अध्यक्ष जी, गोरखपुर मण्डल से प्रति दिन हजारों बोरा गेहूं और चावल बिहार होते हुए चीन जा रहा है। पिछले दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में 9 लाख रुपया का गेहूं और चावल बाहर जाते हुए पकड़ा भी गया। स्मगलर लोग दिल्ली से परमिट लेते हैं, फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिवंश सहाय]

हवाई जहाज से गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि से गेहूं खरीदते हैं और आसाम की तरफ ले जाते हैं। फर्जी परमिट लाते हैं। इसके कारण पूर्वांचल में आज गेहूं 3–4 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। आर0एफ0सी0 के लोग भी स्मगलरों से मिले हुए हैं। इसे आप स्वीकार करने का कष्ट करें। इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री वासुदेव सिंह—

क्या गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में इतना ज्यादा गेहूं पैदा हुआ है जो वहां से चीन जा रहा है और अभाव की स्थिति भी वहां है? मुझे यह मालूम है कि पिछले वर्ष कितना पैदा हुआ और हमें कितना प्राप्त हुआ यह मामला ऐसा है कि माननीय सदस्य अगर चुपके से मुझे बता दें, मैं अवश्य उस पर तुरन्त कार्यवाही करूंगा, लेकिन विधान सभा में उसे कहने से समस्या हल नहीं होगी। मैंने माननीय हरिवंश सहाय जी से भी कहा है कि वे मुझे कृपया बता दें। मैं उनको सन्तुष्ट कर दूंगा।

श्री हरिवंश सहाय—

कृपया एक मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। कृपया बैठें।

एक 9वीं सूचना और है माननीय राम सागर, माननीय जमुना प्रसाद, माननीय विजय सिंह राना की–बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न असन्तोष के बारे में। बिजली के बारे में भी नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर ली गयी है। जब उस पर चर्चा होगी आप अपनी बात कह सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम सागर—

सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं और सरकार की नीति किसान विरोधी बनती जा रही है। किसान को बिजली की सप्लाई भी नहीं मिल रही है। यह सवाल सारे जन-जीवन से सम्बन्धित है। और मान्यवर, यह कल से विद्युत् उपभोक्ता संघ, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने अनशन पर भी बैठ गया है। मान्यवर, यह मामला जो है प्रदेश के जन जीवन से सम्बन्धित है, लोक महत्व का है, मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय माता प्रसाद पांडेय की सूचना बस्ती जनपद के तहसील, नौगढ़ डुमरियागंज, बांसी में दैवी आपदा से क्षति के सम्बन्ध में है।

*श्री माता प्रसाद पांडे—

मान्यवर, अभी सदन में चर्चा हुई कि बुन्देलखण्ड में भुखमरी है। मान्यवर, हमारे जनपद में पिछले वर्ष से लगातार ओला और बाढ़ से वहां के लोग त्रस्त रहे हैं। यही नहीं पिछली जनवरी के महीने में जो राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत गल्ला उपलब्ध कराया गया था, मान्यवर, कोई काम वहां पर नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मेरे क्षेत्र में लोग भूख से मरे हैं। मान्यवर, जब वह भूख से मरें और हम सदन में बैठे रहें, यह कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन है, कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातों को सुना। नियम 56 में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूं, केवल श्री मोहन सिंह आदि को सूचना के ही विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और यदि आवश्यकता हुई तो चर्चा भी इस पर की जा सकती है। जहां तक राजेन्द्र अग्निहोत्री और शंकर सिंह का प्रश्न है, यह प्रदेश के कई भागों में विशेष कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पांच जनपदों में दैवी आपदाओं के कारण भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दे दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा, बशर्ते अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की जो परिभाषा है, जो नियम में है, उस नियम के आधार पर आप दें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, नियम 52 में इसको भी आप ले लें।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, अकबाल हुसैन, श्री सूबेदार सिंह की सूचना जो महोली, जनपद सीतापुर में गन्ना किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली वर्षा के सम्बन्ध में है, मैंने विषय को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। श्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी आये नहीं थे, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया है। गोरखपुर मण्डल से गेहूं चीन जाने के सम्बन्ध में जो सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्दकिशोर सिंह ने दिया है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं। श्री राम सागर, श्री जमुना प्रसाद, श्री विजय सिंह राना ने जो बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में दिया है, इस विषय पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार की जा चुकी है। 10वीं माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जनपद के तहसील, नौगढ़ डुमरियागंज बांसी में दैवी आपदा से क्षति के सम्बन्ध में सूचना है, मैं उसको भी अस्वीकार करता हूं।

(नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

श्री सुग्रीव सिंह—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दिया था, उसमें मान्यवर, क्या हुआ?

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने नेता विरोधी दल को पुकार लिया है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन, यह मैं कल कह चुका हूं कि इटावा के एस0एस0पी0 श्री रतूड़ी का नैकसे और हत्यारे से सीधा सम्बन्ध है, मुलाकातें हैं, श्रीमन, यह मेरा एलीगेशन है।

श्रीमन्, एक दो उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। जो 12–1–82 को एक दिन थाने के अन्दर अपहरण हुआ। नैकसे गिरोह का इसमें हाथ था। सन्तोषा जो उसका मांजा है उसके खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 है लेकिन पुलिस ने कोई ऐक्शन नहीं लिया बल्कि उल्टे इस सन्तोषा को 28–1–82 को के0के0एल0 डिग्री कालेज में दाखिला कराया। वहां अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा था। इसी के नाते कि यह स्टूडेंट्स लीडर बनकर जायगा तो हमारे सामने जनता को भ्रम देने की बात हो जायगी कि इसको अरेस्ट कैसे करें यह तो स्टूडेंट्स लीडर है। वहां चुनाव हुआ और वह हार गया। 25–3–82 को उसी कालेज के कम्पाउन्ड में एक स्टूडेंट का मर्डर उसने किया। लोकल पुलिस कोई कार्यवाही

---

†7 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

[श्री राजेंद्र सिंह]

नहीं कर रही थी लेकिन जब मैटर सी0आई0डी0 को सुपुर्द किया गया तो वह अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने जेल से अपनी जमानत करायी। जेल से जमानत मर्डर वाली हुई तो उसी बीच में जो अपहरण वाला केस था उसमें उस शख्श ने जमानत करायी। मेरा कहना यह है कि जब कोई आदमी अपहरण के केस में नेम्ड है, शासन से कोई आदेश नहीं था, अगर आदेश था कि कार्यवाही को रोककर कोई दूसरी इंक्वायरी कराई जाय तब तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन उसको कालेज के अन्दर दाखिल कराया गया ताकि वह स्टूडेंट्स लीडर बन जाय तो मेरा एलीगेशन है कि इसमें मिस्टर रतूड़ी अपना सम्बन्ध सन्तोषा और नैक्से गैंग से रखे हैं। इसी काण्ड के एक उमेश मिश्रा हैं। 1-1-82 को दो व्यक्तियों को, नरेन्द्र सिंह को और उमेश मिश्रा को इटावा पुलिस ने पकड़ा था।

(इस समय 1 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

हमको सूचना यह थी कि उमेश मिश्रा एस0एस0पी0 का आदमी था। नरेन्द्र सिंह को उसी ने पकड़वाया था और सरेंडर करने आ रहे थे। मान लीजिए वह पकड़ा गया लेकिन इसमें भी डिस्टिंग्विश किया गया। दोनों को एक साथ पकड़ा गया नरेन्द्र सिंह और उमेश मिश्रा को। एस0एस0पी0 की पुलिस उमेश मिश्रा का चालान करती है सिपिल 216 में और नरेन्द्र सिंह का चालान 216(ए) में किया गया जाता है। यह मेरा कहना है कि उमेश मिश्रा से भी सीधा सम्बन्ध एस0एस0पी0 का था। जिसको 216 में अरेस्ट किया गया और वह दूसरे दिन छूट गया। नरेन्द्र सिंह को लम्बा फंसाना था इसलिए उसका चालान 216(ए) में पुलिस ने किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि उसको 216 (ए) में क्यों पकड़ा गया लेकिन उमेश मिश्रा नैक्से गिरोह का था उससे उनका सीधा सम्बन्ध है। श्रीमन्, अब इसमें थोड़ी सी बात आती है कि यह क्या जरूरत पड़ी थी, जब यह काण्ड हुआ पहली तारीख को, मुख्य मन्त्री 3 तारीख को वहां गये, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है। हमारे दल के अध्यक्ष भी 3 तारीख की शाम को पहुंचे थे। कोई मांग एस0 एस0पी0 के ट्रांसफर की नहीं हुई थी लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने आगरा में प्रेस वालों के सामने कहा कि इस हत्या काण्ड के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किया जायगा। यह उनके दिमाग की उपज नहीं थी। उनके साथ जहां के सीनियर मन्त्री जी भी थे। डी0आई0जी0 भी साथ में थे। डी0आई0जी0 ने उनके कान में कह दिया ठीक है अगर मांग होती तो आप कहते। दूसरे मेरा कहना है कि इस आदमी का दो बार ट्रांसफर हुआ। दोनों बार रोका गया, रोका नहीं गया बल्कि दोनों बार राजनीतिक दबाव से रुकवाया गया। यह भी एक एलीगेशन है। हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए थी। इस शख्स की जांच विजीलेंस भी कर रहा है।

श्रीमन, बात एक और है कुछ व्यक्तियों ने एस0एस0पी0 के खिलाफ सीधे एलीगेशन लगाये जिसमें नैक्से से सम्बन्ध रखने की बात भी थी और भ्रष्टाचार की बात थी वह शिकायत दिया वहां के एडीशनल आई0जी0 को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कार्य-प्रणाली की बात देखिए कि वह शिकायत पुलिस विभाग की रतूड़ी के पास पहुंच गयी इंक्वायरी के लिए और जो शिकायतकर्त्ता हैं उनको वह लेटर लिखाकर बुला रहे हैं कि आपको क्या कहना है। यह कार्य-प्रणाली इस प्रदेश की है, यह व्यवस्था है श्रीमान इस प्रकार प्रश्रय दिया जा रहा है रतूड़ी के गलत कामों को।

श्रीमन्, इसके बाद मेरा निवेदन है और मेरा एलीगेशन है कि जो बेहटा रजपुरा काण्ड हुआ है उसमें वहां के थानेदार का हाथ है, उसके संरक्षण में यह सब हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसको मारा है, जिसने हत्याकाण्ड किया है—चेंला वे एस0 ओ0 के यहां पर तीन माह से काम करता है, उसके फार्म पर। खासकर उसी दिन ए0ओ0 तीन दिन के

लिए छुट्टी पर चला गया यह आप अपनी इंक्वारी से पता कर लेंगे कि हमारा ऐलीगेशन किस हद तक सच है। रतूड़ी के विरुद्ध मैंने इस सदन में एक साल पहले आरोप लगाया था माननीय राज्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं जो उस समय सर्वेसर्वा थे, आज तक शासन ने इसको डिनाई नहीं किया है कि उसका कोई सम्बन्ध नही उस गेंग से।

श्रीमन्, इसके बाद बात आती है मेरठ काण्ड की। श्रीमन्, यह एक शर्मनाक घटना हुई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जो हमारी प्रतिबद्धतता थी उसको इस कर्म ने झंझकोरा है। श्रीमन, दुख इस बात का है कि एक ही राष्ट्र के दो बेटे हैं हिन्दू और मुसलमान। वहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों में एक दूसरे पर अविश्वास है और इस प्रकार एक दूसरे से घृणा की भावना पैदा हो गयी है। श्रीमन्, मैं पाकिस्तान या सऊदी अरब की बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वह पागलपन की बात होगी। इन राष्ट्रों ने अपने को धर्म निरपेक्ष नहीं कहा है। हमारे राष्ट्र में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पूज्य बापू के नेतृत्व में, जो स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी गयी, गांधी जी के आवाज से, उनकी प्रेरणा से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश को धर्म निरपेक्ष राज्य कहा।

श्रीमन् मैं नहीं समझ पाता हूं और मुझे दुख होता है, शायद हमारे बहुत से साथियों को भी दुख होता होगा। हम हिन्दू लोग यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है सभी जगह ईश्वर है। मुसलमान भी यही कहते हैं कि खुदा सभी जगह है। मैं नहीं समझ पाता कि मुसलमान की पूजा का स्थान और हिन्दू की पूजा के स्थान में अन्तर क्या है। अगर हिन्दू मस्जिद में चला जाय तो वहां ईश्वर है और यदि मुसलमान मन्दिर में चला जाय तो वहां खुदा है फिर इसमें अन्तर क्या है। मेरठ में मजार की बात थी तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान साथी वे चाहे आजम हों या आजमी साहब हों या हमारे साथी हों एक नई चीज पैदा करें। तो ये सब क्यों हो रहा है? जब हिन्दू कहता है कि ईश्वर सब जगह है और मुसलमान कहता है कि खुदा हर जगह है तब यह अन्तर कहां है, जब सर्वव्यापी है तब यह अन्तर कहां है। मस्जिद के अन्दर ईश्वर नहीं और मन्दिर के अन्दर खुदा नहीं यदि ऐसा कहा जाय तो यह दुख की बात होगी। सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी।

श्रीमन् इस देश की सन् 1857 की चिंगारी जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे और उस समय तो मुसलमान ही शासक था। वह चिंगारी मेरठ से चली थी। उसी मेरठ के अन्दर सन् 57 की चिंगारी को दफन करने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर से देशवासियों के लिए और मेरठ के नौजवानों के लिए यह कलंक की बात है। अधिक भावुक भाषण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जन्मदाता कौन है? हम सबको प्रयास करना चाहिए, भाषण के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह कौन से लोग हैं जो इन सब चीजों को कुरेदते हैं राजनीतिक लाभ के लिए। इसको हम सबको देखना चाहिए। मैं फिर कहता हूं मेरठ की घटना ने वहां के नौजवानों पर कलंक लगाया है। हम सबको इसको धोने का प्रयास करना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि यह राजनीतिक कुप्रशासन का परिणाम है इसमें हम सभी दल शामिल हैं। मैं केवल कांग्रेस को ही नहीं कहता। लेकिन सत्ता में आप हैं प्रशासन आपका था, ऐसा होना शर्मनाक घटना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सत्ता पक्ष को। एक मांग आई मेरठ के लोगों की कि पी0ए0सी0 यहां से हटाई जाय। जब कोई व्यक्ति पागल बनता है या उन्माद मान लीजिए यह था कि पी0ए0सी0 हटाई जाय या कुछ किया जाय। तो शासन की इसमें कौन सी छवि धूमिल हो रही थी कि वह इस को देखता और उस फोर्स को विदड्रा करके दूसरी फोर्स दे देता। इसमें कौन सी प्रेस्टिज इश्यू की बात थी। सन् 80 के जिस घोषणा-पत्र के आधार पर आप सत्ता में बैठे हैं उसमें लिखा था उसकी कुछ लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं। जैसी आपकी आदत है घोषणा-पत्र

[श्री राजेन्द्र सिंह]
में आप ऐसी बातें लिखते हैं जिनसे मासेज को धोखा देकर वोट लिया जा सके और उनको आप पूरा नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बात को आप न कर सकें उसको न कहें –

"ए स्पेशल पीस मेकिंग फोर्स विल बी क्रिएटेड टू प्रिवेंट एण्ड सप्रेस कम्युनल वायलेंन्स. इट विल बी कम्पोज्ड आफ पीपुल डाउन माइनारिटी कम्युनिटीज शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर्स, ए बिगनिंग विल बी मेड इन दि प्रोसेस आफ अफार्डिंग रिक्म्पेस टू दि विक्टिम्स आफ कम्यूनल राइट्स ।"

आप सत्ता में बैठे हैं आप या तो वादा मत करें और अगर करें तो पूरा करें। अगर पूरा करने में हिचकिचाहट है तो आप वादा मत करें।

सचिवालय काण्ड के बारे में कल बहुत कुछ कहा गया मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि कल डेढ़ घंटे का समय बेकार हुआ था। लेकिन सचिवालय में निश्चित तौर पर जो विद्रोह हुआ वह शर्मनाक है। जहां से पूरे प्रदेश के अन्दर शासन किया जाता है। सचिवालय प्रदेश को गवर्न करता है। यह काण्ड उस समय हुआ जब माननीय मुख्य मन्त्री मौजूद थे, डी0जी0 मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी तथा रिजवी साहब भी मौजूद थे। जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, हो सकता है गलत हो। नीलम खराब आदमी है लेकिन आप इस बात की जांच करायें कि कौन से वह मन्त्री हैं जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रश्रय दिया। जिसने इसको एडवरटीजमेन्ट अधिक दिया है जहां तक मैंने पढ़ा है रिजवी साहब के विभाग ने और ग्राम्य विकास विभाग से सबसे अधिक विज्ञापन इसको मिला है। आप इसकी जांच करायें। शासन के व्यक्तियों को उसको संरक्षण दिया ऐसा मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत हो। अगर वह व्यक्ति गलत था तो उसको इस प्रकार का प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए था। इसकी छानबीन सही तरीके से होनी चाहिए तथा जो सहयोग दिया गया इसको तो आप भूल जाइए आइन्दा और सहयोग नहीं मिलना चाहिए। श्रीमन्, जो कुछ हुआ, टकरू साहब तो पेशाब घर में घुस गये, वह प्रदेश को क्या गवर्न करेंगे ? चीफ सेक्रेटरी भी घुस गए। गजब हो गया।

(हंसी)

मेरा निवेदन है, आप तो चिल्लाते रहते हैं, हरिजन–हरिजन। हमारी दीदी, स्वरूप कुमारी बख्शी जी नहीं हैं, विश्वनाथ मन्दिर में जो चोरी हुई उसमें आपने नेतृत्व भी मिश्रा को दिया। क्यों ? वहां किसी हरिजन को क्यों नहीं किया गया ? वह भेदभाव कौन कर रहा है ? उस कमेटी में कोई हरिजन नहीं है। भूतपूर्व काशी नरेश का मैं सम्मान करता हूं लेकिन जो उनका बयान आया है, जिनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया है कहा कि जब से 10–15–20 साल पहले से, हरिजनों का प्रवेश हो गया, तभी से यह मन्दिन खंडित हो गया। ऐसे व्यक्ति को जिसकी भावना हरिजन विरोधी, मनोवृत्ति हरिजन विरोधी हो, एक मन्दिर का अध्यक्ष आपने बना दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप धोखा देना छोड़ दीजिए। अगर आपमें बिरादरी वाद, पक्षपात की नीयत नहीं है तो सबसे बड़े मन्दिर का अध्यक्ष किसी हरिजन को बनाना था, इससे थोड़ी-बहुत साख जमती लेकिन आपकी कथनी और करनी में अन्तर है।

श्रीमन्, आजमगढ़ की बात, अखबार में नहीं पढ़ पाया, कल माननीय मुख्य मन्त्री जी हैलीकाप्टर से गये, थे रूलर और लायर्स में झगड़ा हुआ है और डी0आई0जी0 प्लेन क्लाथ में खड़े रहे और अधिवक्ताओं को पिटवाया और फिर हमारी माननीय भूतपूर्व राज्य मन्त्री, गृह यह कहें कि छिट-पुट घटना प्रदेश के अन्दर हो ही जाती है। शासन तन्त्र ठीक चल रहा है। हमारी निगाह शर्म से झुक जाती है। लूट, हत्या, बैंकों की डकैती, कोई बात नहीं, समय कम है, ज्यादा नहीं कहूंगा। आप ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधर

रही है और आंकड़े देकर बताया गया कि इसमें कमी आई है। कभी परसेंटेज देते हैं कभी 10–15 कम बताते हैं। मैं बताऊंगा कि चौहान साहब का बयान है, अलीगढ़ से आते हैं, उनका कहना है कि जनपद के अन्दर जो केसेज हैं, एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही हैं। यह आप जानें। सही गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि डी0आई0जी0 को यह कहा गया। डी0आई0जी0 ने बयान दिया कि सभी केसेज रजिस्टर किए जायें परन्तु हो विपरीत रहा है। केसेज रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। रजिस्टर होते तो संख्या इसकी तीन गुनी होती।

श्रीमन्, हरिजनों और महिलाओं की बात बहुत कही गयी। अखबार में सब दिया है, पिछले साल की बनिस्वत इस वर्ष कहीं भी किसी भी दिशा में एक कदम भी पीछे नहीं है। महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ, उनका अपमान किया गया, हरिजन युवतियों के साथ हुआ, हरिजनों की हत्यायें की गयीं। यह केस आगरा का है बलात्कार का, पुलिस के हरिजन सिपाही पर अत्याचार हुए, यह सब भरा पड़ा है, हरिजन हिमायती कहलाने वाली सरकार पर। राज मंगल पाण्डेय जी उधर बैठने लगे हैं, बहुत थोड़े दिन आपके पास उन्हें हुए हैं। वहां पर भी हमला, आप अपने व्यक्ति को भी नहीं बचा पाये। इससे तो अच्छे थे कि इधर ही रहते। करन सिंह की हत्या का प्रश्न आया, बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, श्रीमन्। मा0 मुख्य मन्त्री जी का बयान एक अलग प्रकार का है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति का सार्वजनिक बहिष्कार हो। इस प्रदेश के मन्त्री विद्या भूषण जी को वह बराबर बगल में बैठाते हैं जिन पर सत्ता पक्ष का एलीगेशन है। हम लगाते तो अलग बात है। हम तो लगाते ही रहते हैं, आपने स्वयं लगाया है। कितना अन्तर है कथनी और करनी में। प्रस्ताव समर्थक मा0 लाल प्रताप सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही सच्ची बात कही: दू'ध कलारिन हाथ रखे, मत समटो सकुचाए।' उनकी बात सही लगी। कथनी और करनी का अन्तर सरकार की दलील बन गयी बागुरा मिश्रा हैं इंचार्ज उझानी, बदायूं के, उन्होंने पांच व्यक्तियों की हत्यायें कराईं, यह जनसंघ से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्याएं, बदायूं में पांच व्यक्तियों की हत्याएं, एटा में सामूहिक हत्याकाण्ड, कितने ही मामले हैं कहां तक कहे जायें। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को उद्वेलित करती हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार बार-बार कहती है कि कानून व्यवस्था नियन्त्रण में है। उसे बहाना करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तुलाराम, हाजीपुर, कटरा, शाहजहांपुर ने 4–6–82 को कटरा थाने के पुलिस के खिलाफ डी0आई0जी0 तथा एस0 पी0 को रिपोर्ट की थी। इनकी मां के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, मारा पीटा। इनका मेडिकल भी हुआ, गवर्नमेंट हास्पिटल में। 17–10–82 को इन लोगों को रिवाल्वर भी इशू किया गया। दिनांक 18-10-1982 को कटहर की, तिलहर की पुलिस ने आकर, जिसमें एस0ओ0 भी थे, घर पर ही उसे गोली मार दी थी तथा उसकी बन्दूक लेकर पुलिस चला गई थी। दुख इस बात का है कि वह एक बहुत गरीब आदमी है, गांव से आता है। वह आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। यदि इस बार आया तो मैं उसे श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी के पास भेज दूंगा और कहूंगा कि ये हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्री हैं, यही आपको बतायेंगे कि कानून और व्यवस्था कैसी है। मेरे पास तो उसका पत्र आया है। वह व्यक्ति आज भी मौजूद है। वीरेन्द्र सिंह, एस0आई0 जिसका ट्रांसफर उसी जिले में वहीं पर कर दिया गया है। एस0ओ0 वहां के मौजूद हैं। मान्यवर, ऐसी अवस्था में न्याय मिल पायेगा या नहीं। मैं तो समझता हूं कि न्याय नहीं मिल पायेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब तक आपका प्रशासन मन्त्री सख्त नहीं होगा आपके एक्शन सख्त नहीं होंगे, तब तक किसी के न्याय की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

मान्यवर, पुलिस के अत्याचारों की मेरे पास एक लम्बी फेहरिस्त है। श्रीमन्, सुमेरपुर काण्ड भी इस सदन में लाया गया है। श्रीमन्, फैजाबाद का एक मामला है, रामधर राय, छावनी की उनकी कम्पलेंट हुई है। श्री हबीबुल्ला खाँ, उस शख्स ने 42 हजार 5 सौ रुपए, जब हबीबुला बैंक में जमा करने जा रहे थे, तो उसवापुर थाने पर उन्हें रोक लिया तथा उनका रुपया छीन लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

श्रीमन्, गाजीपुर के सादरा थाने में एफ0आई0आर0 बी0जे0पी0 के नेता श्री केदार पाण्डेय ने की थी इस प्रकार पुलिस किस प्रकार हाथ-पैर तोड़ रही है, ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात जा चुकी है। फैजाबाद में पुलिस ने एक बच्चे को जिन्दा जला दिया था। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जनता जो कुछ कर सकती है वह कर रही है। वह प्रदर्शन कर रही है किन्तु आपकी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को पीटा गया, यह एक शर्मनाक बात है। जिसने देश की आजादी के लिए सैक्रीफाइस किया, फलस्वरूप आपको सत्ता मिली, देश मिला। मा0 राजेन्द्र त्रिपाठी जी को इस बात पर दुख होना चाहिए, मगर उन्होंने तो फल खाये। जो भुक्त भोगी हैं उनसे पूछिए। मान्यवर, बातें तो बहुत सी हैं। खास बात यह है श्रीमन, माया त्यागी काण्ड हुआ था जब यह सरकार सत्ता में आई थी। श्री डी0 पी0 गौड़ एस0ओ0 वहां था जिसकी श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने मदद किया था और उसी बदमाश की जितनी मदद वह कर सकते थे वह किया। उसी डी0पी0 गौड़ की जब पोस्टिंग शाहजहांपुर में हुई तो रामरती का मामला हो गया। श्री गौड़ मोहउवापिमई जब गये, उसके एक दिन पहले चार्ज लिया था, तो वह नशे में थे, हरिजन के मकान भी गये और रामरती के सास, ससुर को पकड़ कर ले आये थे। दूसरे दिन सासससुर का चालान किया और उस नवजवान महिला को अपने थाने में रखा, उसके साथ व्यभिचार किया। तो यह वही डी0पी0 गौड़ है जो माया त्यागी काण्ड के अपराधी हैं जिसमें जुडीशियल इंक्वायरी हुई और उसमें उनको दोषी पाया गया लेकिन उसके बावजूद इस प्रदेश की सरकार गौड़ को बचा रही है और उसके खिलाफ् एक्शन नहीं ले रही है। अब गौड़ ने दूसरा काण्ड कर दिया। तो उसको व्यभिचार करने की सरकार छूट दे रही है। श्रीमन्, इस शर्मनाक सरकार को क्या कहूं। कहा जा रहा है कि वह छुट्टी पर चला गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वहां का एस0पी0 नहीं बदला जायगा जिसने उसको बचाया है तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसलिए जब मुख्य मन्त्री जवाब देंगे तो इसके बारे में भी जवाब देंगे।

श्रीमन्, आपका कहना है कि उ0प्र0 में अपराध घट रहे हैं जबकि अपराध बढ़ रहे हैं जैसा कि अमर उजाला दिनांक 27-1-83 में बयान छपा है विधायक कांग्रेस (आई) के श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने बढ़ते हुए अपराधों के प्रति चिन्ता व्यक्त किया है और कहा है कि पुलिस ने क्षेत्र में अपराधों को दर्ज न करके अपराधों को कम दिखा रही है जिससे कि एस0 ओ0 की चरित्र पंजिका में प्रभाव न पड़े। तो श्रीमन्, हमारा भी यही एलीगेशन है कि वहां यही हो रहा है। श्रीमन्, यह क्यों हो रहा है। मा0 वासुदेव सिंह ने अभी 9 तारीख को प्रतापगढ़ में, जो सरकारी फंक्शन में गये थे, कहा था कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता बढ़ रही है जिस पर उन्होंने चिन्ता व्यक्त किया है। प्रोफेसर वासुदेव सिंह सत्ता पक्ष के मन्त्री हैं तो आपके ही लोगों का यह कहना है जिसको मैं तो केवल दोहरा रहा हूं।

मान्यवर, एक बात और दुखदायी हो रही है जिसकी तरफ भी आपको विचार करना होगा कि सिविल पुलिस से जनता का विश्वास उठ रहा है। मैं मानता हूं कि सिविल में जो व्यक्ति होते हैं वही सी0आई0डी0 में आ जाते हैं और सी0आई0डी0 से सिविल में आ जाते हैं तो उनका ट्रांसफर होता रहता है जिसको मैं मानता हूं। लेकिन इस पर

(2 बजकर 20 मिनट)

भी मन्त्री जी विचार करें कि एक धारणा पुलिस के खिलाफ बनती चली जा रही है। आज हर आदमी चाहता है कि हमारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा हो। हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं, ऐसा क्यों, इसका कोई हल आपके पास नहीं है। एक मामला हमारे पास आया, इस सिलसिले में गृह सचिव के पास गया और उनसे कहा कि इस मामले की जांच सी0आई0 डी0 द्वारा करा दीजिए तो उनका कहना था कि 1-1-84 तक की तारीख फुल है, तब मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला और उनसे कहा कि आपको कौन रोकता है कि आप सी0 आई0डी0 की फोर्स को बढ़ाने के लिए, जबकि प्रदेश की जनता सिविल पुलिस के प्रति भावना बहुत खराब दिन पर दिन होती जा रही है, जिसकी वजह से कोई और रास्ता सी0 आई0डी0 जांच के अलावा नजर नहीं आता, अनुशासनहीनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसे आपको समय रहते देखना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस जिले से भी किसी मामले पर सी0आई0डी0 जांच की मांग आये तो वहां के पुलिस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करिए और उससे स्पष्टीकरण मांगिए कि तुम्हारे प्रति जनता का अविश्वास क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अन्दर सुधार आ सकेगा, आज यह चीज निरन्तर देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व मा0 मुख्य मन्त्री, राजा साहब के भाई का मर्डर हुआ, इसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं, दुख और चिन्ता का विषय भी है, लेकिन उस वक्त और दुख की सीमा बढ़ी जब उनकी पत्नी ने कहा कि हमें बांदा से न्याय नहीं मिल सकता है और हत्यारों को दण्ड नहीं मिल पायगा। फिर भी आप कान में तेल डाले बैठे हैं, यही नहीं श्रीमन, आप देखें राजी वर्मा वाले काण्ड में, इसमें भी उनकी पत्नी ने यह कहा कि सेन्ट्रल से जांच कराई जाय तो श्रीमन्, आप देखें कि यह भावना आखिर जनता की क्यों बनती जा रही है, माना कि सभी की धारायें सही नहीं होंगी, परन्तु अधिकतर सही हैं और 99 प्रतिशत सही हैं कि लोगों का विश्वास आज शासन तन्त्र से बिल्कुल हटता चला जा रहा है, आखिर क्यों? मा0 अधिष्ठाता महोदय, जहां जनता एक तरफ अपनी जीवन उपयोगी चीजों के प्रति चीनी और मिट्टी के तेल के प्रति जहां त्राहि-त्राहि मच रही है, उसकी बात तो बाद में कही जायगी पहले अपने जीवन सुरक्षा की बात कर लें।

एक सदस्य—

चीनी और मिट्टी का तेल बहुत है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं जानता हूं कि क्या-क्या चीजें यहां कितनी मौजूद हैं और कहां-कहां उनकी खपत हो रही है, सारी चीनी, मिट्टी के तेल व अन्य जरूरी सामग्री एशियाड में चली गयी और दक्षिण प्रदेश में चुनाव जीतने थे, इसलिए वहां का सारा गेहूं यहां चला गया, हम सब जानते हैं।

(शोर)

जैसे समाज में अच्छे और बुरे आदमी हैं, उसी में से ये लोग भी आते हैं, छांट करनी होगी। जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज आ चुकी हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन न लें तो हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति शंका पैदा होगी। अगर शंका पैदा न होने दें तो हम तो कहेंगे कि शासन तन्त्र ठीक चल रहा है। आप हमें मजबूर करते हैं कि हम कहें कि शासन तन्त्र ठीक नहीं चल रहा है। आप पुलिस कर्मियों को अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहले माया त्यागी काण्ड। इटावा में ऊदल का इनकाउन्टर हुआ था, सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आ गयी, क्या ऐक्शन हुआ। रमाकान्त पाठक, शिव पाल सिंह, उनके दोनों बच्चों को मैनपुरी की पुलिस ने इनकाउन्टर दिखाया हमने कहा मर्डर है। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आ गयी है, इसमें दोषी पाया गया है वहां की पुलिस को लेकिन फाइल दबा दी गयी।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

ठाकुर नरेन्द्र सिंह चौहान क हत्याकाण्ड हुआ था, मैंने सदन में उठाया। डायरेक्ट एलीगेशन लगाया था कि सबूत है, अलीगढ़ के एस0एस0पी0 ने यह हत्याकाण्ड कराया। आपने सी0आई0डी0 को दे रखा है। सी0आई0डी0 ने लिखा है कि एस0एस0पी0 का स्थानान्तरण कर दें तब जांच हो पायेगी। आप स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं। अलीगढ़ में मशहूर है कि महामहिम से उसके सम्बन्ध हैं। आप इसका पता करें। जब सी0आई0 डी0 की रिपोर्ट मौजूद है कि जब आप ट्रांसफर कर देंगे तब इंक्वायरी हो पायेगी, तो फिर उसका स्थानान्तरण क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक और मैटर है, वाराणसी में उसने तीन स्टोरी की कोठी बनवाई है। पूरा सामान अलीगढ़ और आगरा से आया है। आप इंक्वायरी कीजिए। शासनतन्त्र सरकारी कर्मचारियों की छवि को निखारने में लगा हुआ है अपनी छवि बिगाड़कर। सही को सही मानिये गलत के खिलाफ एक्शन लीजिए। जब तक गलत व्यक्तियों को प्रश्रय देंगे आपके प्रति निष्ठा कैसे बढ़ पायेगी।

एक गन्ने के बारे में आया था। इस समय दोहरी-तिहरी नीति चल रही है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में हारने के बाद श्रीमती जी को थोड़ी सी समझ आयी, हमारी प्रधानमंत्री जी को और अभी 2 तारीख को एक भाषण दिया– "किसान देश का स्तम्भ"। पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी यह बात 12 साल के बाद समझ में आयी थी कि किसान बहुत बड़ी शक्ति है, उसका भला होना चाहिये। वर्तमान शासन को भी 12 साल के बाद होश आया। आप पहले का 20 सूत्री कार्यक्रम देख लीजिये, किसान का नम्बर बहुत नीचे था। अब का 20 सूत्री कार्यक्रम देख लें, किसान का जिक्र सबसे ऊपर है। लेकिन गन्ने के किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गन्ना किसान का पिछले साल का 50 करोड़ रु0 जो बकाया है उसे आपने नहीं दिया। इस साल भी छुटपुट बकाया आप अदा कर रहे हैं परन्तु उसे पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। यदि किसान आपसे पैसा ले तो आप उससे ब्याज जरूर लेंगे परन्तु जो किसानों का पैसा आपके पास बकाया है उस पर आप ब्याज भी नहीं देते यद्यपि उस पर यदि आपका पैसा बाकी हो तो आप उससे एक-एक दिन का ब्याज ले लेंगे। तो यह दोहरी नीति आपकी क्यों है? या तो आप दोनों पर ब्याज न लें और न दें या फिर दोनों पर ब्याज देने का प्राविधान करें।

इसी तरह से कस्टोडियन के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने बयान दिया है:–

"दि चीफ मिनिस्टर रीट्रीटेड हिज गवर्नमेन्ट्स फर्म रिजाल्व टू प्रोटेक्ट दि इन्टरेस्ट आफ दि फारमर्स एण्ड स्टेटेड दैट नो वायलेशन आफ दि प्राइस पोलिसी वुड बी टालेरेटेड दि शुगर मिल बैरन्स हैव अपील्ड टू दि गवर्नमेन्ट टू रिड्यूस दि केन प्राइस"

जन केन्द्र की कस्टोडियन की मिलें चल रही हैं और इधर उनका बयान है कि भारत सरकार की कस्टोडियन मिलों को नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में राव वीरेन्द्र सिंह के नाम आप वारंट ईश्यू कीजिये और उनसे यह दिलवाइये। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आपकी मिलें वही कीमत नोट कर रही हैं जो कि आपने एनाउन्स की हैं लेकिन प्राइवेट मिलें, वह अपनी पर्चियों पर प्राइसेस नहीं लिख रही हैं। 17 से 40 पैसे तक ले रही हैं प्राइवेट मिलें परन्तु क्या

आपका उन पर कोई नियंत्रण है? क्रेशर 8 और 9 रु0 क्विंटल गन्ना ले रहे हैं जबकि लकड़ी बिक रही है 10 रु0 क्विंटल। तो सोचिये जरा सी जो चीज रस से भरी हुई है उसे वे 8 या 9 रु0 क्विंटल में ले रहे हैं।

जनता शासन ने कृषकों के बारे में सोचा था और उसमें उन्हें पूरा संरक्षण मिला था। यह ठीक है कि गन्ना के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सके थे परन्तु हम स्टाक में जितनी चीनी मिली थी उससे ज्यादा हम चीनी का स्टाक छोड़कर आये थे। लेकिन वही चीनी आपके राज्य में 12 से 18 रु0 तक की बिक्री थी। यह तो इतिहास है, यह कोई नकारने की बात नहीं है।

श्रीमन्, तो मेरा निवेदन है कि क्या इस प्रदेश की सरकार इतनी अक्षम है कि जो क्रेशर द्वारा सही कीमतें किसानों को नहीं दिला सकती या फिर कोई सांठ गांठ हो गयी या फिर चुनाव लड़ने के लिए चन्दा आ गया है। यदि कोई सांठ-गांठ नहीं है तो आप इतने अक्षम क्यों हैं? आप सदन की सारी कार्यवाही रोक दीजिये और इसी सदन में घोषणा कीजिये सही कीमतें दिलाने के बारे में।

श्री शंकर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, नेता विरोधी दल का भाषण चल रहा है, लेकिन कोई मंत्री सदन में नहीं है, यह इज्जत है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

शेमफुल।

श्री रियासत हुसैन–

सत्ता पक्ष की ओर महामहिम राज्यपाल के प्रति यह नजर है कि उनके अभिभाषण पर चर्चा सुनने को ये तैयार नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी तो बैठे थे।

(श्री अम्मार रिजवी सदन में आ गये)

श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि महेली में पुराना पैसा मांगने के लिए किसान गये तो उन पर लाठी चार्ज हुआ। आप किसान की उस अवस्था को देखें कि जो वह चीज उत्पादित करता है और आप उसको पैसा नहीं देते हैं। तो उसकी भी रोजी-रोटी चलाने के लिए पैसा चाहिए। यह बड़ी विडम्बना है कि 35 साल की आजादी के बाद भी हम अपने समाज के गिरे हुए अंग हरिजनों की आर्थिक प्रगति को सुधारने में अक्षम रहे हैं। मान्यवर, 5 पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित हो गयी हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान होने पर)

अगर आपको मेरी बातों में गलती नजर आवे तो मैं बैठ जाऊंगा। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सी योजनायें बनीं और महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कुछ नयी योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन उनका फल उन तक नहीं पहुंचा है जिनके लिए वह बनायी गयी हैं। मैं एक-एक करके कहूंगा। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कारण क्या है, अधिकारियों की कमी। जो अधिकारी जिनकी पीढ़ियां हरिजनों को अछूत

[श्री राजेन्द्र सिंह]

मानती रही हैं, जब तक अधिकारियों के मन को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी आपका कार्य नहीं हो सकेगा। उनका मन और अपनत्व ऐसा है कि वह उसको अछूत मानते हैं, तो इस प्रकार से फल नहीं मिल पावेगा। जब तक वह निष्ठा और ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, तब तक वह योजना जो आपने यहां पर बनायी है, उन तक नहीं पहुंचेगी।

मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कहता हूं, किसी हरिजन आई0ए0एस0 को वहां पर नियुक्त नहीं कर दिया गया, जाति भेद यह करते हैं। मान्यवर, इनको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सामाजिक स्तर ऊंचा उठे तो इससे हरिजनों को लाभ पहुंचेगा। श्रीमन्, जो कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वह अखबारों में निकल रहा है, उसको राज्य मंत्री ने स्वीकार किया है। शिवकुटी भिक्षुक गृह का मामला श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के यहां का है। आप वहां के मामले को देखें। इस मामले की रिपोर्ट अखबारों में हुई है। वहां की अधीक्षिका है। जुडीशियरी और जजेज को इगनोर करते हुए हमारे प्रशासन और शासन वहां की अधीक्षिका को किस तरह से सहारा दे रही है यह बड़े दुख और शर्म की बात है। माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात कही। प्लान कोई बुरा नहीं होता, बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके क्रियान्वयन में जो लिप सर्विस की भावना रखते हैं वह ठीक नहीं है।

हरिजनों के लिये दुकानों की योजना बनायी गई। यह बहुत अच्छी चीज है। पहले हरिजनों के लिए योजना बनायी गयी। यह बहुत अच्छी चीज है। पहले भी हरिजनों के लिये एक आवास योजना बनायी गई थी। उसे मान्यवर, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है और नहीं देखा तो आप अपने-अपने ब्लाक्स के अन्दर देखेंगे। पहले जो हरिजनों के लिए आवास योजना बनायी गयी थी उसको अछूता रखा गया। गांवों में उस हरिजन बस्ती को 3 फर्लांग दूर बनाया गया। जो भवन उनके लिए निर्मित हुए थे उनमें आज कोई हरिजन नहीं रहता है। उन मकानों में न किवाड़ रह गये हैं न कोई खिड़की है और न रहने की ही जगह रह गई है। वे स्थान आज डकैतों के निवास बन गये हैं। यदि आपको उस योजना को क्रियान्वित ही करना था तो गांवों के और शहरों के नजदीक उन्हें बनाते। लेकिन इस तरह से लिप सर्विस से क्या फायदा?

आपकी आवास विकास परिषद् है। उसके अन्तर्गत बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं। आगरा में स्वर्गीय संजय काम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। आप उनके लिए एक प्रस्ताव लायें कि वे सब हरिजनों के लिए दिए जायेंगे। सारा विरोध पक्ष उसका अनुमोदन करेगा। 100 फीसदी हरिजनों को दीजिये। लेकिन आप हरिजनों को ऐसे स्थान पर बसायेंगे जहां पर कोई व्यापार नहीं है, जहां कोई मार्केट नहीं है, जहां कोई परचेजिंग पावर नहीं है। ऐसी जगहों में तो आप उन लोगों को देंगे नहीं जो व्यापार के उपयुक्त हों। जितनी भी योजनायें आप बना रहे हैं जितने भी काम्प्लेक्स शहरों में और कस्बों में बन रहे हैं उन्हें आप सौ फीसदी हरिजनों को दीजिये तब हम समझेंगे कि आप उनके हमदर्द हैं। हमारे यहां भी एक ऐसी योजना चल रही है। शटर्स भी लगे हुए हैं। हमारे चौहान साहब हैं। वह आपने अहमदपुर से एक फर्लांग दूर वह योजना

बनायी। उसमें 8 दुकानें बनी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि उसमें सवर्णों के जानवर ही रहेंगे, हरिजनों को वह नहीं मिल पायेंगे। वहां पर परचेजिंग पावर बिलकुल नहीं है। गांवों के नजदीक आप बनायें, उनके लिये जमीन एक्वायर करके आवास योजना बनाते तब तो बात ठीक थी। किन्तु आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आपके ऊपर चार्ज है आप सिर्फ लिप सर्विस ही दे सकते हैं। अगर आप हरिजन भाइयों को सक्षम बनाना चाहते हैं तो जो बड़े-बड़े काम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, शहरों में बना रहे हैं, इन्दिरा नगर एक बड़ा काम्प्लेक्स बन रहा है उसमें आप 100 फीसदी हरिजनों को दुकानें एलाट कराये जहां पर मारकेट भी हो परचेजिंग पावर हो। मेरा चार्ज है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आपके जो अधिकार हैं वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वे आपके लिए कब्र खोद रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। पहले भी इसी तरह से उनके लिये एक गृह योजना बनी थी लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक परिवार की क्या आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप ही आप उसको सुविधायें दीजिये। वहां पर जो आपने 8 फिट लम्बे और 8 फिट चौड़े कमरे बना दिये हैं उसमें बहुत कम जगह है। उसमें एक परिवार की बकरी, लकड़ी और कन्डे आदि रखने के लिए तक जगह नहीं है। आप तो शहरों में बैठे हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं।

पेयजल योजना के बारे में कहता चाहता हूं। हो सकता है मैं गलती पर हूं किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप उसे हरिजन पेयजल योजना क्यों कहते हैं? हमें आजाद हुए 35 साल हो गये उसके बाद भी छुआछूत कानून लागू करने में अक्षम हो रहे हैं तो फिर आपकी यह अक्षमता है। आप उनके मुहल्लों में नलकूप बनाइये लेकिन हरिजन नाम उसे मत दीजिये। आप हरिजनों को सवर्णों से अलग करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। इम्प्रेशन दीजिये कि हरिजनों के लिए है लेकिन वहां पर सवर्ण भी जायं पानी लेने के लिए। जो गांवों में पुराने कुंएं हैं उनका उपयोग करने में वह क्यों अक्षम हो रहे हैं? आप उनको जोड़ने का काम करिये आप अपनी योजनायें कार्यान्वित कीजिये और हरिजनों का अन्तर मिटाइये लेकिन हरिजन योजना के नाम पर उसे मत कीजिये। (व्यवधान) जब आप इधर थे तो इसी प्रकार बोलते थे। (व्यवधान)

मान्यवर, इस विभाग के अन्दर अभी कुछ एपोइन्टमेन्ट हुए उसमें 6 हजार से 10 हजार रुपया तक लेकर सलेक्शन हुआ। (व्यवधान) हरिजन समाज कल्याण विभाग में जो सुपरवाइजर का सलैक्शन हुआ उसके बारे में बता रहा हूं। उसमें तीन लिस्ट मेरे पास है। पहली लिस्ट में 42 लोगों में से 25 लखनऊ की हैं ग्रामीण क्षेत्र का कोई नहीं है। दूसरी लिस्ट में 41 की है उसमें 12 लखनऊ की हैं और 33 शहरी क्षेत्र की हैं और 7 ग्रामीण क्षेत्र की हैं। तीसरी लिस्ट 64 की हैं जिसमें 10 आगरा से हैं 10 ग्रामीण क्षेत्र से हैं बाकी 54 शहरी क्षेत्र की हैं। तो मेरा एलीगेशन है कि पैसा लेकर यह हुआ है (व्यवधान) कितना लिया यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। तो जो शहरी वातावरण में पले हैं वह ग्रामीण क्षेत्र की सेवा नहीं कर सकते हैं उनमें उनके प्रति सेवाभाव नहीं हो सकता है। इसमें 18 प्रतिशत क्यों रखा जब हरिजन समाज कल्याण के लिए जगह थी तो 60 से 70 फीसदी क्यों नहीं

[श्री राजेन्द्र सिंह]

लिया (व्यवधान) हूँ हरिजनों की बात पहले भी करता था आज भी करता हूं और आगे भी आपकी बेवकूफियों को उजागर करता रहूंगा । मैं इस लिस्ट में से कुछ नाम पढ़ देता हूं। श्रीमती इंदू पाण्डे, श्रीमती नीरा दीक्षित, कुसुम पाण्डे, सुनीता जोशी, श्रीमती गीता निगम। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां की सेवा नहीं कर सकती हैं । मैं कहता हूं कि आप हन्ड्रेड परसेन्ट नहीं तो बहुतायत में उस क्षेत्र से करायें। आपके मुख्य मंत्री जी का एक बयान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के लिए रूरल बेस का आदमी आना चाहिए। तो मुझे भी कहने का हक है कि हरिजन समाज विभाग में उनके बीच काम करने के लिए हरिजन बैक ग्राउन्ड का, उनके साथ हमदर्दी रखने वाला और उनकी समस्याओं को पूरी तरह से समझने वाला आदमी आना चाहिए। यह जो लोग रखे गये हैं, यह क्या उनका भला कर पायेंगे। जब तक ऐसे उनके बीच काम करने वाले अधिकारी आप नहीं आने देंगे, आप उनके लिए केवल लिप सर्विस रहेंगे।

मैं तो कहता हूं कि आप अपनी तरफ से हमारे दीक्षित जी को बना लीजिए और मेरी तरफ से किसी को भी ले लीजिए, कोई एक सदस्य ले लीजिए। और इन आदमियों की कमेटी द्वारा आप उनका फिजिकल वेरीफिकेशन करा डालिए तो आपको असलियत मालूम हो जाएगी कि इतना सब कुछ होते हुए भी वास्तव में हरिजनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने अधिकारियों को फंसने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कभी इस तरह के फिजिकल वेरीफिकेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। अभी शिवराज सिंह का बयान आया आई0 आर0 डी0 में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वह उनके क्षेत्र में हुआ है। आप भले ही अपने आदमी बना लीजिए, लेकिन योजनाओं का फिजिकल वेरीफिकेशन कीजिए। पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों के आप कोई 10 गांव छांट लीजिए, इससे आपको वस्तुस्थिति मालूम हो जायेगी। सत्ता आपके पास है, मैं चाहता हूं कि आप उसको सही दिशा दें।

खाद्य स्थिति के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। खाद्यान्न के मामले में अपने प्रदेश में इधर विषम स्थिति इसलिए पैदा हुई कि उत्तरी भारत का जो कोटा था, वह दक्षिण भारत भेज दिया गया। अभी खाद्य मंत्री जी ने एक अजीब बात कही है। वह आते तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन लखनऊ में बहुत दिनों से रहने के कारण उनको लखनऊ की पूरी हवा लग चुकी है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि 17 लाख मी0 टन अनाज जो फूड फार वर्क के लिए था, वह आटा मिलों को पीसने के लिए दे दिया गया है। आप अपनी बात कह गये, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज जाना चाहिए था, उसे प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी ने शहरों के लिए आटा मिलों को दे दिया है और गांवों के गरीब मजदूरों को भूखों मरवा दिया है आपने उनको देकर । अनाज छीना है गांव का और दे दिया शहरों को । आपने कहा कि पिछली फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो आपने क्यों नहीं खरीदा ? एफ0 सी0 आई0 भी खरीदता। आपने अधिक धन लगाकर अधिक फसल को अपने गोदामों में क्यों नहीं भरा? समय आने पर शहर और गांवों के लोगों को उसी प्राईस पर दे देते । जब दाम बढ़ा आप उसी दिन मार्केट में 10-12 लाख टन गल्ला डाल दिये होते तो इस तरह से दाम न बढ़ने पाते। इससे मार्केट डाउन हो जाता।

अब जहां तक भूख से हुई मौतों की बात है, हमारे पास बयान हैं, आप कहें तो पढ़ दूं। वह बांदा के हैं, वहां पर भूख से मौत हुई हैं, उस पर माननीय विधायकों के बयान हैं। मैंने वह भी पढ़ा है और जहां डी0 एम0 ने कहा है कि भूख से कोई मौत नहीं हुई है, उसको भी पढ़ा है। मैं इस बहरी सरकार और सत्ता के अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं। जब आदमी को खाना कम मिलता है उसमें बीकनेस आने लगती है और धीरे-धीरे वह तमाम बीमारियों का शिकार हो जाता है और एक दिन वह मर जाता है। तो असली कारण तो मृत्यु का भूख ही हुआ। लेकिन कह दिया जाता है कि फलां बीमारी से मरा।

मान्यवर, प्रदेश जब शीत लहरी की चपेट में त्रस्त था, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी जिलाधिकारियों की मीटिंग कर रहे थे और जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों से अपनी-अपनी गाड़ियों में यहां आ रहे थे। उनको यह फिकर नहीं थी कि जनता किस प्रकार शीत लहरी से परेशान हो रही है। यह उनकी कोई बुद्धिमानी की चीज नहीं है।

आपके ही एम0 एल0 ए0 श्री शिरोमणि जी ने कहा है कि उनके यहां मौतें हुई हैं। आपके ही श्याम लाल वाजपेयी जी ने कहा है कि जब तक विधायकों का सम्मान नहीं होगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। यह उन्होंने ठीक ही कहा है कि विधायकों का सम्मान होना चाहिये। आप तो अपने अधिकारियों की ही रिपोर्ट पर बेस करते हैं। आज हम इधर विरोध पक्ष में हैं, कल को आप भी आ सकते हैं। तब आपके साथ भी यही व्यवहार होगा।

यहां पर एक बात और कई बार कही गयी है कि जिलों में जिलाधिकारी मीटिंगों की अध्यक्षता करते हैं। जिले के एस0 पी0 के यहां से लिखकर आता है माननीय विधायक के लिये कि उनसे दफ्तर में बात करें। एस0 पी0 चेयर पर बैठता है, अध्यक्षता करता है, विधायक उसके सामने बैठता है।

एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ में थोक व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। उनका कहना है कि तुलाराम खाद्य निरीक्षक की प्रापर्टी की जांच होनी चाहिए, जो आदमी पकड़े गये हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए और इस झगड़े की कोई मैजिस्टीरियल जांच होना चाहिये। यह तीन मांगे हैं उनकी, इनको आपको मान लेना चाहिये। इसमें क्या दिक्कत है ?

कल जब माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी, धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना भाषण दे रहे थे, वे सत्ता पक्ष के आदमी हैं, बिजली की दरों में जो आपने बढ़ोत्तरी की है उसको लेकर वे भी सरकार को सेन्सर कर रहे थे। उन्होंने भी अपना क्षोभ व्यक्त किया है, मैं भी अपना क्षोभ व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी को तो पढ़ने की फुरसत ही कहां मिलती है। वह तो रोज दिल्ली के चक्कर लगाते हैं। कहा जाता है कि 10 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या देहात में आपके यहां 10 घंटे बिजली मिल रही है? अगर नहीं मिल

[श्री राजेन्द्र सिंह]

रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको यहां न सही, अपने यहां पार्टी मीटिंग में सरकार को सेन्सर करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहले कह दिया होता कि हम 6 घंटे बिजली देंगे, तो किसान अपना इन्तजाम कर लेता। लेकिन आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। श्रीमन्, यहां पर रेगिस्तान की एक बात आई थी कि रेगिस्तान, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, मथुरा, आगरा की तरफ, बढ़ रहा है। एक प्रश्न किया था माननीय मोहन सिंह जी ने सरकारी वर्ग की निष्क्रियता का, यह क्यों बढ़ रही। मान्यवर, उसका कारण यह है कि वहां पर खारा पानी है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहिये।

श्री भीखा लाल–

श्रीमन्, अधिष्ठाता जी, अभी लोग कह रहे थे कि रेगिस्तान आंध्र और कर्नाटक की तरफ बढ़ रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं श्रीमन्, जब मंत्री था, श्रीमन्, मैंने यह रिकमेंड किया था, वह फाइल पर नोट है, अगर हम सत्ता से हट गये, आप सत्ता में आये, अगर कोई जनहित का आर्डर था, तो आपको उसका आदर करना चाहिए था। लेकिन आपने यह कहा कि यह तो प्रिवियस मंत्री का आदेश है, प्रिवियस सरकार का आदेश है, इसको नहीं कार्यान्वित करना चाहिए। प्रदेश के जितने हिस्सों में खारा पानी है, उसमें 30,000 की क्षमता की जगह 16 हजार रखें। एक मीटिंग भारत सरकार ने बुलाई थी, जिसमें कृषि मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री की सेमिनार थी, उसमें योजना आयोग के सदस्य ने एक सिफारिश की थी कि यह जो लघु सिंचाई है ग्राउण्ड वाटर है, इसके अन्तर्गत मैकेनिकल/टेक्निकल आदमियों की बहुतायत होनी चाहिए। आप ग्राउण्ड वाटर के अन्दर इस तरह के अधिकारियों को रखें। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, मैं वसूल की बात कह रहा हूं कि जो आर्डर प्रिवियस मिनिस्ट्री के जनहित के आदेश हैं, उनका अगर आप सम्मान करेंगे, तो निश्चित ही आपका आदर बढ़ेगा।

इसी तरह से एक रेवन्यू के बारे में आर्डर हुआ था। मैं बहुत दिनों से इसके पीछे लगा हुआ हूं, अब सदन के अन्दर इसलिए लाना पड़ा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स हो रही है। इसमें एक खामी है। मैं चाहता हूं, इस पर गौर करें और कार्यान्वयन करें। आप इसको पढ़ने का प्रयास भी करें। श्रीमन्, सेकेशन 4 के अन्तर्गत 'रिक्लरेशन एण्ड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कन्सालिडेशन, एवरी सच नोटिफिकेशन शैल बी पब्लिश्ड इन दि आफिशयल गजट एण्ड इन ईच यूनिट आफ सच एरिया' सेक्शन-5 में है इफेक्ट आफ नोटिफिकेशन। हालांकि इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग की जाती है। अपान दि पब्लिकेशन आफ दी नोटिफिकेशन अन्डर सब सेक्शन (2) आफ सेक्शन 4 इन दी आफिसियल गजट। सब सेक्शन 4 में दो भाग हैं, ए और बी। इसका मतलब है कि इसमें 2 और 3 भी इन्क्लूड होते हैं। तो जब तक नोटीफिकेशन गांव के अंदर न हो जाय तब तक यह पैरा एप्लाई नहीं होना चाहिए। इसमें है कि जो बैनामे होने चाहिये। लेकिन होता यह है कि एरिया की डिफनीशन है उसमें कहा है

कि इन रिस्पेक्ट आफ विच नोटीफिकेशन अन्डर सेक्शन 4 तो सेक्शन 4, सेक्शन 2 ए एण्ड बी को इन्क्लूड करता है। इसमें बहुत काफी बंगलिंग हो रही है। यह एक भ्रष्टाचार का माध्यम है। होता यह है कि नोटीफिकेशन लखनऊ में होता है और नोटीफिकेशन होने के साल भर या 6 महीने बाद अधिकारी और स्टाफ जाता है। एस0 ओ0 सी0 और सी0 ओ0 वहां जाते हैं जो यूनिट में नोटीफिकेशन करते हैं। नोटीफिकेशन तो 6 महीने पहले हो गया है और इस बीच में जो रजिस्ट्री हो जाती हैं उनके लिये कहा जाता है कि दोबारा रजिस्ट्री कराइये। तो इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार होता है बेचने वाला कहता है कि हमको और 10 हजार रुपये दीजिये। कहने का मतलब है कि बंगलिंग होती है। मैंने कोई ट्रांसफर डीड नहीं की है, शायद मेरे भाई गलत समझें। हमारे शुक्ला जी चले गये हैं। जब "ला" में थे तो मैंने कहा था। उनका कहना था कि यह लेकुना है। मेरा कहना है कि अगर लैकुना है तो दूर कीजिये। इसमें बेइमानी के चांसेज हो रहे हैं।

श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन की बात कहते हैं। वह बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी कह रही हैं कि भ्रष्टाचार को निकाल कर फेंकूंगी। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी स्वच्छ प्रशासन की बात कहते-कहते दिल्ली पलायन कर गये। मुख्य मंत्री जी को कहा तो यह अच्छी चीज है इसमें मेरा भी सहयोग मिलेगा आपने जो बीड़ा उठाया है वह उसी टीम के माध्यम से उठाया है जिस पर अभी सदन में चार्जेज लगे। जिन पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, करप्शन, बदमाशों को प्रश्रय देने के चार्जेज लग चुके हैं सदन में और बाहर। तो जैसी सिच्वेशन है, इस टीम से आप भला नहीं कर पायेंगे। आपकी मनोवृत्ति स्वच्छ प्रशासन देने की है तो आप अपनी टीम को जिनके बारे में लोगों के मन भ्रान्तियां हैं जिनके बारे में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उनको अलग कीजिये। चाहे आप कुर्सी पर हहें या न रहें। अगर कुर्सी का मोह नहीं होगा, कुर्सी की भावना नहीं होगी तभी आप यह कर पायेंगे। नहीं तो नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं, बहुत कुछ छपवाया जाता है। अधिकारी की बात अभी आयी थी। "आज" में, 15-1-83 को अधिकारियों के बारे में निकला है। वाजपेयी जी को मौका मिलेगा तो बोलेंगे। अनेक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने मकान बना रखे हैं और उनको बहुत ऊंचे रेट पर सरकारी विभागों को उठा रखा है। मिसाल दूंगा खुद सरकारी कालोनी में रहते हैं और वे अपनी कोठी प्राइवेट आदमियों को देते तो मान लेता। लेकिन कमिश्नर रैंक के अधिकारी होने के नाते अपनी कोठी को सरकारी विभागों को किराये पर दिए हुए हैं यह एक बहुत बड़ी चीज है। जो नये मकान बन रहे हैं उनके लिए मैटेरियल दूसरे जनपदों से आ रहा है। माननीय डाक्टर साहब आपका फर्ज हो जाता है हमको इस बारे में सूचित करना कि यह बात सच है या श्रुति है। मैं और मिसाल देता हूं जनपद अलीगढ़ के सिंचाई विभाग की बात करता हूं। डिप्टी लीगल रिमेमबरेंस जो सिंचाई विभाग का कार्य देखते हैं उनका भवन सिंचाई विभाग ने 1200 रु0 प्रति माह किराये पर ले लिया है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी नीयत पर संदेह करूं। वे सिंचाई विभाग के ही अधिकारी हैं इसलिए उनको खुश करने के

[श्री राजेन्द्र सिंह]

लिए उनके भवन को विभाग ने 1200 रु0 प्रति माह किराए पर लिया हुआ है ऐसा क्यों हो रहा है।

अभी एक बात और अलीगढ़ के बारे में कहता हूं। वे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं। वहां बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगती थी हर साल लगती थी किन्तु पिछले 7-8 सालों से शासन इस प्रदर्शनी को नहीं लगवा पा रहा है तो यह क्यों नहीं लगती कारण यह बताते हैं कि ला एण्ड आर्डर के कारण। वे कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। हमको दुख है नहीं लगती ठीक है भाई न लगाइये। श्रीमन्, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगती थी और बहुत ही मशहूर थी यह बात अलग है कि अधिकारी इतनी बड़ी और मशहूर प्रदर्शनी लगाने में अक्षम रहे हैं। किन्तु मान्यवर, तीनठेकेदारों की प्रदर्शनी लग रही है, ग्राउंड जो उस प्रदर्शनी का था, मान्यवर, इन तीन ठेकेदारों को दे दिया गया। जिन अधिकारियों ने दिया उनमें से एक अधिकारी हैं, जिसको मुख्य मंत्री जी अपने स्टाफ में बुलाना चाहते थे, ए0 डी0 एम0 सिटी हैं अलीगढ़ के और दूसरे एस0 पी0 आर्य। तो इन्होंने तीन ठेकेदारों को प्रदर्शनी का पूरा ग्राउंड दिया और उन्होंने इस प्रदर्शनी से कम से कम 10 लाख रु0 तहबाजारी के द्वारा कमाया है। और वहीं पर प्रदर्शनी जो हमारे प्रशासन द्वारा लगायी जाती थी, श्रीमन्, अधिकारी उसे लगाने में अक्षम रहे 8 साल से। तीन ठेकेदारों ने उस स्थान पर प्रदर्शनी लगवाने में सफलता प्राप्त की क्या कहेंगे इसमें आप। जब तक आप सब देखेंगे नहीं, तब तक यह कैसे चलेगा।

श्रीमन्, अन्त में मेरा एक और निवेदन है कि एक चीज और हो रही है यहां पर और मैं आगाह करना चाहता हूं सत्ता पक्ष और अपने कुछ साथियों को कि लखनऊ महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें शामे अवध, फिर से गुलजार होने जा रही है। जिस प्रदेश की गरीब जनता को, अधिष्ठाता महोदय, यह ठंड से नहीं बचा पाये और उनके लिए कपड़े का इंतजाम नहीं कर सके। सैकड़ों आदमी ठंड से मर गये उनके पास कपड़े नहीं थे। श्रीमन्, ऐसी क्षति हुई है। वहां पर शामे अवध गुलजार होने जा रही है। लेकिन आपका प्रयास भी वही है उनके लिए। मैं मानता हूं कि जिस प्रदेश में तमाम सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष मानता है कि राज्य में ठंड से मृत्यु हो रही है जिस प्रदेश में भूख से मृत्यु हो रही हों जहां ठंड से आदमी मर रहे हों और अभी जो सूखे से बाढ़ से परेशानी थी उसको भुला नहीं पाये। यह दूसरी परेशानी आ गयी। वहां पर आप शामे अवध गुलजार करने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। एन0 टी0 रामाराव आंध्र में सत्तारूढ़ कैसे हुआ इसलिए कि वहां पर जब आंध्र में भयंकर तूफान आया था और जहां हजारों मौतें हो रही थी तो सत्ता के लोग, प्रशासन के लोग हैदराबाद में जश्न मना रहे थे। एन0 टी0 रामाराव ने वहां की पिक्चरें और फोटोग्राफ लिये और प्रदेश की जनता को दिखा दिये, जिसके कारण कांग्रेस वहां से रूट आउट हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस शामे अवध को आप गुलजार करने जा रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रदेश के प्रेस वालों से और फोटोग्राफर से कहूंगा कि

वह शामे अवध जो गुलजार होने जा रहा है उसकी फोटो ले लेंगे। ताकि प्रदेश की जनता को यह दिखाया जा सके और सत्ता पक्ष को रूल्ड आउट किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस कार्यसूची में जो और संशोधन के प्रस्ताव आये हैं उनको उपस्थित किया माना जाता है।

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 362-416 पर)।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जिस समय इस देश और प्रदेश में राजनीतिक दल टूट रहे हों अपनी आपसी कलह से और क्षेत्रीयता को जन्म दे रहे हों। मान्यवर, इनके कुत्सित पापों और जातिवाद, साम्प्रदायिकवाद के नारकीय जीवन से अभी ढाई साल पहले यह उत्तर प्रदेश उबरा है और धीरे-धीरे उन पापों और कीचड़ को यह शासन . . .

श्री राम आसरे वर्मा–

लगता है कि वाजपेयी जी बेमन से बोल रहे हैं मन में कुछ और है कह कुछ और रहे हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, आप सुनें। मेरा मन दर्पण की तरह साफ है। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर शासनतंत्र में हमारे भूतपूर्व शासकों ने जो जख्म किया था जिन जख्मों से पीप बह रहा था, मवाद बह रहा था उन जख्मों को ठीक करने के लिये प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सन् 80 में शासन स्थापित किया। राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदर्शों और नेतृत्व में कांग्रेस शासन स्थापित हुआ। जब से यह शासन आया तब से उन जख्मों की पीबों को धो कर मलहमपट्टी करते हुए उनको सुखाने का प्रयास कर रहा है। इन हालातों में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मान्यवर, जरा गौर करें। उन्होंने कहा है मेरी सरकार प्रदेश के सुनियोजित बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु कटिबद्ध है। मान्यवर, एक ओर तो विरोधी दल इस प्रदेश की अखंडता और शांति को भंग करने के लिए कृत संकल्प है और दूसरी ओर वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने के लिये कृत संकल्प है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

(3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, उसके बाद माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी का धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने किया। इसके बाद माननीय नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र सिंह जी ने अपना मन उबाऊ और लम्बा चौड़ा भाषण दिया, मन को कड़ुआ कर दिया। यद्यपि नेता सदन के बाद नेता विरोधी दल का ही एक स्थान आता है इस सम्मानित सदन में, वह महत्वपूर्ण है। यह सदन आशा करता है कि जहां बड़े

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]

मनोयोग से अध्ययन करते हैं, मैं भी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, ला भी पढ़ा हूं, लेकिन कानून को जाने दीजिये, मेरे जीवन में बहुत से अवसर आये कुछ देखने, समझाने के, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ लोग थोड़ा लिखा करते थे और गागर में सागर भरकर जन मानस में पहुंचा दिया करते थे लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे भी लेखकों को देखा है जो दस-पन्द्रह किलो रद्दी लिख कर बेंच दिया करते. . . .

(हंसी/व्यवधान)

उसी तरह से मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कतरनों का अम्बार लगा कर साथ में एक बिना तेज की हुई कैंची भी लाये थे, उससे कतर-कतर कर. . . .

(हंसी/व्यवधान)

सुनें मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बड़ी उत्सुकता है और वह जिन्होंने जीवन भर केवल भाषण दिया है, नारे लगाये हैं, जिन्होंने जीवन सिद्धांत और आदर्शों में बिताया है, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस देश में क्या हो रहा है ? आज वे किस आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं । विरोधी दल के लोग यह भूल जायें कि वे विरोध के हैं, या हम कांग्रेस के हैं, मंत्री हैं, लेकिन आज प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं । क्या इसी तरह से प्रदेश को सुधारेंगे ? आप हमें बुरा कहते हैं, हम आपको, क्या इसी तरह से प्रदेश सुधरेगा ।

मान्यवर, देश के अन्दर राष्ट्रीयता का लोप होता जा रहा है और क्षेत्रीयता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जनमानस सोच रहा है कि जिनको हम विरोधी समझते थे वह कितने झूठे हैं जिनके नाम पर एम0एल0ए0, मंत्री बनते जा रहे हैं । चाहे आप हों, चाहे हम हों, सारे के सारे राष्ट्रीय दल अपनी दूकान बढ़ाते जा रहे हैं । आप लोग आन्ध्र और कर्नाटक की दुहाई देते हैं । मान्यवर, जिस समय सारे देश में आपका राज्य था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उस समय कर्नाटक और आन्ध्र में आप को कोई पानी देने वाला भी नहीं था । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विरोधी दल के लोगों की नैतिकता कहां चली गयी थी, शर्म, हया होती, प्रदेश की जनता के प्रति शर्म होती तो त्याग-पत्र दे देते तब मैं समझता कि कुछ नैतिकता है ।

आज भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां बड़ी-बड़ी तोपें थीं, दिवालिया हो गये, कोई नाम लेने वाला नहीं मिला लेकिन आज हम सत्तारूढ़ दल में हैं । हमारी साख तो है । हमें आप की हर बात अमृत समान वर्षा लगती है क्योंकि हम उसी से सुधार करेंगे । ढाई वर्षों में आपका विनाश हो गया था मगर इसी आन्ध्र और कर्नाटक ने ढाई महीने में हमें सबक सिखा दिया । हमने अपने में सुधार किया आपके सारे मन्सूबों पर पानी फिर गया और हमने दिल्ली में इंदिरा गांधी की पताका फहरा दिया ।

(ताली)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय विधायक वे भी हैं, माननीय विधायक हम भी हैं। इस सदन में जो भी सदस्य हैं माननीय विधायक बन कर आये हैं । हर एक की समस्या बराबर है, हर एक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है । आज हम खुले दिल

से सोचें कि हम किसकी आलोचना करते हैं, हम किसकी बुराई करते हैं । क्या कभी इस मौजूदा संविधान का अध्ययन किया है, जरूर किया होगा । बहुत से ऐसे बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था मेरे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे । उन्हें पढ़ा होगा, मैंने भी मान्यवर, जीवन अध्ययन में ही बिताया है, कोई कर्म नहीं है, किसी चीज का ठेकेदार नहीं हूँ जिससे यह कहें कि दलील में यह बात कही, ऐसा नहीं है । आज इस प्रदेश के अन्दर कौन नहीं जानता, सभी अपने दल की ओर से उसकी संस्तुतियों को लेकर गांव गांव जाते हैं और वोटों की मांग कर एक जगह ढेर लगाते हैं जिसका ढेर बड़ा हो जाता है वही सरकार बनाता है । सरकार बनाने के बाद किसको हम आदेश देते हैं । देश हमारा है, हमारा ही नौकर हमसे कहता है कि बजट खर्च करने का अधिकार नहीं है । आप भी शासन में बैठ चुके हैं आपने देखा होगा । आपने भी इसका सामना दो साल किया होगा । हम तो आजादी के बाद से कठिनाई का सामना करते आये हैं । एक दिन आयेगा, हम संविधान पढ़ेंगे कि संविधान में कौन सा सुधार करना है । जब देश आजाद हुआ था, देश के अन्दर जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई जैसे विद्वान होते थे । इसी सदन के अन्दर पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त बैठा करते थे । विद्यार्थी था मैं । मान्यवर, ए0 एन0 झा यहां के चीफ सेकेट्री थे, मेड इन इंग्लैण्ड, आई0 सी0 एस0 । आजकल तो देशी पिल्ले कूद रहे हैं, आई0 ए0 एस0, मेड इन इण्डिया । उन्होंने सिर्फ एक आवाज दिया था---मिस्टर झा । क्या हालत हुई उनकी । हर वक्त सिगार पिया करते थे । सिगार हाथ में दबा लिया था, हाथ जल गया था, खोलने की हिम्मत नहीं थी उनकी । मान्यवर, मुख से एक शब्द नहीं निकला । मान्यवर, जन-समर्थन लेकर यह लोग आये थे, योग्य थे, आई0 सी0 एस0 अधिकारी दबता था । रफी साहब, मौलाना आजाद, पटेल, जवाहर लाल नेहरू जैसी बड़ी-बड़ी विभूतियां थीं । इन नेताओं के सामने खड़े होने पर स्वयमेव उनका मस्तक झुक जाता था । अब फाइल देख नहीं सकते, पत्रावली पढ़ नहीं सकते, नोटिंग-ड्राफ्टिंग के माने नहीं जानते और बैठा दिया गया । मैंने जनता शासन में अपनी आंखों से देखा है. . . (हंसी) । यह लाल बत्ती तो बुझा दें । आप यह क्या कर रहे हैं, रहम कर दें मान्यवर, रहम कर दें. . . . . । आप लोग भी तो सुनिये और सुनाइये । तो मान्यवर, जिस समय वह हमारे मित्र थे । मान्यवर, एकदम उनको डायरेक्ट कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बना दिया गया । वह जानते नहीं थे कि कुर्सी में किस प्रकार बैठा जाता है । विश्वविद्यालय में हमने उनको पर्चे बांटते हुए देखा है । जब वह बैठते हैं तो उनका बाबू उनको बताता है कि सरकार ऐसे-ऐसे बैठे । जब पत्रावली उनके पास आता है तो "नष्ट देवी भ्रष्ट-पूजा" जैसा समझाया जाता है वैसा ही वह करते हैं । मान्यवर, जब कोई आदमी बिगड़ जाता है, उसके मुंह से खून लग जाता है तो उसकी आदत बिगड़ जाती है । श्री हुकुम सिंह जी गौर करें । नेता विरोधी दल के बाद दूसरा नम्बर आपका ही समझा जाता है और हमारे सभापति भी हैं । आपको इस पर गौर करना है । जिस समय हमारी कमजोरियों का उसने फायदा उठाया तब हमें पता चला । माननीय सदस्य उत्तर देते हैं और आप उत्तर का उत्तर देते हैं, और सामना करते हैं तथा इस सचिवालय के एयर कण्डीशन कक्षों में बैठ करके दिन में चाय की चुस्कियां,

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]

ठण्डी शरबत तथा रात में रंग-रेलियां दारू की दरिया में मस्त रहते हैं। हम पर अट्टहास करते हैं और हम पर हंसते हैं। तबादला किसी का किया तो कहते हैं कि यह हमारा प्रेस्टिज इश्यू है। यह हमारा बिरादर है, यह हमारा चाचा है आदि लेकिन वेश्यायें किसकी बिरादर होती हैं। आपके पास जवानी है, आपके पास जोबन है, इसलिये आप मंडरा रहे हैं, लेकिन जिस दिन यह मुरझा जायेगा तो कोई मंडराने वाला नहीं है, तब आप पर मक्खियां तक नहीं बैठेंगी।

मान्यवर, अब मैं कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन्, कल से आज तक इटावा, आजमगढ़ और मेरठ इन तीनों की बातों को, जो कुछ यहां हुआ, सुनता आया। मान्यवर, जो कुछ इटावा में हुआ वह लज्जाजनक व निन्दनीय है। शर्म से सिर नीचा हो जाता है। व्यक्तिगत लोगों की रंजिश और इतने बड़े काण्ड के लिये यह सम्पूर्ण विधान सभा चिन्तनीय है तथा इस प्रकार की घटना प्रदेश के माथे पर कलंक है। श्री हुकुम सिंह जी मैं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि नवम्बर, 1978 को एक कस्बे के अन्दर गौतम गडरिया डकैत ने बच्चे तथा 13 हरिजनों को भून दिया, जिसमें 5 बच्चे तथा 2 महिलायें भी थीं। उस समय उत्तर प्रदेश के सहकारिता मन्त्री इटावा के श्री मुलायम सिंह यादव थे। क्या माननीय मन्त्री कोई नजीर दे सकते हैं कि लोक दल व माननीय मन्त्री घटना स्थल पर गये थे। परन्तु मान्यवर, घटना की सूचना मिलते ही हमारे माननीय मुख्य मन्त्री तथा सामुदायिक विकास मन्त्री तत्काल घटना स्थल पर गये। उन्होंने दुखियों के साथ अपने दुख के आंसू बहाये। पुलिस के हाथ में डण्डा है, उसको कार्य सौंपा गया, जिन लोगों ने गोली चलायी है वे पुलिस के लोग नहीं थे। कानून उनको अपने हाथ से सबक देगा।

श्रीमन्, माननीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि लाशों के साथ खिलवाड़ न करें, लाश को सत्ता का विषय न बनायें। यह लाशें हमारे और आपके लिये कलंक का विषय हैं। इस तरह की घटनायें बन्द होनी चाहिये।

मान्यवर, आजमगढ़ की बात आयी। वकील समाज का प्रतिष्ठित अंग है, इसमें दो राय नहीं है। अधिकांश वकीलों में से हमारे भाई सामाजिक जीवन में आते हैं। 1961 में मैं भी एडवोकेट में इनरोल रहा हूं। हमने भी कुछ देखा है। इसलिये वकील और पुलिस भाई-भाई लगते हैं लेकिन भाई-भाई में झगड़ा हो तो बाप को क्यों दोषी ठहराते हैं।

मान्यवर, मेरठ के बारे में जो बात कही गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ हो या मुरादाबाद हो या बाराबंकी हो या लखनऊ हो जो वहां हुआ है वह सभी के लिये लज्जा और कलंक की बात है। यह देश एक नागरिकता पर चल रहा है। यहां दोहरी नागरिकता का मापदण्ड नहीं चलेगा। यह नेहरू और गांधी के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित देश है, सौभाग्य से नेहरू की बेटी ही इस देश की प्रधान मंत्री हैं, तो उनके परिवार की कुछ नीतियां हैं जो धरोहर हैं, वह अपने को मिटा देंगी परन्तु अपने दामन पर साम्प्रदायिकता का कलंक नहीं लगने देंगी। आज बार-बार कहा जा रहा है कि पी0 ए0 सी0 ने यह किया वह किया। तो पी0 ए0 सी0 हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। जब आप शासन में थे तो पी0 ए0 सी0 आपके इशारे

पर नाचती थी । तो एक बार डण्डा उनको पकड़ा दिया तो वह बेहोश हो जाते हैं कि किस पर डण्डा चल रहा है । लेकिन जो हुआ वह गलत हुआ और सत्तापक्ष पर इसको मैं कलंक की बात समझता हूं जिसके लिये मेरा मस्तक झुका है । लेकिन मान्यवर, इस देश में साम्प्रदायिकता की भावना फैलाना ठीक नहीं है । मैं तो कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाई इस देश की आर्थिक व्यवस्था में कितना सहायक है । वह दस्तकार भाई हैं उनकी बदौलत करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं । कौन है जो उनसे हमको अलग कर सकता है । मेरठ में हुए दंगे पर कौन ऐसा मन्त्री और मुख्य मन्त्री होगा जिसको क्षोभ न हो और उनकी आत्मा को तकलीफ न हो । इसलिये मित्रों यह विश्वास रखें कि साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिये इस प्रदेश में वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के साथ 323 मा0 सदस्य कृत संकल्प हैं कि हम अपने कांग्रेस के वसूलों की रक्षा के लिये इस देश में साम्प्रदायिकता का विनाश करेंगे और उससे लड़ेंगे ।

मान्यवर, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के बने ढाई साल हो गये हैं लेकिन अभी उपलब्धियों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है । अभी तो यह बिगड़ा वह बिगड़ा ही वह चिल्ला रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उनके हरा चश्मा लगा है तो यह सफेदी वह कैसे देख पायेंगे ।

नहीं देख पायेंगे, परन्तु क्या इस आदरणीय सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य, मैं अधिक व्यापक उसमें नहीं जाना चाहता केवल जो वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं 6 माह पूर्व, उसमें माननीय श्रीपति मिश्र जी हैं, जो आपकी सीट पर बैठा करते थे आज वह नेता सदन और माननीय मुख्य मंत्री के रूप में हमारे सामने हैं। मान्यवर, उन्होंने अपने को कितना जन-सुलभ बनाया है कि प्रदेश का कौन सा ऐसा विधायक होगा कि जो जब भी किसी काम के लिये मिलना चाहे और वह मिले न हों, ऐसा कोई नाम हो तो बताओ ।

(शोर)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मैं हूं, मान्यवर, कई मर्तबा मिलना चाहा लेकिन नहीं मिल सका, यह गलत कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

तो मैं कहता हूं कि नहीं कोई ऐसा होगा और जहां तक काम के न होने की बात है, तो वह किसी विधायक के हाथ की बात नहीं है, यदि हम किसी को दो बोरी सीमेन्ट देना चाहें तो नहीं दे सकते, इसके लिये भी तहसीलदार व ब्लाक आफिसर को कहना होगा, हम लोग इस मामले में कितने दीन हैं । मान्यवर, औद्योगिक विकास के लिये आज करोड़ों की योजनायें हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 बाजपेयी जी आपका समय हो गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, एक मिनट जहां तक पुलिस प्रशासन की बात कही गयी । इस ओर हम लोग भी यह महसूस कर रहे हैं कि इस प्रदेश में जो इस समय पुलिस प्रशासन जिन

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]

अधिकारियों के हाथों में है, वह बहुत ही भ्रष्ट और नाकारा है, उनमें आई0 जी0 दीक्षित नियुक्त सचिव और गृह सचिव सम्मिलित हैं । मा0 मुख्य मन्त्री ने प्रदेश की जनता की भावनाओं एवं आपके विचारों का आदर करते हुए यह आश्वासन दिये हैं कि इस विंग को तत्काल सुधारा जायेगा । तो मान्यवर, मैं फिर कहूंगा कि हमारे छेदों में उंगली न डालो अपने पैदा किये हुए कलंकों को देखो और बाबू हुकुम सिंह जी माननीय मुलायम सिंह जी के कारनामों पर परदा क्यों डाल रहे हैं ?

मान्यवर, इसी के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें मा0 राजेन्द्र त्रिपाठी जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जिस माननीय नेता विरोधी दल ने संशोधन प्रस्तुत किया है मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी कि महामहिम राज्यपाल से भाषण पढ़वाने की प्रथा चली आ रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये । इंग्लैण्ड से हमने जहां और बहुत सी बातें उधार ले रखी हैं, वहीं पर हमने उनकी राजशाही को नहीं अपनाया है, हमारा तो प्रजातन्त्र का अपना एक ढांचा है, वहीं पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस ओर भी देखना चाहिये । इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मन्त्री जी घोषणा कर सकते हैं । अब तो राज्यपाल के पद का भी बड़ा अवमूल्यन हो गया है । अभी 2–4 दिन हुए पंजाब के राज्यपाल और मुख्य मन्त्री में मनमुटाव हुआ और राज्यपाल त्याग-पत्र देकर चले गये । यहां पर बड़ा विवाद हुआ, स्पष्ट घोषणा हुई कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण का पहला अंश पढ़ा, अन्त का पढ़ा, बीच का नहीं पढ़ा । अगर धन्यवाद ही देना है तो उतने ही अंश का धन्यवाद दिया जा सकता है । अभी माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं . . . . . ।

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो राज्यपाल जी का सन्दर्भ दिया गया, वह कार्यवाही का अंग नहीं हो सकता, उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने सन्दर्भ दिया है, निर्णय पर कोई बात नहीं कही है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्रा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । माननीय बाजपेयी जी ने एक बात कही, मैंने व्यवस्था दे दी ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, पंजाब के राज्यपाल का इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

भाषण के दौरान अगर सन्दर्भ के रूप में कोई बात उठायी जाती है, तो वे अपना पक्ष रखते हैं, आप अपने भाषण में अपना पक्ष रखें । उन्होंने राज्यपाल का भाषण और उस पर अध्यक्ष का निर्णय, इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मान्यवर, मेरे भाषण के बीच में जो समय का अवरोध किया गया है, उसको ध्यान में रखने की कृपा करें ।

मैं कह रहा था कि श्री श्याम लाल बाजपेयी जी के विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने अपने व्यथित हृदय से बहुत सी बातें कहीं हैं यह अच्छा है कि उनके दल ने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह भी होना चाहिये था कि भ्रष्ट मन्त्रियों को भी हटा दिया जाय ।

हमारे संविधान में वर्ष में 3 सत्र बुलाने की कल्पना की गयी थी । अब केवल एक सत्र रह गया है, "बजट सत्र" । वर्षाकालीन सत्र केवल 6 दिन का था । वह समय ऐसा होता है जब हम अपना अधिक समय दे सकते हैं । बजट सत्र में केवल बजट सम्बन्धी बातें ही होनी चाहियें । बरसात का समय अन्य बातों पर विचार के लिये आसानी से अर्पित किया जा सकता है। आज स्थिति क्या हो गयी है, जिस विभाग पर एक दिन की बहस कहते हैं, उस पर कठिनायी से 3 घण्टे की बहस होती है । यह समय और बढ़ना चाहिये, जिससे कि सभी सदस्य इस पर अच्छी प्रकार विचार कर सकें ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा जाय तो उसमें यह बात नहीं उठायी गयी है कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कोई कदम उठायेंगे । जिस समय हमारे राज्यपाल महोदय ने यह भाषण दिया तो उन्हें ध्यान रहा होगा कि हमारी प्रधान मन्त्री कह चुकी हैं कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी बीमारी है । उन्हें क्या पता था कि 2–4 दिन के बाद प्रधान मन्त्री फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ डंडा घुमाना शुरू कर देंगी । श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने भी अपने प्रस्ताव में भ्रष्टाचार को दूर करने सम्बन्धी कोई बात नहीं कही है । इस संबंध में उन्होंने कोई भी शब्द नहीं कहा है इसके माने या तो समझा जाय कि शासक दल का भ्रष्टाचार दूर करने का कोई विचार नहीं है या फिर यदि है, तो उसका कोई उल्लेख होना चाहिये । इस संबंध में मेरा एक निवेदन है कि जिला लेवल पर एक न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिये जहां निश्चित रूप से प्रमाण दिये जा सकते हैं कि वहां पर अमुक के साथ अमुक तरह की कार्यवाही हुई है । मेरे क्षेत्र में ब्लाक मनियामले में एक व्यक्ति ने कर्जा लेने के लिये भूमि विकास बैंक को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उसे कर्ज नहीं मिला । थोड़े दिनों के बाद जब फिर वह पता करने गया तो उससे कहा गया कि आपको अमुक दिन कर्जा दिया जा चुका है और आपने फलां

[श्री धम्मन सिंह गहलौत]

तिथि को पम्पिंग सेट भी ले लिया है । लेकिन मान्यवर, दो महीने के बाद भी वहां कोई पम्पिंग सेट नहीं बना । सही नहीं है तो नगीना में कैसे वह पम्पिंग सेट बिक गया ? तो इस तरह से कैसे चलेगा ?

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू के मुकदमें तहसील में, वे लम्बे समय तक पड़े रहते हैं । इन मुकदमों का निपटारा नायब तहसीलदार, तहसीलदार या एस0 डी0 एम0 करता है । लेकिन मान्यवर, आपने तो एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 को इतने प्रशासन के काम सौंप रखे हैं कि उन्हें उसी से फुर्सत नहीं तो इसका नतीजा यह होता है कि उन मुकदमों का निपटारा नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है । नायब तहसीलदार जो कि कम पढ़ा-लिखा होता है उससे आप न्याय करने के लिये कहते हैं, वह क्या न्याय कर सकता है ? किसान तारीख पर आता है और कचेहरी में धक्के खा कर चला जाता है या फिर पैसा देता है तब कहीं जाकर उसके मुकदमें का फैसला हो पाता है या मुकदमा तय हो पाता है । मान्यवर, यदि इस व्यवस्था को बदला जा सके और प्रत्येक तहसील स्तर पर यह हो जाय कि न्याय मिले जैसा कि फैसला लिया गया है कि तहसील स्तर पर एक-एक मुन्सफी कायम की जायेगी या की जा रही है तो मुन्सिफों द्वारा सही न्याय तो जनता को मिल पायेगा ।

एक बात और कहना है और मैंने इस संबंध में अपना संशोधन भी दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नित्यप्रति रूप से सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक घरेलू उद्योग के लिये विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिये । जितने ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य हैं वे जानते हैं कि बरसों हो गये परन्तु इस समय वहां बिजली नहीं दी गयी है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाकायदा बिजली सप्लाई के लिये पैसे देते हैं तब उन्हें क्यों नहीं बिजली दी जाती है ? हमारे बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि वे घरेलू उद्योग बिजली के द्वारा करें । शासन से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात की घोषणा करे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शाम से रात के 10 बजे तक बिजली की सप्लाई की जायेगी निश्चित रूप से । मैं समझता हूं कि मेरे प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है क्योंकि ऐय्याशी के लिये, सैर-तफरी के लिये आप बिजली देते हैं । शहरों में देखिये होटलों के बाहर लिखा रहता है कि "एयर कण्डीशन्ड बार" तो शराब पीने के लिये आप बिजली दे सकते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उद्योग के लिये आप बिजली नहीं दे सकते जबकि वह पैसा दे रहा है तब भी आप उसे बिजली नहीं दे पा रहे हैं परन्तु जहां नम्बर 2 का पैसा चल रहा है वहां आप बिजली दे रहे हैं । बिजली देने के बारे में कोई नीति निर्धारित की जाय जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाम से रात 10 बजे तक निश्चित रूप से बिजली की सप्लाई दी जा सके ।

इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जिला बिजनौर को पहाड़ी जिला घोषित किया जाय । मान्यवर, मैं बिजनौर जिले से आता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि जिला नैनीताल का जितना पहाड़ी क्षेत्र है असितन उतना ही जिला बिजनौर में पहाड़ी क्षेत्र है या उससे ज्यादा ही होगा । इसीलिये मैं मांग करता हूं कि जिला बिजनौर को सरकार पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि बिजनौर जिले को

पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाये । अफजलगंज विधान सभा चुनाव क्षेत्र है, अभी तक शासन कहता रहा है कि वहां पर नलकूप नहीं लगाये जा सकते हैं क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर वह लग नहीं सकेंगे । मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगले दो वर्षों में विशेष कोटा देकर 20–30 नलकूप वहां पर लगाये जायें क्योंकि वहां पर नलकूप लगने लगे हैं । दूसरी बात यह है कि यह क्षेत्र नहरों के टेल इन्ड में पड़ता है इसलिए नलकूप विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह नहरों के सिंचाई क्षेत्र में आता है, इसीलिए वहां पर नलकूप नहीं लगाया जा सकता है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको नहरी क्षेत्र से काट दिया जाये जिससे वहां पर नलकूप लगाये जा सकें । शासन ने खांडसारी इकाइयों का न्यूनतम भाव निर्धारित नहीं किया है जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है । मान्यवर, यह कहते हुए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा माननीय सदन में चल रही है उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और जो प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय मैं बाहर से आयी सम्मानित नेता विरोधी दल बोल रहे थे, उनकी आवाज मुझे सुनाई दी, कि यह किसी भी काम की महिला नहीं है । जो हरिजन समाज कल्याण समिति में मनोनीत की गयी है । क्योंकि वह शहर में रही हैं और गांव में काम करने का अवसर उनको नहीं है । वह गांव में काम कर ही नहीं सकती हैं, मैं इसको सुनकर स्तब्ध रह गयी । उनके नेता चौधरी चरण सिंह यहां पर मुख्य मंत्री रह चुके हैं और जब उनकी सरकार बनी तो जिन समाज कल्याणकारी संस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया, अगर मैं भूलती नहीं हूं तो उन्हें न शहर की महिला मिली और न देहात की महिला मिली, उनको मिली अपनी लड़की जिसको उन्होंने बोर्ड में नामिनेट कर दिया । मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं लखनऊ की वह बहन जो कभी देहात नहीं गयीं उन्को समाज कल्याणकारी संस्थाओं में मनोनीत कर दिया गया, मा0 नेता विरोधी दल को यह बात नहीं याद आयी । उस समय उनके नेता ने ही यह सब किया था । अगर वह उनको उस समय सलाह देते कि कभी हो सकता है कि हम भी विरोध में बैठेंगे तो हम क्या जवाब देंगे । अगर वह उस समय किए होते तो इस समय उनको कहने का मौका मिल जाता । मैं कहती हूं कि महिलायें गांव में काम करती हैं, गांव में जो महिला सेविकायें थीं उनका खातमा इनकी सरकार ने कर दिया था मैं विरोध पक्ष के साथियों की बात कह रही हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस वक्त महिला ग्राम सेविकायें थीं जो कि गांव में काम करती थीं तो उनकी सरकार ने उनको साफ कर दिया और जब वे हन्गर स्ट्राइक पर बैठी तो उनसे बात नहीं की । मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि जिस रूप में वह आयी थी उन्होंने उसी रूप में प्रदेश की महिलाओं की तरफ ध्यान दिया और आज सारे प्रदेश में भारी-भरकम तरीके से महिलायें काम कर रही हैं, कोई भी देखना चाहे वह देख सकता है. . . . . ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

दो शब्द मेनका गांधी के बारे में भी बोल दें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मुझे आपकी सलाह अच्छी नहीं लगती । उसमें कोई दम होता तो मैं जरूर मान लेती । इन्हें एक मौका मिला बड़ी खुशी हुई थी आंध्र, कर्नाटक और त्रिपुरा चुनावों को देखकर । वहां के चुनावों को देखकर इन्हें बड़ी खुशी हुई । इनकी खुशी के ढोल बज नहीं पाये थे कि दिल्ली के चुनाव सामने आ गये । वहां भी उनको ऐसा लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस का सफाया हो जायेगा और कांग्रेस अब कहीं की नहीं रहेगी । इसी इन्तजार में इनकी ढोलक बन्द पड़ी थी, बज नहीं रही थी । दिल्ली के चुनावों का वे इन्तजार कर रहे थे । चुनाव परिणामों के बाद इनके बाजे बन्द हो गये, मायूसी छा गई । इसलिये आंध्र की ढोलक तो ये बजा रहे हैं, दिल्ली का नाम किसी ने नहीं लिया । वहां पर हमने फिर से अपनी गलती सुधारी और विजय प्राप्त की । . . . . (व्यवधान) महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार ने जिस बात की अगुवाई की है, मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाने के लिये कृत संकल्प है ।

प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 46 लाख परिवार हैं जिनकी लगभग 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं । इनमें से 15 लाख परिवारों को विशेष कम्पोनैन्ट योजना के द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य छठी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित किया गया है । यह आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक 9 लाख से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो जायेंगे ।

मान्यवर, मैं विशेष रूप से उसी क्षेत्र में काम करती हूं और मुझे जानकारी है। मैं विस्तार में जाकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं । कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उनका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। मैं कहना चाहती हूं कि ये योजनायें बहुत अच्छी हैं। 9 लाख परिवारों को उठाने की बात है । मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं किन्तु साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं । हम आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं । जैसा माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूं । जो आपका अधिकारी वर्ग है वह हमारी उतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी कि उससे अपेक्षा की जानी चाहिये । उनसे किस तरह से हम काम लें यह विचारणीय प्रश्न है ।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का एक मात्र उद्देश्य यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कैसे ऊपर उठायें, उसमें कैसे सुधार लाया जा सके । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह योजना बड़ी अच्छी है । बहुत अच्छा काम हो सकता है लेकिन हमारी जो योजनायें हैं उनको पूरा करने में जो हमारा अधिकारी वर्ग है उसकी वजह से हम काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं । हम एक वित्तीय वर्ष मानते हैं और उसके अन्तर्गत एक निश्चित कार्यक्रम बनाते हैं जिसके जरिये हम उन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं । मिसाल के तौर पर स्कूल बनाने की योजनायें हैं । जब हम उनके लिये एक निश्चित कार्यक्रम बनाते हैं तो कभी वह टेन्डर की जेब में चली जाती है कभी स्वीकृति की जेब में चली जाती है और इसी में सारा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है जिसकी वजह से वे

स्कूल ग्रामीण अंचल में नहीं पहुंच पाते हैं । जब दूसरे वर्ष वह स्कूल बनता है तो उसके लिये जो धन स्वीकृत होता है उससे वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है और फिर वह मामला अधिकारियों के पिटारे में चला जाता है और फिर वहीं पर खो जाता है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी निश्चित समय के अंदर हम कैसे काम करें इस पर ध्यान देने की बात है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपस में बात न करें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के ध्येय से शासन ने भवनों एवं दुकानों और विकसित भू-खंडों के आवंटन में निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये हैं । इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी चूंकि नीचे के स्तर से इस योजना में मैं काम करती आई हूं (लाल-बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं श्री श्यामलाल बाजपेयी नहीं हूं । आप आज्ञा देंगे तो बोलूंगी महिला होने के नाते मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

यह आवासीय योजनायें जिन तक पहुंचनी चाहिये उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं उसका कारण यह है कि जिन फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह योजनायें हैं वह हमारे अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाते हैं और लिख दिया जाता है कि कोई व्यक्ति नहीं मिला । हम जन प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनको इसका लाभ मिले परन्तु हमें कानोंकान खबर तक नहीं पहुंचती सरकारी आंकड़े बन जाते हैं कि कोई आदमी नहीं मिला । इसलिए आक्सन कर दिया गया और दूसरे आदमी को दे दिया गया । इस बात को भी हमको देखना है इसमें जो कठिनाइयां हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक चीज और कहना चाहूंगी हमारे भाई जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं । यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस बुद्धि के सहारे से ऊपर के लोग फायदा उठा लेते हैं उस बुद्धि का अभाव गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के पास है । जिसके कारण वह ऊपर नहीं उठ पाते हैं । बैंकों से जो ऋण और सहायता उनको मिलनी चाहिये वह सहायता उनको नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं इस पर सरकार को सोचना चाहिये उनको उठाना सरकार का काम है । इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के भाषण पर माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करती हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं । नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करते हुए आपकी इजाजत से मैं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद आभा]

चाहता हूं कि बाजपेयी जी इस समय यहां पर नहीं हैं उनका भाषण पूर्णतया राजनीतिक रहा। चूंकि वह यहां पर नहीं हैं इसलिये उसका तसकिरा नहीं करूंगा। मान्यवर, उनके दिल से कर्नाटक और आंध्र की टीस गयी नहीं है वह इसलिए नहीं गयी क्योंकि 1977 में जब अमृतसर से लेकर नागालैण्ड की पहाड़ियों तक एक सीट भी नहीं मिली थी तो उसी कर्नाटक और आंध्र ने माता जी को 42 और 41 सीटें दी इसलिए वह टीस जायेगी कैसे । 1971 में जब दिल्ली में जनसंघ ने कब्जा किया तो सारे देश में इंदिराजी की पताका लहराई गयी थी और इंदिरा जी ने कहा था कि म्युनिस्पैलिटी और गांव सभाओं के चुनाव का कोई महत्व नहीं है उससे राष्ट्र नहीं बनता है आज उसे वह भूल गयी है कि म्यूनिस्पैलिटी और गांव सभाओं के चुनावों से राष्ट्र नहीं बनता है ।

आज मान्यवर, आन्ध्र और कर्नाटक में यह बात हो गयी तो क्षेत्रीय सकीर्णता की बात कही गयी । मान्यवर, शर्म आनी चाहिये केरल में मुस्लिम लीग से मिल कर यह सरकार बनायेंगे और त्रिपुरा में उस संगठन से समझौता करेंगे जिसका न इस देश की अखण्डता में विश्वास है और न राष्ट्रीयता में और जिसकी तमाम प्रकार की एक्सट्रा एक्टिविटीज हैं । यह उसके साथ हाथ मिलायेंगे और सत्ता में आने का प्रयास करेंगे और उंगली उठायेंगे हमारी तरफ । क्या इस प्रदेश में कोई सरकार है, कोई शासन है, वहां पर बैठने वाला क्या कोई एक भी सदस्य है, जिसको मालूम रहा हो कि कल श्रीपति मिश्र उस कुर्सी से उठ कर उस कुर्सी पर बैठ जायेंगे । कोई भी इस बात को अपने सीने पर हाथ रखकर बता दे कि उसे इस बात का पता था और वह इसे चाहता था । जहां पर इस तरह से जनतंत्र की हत्या हो रही हो, अपने नेता पद के चुनाव में माननीय विधायकों को विश्वास में न लिया जाता हो, उनका नेता ऊपर से थोप दिया जाता हो, अधिकारियों की मनमानी पर उनका कोई बस न हो, ऐसे जन-प्रतिनिधियों की जनता में क्या छवि होगी यह आसानी से समझा जा सकता है ।

(इस समय 4 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

भ्रष्टाचार की बात कही गयी है । यह सरकार भ्रष्टाचार के गर्भ से पैदा ही हुई है । यह चीज मैं नहीं कहता हूं, विरोध पक्ष के लोग नहीं कहते हैं, यह उधर के बैठे हुए लोग कहते हैं कि अमुक लोग—मंत्री भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रि-मण्डल से बाहर करो । इस पर उनको बरखास्त कर दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद वे पदासीन कर दिये गये । इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और क्या नमूना मिल सकता है कि जिसको उसके दल के ही लोग रिश्वतखोर, भ्रष्ट और टेक्स चोर कहते हों और दूसरे दिन ही उसको अपने साथ अगली कुर्सी पर बिठाल लिया जाता हो । इस सरकार की कोई नैतिकता नहीं है कि यह एक दिन भी उन कुर्सियों पर बैठे । मैं एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका कोई जिक्र न राज्यपाल के अभिभाषण में है, न धन्यवाद के प्रस्ताव में है और जिसे न दूसरे सदस्यों ने कहा है । यह प्रदेश गन्ना किसानों को सरकार द्वारा घोषित गन्ने का मूल्य 20.50 रु0 नहीं दिला पाया है वह उसमें फेल हो गया है और इस प्रदेश के पूंजीपतियों ने यह चैलेन्ज किया है कि वह इन वर्तमान मुख्य मन्त्री के प्रशासन में, किसी भी हालत में

रु0 17.40 से ज्यादा दर पर गन्ने के दाम का भुगतान नहीं करेंगे जो ताकत हो कर। और वह नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ? इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि 17 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों ने सत्ता पक्ष को दक्षिण भारत के चुनाव में खर्च करने के लिये दिया है और सरकार के साथ उनका एक समझौता हुआ है कि रु0 17.40 से ज्यादा तुमको नहीं देना पड़ेगा। मिल मालिक समझौते के कार्यान्वयन के प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। यहां पर मैं अपने पूर्वांचल के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने यहां मालिकान का घेराव करके, उनका पाखाना पेशाब बन्द करके, उनसे रु0 20.50 का भुगतान करा लिया है और सरकार मूकदर्शी बनी बैठी रही।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें हैं मिल मालिकों की ? फिर 15 करोड़ रुपये को इन मिल मालिकों से बांट दीजिये। तो क्या आज उनकी यह स्थिति है कि वह इस हिसाब से हर मिल वाले 60 लाख रुपया चन्दा दे दें ?

श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

45 तो इस प्रदेश में हैं और भी मिलों के यह मालिक हैं। अकेले यह एक ऐसा उद्योग है, जिसका अखिल भारतीय संगठन है। अकेले शुगर मिल आनर्स संगठन अपने प्रकार का एक अलग संगठन है, जो पूरे देश में आपरेट करता है। यदि इन्होंने इतना अधिक चंदा आपकी पार्टी को नहीं दिया है तो किसानों को आप 20.50 का भुगतान क्यों नहीं कराते हैं ?आज गन्ना किसान की जो दुर्दशा है, बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ सरकार उत्पादन बढ़ाओ की बात कहती है और जब किसान सरकार की बात मान कर अपना गन्ना उत्पादन बढ़ाता है तो उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारा बेसिक कोटा है, जो पिछले साल का है, उसी हिसाब से हम तुम्हारा गन्ना पेरेंगे इससे ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार की कथनी और करनी बौद्धिक दिवालियेपन और किसान विरोधी नीति का प्रतीक है।

भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। आपके जितने भी कारपोरेशन्स हैं उनमें किसी एक का नाम आप बता दीजिये जिसमें करोड़ों रुपयों का घाटा न हो। सभी में घाटा है और उनमें जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 आफिसर्स हैं उनके बारे में आप केवल इतना ही पता लगवा लीजिये कि कारपोरेशन बनने से पहले उनकी बित्तीय स्थिति क्या थी और आज क्या है ? प्रदेश का एक एक आम नागरिक आज इस बात को कह रहा है कि शासन आज नौकरशाही चला रही है, जनता के प्रतिनिधि तो मूकदर्शक बने बैठे रहते हैं। जो एक मन्त्री चाहता है वह आज नहीं हो रहा है, जो एक सचिव चाहता है वही होता है।

इस लखनऊ शहर में ही 40 लाख रुपयों की तस्करी की शराब पकड़ी गयी। आपने कितने आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही की ? 30 तारीख से पहले यह क्यों बरामद नहीं हुई ? पुलिस और एक्साइज के लोग इसमें पहले से ही मिले हुए थे और जानबूझ कर इस प्रदेश को भ्रष्टाचार की गंगा में डुबा रहे थे।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

जितने खराब काम हुए उनके बारे में सत्ता पक्ष से यही कहा जाता है कि यह काम जनता सरकार के जमाने में हुए । जनता सरकार के समय में 2.50 रुपये चीनी का भाव था, यह नारकीय जीवन था, उसने छोटी जोतों पर लगान माफ किया यह नारकीय जीवन था, उसने सड़कें बनायीं यह नारकीय जीवन था, और आज यह कांग्रेस की सरकार जो बिजली की दरों में 35 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी कर रही है, जो टैक्स बढ़ा रही है, भूमि कर बढ़ा रही है, यह स्वर्गीय जीवन है । मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता आपको यह बतायेगी कि जनता सरकार का ढाई साल का समय नारकीय जीवन था या आपका यह समय नारकीय जीवन रहा ।

मान्यवर, यह सरकार पोलिटिकल डिसीजन्स भी नहीं ले पाती है । उसमें भी यह फेल रही है । कहा गया और कई बार सदन में घोषणा की गयी कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे । माननीय मुख्य मन्त्री का भी बयान आया कि शीघ्र उनके चुनाव करायें जायेंगे । मगर अभी तक नहीं हुए । यह सरकार अभी तक यह डिसीजन नहीं ले पा रही है । क्षेत्र समितियों में जो 15 लोग कोआप्टेशन से लिये जायें या नामिनेशन से ।

मान्यवर, यह प्रदेश बैंक्रप्सी की ओर बढ़ता चला जा रहा है । अभी हमारे एक साथी ने हमारी तरफ होने वाली अनाज की तस्करी का जिक्र किया था, उस पर माननीय वासुदेव सिंह जी ने कहा कि हमको धीरे से बता देना, हम कार्यवाही करेंगे । हमारे यहां देवरिया, गोरखपुर और बस्ती से काफी गेहूं और चावल नेपाल को जा रहा है । उसके कारण अनाज के दाम काफी बढ़ गये हैं । आपके अधिकारियों के मिले होने के कारण ही यह तस्करी इतने जोरों पर चल रही है और आप रोक नहीं पा रहे हैं । इसके विपरीत अभी 35 किसान हमारे यहां के एक रेलवे स्टेशन से साइकिलों पर एक-एक क्विंटल गल्ला लिये जा रहे थे । उनको पुलिस ने पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया । यह कौन से अधिकार से किसानों को बन्द किया गया और उधर ट्रक के ट्रक अनाज के बाहर जा रहे हैं और तस्करी हो रही है और यह इतने जोरों पर है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते । जो हमारे सीमान्त के जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई है। वहां का नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त है । गोरखपुर में पिछले महीनों में शेर ने सौ से ज्यादा जानवरों को खा लिया और कोई भी कार्यवाही जिला प्रशासन ने या प्रदेश के स्तर से नहीं की गयी। मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सरकार दिशाविहीन है। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण बिलकुल तथ्य विहीन है। वह सिर्फ रसम अदायगी मात्र है। इन शब्दों के साथ में माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(4 बजकर 20 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं सदन के समक्ष एक-एक करके उन्हें पढ़ना चाहता हूं। पहली श्री सुग्रीव सिंह की, गोरखपुर विश्वविद्या-के छात्र नेता श्री ओंकार सिंह की हत्या के बारे में है। दूसरी व तीसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, और हरगोविन्द वर्मा की, महौली, जनपद सीतापुर में गन्ना किसानों

पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की है, जिसमें शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है। पांचवीं श्री बैजनाथ कुशवाहा, श्री राम नरायन सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मोती लाल देहलवी की है, इलाहाबाद जनपद के आठ गांवों को पुलिस तथा अधिकारियों द्वारा लूटने के सम्बन्ध में । छठी श्री मोहन सिंह की, लखनऊ नगर के हुसैनगंज चौराहे पर संजय विचार मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। सातवी श्री सन्त बक्स रावत की है, टाउन एरिया गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में पीने का पानी की टंकी का त्रुटिपूर्ण निर्माण एवं पाइप लाइन न बिछाने के सम्बन्ध में है। आठवी श्री सरदार सिंह की है, बांदा जिले के मोधनी ग्राम में 3 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में और यही सूचना इन माननीय सदस्यों ने भी दी है, जिनके नाम इस प्रकार है——नवी श्री हरिबंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह, दसवीं श्री रियासत हुसैन एवं श्री राम गोविन्द चौधरी । ग्यारहवीं श्री सत्यपाल सिंह यादव की सूचना है, 26 नवम्बर, 1982 को एनेक्सी भवन लखनऊ में श्री प्रेम कुमार नीलम पत्रकार व सुरक्षा गार्डों के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में अनशन किये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है, जनपद बस्ती के थाना छावनी के थानाध्यक्ष द्वारा 42,500 रुपये छीनने के सम्बन्ध में । तेरहवीं श्री राम सागर और श्री जमुना प्रसाद की है, बिजली की दरों में वृद्धि से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में। चौदहवीं श्री छत्तर सिंह की है, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। मैंने उनको पूरे तरीके से देखा है और वक्तव्य के लिए, नियमों के अन्तर्गत क्योंकि एक ही सूचना ली जाती है, श्री सुग्रीव सिंह की जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता श्री ओंकार सिंह की हत्या के सम्बन्ध में है, उसको स्वीकार की है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है और बाकी को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री गोरे लाल शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, एक बात जो विरोधी दल की तरफ से कहा जाता है कि प्रदेशीय सरकार या केन्द्रीय सरकार चुनावों को समय पर नहीं कराती है। तो मान्यवर, चुनाव तो हमेशा कभी तो उनकी आशा से पहले ही, समय पर करा दिये गये हैं और कभी समय पर कराये गये हैं और गांव सभा के चुनाव तो करा दिये गये हैं और बहुत से चुनाव समय पर ही अभी कराये जाने वाले हैं और आसाम का चुनाव होने जा रहा है, तो कहते हैं कि कराया न जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता की तरफ से भी कुटीर उद्योग धंधों पर बल दिया जा रहा है और कभी-कभी आलोचना की गयी है कि यह सत्ताधारी लोग बड़े उद्योगों को खोलना चाहते हैं और यह सरकार छोटे उद्योगों को नहीं खोल रही है । हमारी सरकार ने कुटीर उद्योगों को घर-घर में खोलने का बीड़ा उठाया है और जो संकल्प किया है, उससे विरोधी दल को इसकी तारीफ करनी चाहिए । मान्यवर, अभी

[श्री गोरे लाल शाक्य]

तक हरिजन छात्रों को 11वीं कक्षा से अनिवार्य छात्रवृत्ति मिलती थी लेकिन अब 9वीं 10वीं कक्षा में भी अनिवार्य छात्रवृत्ति कर दी गयी है । इससे हरिजनों को एक अच्छा लाभ पहुंचा है । मान्यवर, यह भी शिकायत की जा रही है समय समय पर कि चीनी उपलब्ध नहीं होती है, खासकर गांवों में उपलब्ध नहीं होती है । हमारे शासन ने चीनी के अभाव को दूर करने के लिए प्रदेश में तीन और चीनी मिलों की स्थापना कर दी है इससे जो चीनी की कमी है वह कभी आगे नहीं होगी । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है । जगह ब जगह बरसात से और बाढ़ से कटाव हो रहा है । खासकर पहाड़ों पर कटाव होता है। इससे नदियां उथली हो जाती हैं । इस बाढ़ को रोकने के लिए तथा अच्छी बरसात के लिये वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी हो गयी है । इसलिए यहां करोड़ों-करोड़ों वृक्ष लगाये गये हैं यह इस सरकार ने किया है ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यह निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए परिषद् की नियुक्ति हो गयी है यह एक अच्छी बात है ताकि गरीबों को, हरिजनों को निशुल्क कानूनी न्याय मिल सके और उनकी सहायता की जा सके । गरीबों की कायापलट करने के लिए जो यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है इससे गरीबों की और हरिजनों की कायापलट होगी । इसलिए आप लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, मैंने सारा भाषण पढ़ा, अभिभाषण पढ़ा, माननीय राज्यपाल जी का तो कहीं मुझे महक नजर नहीं आती है । लेकिन मान्यवर, जब सदन के बाहर जाता हूं तो एक नजर जाती है । मान्यवर, मैं अदब से कहना चाहता हूं आप विरोधी और सरकारी लोगों, आप लोगों से भी मान्यवर आपसे भी कि माननीया इंदिरा गांधी जी ने जो भ्रष्टाचार की खिलाफत की है और जो इस समय नौकरशाही ही नहीं भ्रष्ट नौकरशाही हावी है इसका कोई जिक्र नहीं है । यह तो आम समस्या भ्रष्टाचार की और भ्रष्ट नौकरशाही एक मौजूदा समस्या है जिसका जिक्र इस भाषण में आना चाहिए था, वह नहीं आयी है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है कि लेजिस्लेचर नं0 1 का है और जुडिशियल नं0 2 का तथा नं0 3 पर इक्जीक्यूटिव आती है । सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है लेकिन इस निर्णय को ताक पर रखकर यह नौकरशाही पहले नं0 पर चल रही है और हमारे सत्ताधारी लोग, जो जिम्मेदार भी हैं, इसको अनदेखा कर रहे हैं । इस तरह से मान्यवर, एक समय यह हो जायेगा कि इस सदन में विधायक नहीं बैठेंगे, अपित नौकरशाही यहां पर बैठेगी और हम लोगों का यहां से पलायन हो जायेगा अगर यही व्यवस्था चलती रही । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि आज चाहे कोई भी विभाग हो सी0आई0डी0 विभाग की जांच हो या गम्भीर से गम्भीर मसलों पर यहां तक कत्ल या डकैती पर भी केवल औपचारिकता मात्र की जांच हो रही है । तो चाहे सी0आई0डी0 या विभागीय जांच हो इसमें कोई दम नहीं है वह तो संकल्प कर लेते कि उन्हें इस तरह से करना है तो वह उसी तरह से करेंगे। इससे आप स्वयं अवगत हैं ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि एक जांच विभाग अलग से बना दिया जाय जिसमें अलग से नियुक्तियां हों जिसके डायरेक्टर अलग हों, जिसके सचिव अलग हों तब यह

न्याय मिल सकता है इसमें हमको और सभी अधिकारियों को न्याय मिल सकेगा । मान्यवर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन को पवित्र मानता हूं । मैं हिन्दू हूं गंगा जी को पहचानता हूं रामायण को पहचानता हूं ईश्वर को पहचानता हूं इसलिए मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने हाकिम परगना को मारा नहीं । हाथ से नहीं मारा, लात से नहीं मारा, डंडे से नहीं मारा, किसी से मैंने मारा नहीं है । जब मुख्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना हुयी, 2 साल तक दौरा करने नहीं गये तो मैंने कहा कि तुमको चलना पड़ेगा । केवल इतनी सी बात है और कुछ नहीं । हमारे खिलाफ मान्यवर, सी0आई0डी0 ने चार्ज लगाकर दे दिया है तो जब झूठे चार्जेज लगाकर दे दिये जायेंगे तब क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप अभिभाषण के संबंध में बोलिये ।

श्री गोरे लाल शाक्य–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जेल के अन्दर हमारे ऊपर कातिलाना हमला हुआ । यहां से टेलीफोन, लखनऊ से गया किसी बड़े अधिकारी का कि वहां पर दिखा दें कि इनके साथ कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ है हम सब देख लेंगे । जेल में रिकार्ड है, कातिलाना हमला हुआ, रिपोर्ट है, हमारी डाक्टरी हुयी है लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कातिलाना हमला नहीं हुआ । बड़े-बड़े अधिकारी साबित करना चाहते हैं कि जेल के अन्दर इनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है ।

(शेम शेम की आवाजें ।)

मान्यवर, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है । जनतंत्र में जो विधायिका है वह तभी फंक्शन कर सकती है जब इक्जीक्यूटिव मदद करेगा । जब इक्जीक्यूटिव मदद नहीं करेगा तो विधायिका फंक्शन नहीं कर सकती है । जब विधायकों के ऊपर कातिलाना हमले का षडयंत्र किया जायेगा, विधायकों को मारने की कोशिश की जायगी तो विधायिका नहीं चल सकती है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं मान्यवर, रतूड़ी एस0एस0पी0 के बारे में सबूत हमारे पास हैं । कत्ल के केस में उसने रिश्वत लेकर छोड़ दिया । डकैतों से रिश्वत लेकर छोड़ दिया । पचासों रिश्वत के केस हैं जिसमें डकैतों से, कतलियों से पैसा लेकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया । पचासों केसेज में कोई सुनवायी नहीं हुयी है। रतूड़ी एस0एस0पी0 तो क्या एस0पी0 रहने के लायक वह नहीं हैं । उनको रिवर्ट करना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो महत्व की न हो । इसका तुरंत प्रबंध होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त होने को है ।

श्री गोरे लाल शाक्य–

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मान्यवर, यहां पर सर्वोपरि हैं । विधायकों की रक्षा के लिए आप एक नजीर कायम करिये। अध्यक्ष का निर्णय नजीर बनता है इसलिए आप अपनी नजीर कायम करें और एक इतिहास कायम करें। विधायकों की आप एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट मंगायें ताकि कोई निर्णय लिया करें ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री गोरे लाल शाक्य–

इक्जीक्यूटिव कोई रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं है वह ईमानदार नहीं रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोरे लाल शाक्य–

इन शब्दों के साथ मैं जो अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय सदन में अक्सर सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण सरकार की उपलब्धियों पर हुआ करता था लेकिन आज सत्ता की हालत यह हो गयी है कि सत्ता पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं, और उनका जो भाषण आ रहा है उसमें सरकार के कुकर्मों और भ्रष्टाचार की चर्चा है । कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो उसकी चर्चा न कर रहा हो । मान्यवर, वास्तव में हम लोग इस आशय पर पहुंचे हैं कि प्रदेश में हर तरफ आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है । मान्यवर, जो प्रदेश के बड़े-बड़े विभाग हैं और जो निगम हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है । हमारे जनपद बाराबंकी में जितनी भी परिवहन विभाग की बसें चल रही थीं वह सारी की सारी बसें वहां से हटा दी गयी और अब सारी सड़कें प्राईवेट बसों के मालिकों के हाथों प्रशासन में बेच दी गयी हैं और वह सारा पैसा उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्री तक आता है ।

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बहुत दुहाई दी जा रही है जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है । हमारे जनपद बाराबंकी में 200 रुपया लेकर पुलिस वाले प्रति पेड़ी कटवा रहे हैं अगर इस पर रोक न लगाया गया तो बाराबंकी रेगिस्तान बन जायेगा। हमारे जनपद में जो भ्रष्टाचार है उसके सम्बन्ध में हमने तमाम सवाल उठाये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 24-8-82 को मेरे जनपद में थाना कोठी के अन्तर्गत एक नदी है राड़ी उस पर एक लकड़ी का पुल बनना था वहां पर लकड़ी आ गयी थी लेकिन वह सारी की सारी लकड़ी थानाध्यक्ष ने अपने घर बनारस जहां उनका मकान बन रहा है उठवा ले गये । इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला । बल्कि जितने सबूत देने वाले लोग थे उनके खिलाफ उस दरोगा ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया । उन गवाहों की जानें संकट में आ गयीं फिर मैंने दुबारा पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा कि जांच को प्रभावित न कर सके यह दरोगा इसलिए इसका यहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया । अन्त में मजबूर होकर हामको और हमारे जिले के 3 विधायकों को 16/17-10-82 को अनशन पर बैठना पड़ा और उस समय हमारे जिले के जिला प्रशासन ने यह कहा कि पुलिस जो

कुछ कर रही है वह ठीक कर रही है । दूसरे दिन जब हम घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे पता चला कि उस दरोगा ने मेरे गवाहों के खिलाफ एक मुकदमा लिखा है कि मैंने बन्दूक की नोक पर एक आदमी का अपहरण किया है। इतना ही नहीं कोठी थाने के दरोगा ने एक गवाह के विरुद्ध मुकदमा 396 का मुल्जिम बनाया है । आज तक यह सरकार उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । मैंने उस थानाध्यक्ष कोठी के विरुद्ध एक आरोप पत्र लिखकर दिया था और मांग की थी कि उस दरोगा का तबादला करके आरोपों की जांच कराई जाय लेकिन आज तक उन आरोपों की जांच करना किसी अधिकारी ने गंवारा नहीं समझा । मान्यवर, हम ही नहीं घटना से जो भी संबंधित थे उन सब पर जुल्म किया जा रहा है । मान्यवर, आज जितने भी जन प्रतिनिधि हैं समाजसेवी हैं उनकी जानें संकट में हैं । मान्यवर, आज हम कोई भी जन प्रतिनिधि अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं । आज मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने भाषण किया लेकिन किसी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया बल्कि यही कहा कि सारे लोगों की जानें संकट में हैं।

यह सरकार का पूरा हमने भाषण पढ़ा है। राज्यपाल महोदय ने तो कोई भाषण दिया नहीं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के नाम पर जो आया, उसको पढ़ा । बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई बात उसमें नहीं कही गयी है। गांधी जी ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह कहा था कि हमें कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दें लेकिन यह सरकार बड़े उद्योगों को और बड़े-बड़े कारखानों को लगाकर, कुटीर उद्योग धंधों बनाम बड़े कारखानों की जो लड़ाई शुरू कर दी है उससे सभी कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है और जो लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, हमारे नौजवान लोग, उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या आ गयी है। वे सब दिशाहीन हो गये हैं। इस तरीके से जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके धन्यवाद का भाषण हुआ उसका मैं विरोध करता हूं और जो माननीय नेता विरोधी दल ने जो भाषण दिया है, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुमन लता–

आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम विधायकों के समक्ष सरकार की जिन नीतियों एवं कार्य-कलापों का दिग्दर्शन किया है, वह हमारे प्रदेश का सम्पूर्ण विकास करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। भारतीय संविधान के मूल तत्व, समता एवं समानता पर आधारित हमारी समस्त जो आर्थिक और सामाजिक योजनायें हैं उनका परिपालन और उनके अनुसार कार्य करने की बात कही गयी है। मान्यवर, आप सभी ने भाषण पढ़ा है। उसमें विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति और निर्बल आय वर्ग के लोगों के विकास की बात कही गयी है जिससे कि वे सुविधा सम्पन्न लोगों के साथ अपना जीवन यापन कर सकें और अपने को समानता की दिशा में अग्रसारित कर सकें।

मान्यवर, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो आवंटित भूमि है, हमारे हरिजन भाइयों, गरीब लोगों के नाम पर, उन पर अवैध कब्जा है, उसे वापस दिलाया जाये और जिसका कब्जा है उसको उचित दण्ड दिया जाय। इस बात पर भी जोर दिया गया है।

[श्रीमती सुमन लता]

जैसा कि और हमारे भाइयों ने कहा, माननीय सदस्यों ने कहा, कक्षा 9 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति निश्चित रूप से दिलवायी जायेगी और उनके लिए छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की है।

मान्यवर, गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए हमारी सरकार के पास योजनायें हैं। पहली योजना है, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। दूसरी एकीकरण नगर विकास योजना। इन योजनाओं से काफी सफलता मिली है प्रदेश को और भविष्य में भी इसमें सफलता मिलने की आशा है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हमारी सरकार की जो नीति है, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, वह है कि हम इस क्षेत्र में अपना विकास करें। उसके लिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है कि सरकार की जो रणनीति है वह है विद्युत उत्पादन और बढ़ाया जाये। मान्यवर, जब तक हम विद्युत् उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेती है। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मान्यवर, दूसरी बात है सिंचाई क्षमता में वृद्धि की। इसमें काफी साधनों की वृद्धि की गयी है। नये नलकूप और अन्य साधन उपलब्ध कराये गये हैं। किसानों को उन्नतिशील बीज और कीट नाशक दवाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी है जिससे गरीब किसान जो हैं वह अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकें और अपने को बड़े किसानों के बराबर ला सकें। मान्यवर, बहुत ही अहम् बात यह है कि हमारे मजदूरों का न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया है जिससे उनका शोषण न हो सके।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विशेष रूप से वृक्षारोपण, नई सड़कें बनवाने सस्ते और शीघ्र न्याय की व्यवस्था करने के साथ ही साथ राज्य कर्मचारियों और अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि की बात कही है, यह भी महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीयता की भावना एवं साम्प्रदायिक सद्भावना हेतु यूथ क्लबों की स्थापना करना। जिससे एक कल्याणकारी राज्य की सही माने में स्थापना हो सके, इसके लिये हमारी सरकार पूर्णरूपेण कृतसंकल्प है। जैसा और लोगों ने कहा हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वह प्रजातंत्र में आस्था नहीं रखती है। मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि ग्राम्य विकास मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये। इसके अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस कार्य में शीघ्र ही सफलता मिलेगी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बल दिया है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जायेगा इससे महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्नति के अवसर मिलेंगे वैसे तो सभी लोग भाषण देते हैं बजट सत्र में कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हुआ है और क्या काम शेष रह गया है। बजट सत्र में तो यह बताना पड़ेगा। इस वक्त यह बताना है कि राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार को किस ओर अग्रसारित किया है। किस ओर मोड़ना है सरकार का ध्यान, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप कृपया सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

एक सदस्य–

कृपया इस बात को देख लें कि मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

होना चाहिए, आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया है, काफी है।

श्रीमती सुमनलता–

मान्यवर, हमारी सरकार की यह भी नीति है कि हमारे जो दुर्बल आय वाले लोग हैं उनको सस्ते दामों पर मकान और जमीन उपलब्ध कराई जाये। एक अहम् बात यह कही गयी है वह यह है कि महिला वर्ग की बात नहीं कही गयी। वैसे महिला शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया लेकिन सर्वांगीण विकास की बात कही गयी है जाति एवं धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए हम मानते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी उसमें सन्निहित है। हर स्तर पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है। इन शब्दों के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि यह है हमारी सरकार की प्रमुख नेताओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, जो क्रिया-कलाप है, उसकी संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की गयी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हां एक बात की कमी जरूर है जो आदेश मंत्री लोग करते हैं उनका सही रूप में पालन नहीं होता है। जो आदेश हमारे माननीय मंत्रीगण करते हैं उनका सही रूप में पालन नहीं होता है। दूसरी बात जो आती है सम्मान की। हमारे उच्च अधिकारी वर्ग हम लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं यदि इस बात को ध्यान में रखा जाय तो हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है, इसकी बहुत उन्नति हो सकती है और इसकी उन्नति से एक आदर्श बनेगा। अन्त में इन शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, अभी हमारे विपक्ष के नेता जी ने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया और हरिजनों के नाम से अपने ऐसे आंसू बहाये कि उन आंसुओं को रखने के लिये एक ऐसे घड़े की तलाश थी वह घड़ा 1980 में ही फूट गया था।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अभी अपने दिल्ली का जो चुनाव हुआ, अमूमन वहां जितने भी हरिजन सदस्य खड़े थे वे सभी जीते हैं। तो इस तरह से विपक्ष के नेता जी ने जो हरिजनों की दुहाई दी, उससे यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान में एक मात्र पार्टी है वह है कांग्रेस पार्टी और उस हिन्दुस्तान की नेता है-श्रीमती इन्दिरा गांधी जी। यह उन्होंने स्वयं साबित कर दिया।

[श्री बिहारी लाल]

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां से मैं चुनकर आया हूं वह क्षेत्र तराई तथा पहाड़ दोनों से मिलता है मैं दोनों जगह की समस्यायें आपके सामने रखना चाहता हूं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पहला मुद्दा है वह है वृक्षारोपण अर्थात् वृक्षों को काटने से रोका जाय। मैंने अपने क्षेत्र खटीमा और आखलकाण्डा के मामले को 30 अगस्त, 1982 को इस हाउस में उठाया था और उस समय यह मामला उठा था कि 30 लाख से 35 लाख रुपये तक वहां पर पेड़ काटे गये। श्रीमन्, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जिला अधिकारी के बारे में बताया जो जिले से सम्बद्ध रहता है। विधायक चाहे इस पक्ष के हों या विपक्ष के, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन डीसीजन वह कर नहीं सकते हैं, फैसला वह कर नहीं सकते हैं, इस बात के हकदार केवल वे ही लोग हैं। जांच पड़ताल का काम उच्च अधिकारी करेंगे, डी0 एफ0 ओ0 करेगा, जो पी0 सी0 एस0 व आई0 ए0 एस0 अधिकारी होगा वह करेगा। मान्यवर, यह एक गम्भीर बात है। ये सभी आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिये गलत काम करते हैं। मैं, यह निवेदन कर रहा हूं मा0 मंत्री जी से तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उनके ऊपर सख्त नजरें रखी जांय। मान्यवर, सूचना देने के बाद भी कि वहां पर 30-35 लाख रुपये के पेड़ काटे गये, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच पड़ताल कराने की कृपा करें। मेरा क्षेत्र खटीमा, टनकपुर नेपाल बार्डर से मिलता है, जहां पर बहुत बड़ी तस्करी होती है। इस तस्करी को करवाने वाले आपके एक्साइज इन्सपेक्टर हैं। लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं की गई है क्योंकि एक अफसर दूसरे अफसर से मिला रहता है। इस प्रकार वे एक दूसरे का पाप ढकते रहते हैं। इसकी जांच-पड़ताल कोई विधायक नहीं कर सकता है। जांच-पड़ताल तो सिर्फ अफसरों के हाथ में है।

अब श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये बहुत योजनायें चलायी हैं लेकिन उनका ठीक से कार्यान्वियन नहीं हो रहा है। तो उनका कार्यान्वियन कौन करायेगा वह जिलाधिकारी करायेंगे। उनका परसेन्टेज बढ़ गया है पहले 5 प्रतिशत था जो अब 10 और 15 प्रतिशत हो गया है। इससे पहाड़ में जो जाता है उसका आधा अधिकारियों की जेब में चला आता है और आधा योजना पर खर्च होता है। इसी प्रकार अब हो गया है कि सारी योजनायें जिले में बनेंगी और जिलाधिकारी योजना बनायेगा और वह न सांसदों से और न क्षेत्रीय विधायक से कुछ पूछेगा। पहले होता था कि मंत्री जी की खुशामद कर लिया तो क्षेत्र में कुछ बन जाता था स्कूल और सड़कें बन जाती थीं लेकिन अब डी0 एम0 की खुशामद हो नहीं सकती जिससे वह डी0 एम0 की जो मर्जी होती है वह होता है। इन बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो पेड़ कटे हैं और जो तस्करी हो रही है उसकी जांच कराकर कार्यवाही मुख्य मंत्री जी करायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमको नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को हमने गौर से पढ़ा और उसमें कोई भी हमको नई बात देखने को नहीं मिली। परम्परागत अभिभाषण जैसे हमेशा सरकार बनाकर दे देती है और राज्यपाल महोदय उसको पढ़ देते हैं वैसे ही इस बार भी अभिभाषण देखने को मिला।

अभिभाषण में कहीं भी प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है उससे निपटने के लिए कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक अत्याचारों का अम्बार लग गया है। आये दिन डकैती और लूटमार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है और हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके बावजूद शासन के लोग बड़ी निर्लज्जतापूर्वक कहते हैं कि सरकार जनतांत्रिक तरीके से अच्छी तरीके से प्रशासन को चला रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि उसी प्रकार सरकार इस प्रदेश को ठीक से चला रही है तो यह सरकार न होती तो भी इससे भी अच्छा प्रशासन चल सकता था। मा0 सदस्यों ने जनता पार्टी के कार्यों का भी तुलनात्मक भाषण दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने अपने अल्प अवधि में जो काम देश और प्रदेश में किया है, जो उसने अपने प्रशासन में पकड़ रखी थी, उसका यदि सरकार आधा भी कर दे तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। इन्होंने क्या किया है ? जो पिछली सरकार ने गांवों में विकास योजना को लागू किया था उनको तोड़ने मरोड़ने का काम इस शासन ने जरूर किया है। पिछली सरकार ने जितने भ्रष्ट अधिकारियों को शासन से हटाने और निलम्बित करने का काम किया था उनको लगे का काम इस सरकार ने जरूर किया है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है और पूरे विधान मण्डल के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि श्रीमन्, इस प्रदेश में एम0एल0ए0 और एम0 पी0 बेकार साबित हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अभी और समय लेंगे, वैसे आपका अभी 5 मिनट का समय है, इसलिए यह भाषण आपका कल भी जारी रहेगा, अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे पूर्वाह्न में फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 फरवरी, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 223 पर]

श्री राजकुमार राय, सदस्य, विधान सभा ने अपने शिकायती पत्र दिनांक 9-10-80 में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, आजमगढ़ के प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित शिकायतें की हैं :—

"मेरे जनपद आजमगढ़ में एस0 टी0 एस0 के प्रवेश में एस0 टी0 एस0 के हेड आफ डिपार्टमेंट तथा प्रिंसिपल द्वारा बहुत सी अनियमिततायें बरती गयीं हैं। कुछ तथ्य नीचे दिये जा रहे हैं:—

(1) एस0 टी0 एस0 में केवल 72 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति निदेशक द्वारा है। परन्तु बिना अनुमति लिये इससे ज्यादा प्रवेश दिया गया है।

(2) प्रवेश के लिए भेजे गये काल लेटर में शर्त थी अंक स्टिट बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित सभी प्रमाण-पत्रों के साथ बयान हल्फी देने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। लेकिन शर्त तोड़कर प्रवेश लिया गया है।

(3) अवयस्कों को बयान हल्फी का प्राविधान न होने पर भी उनके बयान हल्फी की शर्त क्यों रखी।

(4) हौसिला सिंह एवं जुगुल प्रसाद राय प्रवेश समिति में रखे गये । तो इन्होंने अपने भतीजों का प्रवेश लिया है। तथा के0 पी0 सिंह ने पैसा लेकर मार्कसीट बदला है।

(5) प्रवेश समिति के सदस्यों ने अपने कन्डीडेटों को 25 सितम्बर रात्रि में 11 बजे रात में प्रवेश दिया।

(6) मेरिट का पता किसी को नहीं बताया गया।

(7) क्या विद्युत प्रवक्ता हौसिला प्रसाद सिंह 79 की प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्रों को भड़काने में दोषी पाये गये थे। उनका स्थानान्तरण हुआ तथा पुनः निरस्त करके आजमग में ही हैं ।

(8) श्री के0 पी0 सिंह, एस0 टी0 एस0 में शीट मेटल इंस्ट्रक्टर हैं निदेशक के आदेशानुसार तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री कुरेशी ने इनका सम्पूर्ण चार्ज ले लिया था। फिर भी इस समय वे प्रवेश परीक्षा तथा लाइब्रेरी आदि का चार्ज लिये हुए हैं ।

(9) श्री के0 पी0 सिंह उत्तीर्ण छात्रों से प्रमाण पत्र का पैसा वसूलते रहते हैं।

(10) श्री के0 पी0 सिंह की प्रोन्नति खुर्जा पालीटेकनिक में हुई इन्हें 30 अप्रैल, तक जाना था परन्तु प्रवेश में धांधली तथा परीक्षा के लिये अभी तक नहीं गए।

(11) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एस0 टी0 एस0 हेड का भतीजा है।

(12) संजय राय जुगुल प्रसाद राय का भतीजा है। दोनों लड़कों की मार्कसीट द्वितीय श्रेणी की है। जबकि प्रथम श्रेणी के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया ।

(13) इसके बाद पुनः 16 लड़कों को प्रवेश लिया गया जिनकी श्रेणी द्वितीय थी।

(1) विजय कुमार चौबे (2) अनिल कुमार राय (3) अनिल कुमार।

इन सब बातों को देखते हुए सभी आलेख जब्त करके जांच करायी जाय तथा दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये तथा मुझे भी जांच से अवगत कराया जाय ।''

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 245 पर।)

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	वर्ष 1982-83 आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)
1–हटा पिपराइच मार्ग	3.00	1.50
2–हाटा गौरी बाजार मार्ग	2.5	1.20
3–कप्तानगंज पिपराइच मार्ग	5.00	2.20
4–हाटा रुद्रपुर (गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग)	5.00	2.55
5–कप्तानगंज रुद्रपुर मार्ग	2.5	1.65
6–रुद्रपुर पिंडराघाट मार्ग	1.00	0.60
7–पडरी बाजार से पकड़ी मार्ग	1.00	0.90
8–कंचनपुर बघौचाघाट मार्ग	1.00	0.85
9–हेतिमपुर महुआडीह मार्ग	1.00	1.00
10–बैजनाथपुर दसई देवरिया मार्ग	1.00	1.00
11–नोनापार बंशीपार पयासी मार्ग	0.5	0.65
12–गुठनी बरहज रुद्रपुर मार्ग पर बरहज बाई पास मार्ग	0.5	0.75
13–करजना परसिया मार्ग	3.00	1.20
14–देवरिया महुवा पाटन मार्ग	3.25	0.66
15–भाटपार मझौली मार्ग	1.00	1.00
16–मझौली मेरवा मार्ग	2.00	0.75
17–भटनी तुलसी वारा मार्ग	3.00	1.00
18–बरहज रुद्रपुर मार्ग	3.00	3.90
19–रामनगर-सोहसा मार्ग	2.80	1.50
20–रामकोला सिंगहा टेढ़ी रामपुर खुर्द मार्ग	2.40	1.00
21–बिशुनपुर बाजार बिन्दही-सुन्दरपुर कोयरपट्टी नया बाजार पकहा मार्ग	1.40	0.30
22–लिबा-लक्ष्मीपुर उसमानपुर छट्टू कटिया बलियाव भगत पुल तक मार्ग	1.00	0.20
23–खैरटिया बनकटा मार्ग	2.00	0.40
24–फाजिलनगर बघौचघाट मार्ग का शेष भाग	2.00	2.50
25–पडरौना मंशाछापर मार्ग	0.50	0.75
26–बघौचघाट रामनगर पकहा मार्ग	3.50	1.75
27–कप्तानगंज गौरंगिया मार्ग	5.00	1.50

विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 252 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या–20 का संलग्नक

कानपुर महानगर में वर्ष 1981 से अप्रैल, 1982 तक लाइसेन्सी दुकानदारों द्वारा बेचे गये शस्त्रों का विवरण:–

शस्त्र व्यवसायी का नाम	कुल सं0	शस्त्र व्यवसायी का नाम	कुल सं0
1–कानपुर आर्म्स कम्पनी	–	33–युनिवर्सल आर्म्स	21
2–स्ट्रांग आर्म्स	1	34–महबूब आलम एण्ड संस	122
3–सम्राट गन हाउस	9	35–इकबाल आर्मरी	22
4–सेन्ट्रल गन हाउस	1	36–सिंह शस्त्रालय	132
5–डायमण्ड आर्मरी	14	37–कानपुर आर्म्स कार्पो0	362
6–पी0डी0 गुवा एण्ड संस	-	38–विजय आर्मरी	34
7–ए0के0 नियोगी एण्ड कं0	1212	39–यू0 पी0 गन सर्विस	10
8–कानपुर गन हाउस	600	40–एच0अब्दुल रहमान एण्ड सन्स	306
9–एस0 के0 विश्वास एण्ड कम्पनी	60	41–स्वदेशी गन हाउस	75
10–कानपुर आर्मरी	294	42–आर0 के0 आर्म्स कार्पो0	10
11–सुमाल आर्म्स कम्पनी	2442	43–शर्मा गन हाउस	10
12–सिंह एण्ड कम्पनी	344	44–चेत राम शर्मा एण्ड सन्स	41
13–भारत आर्मरी कारपोरेशन्स	36	45–भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवपारी प्रा0 लि0	1
14–जनता गन हाउस	24	46–राम (शस्त्रालय) ट्रेडर्स	13
15–लार्ड्स गन हाउस	36	47–भदौरिया आर्म्स कम्पनी	23
16–पी0एन0 विश्वास एण्ड कं0	899	48–जय जवान आर्म्स कम्पनी	666
17–एशियन आर्म्स कम्पनी	14	49–प्रिज्म गन हाउस	22
18–लखनऊ आर्म्स	144	50–खुन्नू लाल एण्ड सन्स	--
19–कैपिटल गन हाउस	574	51–अनुराग आर्म्स	31
20–नेशनल गन हाउस	5	52–हिन्द आर्म्स	3
21–इण्डिया आर्म्स कारपोरेशन	1315	53–आनन्द ट्रेड सर्विस	110
22–किसान आर्मरी	50	54–एम0 एस0 डी0 नरोना	2
23–हरिस गन हाउस	36	55–पी0 स्टैगविल एण्ड कं0	1
24–चौधरी गन हाउस	16	56–के0 जे0 ठाकुर दास	--
25–स्वास्तिक आर्म्स कार्पो0	17	57–यादव आर्म्स कम्पनी	223
26–भारत गन हाउस	41	58–मेन्स्टन आर्म्स कम्पनी	3
27–जिन्नी एण्ड कम्पनी	35	59–यूनाइटेड आर्म्स	..
28–पंजाब आर्म्स कार0	306	60–दानिस आर्म्स कारपो0	56
29–राम्बरन सिंह भदौरिया एण्ड सन्स	233	61–पंजाब आर्मरी	930
30–कानपुर ट्रेडिंग कं0	—	62–नईमवेद वहीद वेग	7
31–सहगल आर्मरी	345	63–गैजेज आर्म्स कारपो0	336
32–हामिद आर्म्स कार्पो0	30	64–गर्ग आर्मरी	21
		65–खन्ना आर्मरी	62

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--22 का उत्तर पीछे पृष्ट 252 पर ।)

वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत जनपद देवरिया के कोतवाली के सीमा क्षेत्र में हुयी हत्याओं की तालिका

क्रम सं0	मृतक का नाम और पता	दिनांक
1	राम नक्षत्र उपाध्याय सा0 मठिया उपाध्याय थाना लार, जनपद देवरिया ।	24-4-81
2	आनन्द मोहन श्रीवास्तव, सहायक संख्या एवं अर्थ अधिकारी देवरिया।	13-5-81
3	श्री गोबिन्द जी पुत्र विरेन्द्र नाथ तिवारी सा0 नेसापार, थाना भटनी, जिला-देवरिया ।	16-5-81
4	कवहाभान शाही पुत्र सुरजन शाही सा0 मंडेर थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया ।	27-6-81
5	जनार्दन पुत्र शिवशंकर, सा0 रतसड, थाना बढवार, जिला बलिया हाल, मु0 ठठेरी गली, थाना कोतवाली, देवरिया।	17-11-81
6	बंश गोपाल पुत्र बब्बन तिवारी, देवरिया, थाना लार हाल, मु0 भरवली, थाना भटनी, देवरिया	23-11-81
7	नाम पता अज्ञात (औरत)	22/23-11-82
8	नाम पता अज्ञात	12-3-82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 254 पर ।)

प्रश्नगत घटना में घायल हुये व्यक्तियों का विवरण

क्र0 सं0	घायल अभियुक्तों (नागरिक) के विवरण	क्र0 सं0	घायल पुलिसजनों के विवरण
1	श्री सिराजुद्दीन	1	श्री बलराम मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैसरबाग
2	श्री मुरोव्वत अली	2	श्री शास्त्री प्रसाद हेड का0 थाना कैसरबाग
3	श्री जहांगीर	3	श्री शिव कुमार मिश्रा का0 थाना कैसरबाग
4	श्री हनीफ	4	श्री चन्द्रभान सिंह का0 थाना कैसरबाग
5	श्री अरुण कुमार	5	श्री राम बख्श पाल का0 थाना कैसरबाग
6	श्री सुनील कुमार	6	श्री उमेश पाल सिंह का0 थाना कैसरबाग
7	श्री नवल किशोर	7	श्री लोकेन्द्र सिंह का0 थाना कैसरबाग
		8	श्री श्रीधर सिंह का0 थाना कैसरबाग
		9	श्री राकेश कुमार का0 थाना अमीनाबाद
		10	श्री उमेशपाल सिंह का0 थाना अमीनाबाद
		11	श्री राम प्रकाश शर्मा का0 थाना अमीनाबाद
		12	श्री अब्बास अली का0 ड्राइवर सब कंट्रोल हजरतगंज
		13	श्री राम शंकर यादव का0 सब कंट्रोल हजरतगंज
		14	श्री इफ्तखार हुसैन का0 सब कंट्रोल हजरतगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 259 पर ।)

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (सामान्य) अनुभाग–1

संख्या–3646 जेड/6–81–5 जी–73

लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 1982

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1804 जेड/6–73–668 ए/72, दिनांक 12 फरवरी, 1973, कार्यालय ज्ञापन संख्या–2414 जेड/6, दिनांक 15 मार्च, 1973 का आंशिक संशोधन तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–39 स0 वि0 जेड/6–79–5 जी/73, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–श्री श्रीपति मिश्र, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2–श्री ब्रह्म दत्त, वित्त मंत्री	सदस्य
3–श्री राम भजन शर्मा, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
4–श्री राम शंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्	सदस्य
5–श्री राज बिहारी सिंह, वाराणसी	सदस्य
6–श्री जय राम वर्मा, फैजाबाद	सदस्य
7–श्री राजा राम शास्त्री, वाराणसी	सदस्य
8–श्री प्रेम किशन खन्ना, शाहजहांपुर	सदस्य
9–श्री लल्लू राम द्विवेदी, जालौन	सदस्य

2–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक/सचिव परिषद के पदेन सचिव होंगे ।

3–परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता के संबंध में आदेश बाद में अलग से जारी किये जायेंगे ।

सरन प्रसाद,
विशेष सचिव ।

संख्या–3463 (1) जेड/6–81–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
2–संबंधित सदस्यगण ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4–प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त ।
5–गृह (सामान्य) अनुभाग–2/3/4 ।
6–वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–6 ।
7–निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (सामान्य) अनुभाग–1

संख्या–7282 जेड/6–82–5 जी–73

लखनऊ : दिनांक 6 जनवरी, 1983

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन संख्या–3646 जेड/6–81–5 जी/73, दिनांक 16 दिसम्बर, 1982 जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद का पुनर्गठन किया गया है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के क्रमांक–3 में उल्लिखित श्री राम भजन शर्मा के स्थान पर श्री राम भजन लाल पढ़ा जाय ।

वीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव ।

संख्या–7282 (1) जेड/6–82–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।

2–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3–प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त ।

4–गृह (सामान्य) अनुभाग–2/3/4 ।

5–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–6 ।

6–संबंधित सदस्यगण ।

7–निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह गुसांई
अनु सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 270 पर ।)

कार्यालय

एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसियेशन,

एवं

कर्मचारी महासंघ, जनपद–शाखा–रायबरेली ।

रायबरेली

श्री सती शंकर अवस्थी प्रधान लिपिक, कार्यालय, उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) खण्ड शारदा सहायक कमा0 मण्डल प्रथम रायबरेली जो श्री कृष्ण किशोर उर्फ धुन्नु सोनार शास्त्री नगर रायबरेली के मकान में लगभग 13 वर्षों से रह रहे हैं को मकान मालिक द्वारा स्थगित तीन वर्षों से साम-दाम दण्ड एवं भेद व पुलिस के सहयोग से उत्पीड़ित किया जा रहा है ।

2–श्री एस0 एस0 अवस्थी, प्रधान लिपिक उक्त मकान को छोड़ना चाहते हैं । इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी रायबरेली को आवास आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दे रखा है जिसमें उनके उप निदेशक महोदय ने भी अपने पत्र सं0 757 दिनांक 28-3-81 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

3–उप निदेशक महोदय ने अपने अर्धशासकीय पत्रांक 4296 दिनांक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रश्नगत मामले में उनका ध्यान आकर्षित कराते हुए उपरोक्त के समाधान हेतु अनुरोध किया ।

बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करके उल्टे दमनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई जैसा कि संलग्न पत्र मे वर्णित है ।

प्रशासन की प्रतिकूल कार्यवाही करने के विरुद्ध हमारी निम्न मांगे हैं :–

1–केस की जांच सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाय ।

2–श्री टी0 आर0 सिंह, सब इन्सपेक्टर थाना कोतवाली रायबरेली को तत्काल निलम्बित किया जाय ।

3–भविष्य में राज्य कर्मचारियों को व उनके परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु ठोस कार्यवाही की जाय क्योंकि इस प्रकार से कई घटनाएं कृषि विभाग, पशुपालन विभाग में घट चुकी हैं ।

4–श्री अवस्थी को तत्काल राजकीय कर्मचारी कालोनी, रायबरेली में आवास आवंटित किया जाय ।

5–श्री अवस्थी की एवं उनके परिवार की पूर्ण सुरक्षा की जाय। उपरोक्त मांगों के संदर्भ में हम समस्त राज्य कर्मचारी आज दिनांक 7-7-82 से उक्त मांगे पूरी होने तक के लिए अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हैं ।

ह0/अस्पष्ट	सूर्यकान्त मिश्रा	ह0/अस्पष्ट	ह0/अस्पष्ट
सूर्यकान्त मिश्रा	अध्यक्ष	सीताराम वर्मा	अशोक कुमार
महामंत्री	यू0 पी0 एग्रो0	कार्यवाहक अध्यक्ष	अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य	डि0मि0स0एस0	अधीनस्थ कृषि सेवासंघ	च0 श्रेणी0
कर्म0 महासंघ	शाखा रायबरेली	शाखा–रायबरेली ।	रा0 कर्म0 संघ,
रायबरेली ।			रायबरेली ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
यू0 पी0 एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट,
मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसियेशन,
शाखा–रायबरेली ।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मैं उप कृषि निदेशक (भू0 सं0) शारदा सहायक समादेश रायबरेली मण्डल प्रथम के अधीनस्थ प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत हूं । तथा रायबरेली में वर्ष 1969 से उक्त पद पर कार्य कर रहा हूं । जनपद के बाहर का निवासी होने के कारण मैं शास्त्री नगर में स्थित कृष्ण किशोर उर्फ धुन्नू सोनार के मकान में 80–00 रू0 प्रति माह के किराये पर रह रहा हूं । विगत कुछ महीनों से मकान मालिक द्वारा पानी, शौच एवं प्रकाश आदि के मामले में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाती रही है जिसके संदर्भ में मैं अपने अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली को लिखित रूप से अवगत करा चुका हूं परन्तु इस संदर्भ में उनके स्तर से अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप मकान मालिक का मनोबल मुझे प्रताड़ित करने में बढ़ता गया ।

कल दिनांक 5-7-82 को मकान मालिक जो उसी मकान में स्वयं रहते हैं तो मुझसे चिल्लाकर धमकाते हुए कहा कि मैं तुमको इस मकान में तो क्या रायबरेली में भी नहीं रहने दूंगा देखता हूं कि तुम किस की मदद से बचते हो । कल तुमको इस घर में नहीं रहना पड़ेगा । अब तुमको दरोगा जी से ही पहले मिलवाये देता हूं । रात को उनके परिवार में चल रही चर्चा के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ कि मकान मालिक द्वारा पुलिस के किसी इन्सपेक्टर को चार सौ रुपये बतौर रिश्वत मुझे प्रताड़ित कराने हेतु दिया गया है, परन्तु मैंने यह सोंचकर कि यह उनके द्वारा पूर्व की भांति ही मुझे धमकाया जा रहा है क्योंकि मुझे कोई भी पुलिस का कर्मचारी मात्र रुपये के लोभ में आकर मुझे अनायास उत्पीड़ित नहीं करेगा ।

परन्तु आज दिनांक 6-7-82 को प्रातः लगभग 7 बजे अपने निवास स्थान पर जब मैं प्रातः कालीन पूजा कर रहा था तब मकान मालिक ने मुझे नीचे से आवाज देकर बुलाया उनके बुलाने पर पूजा आदि से निवृत्त होकर 7–30 बजे नीचे उतरा जहां पर श्री टी0 आर0 सिंह सब इन्सपेक्टर एव एक सिपाही जो मकान मालिक के साथ-साथ बाहरी बरामदे में खड़े हुये थे, मैंने दरोगा जी को नमस्कार करके बुलाये जाने का कारण पूछा । दरोगा जी ने अपशब्द का प्रयोग करते हुए मुझे कहा पर बिना कारण बताये मुझे तथा मेरे पुत्र श्री संदीप कुमार अवस्थी एवं मेरे दामाद श्री ओम प्रकाश पाण्डे जो भूमि संरक्षण इकाई प्रथम खण्ड शारदा सहायक बछरावां रायबरेली के अधीन कार्यरत हैं को इन्सपेक्टर महोदय ने कहा कि इन सबको कोतवाली ले चलो और इस तरह से मुझे पकड़कर कोतवाली ले गये । तत्पश्चात् मेरा ने स्थिति गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तथा न्यायालय में कार्यवाही करने का अनुरोध किया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से उनके निवास स्थान पर मिला विभागीय, अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के

फलस्वरूप मकान मालिक को पुलिस के एक कान्सटेबिल द्वारा 12–30 बजे कोतवाली बुलाया गया व बन्द किया गया । जहां पर मकान पुलिस द्वारा प्रत्येक प्रकार की सुविधा दी गई वहीं पर कोतवाली में प्यासे हो गये पानी मांगने पर मुझे मेरे पुत्र एवं मेरे दामाद को गिराकर दरोगा जी सीने पर पैर रखकर दूसरे पैर से ठोकर मारते हुए प्रताड़ित किये साथ ही शरीर के अन्य अंगों पर लाठी से मारा । मेरे प्रार्थना पत्र में समय से समुचित कार्यवाही की होती तो मुझे शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से मुझे उत्पीड़ित न होना पड़ता ।

ऐसी स्थिति में संघ से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर शीघ्र समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें । जिससे मैं मकान मालिक की किसी साजिश या पुलिस के चन्द भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण भविष्य में मुझे व मेरे परिवार की जानमाल की किसी भी प्रकार की क्षति न उठाना पड़े ।

दिनांक : 6–7–82

भवदीय,
ह0/सती शंकर अवस्थी
दि0 6–7–82
एस0 एस0 अवस्थी
प्रधान लिपिक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 271 पर।)

नकल रपट नं0 31, समय 18.5 बजे, दिनांक 19-2-82 रोजनामचा आम थाना कोतवाली अयोध्या, जिला फैजाबाद ।

वापसी एस0 आई0 दाखिला आदेश कुर्की
धरम राज बनाम सियाराघव सरन
धारा 145 सी, आर, पी, सी
ए

एस0 आई0 सुरेश सिंह रफता रपट नं0 रोजनामचा आम तारीख इमरौला से बाद ड्यूटी राम जनम भूमि व फैजाबाद से वापस आया । एक आदेश बाबत कुर्की विवादित श्री राम लाल मन्दिर महंथ झोपडी रसोई घर श्री राम जनम भूमि अयोध्या के कुर्क धारा 146 (1) के सम्बन्ध में धरमराज बनाम सिया राघव सरन 5 वर्क दाखिल किया । आदेश श्रीमान् सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद द्वारा प्राप्त किया गया एक जरब पिस्टल व 12 राउण्ड कारतूस अन्दर मालखाना रखकर ताला मालखाना बन्द दुरुस्त मंत्री ने देखा, चाभी बदस्तूर है । एच0 एम0 को हिदायत की गयी कि आदेश तुरन्त प्रभारी निरीक्षक महोदय के समक्ष पेश करें ।

हस्ताक्षर,
सुरेश सिंह,
एस0 आई0 ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मत्वी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ 327 पर।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री राजेन्द्र सिंह (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में विद्युत आपूर्ति, पूर्णतया असंतोषजनक है, और कृषकों को उनके कार्य हेतु 6 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत आपूर्ति न होने पर भी शासन ने एक पक्षीय निर्णय लेकर विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

2–प्रदेश में गन्ना कृषकों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों से भुगतान कराने में प्रदेश की सरकार असफल रही है, जिसके फलस्वरूप गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। इस वर्ष कृषकों को 8–9 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेचना पड़ रहा है। गन्ना कृषकों को मिलने वाले मूल्य में तथा उनके द्वारा लगायी गयी उत्पादन लागत में सामंजस्य स्थापित करने में यह सरकार असफल रही है, और यही नहीं यह सरकार केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित प्रदेश में गन्ना मिलों से निर्धारित मूल्य दिलाने में भी असमर्थ रही है।

3–प्रदेश के विभिन्न निगमों जैसे–राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य चीनी निगम में प्रति वर्ष अरबों रुपये का घाटा हो रहा है, जो शासन की अक्षमता का द्योतक है।

4–प्रदेश में दिन-प्रति-दिन बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव हैं। मेरठ जैसे नगर में महीनों स्थिति अनियंत्रित रही, सैकड़ों आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा, तथा करोड़ों लोगों को सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ा।

5–सदन के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके।

6–प्रदेश के समस्त विकास कार्य ठप्प हो चुके हैं। जनता सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां समाप्त होती जा रही हैं।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है । एक दल विशेष के लोग इस व्यवस्था से अनुचित लाभ उठा रहे हैं । ग्रामीण अंचलों में अनाज वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है । आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं । जिन्हें यह सरकार नियंत्रित करने में बिल्कुल असफल रही है । सरकार की अक्षमता के फलस्वरूप प्रदेश में भूख और ठण्ड से हजारों लोग मर गये ।
		8–प्रदेश के मन्त्रि मण्डल में अनेक मन्त्रियों के संरक्षण में प्रदेश की पुलिस अपराधिक प्रवृत्ति की होती जा रही है ।
		9–प्रदेश में चिकित्सालयों में जीवनोपयोगी दवायें उपलब्ध नहीं हैं, और निजी प्रैक्टिस पर इस सरकार द्वारा हटाया गया प्रतिबन्ध गरीबों के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है और प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।
		10–प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनायें धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे अधिष्ठानों पर व्यर्थ में करोड़ों रुपया प्रति वर्ष व्यय करना पड़ रहा है ।
		11–प्रदेश में गत वर्ष का बजट स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जनपदों में नहीं भेजी गयी हैं, जिसके कारण कोई भी विकास का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पन्न नहीं हो सका है ।
		12–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्तरोत्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं सचिवालय तक में कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह किया गया है ।
		13–प्रदेश के करोड़ों नवयुवक बेरोजगार बन गये हैं । सरकार की ओर से कोई कारगर उपाय, बेरोजगारी की समस्या से जूझने का नहीं सुझाया गया है ।
2	श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री फखरे आलम श्री रामकृष्ण माहेश्वरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि अपने अभिभाषण में श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित घोषणा नहीं की है :– 1–प्रदेश में जलौनी व इमारती लकड़ी के कटान पर लगी रोक से बेकारी के सम्बन्ध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये से और उत्पादन को मिलों द्वारा न खरीदे जाने से तथा गन्ना की निर्धारित कीमत न मिलने से कृषकों द्वारा उठाई जा रही अपार क्षति के सम्बन्ध में ।
		3–स्थानीय निकायों, ग्राम सभाओं तथा जिला परिषद्, न्याय पंचायतों, विकास खण्डों के शीघ्र चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में ।
		4–बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये तथा सस्ते दरों में उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दिलाने सम्बन्धी कार्यक्रम के सम्बन्ध में ।
		5–प्रदेश की गिरती हुई शान्ति व्यवस्था के विषय में कोई ठोस निराकरण जिससे कि सम्पूर्ण जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, के सम्बन्ध में ।
		6–प्रदेश शासन पर अधिकारी वर्ग का पूर्ण प्रभुत्व होने जिससे प्रदेश की अफसरशाही पर शासन की पकड़ नहीं रह गयी है, के सम्बन्ध में ।
		7–प्रदेश का महत्वपूर्ण खण्डसारी उद्योग नष्ट होने के सम्बन्ध में ।
		8–जनपद बदायूं में सोत नदी पर पक्का पुल बनाने तथा जनपद मुरादाबाद में कलेसा-नन्हेड़ा मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में ।
		9–सहकारी चीनी मिल नोशेरा, शेखपुर जनपद बदायूं द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान, जिसके न होने से किसानों का लाखों रुपया बकाया होने से जनता में दुख एवं रोष व्याप्त है, करने के सम्बन्ध में ।
3	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश को एक स्वच्छ, दक्ष तथा संवेदनशील प्रशासन देकर यहां के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों तथा मुख्य रूप से निर्बल वर्ग के लोगों को राहत प्रदान कर उसे (प्रदेश को) चतुर्मुखी विकास की ओर किंचित भी आगे बढ़ा पाने, शान्ति एवं व्यवस्था की दशा में हो रही निरन्तर गिरावट को रोकने और मंत्रिस्तर से लेकर नीचे तक सम्पूर्ण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण रूप से असफल रहने के सम्बन्ध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—गन्ना काश्तकारों को गन्ने का मूल्य 35 रुपया प्रति क्विंटल दिलाने, बकाया ब्याज सहित तत्काल दिलाकर चालू खरीद का नकद मूल्य दिलाने, आउट सेन्टरों पर ढुलायी का किराया न लिये जाने, खाद, पुल के नाम पर अनिवार्य कटौती रोकने तथा गन्ने पर चुंगी न लिये जाने के सम्बन्ध में ।
		3—नागर तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।
		4—सभी क्षेत्रों एवं स्तरों पर कायम सहकारी समितियों तथा बैंकों आदि में जहां कहीं भी प्रशासक नियुक्त हैं उन्हें तत्काल समाप्त कर उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिये उच्च अधिकार सम्पन्न आयोग के गठन की घोषणा करते हुए उनके चुनाव तत्काल कराने के सम्बन्ध में ।
		5—वृद्धों और निराश्रित विधवाओं की पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में ।
		6—सताई जाने वाली बहुओं की शिकायतों की सुनवायी के लिये नागरिकों व प्रशासन की मिलीजुली व्यवस्था विकसित करने के सम्बन्ध में ।
		7—बिजली आपूर्ति में भीषण दुर्व्यवस्था तथा चोरी के बावजूद नवम्बर में बढ़ायी गयी बिजली की दरों को अविलम्ब वापस लेने के सम्बन्ध में ।
		8—सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं के जरिये कुपोषण और बाल्यकाल में घर कर लेने वाली बीमारियों की रोक-थाम के लिये स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा का असरदार क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में ।
		9—सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं की संख्या बढ़ा कर उनमें दालें, कपड़ा तथा वनस्पति घी आदि जोड़ने और प्रत्येक कार्डधारक को आवश्यकता पर सामान शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में देना तथा वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के सम्बन्ध में ।
		10—बिक्री-कर समाप्त करके उसके स्थान पर राजस्व प्राप्त हेतु उत्पादन कर लगाने अथवा माल स्रोत पर कर लगाने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–पेड़ काटने के सम्बन्ध में एक व्यवहारिक नीति अपनाते हुए वन निगम की दुकानें सम्पूर्ण प्रदेश में खुलवा कर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर ईंधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।
		12–शासन की इस घोषणा को कि काशी विश्वनाथ मन्दिर में चोरी गया सभी सामान मिल गया है गलत बताते हुए इसका लेखा-जोखा लेने के लिये कुल कितना माल अब तक चोरी गया है इसकी कोई न्यायिक जांच कर बिठाने के सम्बन्ध में ।
		13–राज्य कर्मचारियों के लिये समयबद्ध वेतन देने की रूपरेखा घोषित करते हुए उसके तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में ।
		14–जिला परिषद् कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी का स्तर देने के बाद भी राजकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति जिला परिषद् के समकक्ष कर्मचारियों को प्रोन्नति की सुविधा देने के सम्बन्ध में ।
		15–26 तथा 27 नवम्बर, 82 को सचिवालय एनेक्सी में हुए कांड जिसमें यह प्रकट होता है कि प्रशासन नाम की वस्तु प्रदेश में समाप्त हो गयी है, पर चिन्ता प्रकट करने के सम्बन्ध में ।
		16–खुले बाजार में सीमेन्ट का मूल्य कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में ।
		17–बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित समस्त बेरोजगार अध्यापकों को वर्ष 1983–84 के भीतर ही सेवा में अवश्य ले लेने के सम्बन्ध में ।
		18–विभिन्न संस्थानों में कार्यरत मजदूरों के वेतन एवं सेवा की शर्तों में सुधार के लिये अब तक घोषित वह अभिनिर्णय जो लागू नहीं किये जा सके हैं, उन्हें तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में ।
		19–प्रदेश के श्रमिक वर्ग में सन्तोष एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना के बारे में किन्हीं ठोस निर्णयों के लेने के सम्बन्ध में ।
		20–एक निर्धारित अवधि में सरकार द्वारा काम न दे पाने से बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के सम्बन्ध में ।
		21–विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये प्रत्येक सत्र में न्यूनतम अवधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22—सीतापुर नगरपालिका में पुराना सीतापुर पुनरीक्षित पेयजल योजना, सीवरेज योजना, एकीकृत नगर विकास योजना, तथा बाढ़ नियंत्रण योजना पर अविलम्ब कार्यारम्भ करने के सम्बन्ध में ।
		23—सीतापुर नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा नेशनल हाईवे पर बाइपास बनवाने के सम्बन्ध में ।
		24—सीतापुर जिले की नगरपालिकाओं की चुंगी की दरों को कम करने तथा गन्ने की चुंगी को मुक्त करने के सम्बन्ध में ।
		25—जनता शासन के समय बनाये गये सभी सम्पर्क मार्गों को तत्काल पक्का करने, अधूरों को पूरा करने तथा वर्ष 1983—84 में जिले के सभी ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्गों, पुलियों, पुलों को बनवाने तथा प्रत्येक खेत के लिये पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में ।
		26—सीतापुर जिले के गोजरी क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने, शारदा नहर के कमाण्ड में सीपेज समस्या के निराकरण के लिये युद्धस्तर पर कार्य करने की एवं मुआवजा देने, सीतापुर नगर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये वाणिज्य तथा कृषि विषय पढ़ाने एवं कानून की कक्षायें खोलने, हरगांव तीर्थ के जीर्णोद्धार तथा सुन्दरीकरण का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ।
4	श्री रियासत हुसैन श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री गौरीशंकर भैय्या	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :—
	(उपस्थित किया हुआ माना गया)	1—प्रदेश में बेरोजगारी विशेष रूप से बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया ।
		2—प्रदेश में गन्ना मूल्य के बकाये की अदायगी का उल्लेख नहीं किया ।
		3—प्रदेश की चीनी मिलों के भिन्न-भिन्न गन्ना मूल्य दिये जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया ।
		4—प्रदेश में नियोजित कृषि के किसी स्कीम का उल्लेख नहीं किया ।
		5—प्रदेश के हरिजनों और अल्पसंख्यकों तथा अन्य निर्बल वर्गों की सुरक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–प्रदेश में दस्यु उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यों की असफलता का उल्लेख नहीं किया है ।
		7–उर्दू को दूसरी सरकारी राज्य भाषा बनाने की घोषणा नहीं की ।
		8–उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा की
		8–उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की घोषणा नहीं की ।
		9–दिन पर दिन बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया ।
		10–प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों को कम करने का उल्लेख नहीं किया ।
5	श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया :–
		1–दहेज विरोधी कानून बनाने के सम्बन्ध में ।
		2–गन्ने का वर्तमान तथा बकाया मूल्य तत्काल दिलाने के सम्बन्ध में ।
		3–शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी का भत्ता दिलाने के सम्बन्ध में ।
		4–हाई स्कूल तक मुफ्त, अनिवार्य एवं रोजगार परक शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		5–दस बीघे तक जमीन का लगान माफ करने के सम्बन्ध में ।
		6–आर्थिक विषमता दूर करने, दाम-नीति की घोषणा करने तथा प्रत्येक वस्तु के दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से ज्यादा न होने के संबंध में ।
		7–कानून एवं लोक संगठन द्वारा हर खेत मजदूर एवं अल्प वेतन-भोगी मजदूर के परिवार को मकान लायक जमीन आवंटन के संबंध में ।
		8–सभी उद्योगों में मालिकों, मजदूरों एवं उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व रहने के सम्बन्ध में ।
		9–माध्यमिक विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण करने एवं मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में समान रूप से करने के संबंध में ।
		10–भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी एवं भाई भतीजावाद को समाप्त करने हेतु ठोस कदम उठाने के संबंध में ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में ।
		12–किसानों की फसलों का बीमा तत्काल लागू करने के संबंध में ।
		13–गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ठोस नीति निर्धारित करने के संबंध में ।
		14–मंहगाई रोकने के बारे में तथा बस का किराया घटाने के संबंध में ।
		15–हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों को छात्र वृत्ति दिये जाने की स्पष्ट नीति के सम्बन्ध में।
		16–सीमेन्ट का कन्ट्रोल समाप्त करने के सम्बन्ध में ।
		17–पूर्वांचल के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना के संबंध में ।
		18–बिजली का दाम घटाने के सम्बन्ध में।
		19–खाद एवं कीटनाशक दवाओं का दाम कम करने के संबंध में ।
		20–जीवनोपयोगी सामानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कराने एवं वितरण प्रणाली में सुधार कराने के संबंध में ।
		21–देवरिया जनपद के :– (क) विकास खण्ड बनकटा के––(1) पचरुखिया (2) जगदीशपुर (3) छितौनी (4) परसौनी आनन्दघन (5) बलिवन (6) बंगरा बाजार (7) बखरी (8) राजपुर (9) बतरौली (ख) विकास खण्ड, भाटपार रानीके (1) पकड़ी (2) टेंगरी (3) बनकटाशम्भू (4) टिकमपार (5) सरया (6) धर्मखोरकरन (7) विश्वम्भपुर तथा विकास खण्ड भटनी के––(1) बांसघाटी (2) भरहेचौरा (3) धरमखोरदुबे (4) सिसई (5) महुराव में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में जबकि यह क्षेत्र असिंचित होने के कारण इस वर्ष सूखा पड़ गया ।
		22–देवरिया जनपद के––(1) सिरसिया पवार से स्याही नाला (2) बनकटा से बंगरा बाजार (3) पकड़ी बाबू से नन्दपुर (4) खैराट से चखनी घाट (5) झरनाकुटी से फतेहपुर (6) सोहनपुर से छेरिहा (7) रामपुर से सिकरिया (8) केरवनिया घाट से झरना घाट (9) झरना घाट से

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कुकुर-घाटी (10) भटनी से बैकुण्ठपुर (11) भटनी से भरहे चौरा (12) नोनापार से भरहे चौरा (13) भटनी से नूनखार तक बने कच्चे मार्गों को पूर्ण कराने तथा इन्हें पक्का कराने का उल्लेख नहीं है जिससे यातायात की सुविधा ग्रामीण अंचलों में हो जाय । 23—देवरिया जनपद से सलेमपुर तहसील को अवर्षण के कारण सूखा क्षेत्र घोषित करने के संबंध में । 24—देवरिया जनपद में भाटपार रानी व भटनी टाउन एरिया में ड्रेनेज निकालने तथा पेयजल योजना चालू करने के संबंध में । 25—देवरिया जिले में भटनी में बिजली सब-स्टेशन चालू करने तथा बनकटा में सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में । 26—देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने के संबंध में । 27—देवरिया जनपद में शुगर टेक्नालोजी स्थापित करने के संबंध में । 28—देवरिया जनपद में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में । 29—देवरिया जनपद में सलेमपुर में कागज तथा भाटपार में मसाला उद्योग स्थापित करने के संबंध में । 30—देवरिया जनपद में खनुवा नदी में मोहरौर, खैराट झरनाघाट, बिन्दवलिया तथा बलुवा अफगान में रेगुलेटर लगाने तथा हाटा नाले पर बांध बनाने के संबंध में । 31—देवरिया जनपद में छोटी गन्डक नदी में चनुकी बड़का गांव तथा सठियांव में पक्का पुल बनवाने के बारे में । 32—देवरिया जनपद के भाटपार रानी महिला डिग्री कालेज तथा बनकटा व भटनी में बालिका हाई स्कूल खोलने के संबंध में । 33—अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में ।
6	श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित बातों का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1—प्रदेश में बढ़ रही गुण्डागर्दी, अफसरशाही, भाई-भतीजावाद पर रोक लगाने तथा साम्प्रदायिक अशांति और कमरतोड़ मँहगाई के संबंध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–गन्ने का घोषित मूल्य वाजिब नहीं है । करोड़ों रुपया प्रदेश के किसानों का मिल मालिकों पर देय है । गन्ने का मूल्य 30 रुपया प्रति कुन्तल करने तथा तुरन्त बकाया भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		3–बिजली की दर में बढ़ोत्तरी किसान विरोधी नीति का द्योतक है, इसे घटाने के संबंध में ।
		4–मौजूदा श्रीपति मिश्र जी के नेतृत्व वाली सरकार लोकप्रियता खो बैठी है अधिकांश मन्त्री भ्रष्टाचार और असामाजिक तत्वों के घेरे में है तथा जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है ।
		5–बार-बार वादा करने के बाद भी यह सरकार वचन भंग करती जा रही है । उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित करने की घोषणा के बाद भी अल्प संख्यकों के साथ धोखा किया जा रहा है, उसे नियमित रूप से लागू करने के संबंध में नहीं किया गया है ।
		6–प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसे आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिये किसी ठोस योजना की घोषणा ।
		7–प्रदेश में बढ़ रही गरीबी असमानता शोषण हरिजनों, पिछड़ा तथा अल्प संख्यकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है उसे समाप्त करने तथा उन्हें न्याय देने की कोई घोषणा करने के संबंध में ।
		8–जनपद बस्ती जो प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पिछड़ा जिला है उसके उन्मुखी विकास के लिये किसी मास्टर प्लान की घोषणा ।
		9–बस्ती जनपद में जितनी चीनी मिलें हैं वह अपर्याप्त है । जिले के उत्तरी भाग में एक चीनी मिल की स्थापना होनी चाहिये ।
		10–डुमरियागंज तहसील जनपद बस्ती में डुमरियागंज कस्बे को टाउन एरिया घोषित किया जाना ।
		11–पूरी डुमरियागंज तहसील के लाखों पढ़े लिखे तथा अन्य नवजवानों को रोजगार देने तथा छोटे कारखाने लगाने ।
		12–जिले में डुमरियागंज ही एक ऐसी तहसील है जहां कोई डिग्री कालेज नहीं है । अतः कोई डिग्री कालेज जो राजकीय हो खोला जायगा ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–1977-78, 78-79, 79-80 इन तीन वर्षों में जनता की लोक दल सरकारों द्वारा ग्रामीण उत्थान के लिये सड़कों की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं में की गयी थी जिनमें अधिकांश पर मिट्टी का काम हो चुका उनकी मरम्मत पुलियां तथा पक्का करने का तथा शेष पर कार्य शुरू कर दिया जायगा ।
		(14–अ)–डुमरियागंज चन्द्रदीप घाट पर लकड़ी का पुल तथा राप्ती नदी सिंगार जोत घाट पर पीपे का पुल बनाने ।
		(14-ब)–पूरी डुमरियागंज तहसील कुछ तथाकथित गुण्डे और क्रिमिनल जिसका संबंध एक दल विशेष से है, उन्हें दण्डित करने और उन पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर उन्हें जेल भेजने हेतु कार्यवाही की जायगी ।
		15–डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र 170 के अंतर्गत विस्कोहर से सिंगार जोत वाली सड़क पर पुलिया बनाने तथा उसे पक्का करने ।
		16–भवनापुर से भरोठिया बाजार जाने वाली सड़क पर पुलिया बनाने तथा पक्का करने ।
		(अ) सिकौथ इजरहवा मार्ग, शाहपुर–राजपुर मार्ग, भग्गीभार अमवना पाण्डे मार्ग तथा दुबौली से तुषाखल कोहड़ा होते हुए अमारडोहा, नरखोवरिया से सगरा तक तथा बेवा से भारी, नौजा गांव से पेंदा, भवानीगंज से मझघा घाट तथा धनखपुर से भानपुर रानी तथा चौखड़ा से महतुनियां होते हुए अमारडोहा, नरखोवरिया से समरा तक तथा बेवा पुलिया बनाने ।
		17–छोटे किसानों के कर्जों को माफ करने ।
		18–बढ़नी चापा तथा बिजौरा, डेईडीहा मझौवा में एलोपैथिक हास्पिटल की स्थापना ।
7	श्री श्याम नारायण तिवारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–मंहगाई आदि पर अंकुश लगाने हेतु तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये, कपड़ा, जूट, दवा एवं चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–निर्बल वर्गों को जमीन एवं आवास देने के लिए सीलिंग कानून के छिद्रों जैसे सिंचित भूमि की परिभाषा, स्टे, बेनामी इन्द्राज तथा मंदिर मठों के नाम छिपाई गयी जमीन को खत्म किए जाने के सम्बन्ध में।
		3–वन विभाग में कार्यरत सभी पुराने स्टैम्प मुहर्रिरों को तुरन्त वन निगम में रखकर उनकी सेवायें नियमित किए जाने के सम्बन्ध में।
		4–टोंगिया काश्तकारों को वेतन, जमीन एवं मकान दिए जाने के सम्बन्ध में।
		5–पी0 डब्लू0 डी0 के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन एवं सभी सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा तीन वर्षों से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में।
		6–गांव-गांव सरकारी नलकूप एवं नहर बनवाकर सिंचाई का प्रबन्ध किए जाने, सम्पर्क सड़कों को बनवाने तथा बिजली उपलब्ध कराकर रेट कम किये जाने के सम्बन्ध में।
		7–गन्ने का बकाया मूल्य तुरन्त भुगतान किए जाने तथा रेट बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
		8–उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
		9–बाढ़ क्षेत्र के गांवों की पटाई करने, बाढ़ रोकने का मुस्तकिल इन्तजाम करने तथा बाढ़ क्षेत्र में टेस्ट वर्क तुरन्त चलाए जाने के सम्बन्ध में।
		10–मिट्टी के तेल, डीजल व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री सन्त बक्स रावत (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:–
		1–प्रदेश के गन्ना किसानों को पिछली बकाया धनराशि फरवरी, 1983 में ही किसानों में वितरित कर दी जायगी और इस वर्ष गन्ना मिलों को देखते ही उसी दिन भुगतान कर दिया जायगा।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—प्रदेश के सभी विकास खण्डों पर हरिजनों की दशा सुधारने के लिए एक-एक भारी उद्योग स्थापित किया जायगा और उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जायगा।
		3—लखनऊ जनपद के निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज जो जिले का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं मोहनलाल गंज में एक-एक भारी उद्योग लगाया जायगा।
		4—प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जनता पार्टी एवं लोकदल की सरकारों द्वारा बनाए गये समस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं उन्हें पक्का किया जायगा।
		5—प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जो सम्पर्क मार्ग वर्ष 1977 से 1982 तक खड़ंजा स्तर तक बन चुके हैं उन पर तारकोल लेपन का कार्य इस वर्ष किया जायगा।
		6—लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज विकास खण्डों में ग्राम हुलासपुर खेड़ा के टीले को जिसके उत्खनन का कार्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा हो रहा है, को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायगा।
		7—लखनऊ की उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, निरालानगर, लखनऊ अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लाईट एवं फैन के उपभोक्ताओं को गोसाईगंज, बक्कास, अर्जुनगंज फीडर की भांति 24 घंटे दो फेज विद्युत आपूर्ति करेगी।
		8—लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं मोहनलालगंज में एक-एक डिग्री कालेज खुलने के सम्बन्ध में।
		9—लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज के बहुमुखी विकास के लिए कोई घोषणा।
		10—लखनऊ नगराम मार्ग का शेष मार्ग पूर्ण करने।
		11—सुल्तानपुर रोड पर मुंशीगंज से केवल सम्पर्क मार्ग जो वित्तीय वर्ष 1978-79, 79-80 में निर्मित हुआ है और बीच-बीच में कई टुकड़े बाकी हैं उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में।
		12—लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग से गोरिया कलां सम्पर्क मार्ग पर गोमती नदी पर पुल बनाकर बाराबंकी को जोड़ने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13—प्रदेश के सभी जनपदों की बाजारों में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
		14—रायबरेली रोड पर निगोहां से बेनीगंज मार्ग पर मिला मोहम्मदी ड्रेन पर पुल बनाने एवं सड़क को पक्का करने के संबंध में।
		15—प्रदेश के सभी पांच बीघे से कम भूमि वाले किसानों की लगान माफ करने के सम्बन्ध में।
		16—लखनऊ जनपद की निगोहां पुलिस चौकी को थाना बनाने के सम्बन्ध में।
9	श्री सूबेदार सिंह, श्री अकबाल हुसैन तथा श्री मोहम्मद नबी। (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की निम्नांकित ज्वलन्त समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रभावी समाधान का उल्लेख नहीं किया—
		1—प्रशासन, न्यायालय-प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के लिए उपायों के सम्बन्ध में।
		2—उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की रोक थाम तथा मृतक तथा घायल हुए परिवारों की क्षति पूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में।
		3—युवकों को अनिवार्य रूप से काम दिलाने अथवा उन्हें रोजगार भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में।
		4—प्रदेश में कम से कम हाई स्कूल तथा शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री सत्यपाल सिंह यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न तथ्यों के विषय में कुछ भी नहीं कहा है:—
		1—प्रदेश की जनता पर लगाए गये 70 करोड़ रुपये के विद्युत विभाग द्वारा कर, जिसने प्रदेश की जनता की रीढ़ ही तोड़ दी है। इस टैक्स द्वारा विद्युत दरें 15 रुपए प्रति हार्स पावर से बढ़ाकर 22 रुपया प्रति हार्स पावर कर दी गयी हैं जिससे प्रदेश की जनता के साथ वर्तमान सरकार के विश्वासघात तथा सिंचाई दरों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—बढ़ती हुई बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई तथा बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था, जिससे आम आदमी का जीवन ही अस्त-व्यस्त हो गया है, के सम्बन्ध में।
		3—गन्ना किसानों की खुली लूट प्राइवेट क्रेशर मालिकों द्वारा की जा रही है। सहकारी व सरकारी मिलें 21 व बीस रुपया प्रति क्विंटल गन्ना खरीद रही हैं तब प्राइवेट क्रेशर मालिक 8 व 9 रुपया प्रति क्विंटल खरीद कर जनता की खुली लूट कर रहा है, जिसके बारे में यह सरकार चुप्पी साधे बैठी है और इन बेलगाम घोड़ों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है, के सम्बन्ध में।
		4—यह कि गन्ना किसानों का पिछला भुगतान सरकार नहीं करा पा रही है और अपने भण्डारों की वसूलयाबी में उत्पीड़न का प्रयोग कर रही है। इस प्रकार जनता द्वारा सरकारी अत्याचारों को सहन करने के सम्बन्ध में।
		5—शाहजहांपुर नगर के मुहल्ला किला पर कलकत्ता के सेठ द्वारा बनाया गया सेला राईस मिल जिसमें बायलर लगा हुआ है, उपरोक्त राईस मिल की भूसी व बायलर से उत्पन्न मुहल्ला निवासियों के संकट के सम्बन्ध में।
		6—तिलहर सहकारी चीनी मिल में कांग्रेस आई0 के कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल कराये जाने एवं कांग्रेस आई0 संसद सदस्य, द्वारा हड़तालियों के समर्थन के सम्बन्ध में।
		7—जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवांया में सहकारी गन्ना मिल खोलने एवं इसी जनपद की रामगंगा व बहमुल नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में।
		8—थाना कटरी, जिला शाहजहांपुर में ग्राम हाजीपुर के तुलाराम नामक नवयुवक को पुलिस द्वारा दिन दहाड़े गोली से उड़ा देने तथा अभियुक्तों (पुलिस कर्मियों) को कोई सजा न दिलाने के संबंध में।
		9— प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई भी रोजगार पूरक योजना न चालू किये जाने के सम्बन्ध में।
		10—पिछले दिनों प्रदेश में आई हुई भीषण व अप्रत्याशित शीत लहरी के अवसर पर प्रदेश सरकार की कोई भी समुचित व्यवस्था की विफलता के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष पूर्वोत्तर विधान सभा

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—जिला शाहजहांपुर में राजकीय कन्या हाई-स्कूल, तिलहर व जूनियर हाईस्कूल, कटरा के उच्चीकरण के ताकि लड़कियों को भी विद्या अध्ययन का समुचित अवसर मिल सके, के सम्बन्ध में।
11	श्री धनीराम वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने प्रदेश की निम्नांकित ज्वलन्त समस्याओं के निदान हेतु कोई कारगर कदम उठाने हेतु घोषणा नहीं की है:—

1—राजकीय सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों का किराया जो पिछली लोकदल सरकार के समय से लगभग डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।

2—प्रदेश में वर्ष 1980 से अब तक निरन्तर बाढ़, सूखा तथा उपलवृष्टि से किसानों की क्षति हुई है परन्तु उनके लगान, सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए लिए गये ऋणों के माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

3—शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में।

4—जिन व्यक्तियों की 500-00 रुपया मासिक से कम आमदनी है उनके आश्रितों को नि:शुल्क शिक्षा एवं आवास तथा भोजन व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।

5—टाउन एरिया, नगर पालिका, महानगर पालिका एवं जिला परिषदों तथा सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के सम्बन्ध में।

6—दायित्वहीन मंत्रिमंडल पर बढ़ रहे अनियंत्रित खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

7—शान्ति व्यवस्था की गम्भीर समस्या का हल निकाले जाने के सम्बन्ध में।

8—इटावा जनपद में यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर, पुरहा नदी पर भसोरा घाट पर, अरिन्द नदी पर मधुवापुर घाट पर और सेंगर नदी में जोरा घाट पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में।

9—गत शासन द्वारा निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का कराए जाने तथा खड़ंजा लगे मार्गों पर मिट्टी डलवाकर तारकोल डलवाए जाने के सम्बन्ध में।

10—इटावा जनपद की बिधूना और औरैया तहसीलों के ग्रामों में विद्युतीकरण एवं दिबियापुर-बेला, बिधूना-बेला तथा दिबियापुर सहापल विद्युत लाईनें जो नष्ट हो गयी हैं पुनः ठीक करवाए जाने के सम्बन्ध में।

11—कृषकों को उर्वरक (रासायनिक खाद) पिछली लोक दल सरकार के समय बिक रहे दामों में उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

12—दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के संबंध में।

13—कृषकों को उपज का लाभप्रद मूल्य तथा धान का मूल्य 150 रु0 प्रति कुंतल और गेहूं का मूल्य 200 रुपया प्रति कुन्तल दिए जाने के सम्बन्ध में।

14—इटावा जनपद की औरैया तहसील में बह रहे बूढ़ा दाना राजवाहा की बायीं पटरी ककोर से सीधे मऊ तक, भरसेन माइनर की बाईं पटरी औरैया दिबियापुर रोड से सुन्दरीपुर तक एवं बैसुन्दरा राजबहा की बायीं पटरी बैसुन्दरा से कन्चौसी तक तथा इटावा ब्रांच (नहर) की बायीं पटरी दिबियापुर से कन्चौसी तक जो इनके समीपवर्ती क्षेत्रों के आवागमन के एक मात्र साधन हैं, पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में।

15—इटावा जनपद की बिधूना तहसील में बह रही रामगंगा नहर की बाईं पटरी बिधूना बेला मार्ग से याकूब-पुर तक व सहार राजबाहा को लहरापुर तक तथा हरचन्दपुर राजबाहा की अदब्दा बिधूना मार्ग से दित्रियापुर बेला मार्ग तक बाईं पटरी जो इनके समीपवर्ती ग्रामवासियों के आवा-गमन का एक मात्र साधन है, को पक्की कराए जाने के सम्बन्ध में।

16—इटावा जनपद के बिधूना दिबियापुर मार्ग, फफूंद-हरचन्दपुर मार्ग, दिबियापुर-सहायलपुर, कन्चौली-लहरपुर मार्ग पक्के कराये जाने के सम्बन्ध में।

17—इटावा जनपद में ऊसर भूमि सुधार की कोई कारगर योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में।

18—औरैया और बिधूना तहसीलों में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में।

19—विद्युत की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने के सम्बन्ध में।

20—औरैया एवं बिधूना तहसील में गरीबी मिटाने हेतु गरीबों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21—बेरोजगार निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु श्रम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में।
		22—18 वर्ष के आयु के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में।
		23—जनपद इटावा के कस्बा दिवियापुर अथवा पाता स्टेशन के निकट जिसका सर्वे हो चुका है, उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में।
		24—सन् 1980 की जनगणना को आधार वर्ष मानकर विद्युत वितरण की घोषणा के सम्बन्ध में।
		25—इण्टरमीडिएट बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को दो माह पूर्व से परीक्षाओं के अन्त तक शहरी और देहाती क्षेत्र में समान और नियमित रूप से विद्युत वितरण के सम्बन्ध में।
		26—ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत क्षेत्र के लगान का कम से कम 1/6 भाग देने। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो सके, के सम्बन्ध में।
		27—खेतिहर मजदूरों, लघु कृषकों एवं निर्बल वर्ग के बेरोजगारों हेतु प्रत्येक अदालत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार लघु उद्योगों की स्थापना जिससे उस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके, के सम्बन्ध में।
		28—हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के निर्धारित आरक्षण को पूरा करने हेतु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की चयन समिति बनाने के सम्बन्ध में।
		29—जितनी बिजली उतना पैसा उपभोक्ताओं से लेने की घोषणा के सम्बन्ध में।
		30—औरैया एवं बिधूना तहसीलों की यमुना सेंगर एवं अरिन्द नदियों के किनारे की लाखों एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु अतिरिक्त नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में।
		31—औरैया एवं बिधूना के भरसेन, दौलतपुर, हरचन्दपुर आदि ग्रामों की जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, सड़क मार्ग में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32–प्रदेश की नहरों, राजवाहों की पटरियां जो यातायात के प्रमुख साधन बन सकती हैं एवं अनेकानेक ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ सकती हैं जिससे न तो काश्तकारों की भूमि नष्ट होगी न मिट्टी डालने एवं पुलिया के बनवाने की आवश्यकताओं में सरकारी धन का अपव्यय होगा और न ही राजवाहों व नहरों में खधिन्यां हो सकेंगी, को पक्का कराये जाने के संबंध में ।
		33–इटावा जनपद का बिधूना कस्बा जो तहसील केन्द्र एवं टाउन एरिया भी है में, अन्य तहसीलों जैसे विद्युत वितरण की व्यवस्था के संबंध में ।
		34–दिवियापुर कस्बा जो गल्ले की प्रमुख मण्डी है जिसमें 50 से भी अधिक छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं, में शहरी क्षेत्र जैसी बिजली वितरण की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।
		35–इटावा जनपद में बहने वाली रामगंगा नहर से सम्बन्धित प्रस्तावित सहायक माइनर एवं निचली गंगा शाखा, इटावा की प्रस्तावित उत्तरारी माइनर एवं अन्य प्रस्तावित माइनरों को असिंचित भूमि को सिंचित कराये जाने हेतु खुदाये जाने के संबंध में ।
		36–माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण करने के संबंध में ।
		37–हरिजनों की सुरक्षा हेतु किसी ठोस कदम के उठाये जाने के संबंध में ।
		38–फर्जी मुठभेड़ों को अविलम्ब रोके जाने तथा फर्जी मुठभेड़ों में मारे गये व्यक्तियों की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करायी जाने व फर्जी मुठभेड़ों में मारे गये लोगों के परिवारों को गुजारा भत्ता दिये जाने एवं फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाने के संबंध में ।
		39–ग्रामीण मजदूरों में रोजगार दिये जाने हेतु पिछली सरकार द्वारा चलायी जाने वाली "काम के बदले अनाज योजना" को पुनः चालू किये जाने के संबंध में ।
		40–समान कार्य के लिये समान वेतन की घोषणा किये जाने के संबंध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		41—जिला सहकारी बैंकों के संचालकों, जिला परिषद् के सदस्यों तथा विधायकों को जिस तरह यात्रा भत्ता मिलता है उसी प्रकार ग्राम प्रधानों को यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में ।
12	श्री प्रदीप कुमार यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित बातों का उल्लेख नहीं किया है :—

1—आजादी के बाद के सालों में साधारण आदमी का भोजन गिरते-गिरते इतना कम और खराब हो गया है कि उसका दुष्प्रभाव संतति के शरीर में प्रकट होने लगा है, यथा बच्चे मां के पेट से ही बीमार पैदा होते हैं और देश अपंगों से भरता जा रहा है । इस दिशा में कोई कदम उठाने के संबंध में ।

2—काम के अवसरों का सृजन बिल्कुल बन्द है जिसके परिणाम स्वरूप बेकारों की पल्टन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । सरकार द्वारा सब को काम देने या बेकारी भत्ता देने के संबंध में ।

3—किसानों से पिछली खरीफ की फसल पर एक रुपया चालीस पैसा प्रति किलो की दर से खरीदा गया गेहूं खुले बाजार में इस समय 2 रुपया 50 पैसे से लेकर 3 रुपया प्रति किलो की दर से बिक रहा है । दामों की इस लूट से किसान उपभोक्ता दोनों त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और इसका कारण सरकार की नीतिहीनता है । जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम इस तरह रखने कि दो फसलों के बीच किसी अन्न का दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़े और कारखाने में बने माल का बिक्री भाव लागत खर्च व ढुलाई खर्च से किसी भी सूरत में ड्योढ़े से ज्यादा न हों, के संबंध में ।

4—अधिकतम व निम्नतम आमदनी और खर्च को 1 और 10 की सीमा में बांधने के संबंध में ।

5—शारदा सहायक की पोषक नहर व उसकी शाखाओं ने अपने किनारे के गांवों व खेतों में सीपेज से जल भराव की मुस्तकिल हालत पैदा कर दी है जिससे सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर और रायबरेली आदि जिलों के लाखों किसान तबाह हैं । एक तरफ जल जमाव के कारण इन किसानों की खेती में अन्न का दाना

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पैदा नहीं होता और उनके मकान नमी के कारण कमजोर होकर गिर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की अमानुषिकता यह है कि ऐसे किसानों से लगान व सींच वसूलती है और सीपेज के उद्धार के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करती है । इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में।
		6—कांग्रेस (आई) सरकार के जून, 1980 में शासत्तारूढ़ होने के समय से अब तक उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस ने डाकू व पुलिस की तथाकथित मुठभेड़ के नाम पर 10 सौ हजार निर्दोष, निरीह और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है । अपने को सभ्य कहने वाले किसी भी राष्ट्र के लिये पुलिस का यह जंगली कुकृत्य शर्म की बात है । इसके परिणामस्वरूप समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जनता के सामने पुलिस का रूप नृशंस एवं निरंकुश हत्यारों के गिरोह के रूप में आ रहा है । असामाजिक तत्वों के मुकाबले जनता आज पुलिस से ज्यादा आतंकित है । इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने के संबंध में ।
		7—बाराबंकी जिले की बाराबंकी और बुढ़वल चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने की पिछली पेरायी का लगभग डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है और चालू वर्ष की पेरायी का अब तक की गन्ना आपूर्ति का दाम उन मिलों पर चढ़ गया है । जबकि यह दोनों मिल्स सरकारी प्रबन्ध में हैं । इस प्रकार किसान को गन्ने के बकाये दाम के न मिलने के संबंध में उनके बैल बछिया कुर्क हो रहे हैं ।
		8—स्टेपिल धागे का भाव रु0 107 प्रति बन्डल से बढ़ते-बढ़ते रु0 150 हो गया और बुनकर स्थानीय सूती मिल के सूत से मजबूरन कपड़ा बनाने लगे तब उसको मुकामी बाजार से बिल्कुल गायब कर दिया गया । नतीजतन उसके दाम 112 रुपया से बढ़कर 124 रु0 हो गये । सरकार की कोताही के कारण बुनकरों के माल का एक्सपोर्ट भी करीब-करीब ठप्प हो गया है । मिलों के माल से उनके माल का कम्पटीशन ऊपर से है । सबका बुरा असर बुनकरों पर यह है कि उनकी सारी पूंजी खत्म हो गयी और वह बुरी तरह मकरूज और तबाह हैं । बुनकरों की राहत के लिये (अ) मुकामी सूती मिल्स शहर नवाबगंज, बाराबंकी बाजार में अपना डिपो खोलने जहां हर रोज जितना सूत बुनकर चाहे उनको मिलने (ब) मुकामी

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		सूती मिल्स के सूत भाव में हाल में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह वापस लिये जाने, इसी तरह स्टेपिल धागे के भाव में पिछले ढाई तीन सालों में जो अन्धाधुन्ध बढ़ोत्तरी हुई है वह भी खत्म करने (स) मिलों के माल के साथ हथकरघे के माल का कम्पटीशन खत्म करने के लिये मिलों को वह माल न बनाने दिये जाने जो आम तौर पर बुनकर तैयार करते हैं और (द) बुनकरों के माल के एक्सपोर्ट की फरोग देने पर सरकार द्वारा पूरा ध्यान देने और हर इमकानी मदद करने के संबंध में । 9—प्राइमरी व प्रीप्राइमरी स्तर के अंग्रेजी माध्यम के खर्चों से स्कूल बन्द करने और प्राइमरी स्तर के सभी बच्चों की पढ़ाई एक जैसे स्कूल में होने के संबंध में । 10—पुलिस और जंगल विभाग की लूट ने जलावन लकड़ी का भाव 150 रुपया प्रति कुन्टल पहुंचा दिया है, लकड़ी की उचित व्यवस्था करने के संबंध में । 11—जनपद फैजाबाद की मसौधा शकर मिल ने अपनी पेराथी बन्द कर रखी है इस दिशा में सरकार द्वारा कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में ।
13	श्री मसरूर जाफरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है— 1—गोण्डा जनपद प्रदेश का सबसे पिछड़ा तथा गरीब जिला है इसके बहुमुखी विकास तथा ठोस योजनाओं के संबंध में । 2—उतरौला विधान सभा क्षेत्र में सड़कें तथा पुल बनाने के संबंध में । (अ) उतरौला तुलसीपुर मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में । (ब) उतरौला पचपेड़वा रोड, (स) उतरौला रुस्तमनगर मार्ग, तथा (द) श्रीगंज से मवईया तक की सड़क को पक्का करने के सम्बन्ध में । 3—राप्ती नदी पर पिपराघाट का पुल बनाने के संबंध में। (क) सिंगारजोत घाट पर पुल बनाने के संबंध में। (ख) उतरौला से श्री दातागंज तक राप्ती पर बंधा बनाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4—कमरतोड़ महंगाई को समाप्त करने के संबंध में।
		5—उतरौला मुख्यालय पर 100 शैय्या का चिकित्सालय बनाने के संबंध में ।
		6—उतरौला में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण करने के संबंध में ।
		7—उतरौला किंग जार्ज इण्टर कालेज में इण्टर में विज्ञान की संस्तुति वित्त मंत्रालय से करने के संबंध में ।
		8—गन्ने का मूल्य वाजिब न होने के कारण 30 रु0 क्वींटल गन्ने का मूल्य किसानों को देने के संबंध में ।
		9—बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में।
		10—कक्षा 10 तक निशुल्क शिक्षा देने के संबंध में ।
		11—प्राइवेट कालेजों के राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में ।
		12—उर्दू को द्वितीय भाषा बनाने के संबंध में ।
		13—जनपद गोण्डा में माधवपुर काण्ड की न्यायिक जांच कराने के संबंध में ।
		14—जनपद गोण्डा में सीलिंग तथा गांव समाज की निकली भूमि पर भूमिहीनों को सस्ती से पट्टा तथा कब्जा दिलाने के संबंध में।
		15—प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा मारे गये लोगों की न्यायिक जांच कराने के संबंध में ।
		16—बाढ़ तथा सूखे से जो फसलें जनपद गोण्डा के चारों तहसीलों में समाप्त हुई है उस पर से तमाम सरकारी कर्जे को माफ करने के संबंध में ।
		17—इस शताब्दी की सबसे बड़ी पड़ी डकैती सहकारिता विभाग गोण्डा में फर्जी कर्जे की माफी तथा उसकी न्यायिक जांच कराने के संबंध में ।
		18—हरिजन भाइयों व निर्बल वर्ग के लोगों को मकान बनाने हेतु जो अनुदान दिया जा रहा है उसको 10 हजार रुपया बढ़ाने के संबंध में ।
		19—जनपद गोण्डा के चारों तहसीलों के अन्तर्गत जो हरिजन कालोनी बनाकर देने की बात शासन ने कही थी उसके संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
14	श्री सरदार सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—

1—प्रदेश में किसानों को उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मूल्य दिलाने व गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान शीघ्र कराकर वर्तमान मौसम में गन्ने का मूल्य 40 रु0 प्रति कुन्तल दिलाने तथा निजी स्वामित्व वाले सल्फर प्लान्टों द्वारा किसानों के हो रहे शोषण को रोकने के संबंध में ।

2—सहकारी संस्थाओं/जिला परिषदों व अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने के संबंध में ।

3—विद्युत दरों की वृद्धि को कम करने के संबंध में ।

4—थानों में अपराधों को न लिखने अथवा कम करके लिखने के संबंध में ।

5—नौकरशाही की बढ़ती हुई लालफीताशाही के संबंध में ।

6—आई0 ए0 एस0 एवं आई0 पी0 एस0 अधिकारियों की बढ़ती हुई गुटबन्दी के संबंध में ।

7—मथुरा तेल शोधक कारखाने के पास पेट्रोकेमिकल एवं फर्टीलाइजर कारखाने लगाने के सम्बन्ध में।

8—उत्तर प्रदेश की ओर निरन्तर द्रुतगति से बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के संबंध में ।

9—मथुरा जिले की खारी एवं तेलिया पानी की समस्या को हल करने के संबंध में ।

10—मथुरा जनपद में गहरे एवं उथले नलकूप लगाने के संबंध में ।

11—मांट ब्रांच गंगा नहर से मथुरा की जल क्षमता दुगनी करने के संबंध में ।

12—मथुरा जनपद में यमुना नदी पर बृन्दावन फरह एवं शेरगढ़ का पुल निर्मित करने के संबंध में ।

13—आगरा मथुरा दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग के समानान्तर दूसरी राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण करने के संबंध में ।

14—मथुरा बृन्दावन को तीर्थ स्थान घोषित करने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	[श्री सरदार सिंह]	15—मथुरा जनपद प्राथमिक पाठशालाओं की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को सुधारने के संबंध में ।
		16—मथुरा जनपद के कस्बा राया में चीनी मिल लगाने के संबंध में ।
		17—मथुरा जनपद के गांव सोनई सोंखखेड़ा नगला सजा-बिसावर कुरसण्डा बछगांव पेगांव, दहगांव में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में ।
		18—मथुरा जनपद की जल भराव एवं गर्की की समस्या से निपटने के लिए नालों की खुदाई के संबंध में ।
		19—मथुरा जनपद के पवित्र कुण्ड, क्षीर सागर, मान-सिंह गंगा व पोतरा कुण्ड के विषाक्त एवं अशुद्ध जल के निकास व शुद्ध जल भरने के संबंध में ।
		20—सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं पक्का करने के संबंध में ।
		21—अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा ओलावृष्टि से लगातार गत तीन वर्षों से पीड़ित मथुरा जनपद के किसानों के सभी सरकारी देयों व बैंक ऋणों को माफ करने के संबंध में ।
15	श्री नरेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है——
		1—मन्त्रिमंडल एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा समाज विरोधी तत्वों को शासन द्वारा प्रश्रय दिये जाने के संबंध में ।
		2—नवम्बर 1, 1982 से विद्युत दरों को बढ़ाकर प्रदेश के कृषकों एवं अन्य उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय के संबंध में ।
		3—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ग्रामीण अंचलों में ठप्प होने से, ग्रामीण गरीब जनता की, दयनीय स्थिति के संबंध में ।
		4—प्रदेश की अत्यंत बिगड़ी हुई कानून एवं व्यवस्था के संबंध में । माह दिसम्बर, 1982 में श्री करण सिंह नि0 ग्रा0 कासिमपुर खेड़ी जिला मेरठ की मुजफ्फरनगर में हत्या किया जाना तथा हत्यारे को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के संबंध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज, जूढ़ कमाला, मेरठ की माह दिसम्बर 82 में मेरठ शहर में हत्या किया जाना तथा हत्यारों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के संबंध में।
		6—सत्यप्रकाश नि0 ग्रा0 शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जिला मेरठ की थाना पुलिस छपरौली के चार कर्मचारियों द्वारा हत्या किये जाने तथा आज तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।
		7—किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना तथा बागपत सहकारी चीनी मिल्स बागपत, मेरठ के प्रधान प्रबन्धक द्वारा वर्ष 1981-82 में पचास लाख से भी अधिक धन के गोल माल किये जाने के संबंध में।
		8—बड़ौत जनपद मेरठ में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल्स की स्थापना न किये जाने के संबंध में।
		9—तहसील सरधना जनपद मेरठ में चल रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।
		10—प्रदेश में दहेज न दे पाने के कारण अनेकों महिलाओं की दर्दनाक हत्याओं के संबंध में।
		11—शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिलाने के लिए कोई ठोस योजना एवं छात्रों में व्याप्त असंतोष दूर करने के लिए रोजगार पूरक शिक्षा योजना न लागू करने के संबंध में।
		12—प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के संबंध में कोई ठोस नीति न बनाई जाने के संबंध में।
16	श्री राधेश्याम पटेल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—
		1—प्रदेश के किसान की सोचनीय एवं गम्भीर स्थिति को देखते हुए बढ़ी हुई विद्युत दर वापस लेने के संबंध में।
		2—प्रदेश के जनपद इलाहाबाद के विगत 25, 26, 27, 28 एवं 29 जनवरी 1983 को कुर्की के नाम पर पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्राम आराकलां थाना उतरांव ग्राम हिराव्न पुरावरने, थाना सराय भमरेज ग्राम

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	[श्री राधेश्याम पटेल]	गोरिवों थाना फालतू के निरपराध किसानों को लूटपाट डकैती तहस-नहस 10 लाख से अधिक के लूट एवं नुकसान के संबंध में । 3—प्रदेश के हरिजन एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं विकास हेतु कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में । 4—प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा की कोई निश्चित योजना बनाने के संबंध में । 5—ग्राम विकास के लिए कोई ठोस एवं प्रभावकारी कार्यक्रम बनाने के संबंध में ।
17	श्री राम आसरे वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्न को जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—वर्तमान सरकार प्रदेश को विकास की दिशा देने में असफल हुई है । 2—शांति व्यवस्था एवं प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । 3—भ्रष्टाचार का एकछत्र राज कायम है । 4—हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच गया है । 5—जनता एवं जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है तथा नौकरशाही उन्मुक्त रूप से अपना नग्न नृत्य कर रही है ।
18	श्री गोपीनाथ वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है—है— 1—प्रदेश में गन्ना किसानों की पिछला बकाया धनराशि 1983 में ही भुगतान करा दिया जायेगा और इस वर्ष गन्ना मिलों को देते ही उसी दिन भुगतान करा दिये जाने के संबंध में । 2—प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को मात्र 3—4 घन्टे विद्युत सप्लाई को शहरी क्षेत्रों की भांति 18 घन्टे समान रूप से किये जाने तथा बढ़ी हुई विद्युत दर में कमी करने के संबंध में । 3—प्रदेश के सभी जनपदों की बाजारों में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में। 4—प्रदेश के सभी 5 बीघे से कम भूमि वाले किसानों को लगान माफ करने के संबंध में ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जो जनसम्पर्क मार्ग सन् 1977 से 1982 तक खड़ंजा स्तर तक बन चुके हैं उस पर तारकोल लेपन का कार्य किये जाने के संबंध में ।
		6—जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने हेतु धन देकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने तथा उक्त परियोजना में अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार घपलेबाजी की जांच करा कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में ।
		7—टाण्डा तापीय परियोजना फैजाबाद से प्रभावित 1700 किसान परिवारों को नौकरी दिये जाने तथा विस्थापित परिवारों को शासन द्वारा कोई सुविधायें देने के संबंध में ।
		8—जनपद फैजाबाद में थाना रौनाही की पुलिस द्वारा सन् 1982 में असगर नामक व्यक्ति को अकारण मुठभेड़ के नाम पर हत्या की है उसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में ।
		9—सीमेन्ट के बढ़े हुए मूल्य को कम किये जाने के संबंध में ।
		10—प्रदेश में लकड़ी (ईंधन) के अभाव को देखते हुए उसकी व्यवस्था करने के संबंध में ।
		11—जनपद फैजाबाद में टाण्डा नगर को घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु ठोकर निर्माण करने के संबंध में ।
		12—प्रदेश के किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।
		13—यह कि जनपद फैजाबाद में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण तथा बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए पुलिस को सतर्क कराकर शांति व्यवस्था कायम करने के संबंध में ।
		14—जनपद फैजाबाद में टाण्डा नगर पालिका क्षेत्र को टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना तक बढ़ा कर टाण्डा नगर के विकास किये जाने के संबंध में ।
		15—जनपद फैजाबाद में टाण्डा नगर में छात्राओं को शिक्षा ग्रहण किये जाने हेतु कोई महाविद्यालय नहीं है। उक्त नगर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में ।
		16—जनपद फैजाबाद में थाना बीकापुर की पुलिस द्वारा सत्य नारायण उपाध्याय को अकारण गोली मारे जाने से हुई उनकी मृत्यु की जांच कराये जाने के संबंध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	[श्री गोपी नाथ वर्मा]	जनपद फैजाबाद में थाना मालीपुर की पुलिस द्वारा श्री लाल बहादुर वर्मा ग्राम मुसौली थाना मालीपुर, अकबरपुर की पुलिस फर्जी मुकदमें में गिरफ्तार करके 16 अक्टूबर, सन् 1982 को थाने में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला कर मार डालने की घटना की जांच कराये जाने के संबंध में ।
		18—प्रदेश में मुठभेड़ के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जांच कराके उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।
		19—जनपद फैजाबाद इल्फातगंज, मुण्डेरा, भोलेपुर, हंसवर, खासपुर, भगाही के बुनकरों को टाण्डा फीडर से जोड़ कर 24 घण्टे विद्युत सप्लायी करने के संबंध में ।
		20—जनपद फैजाबाद में ग्रामीण इलाकों की सफदरपुर वाया केतारनगर तथा पूराबख्श राय नाऊसांडा वाया उतरेठू तथा सेवागंज वाया उतरेठू तथा टाण्डा सकरावल वाया धौरहरा बसावनपुर तथा रामपुर कलां वाया मसड़ा मोहनपुर तथा टूहियां वाया फूलपुर आदि जन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
		21—प्रदेश में शीतलहरी से मृत्यु परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में ।
		22—टाण्डा वाया बस्ती घाघरा नदी पर टाण्डा पीपे के पुल निर्माण को पक्का पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
		23—प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज के विद्यालयों में पिछड़ी जाति के समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में ।
		24—प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर विद्यालयों के छात्रों को टाट-पट्टी, कुर्सी व सहकारी दरों पर पुस्तकें व किताबों को दिये जाने तथा शिक्षा सुचारू रूप से चलाये जाने के संबंध में ।
		25—प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों पर पुलिस व समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे अत्याचार, अपहरण व बलात्कार की रोकथाम किये जाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26—प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में कोई कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।
		27—मौजूदा मंत्रिमंडल का प्रदेश की जनता का विश्वास खोने एवं शान्ति व्यवस्था को कायम रखने में सर्वथा असमर्थ रहने के संबंध में ।
19	श्री हरगोविंद वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—
		1—वर्ष 82-83 में प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है जिसके फलस्वरूप माह जनवरी, 83 से पूरे प्रदेश में 60 प्रतिशत लोग भुखमरी के प्रभाव में पीड़ित हैं उनको भुखमरी से बचाव करने के संबंध में ।
		2—प्रदेश में कृषि पर प्रयोग होने वाली बिजली का दाम सरकार ने बढ़ाया है जो 15 रुपया हार्स पावर से साढ़े 22 रुपया हार्स पावर कर दिया गया है, इससे कृषि पर एक विशेष संकट, जिससे कृषि उत्पादन की लागत बढ़ेगी और प्रदेश में मंहगाई उत्पन्न हो जाने के संबंध में ।
		3—प्रदेश के अन्दर सरकार मिल मालिक और अधिकारी वर्ग के माध्यम से जो गन्ना नीति बनी है, उससे एक प्रकार से गन्ना किसानों पर संकट आया है उस संकट के रहते हुए अगले वर्ष प्रदेश और देश के सामने चीनी का संकट उत्पन्न हो जाने की संभावना के संबंध में ।
		4—पूरा प्रदेश वर्ष 82 और 83 में मुठभेड़, डकैती, कतल तथा आतंक और पुलिस राज्य बन जाने के संबंध में ।
		5—पूरे प्रदेश और इसकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में ।
20	श्री थम्मन सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :—
		1—जिला बिजनौर को पहाड़ी जिला घोषित करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	[श्री हरगोविन्द वर्मा]	2–ग्रामीण क्षेत्रों में नित्य प्रति निश्चित रूप से सायंकाल 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक घरेलू उद्योग के लिये विद्युत आपूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं किया है । 3–वर्ष 1982-83 के लिये खण्डसारी इकाईयों द्वारा गन्ना खरीदने के लिये सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निश्चित किये जाने का उल्लेख नहीं किया है । 4–अफजलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अगले 2 वर्षों में विशेष कोटा देकर 20 नलकूप लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।
21	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :– 1–देवरिया जिले में किसी बड़े उद्योग लगाने का उल्लेख नहीं किया है । 2–देवरिया जिले के मगहरा विकास क्षेत्र सलेमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं लार में महिला चिकित्सालय का उल्लेख नहीं किया है । 3–सलेमपुर (देवरिया) राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना की बात नहीं कही है । 4–छोटी गंडक नदी के चनकी घाट विकास क्षेत्र लार देवरिया पर पुल निर्माण कराने की बात का उल्लेख नहीं किया एवं भागलपुर देवरिया सरयू पुल के निर्माण का भी उल्लेख नहीं किया है । 5–पिण्डी, लार चनकी घाट पार मार्ग को जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने का उल्लेख नहीं किया है । 6–खुखुन्दू (देवरिया) में बस स्टेशन बनाने का उल्लेख नहीं किया । 7–ग्राम खेमादेई विकास क्षेत्र लाल (देवरिया) के चिकित्सालय खोलने की बात नहीं की गयी है । 8–सलेमपुर (देवरिया) टाउन एरिया में पीने के पानी के लिये पानी सप्लायी की बात का उल्लेख नहीं किया है ।
22	श्री जमुना प्रसाद (उपस्थित किया हुआ माना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1—जनपद बाराबंकी में मुठभेड़ के नाम पर तमाम बेगुनाह लोगों को पुलिस द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है, उनकी न्यायिक जांच कराने के संबंध में ।
		2—बाराबंकी जनपद में दरियाबाद समानान्तर शाखा नहर के सीपेज से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित है जिसमें विगत वर्षों से किसी फसल की बुवाई नहीं हो पायी है, उसका मुआवजा कृषकों को तत्काल दे दिया जायगा और नहर की सीपेज समस्या निदान हेतु नहर को पक्का करने के सम्बन्ध में ।
		3—जनपद बाराबंकी के गन्ना किसानों का मूल्य तत्काल भुगतान कर दिया जायेगा और उनकी लागत का समर्थन मूल्य 40 रु0 प्रति कुन्तल दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		4—जनपद बाराबंकी में कल्याणी नदी को कृत्रिम बाढ़ से बचाने हेतु शारदा सहायक पोषक नहर का पानी नदी में नहीं छोड़ा जायेगा । कल्याणी नदी के किनारे के प्रभावित गांवों की कृषि योग्य भूमि का तत्काल मुआवजा दिये जाने के संबंध में ।
		5—बाराबंकी में कल्याणी नदी को ग्राम कुतुलूपुर से मसौली तक गहरा चौड़ा तथा सीधा कर दिया जायेगा। क्या कल्याणी नदी को बाढ़ से बचाने हेतु उसमें ड्रेनेज (सारेजे) न गिराये जाने के संबंध में ।
		6—जनपद बाराबंकी की कल्याणी नदी से प्रभावित भूमि का सर्वे कराकर उसको लगान मुक्त कर दिये जाने के संबंध में ।
		7—जनपद बाराबंकी अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के पश्चिमी भाग में सिंचाई हेतु उप-नहरें निकाल कर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।
		8—जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में ।
		9—बाराबंकी के ग्राम मझगवां शरीफ में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना तत्काल किये जाने के संबंध में ।
		10—जनपद बाराबंकी में जहुआ नाला का पुल सा0 नि0 वि0 द्वारा सर्वे कराकर तत्काल बनवाने के सम्बन्ध में ।

उपनिदेशक प्रदेशगृह

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री जमुना प्रसाद	11—जनपद बाराबंकी को पिछड़ा जनपद घोषित करके भारी उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों की भांति पूंजीगत छूट देने के संबंध में । 12—जनपद बाराबंकी/सीतापुर सीमा पर स्थित धननाग तीर्थराज को पर्यटन स्थल तत्काल बना दिये जाने के संबंध में । 13—जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर-कतूरी कला व बड़ा गांव से धननाग तीर्थराज वाया बजगहनी तक मार्ग सा0 नि0 वि0 द्वारा पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में । 14—जनपद बाराबंकी में फतेहपुर कतूरी कला मार्ग के सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन कल्याणी नदी पर ग्राम भिटहरा के पुल की जांच सतर्कता अधिष्ठान से तत्काल कराये जाने के संबंध में । 15—जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर मुख्यालय पर एक डिग्री कालेज की स्थापना इसी वर्ष करा दिये जाने के संबंध में ।
23	श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित बातें नहीं कहीं जो जन-हित में हैं :— 1—यह कि प्रदेश में दिसम्बर 27, 1982 से दिनांक 15-1-83 तक कड़ाके की ठण्डक व शीत लहरी में कई हजार लोग ठण्डक, भूख आदि से मर गये हैं तथा जिनके जानवर भी मर गये हैं उनको आर्थिक सहायता दी जायेगी । 2—प्रदेश व देश में शिक्षा का स्तर समान रखा जायेगा । शिक्षा संस्थाओं (मान्यता प्राप्त) में हरिजनों व पिछड़ी जातियों के कोटे पूरे किये जायेंगे । 3—प्रदेश के अन्दर विज्ञान विषय कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से पढ़ाने का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया परन्तु जिन विद्यालयों में विज्ञान नहीं है उनको सहायता या सुविधा दी जायेगी । 4—जनपद गोरखपुर के लिये निम्नांकित बातें :— (अ) महाराजगंज से चौक होते हुए निचलौल तक की सड़क का निर्माण ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(ब) शिकारपुर से मोहनापुर होते हुए सेदूरिया तक की सड़क का निर्माण । (स) पकड़ी नौनिया से खुटहा के आगे तक की सड़क का निर्माण । (द) सेदूरिया से पिपरा कल्याण बागापार होते हुए बेलवा काजी तक सड़क का निर्माण । (य) गोपालाव लक्ष्मीपुर एकडगा गावों से जाने वाली सड़क को दोनों तरफ ले जाकर उपयोगी स्वरूप प्रदान करने पर । (र) झगहा से अधूरी सड़क जो बरही गोबडौर होते हुए बोहाब रुद्रपुर तक जाती है । (ल) नई बाजार से इटौवा होते हुए गजपुर मार्ग । (व) झगहा से राजधानी मटियारा घाट, विशुनपुरा होते गजपुर घाट सड़क इसके आगे अन्य उपयोगी सड़कों का निर्माण ।
		(क) कटहरा रेहाव, झनकपुर, बेलवाकाजी, महाराजगंज कस्बा के पास गणेशपुर, तकरारी आदि के पास सिंचाई विभाग से बनने वाले पुल का निर्माण ।
		(ख) ढलिया, रेहाव बनदाव नालों के द्वारा आने वाली बाढ़ से जन-धन की होने वाली हानि ।
		(ग) नहरों, राजवाहों आदि में किसानों की ली गयी भूमि व मुआवजा नहीं दिया गया है ।
		(घ) निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज का सर्वेक्षण कराकर जिन स्थानों पर सिंचाई विभाग (नहर) ने पुल-पुलिया नहीं बनवाया है ।
		(ङ) जंगल विभाग के जंगलों में पशुओं को चरने की व्यवस्था ।
		(च) गोर्रा नदी के स्थान गौरी घाट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से पुल बनवाने जिस पर अनेक बार ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । इसका सर्वप्रथम बनना आवश्यक है इसके बाद इटौवा मटियारा बौहाबाद आदि घाटों पर पुल बनवाया जायगा ।
		(छ) खुटहा मुड़िला ग्राम सभा में ब्लाक द्वारा हुए ईंट क्रय सोलिंग आदि में गम्भीर घपला संबंधित बी0डी0-ओ0, महाराजगंज ने किया है इसे निलंबित करके जांच करने पर ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—प्रदेश में हरिजन पेय नलकूप, आवास आदि उपयोगी नहीं हैं । इनमें अधिकांश में पानी न होने तथा आवास ध्वस्त होने की स्थिति को दूर किया जायेगा । 6—सरकार द्वारा संचालित एन0 आर0 ई0 पी0 व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में होने वाले कार्यों में हो रही लूट को दूर किया जायेगा ।
24	श्री गौरी शंकर भैया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के संबंध में । 2—सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आयोग गठित करने के संबंध में । 3—किसानों पर बढ़ी हुई विद्युत दर को कम करने के संबंध में । 4—कृषि का बीमा करने हेतु किसी प्रकार के शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास के संबंध में । 5—प्रदेश में इण्टर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संबंध में । 6—प्रदेश के बेरोजगार युवकों को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से रोजगार देने के संबंध में । 7—बलिया जनपद को उ0 प्र0 सरकार द्वारा द्वितीय (बी) श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में । 8—बलिया जनपद के सुरहा ताल को पर्यटन केन्द्र के रूप में बनाने के संबंध में । 9—बलिया जनपद के घाघरा नदी पर सभी के जय प्रभा सेतु के शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में । 10—बलिया जनपद में टोंस नदी पर इन्दरपुर तथा गैगहरा के बीच पीपे का पुल बनाये जाने के संबंध में। 11—बलिया जनपद के मगई नदी पर कथरिया तथा दौलतपुर के मध्य पक्का पुल बनाने के संबंध में । 12—बलिया जनपद के ग्राम सभा फेफना, नारायणपुर, कोटवां, जगदीशपुर, भरौली व कर्थिया में पशु अस्पताल बनाने के संबंध में कोई अस्पताल बनाने के संबंध में । 13—बलिया जनपद के ग्राम सभा टटआरी इन्दरपुर, नसीरपुर, जगदीशपुर, भरौली व कुर्थिया में पशु अस्पताल बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । 14—कोपाचीट क्षेत्र को गंगा तथा टोंस के बाढ़ एवं कटान से बचाने के सम्बन्ध में।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15—बलिया जनपद एवं गड़वार ब्लाक के 60 प्रतिशत से अधिक खराब ट्यूबवेलों तथा सभी नालियों के पुनर्निर्माण के संबंध में ।
		16—एकीकृत ग्राम विकास एजेन्सी बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में ।
		17—सहकारिता की दुकानों द्वारा बलिया जनपद में समय से गल्ला आपूर्ति न किये जाने के संबंध में ।
		18—बाढ़ एवं सूखे से पूर्ण रूप से प्रभावित बलिया जनपद के छात्रों की पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं किसानों की लगान माफी तथा तकावी वितरण के सम्बन्ध में ।
		19—बलिया जनपद की रोडवेज बसों की खराब हालत के सम्बन्ध में ।
		20—बलिया जनपद में विश्व बैंक परियोजना द्वारा 300 (तीन सौ) ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है ।
		21—बलिया जिला अस्पताल के स्तर से ऊंचा करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है ।
		22—फेफना बलिया में लड़कियों के लिए राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में ।
		23—बलिया जनपद में लिफ्ट सिंचाई नहर सोहांव व लिफ्ट सिंचाई नहर पलिया खास के हेड से गंगा नदी का पानी लगभग 3 किलोमीटर दूर चला गया है । इन दोनों नहरों को एक में मिला कर भरौली से गंगा नदी का पानी नहर में उठाया जा सकता है ।
		24—बलिया जनपद के ब्लाक गड़वार और सोहांव में किसी बड़े उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लगाने के सम्बन्ध में ।
		25—बलिया जनपद में विद्युत आपूर्ति को नियमित करने तथा ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ।
25	श्री कुंवर सिंह नेगी, डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—
		1—प्रदेश की बिगड़ती कानून व व्यवस्था के सम्बन्ध में ।
		2—प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं उपलब्ध न होने से बाजार में गेहूं का मूल्य 3 रुपये प्रति किलो हो गया है और उससे गरीब जनता के भुखमरी की स्थिति में आ जाने के सम्बन्ध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—पर्वतीय क्षेत्र की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों मे गेहूं आटा और चावल बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण वहां की जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में ।
		4—पर्वतीय जिलों में कई विभागों के कार्यालयाध्यक्ष नहीं हैं । मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पर्वतीय) का स्थान कई माह से रिक्त पड़ा है और इस पद के न भरे जाने के कारण कई विकास के कार्य भी ठप पड़े हैं । सैकड़ों अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं । सरकार इन्टर कालेजों व हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य व हेड मास्टर तथा अध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है । इसी प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में 50 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उनको कई साल से नहीं भरा जा रहा है । इन रिक्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में ।
		5—राज्य के आकार को देखते हुए तथा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाने के सम्बन्ध में ।
		6—प्रदेश में वन्य जन्तुओं को मारने पर रोक लगने के कारण उनके द्वारा जंगलों के आस-पास के ग्रामों की फसलों एवं मवेशियों के नुकसान होने पर उनको इस हानि का मुआवजा दिए जाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है । वर्तमान मुआवजा का नियम दोषपूर्ण होने के कारण लोगों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है । इस व्यवस्था में कोई संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।
		7—पर्वतीय क्षेत्र में आलू, सेव, माल्टा इत्यादि के विपणन एवं भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पादकों को उचित मूल्य न मिल पाने और इन फसलों के बीमा की व्यवस्था करने के संबंध में ।
		8—श्री बद्रीनाथ-केदार नाथ मन्दिर समिति का वर्तमान स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत है और राजनीति से प्रेरित है । अतः इसके उचित ढंग से गठित किये जाने के सम्बन्ध में ।
		9—जनपद चमोली में तहसील ऊखीमठ में उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना के बारे में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10—जनपद चमोली में हरबल इन्स्टीट्यूट एवं जड़ी-बूटी फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में ।
		11—वन संरक्षण अधिनियम के कारण पर्वतीय क्षेत्र में सभी विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । इस अधिनियम को पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाइयों के परिपेक्ष में संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ।
26	श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री राम नारायण सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—
		1—बिना मुनाफे के खेती-बारी यानी सवा 6 एकड़ तक के खेत के कास्तकारों पर किसी प्रकार की माल गुजारी नहीं लगेगी ।
		2—विद्युत उत्पादन पूर्वांचल को ग्रामीणों तक पहुंचाने में वरीयता दी जायेगी ।
		3—प्रदेश के जिन छात्रों-छात्राओं के माता पिता इन्कम टैक्स नहीं देते हैं उनकी माध्यमिक शिक्षा मुफ्त होगी ।
		4—पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की तरह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ।
		5—बी0 पी0 मण्डल आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के हित में है उसको लागू करने के सम्बन्ध में ।
		6—सी0 पी0 एम0 टी0 के परीक्षा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूर्ववत् लागू करने के संबंध में ।
		7—हरिजन समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं को छात्र-वृत्ति फार्म में आय जाति नागरिकता प्रमाण जन प्रतिनिधियों द्वारा मान्य है परन्तु पिछड़े वर्ग के छात्र वृत्ति के फार्म में आय प्रमाण पत्र माल विभाग के राजपत्रित अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो ऐसा करने पिछड़े वर्ग के छात्रों के हित के खिलाफ है का निराकरण करने के सम्बन्ध में ।
		8—बेरोजगार को काम देने का एवं बेरोजगारी का भत्ता देने के सम्बन्ध में ।
		9—खाद्यान्न योजना में जनता सरकार द्वारा बनी सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में ।
		10—कृषि के आधार पर उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–मिर्जापुर जनपद को उद्योग के क्षेत्र मे पिछड़ा घोषित करने से वहां के मूल निवासियों को स्वतः उद्योग लगाने की प्रेरणा मिलेगी आदिवासियों के उचित कल्याण की योजना के संबंध में ।
		12–भ्रष्टाचार, शराब बन्दी, एवं दहेज, जाति-बिरादरी वाद के उन्मूलन के सम्बन्ध में।
27	श्री रुद्र प्रताप सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–हरिजनों को बसने हेतु जमीन आज तक नहीं दी गई जिसके कारण प्रदेश के हरिजन तबाह हो रहे हैं । उदाहरण स्वरूप देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना, पो0 रामपुर, कारखाना के हरिजनों का प्रकरण आज तक ठीक नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में ।
		2–स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम में धन प्राप्त करने हेतु काफी धन घूस में लिया जाता है इसकी रोकथाम करने के सम्बन्ध में ।
		3–प्रदेश की नदियां भीषण रूप धारण करके अनेक ग्रामों को काटती जा रही हैं । इस पर सरकार द्वारा कोई कारगर कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में ।
		4–शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट आ रही है, इसके पुनरुत्थान करने के सम्बन्ध में ।
		5–14 वर्ष के छात्रों को आज तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में ।
		6–गोरखपुर विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण समाप्त हो रहा है इसको पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में ।
		7–प्रदेश के बालकों को खेलने हेतु क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में ।
		8–बेरोजगार नवयुवकों के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई । उन्हें बेरोजगारी का भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		9–पुलिस गरीब एवं निरीह लोगों को सताने में व्यस्त है उसकी रोकथाम करने के सम्बन्ध में ।
		10–अस्पतालों की व्यवस्था से गरीब तबाह हो रहे हैं उन्हें राहत दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विधान सभा

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—प्रदेश के असहायता प्राप्त उ0 मा0 वि0 के अध्यापक भूखों मर रहे हैं उन्हें तत्काल वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लाकर राहत देने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में ।
28	श्री राम सागर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई का उल्लेख नहीं किया है :—

1—समूचे प्रदेश का जन-जीवन अरक्षित है । मुठभेड़ के नाम पर पुलिस द्वारा तमाम निर्दोष गरीबों की हत्यायें की जा रही हैं उन पर रोक लगाई जाने तथा अब तक मुठभेड़ के नाम पर जिन लोगों की हत्यायें की की गयी हैं उनकी न्यायिक जांच करा कर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

2—गन्ना किसानों का बकाया तुरन्त भुगतान करा कर उनके गन्ना उत्पादन का प्रोत्साहक मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में ।

3—जनपद बाराबंकी के राजकीय बालिका इण्टर कालेज तथा जनपद बाराबंकी के ऐसे सभी प्राइमरी पाठ-शाला जो पेड़ों के नीचे अथवा खुले स्थानों पर लगते हैं उनका भवन इसी वित्तीय वर्ष में बनाया जाय साथ ही बाराबंकी के हैदरगढ़, रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय पर एक-एक डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में ।

4—जनपद बाराबंकी की रारी नदी के घाटमपुर घाट कल्यानी नदी के मवई घाट तथा गोमती नदी के औसानेश्वर घाट के पुलों का निर्माण कराया जाय साथ ही सादुल्लापुर से पहाड़ापुर कोठी से जैदपुर मदारपुर से हैदरगढ़ वाया औसानेश्वर घाट, कैसरगंज से मोहम्मदपुर कीरत वाया सिद्धौर असन्दरा से धनौली असन्दरा से टेड़वा देवी गंज से सुबैहा तथा मवई से सुबैहा सड़के जो शासन द्वारा स्वी-कृत हैं का निर्माण कार्य 6 माह के अन्दर पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में ।

5—जनपद के बाराबंकी रामसनेही घाट पटखनपुरवा, सिद्धौर तथा लिंक रोड विराहा (घनई का पुरवा) स्थानों पर तत्काल महिला चिकित्सालयों की व्यवस्था तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6—जनपद बाराबंकी के दरियाबाद के समान्तर शाखा नहर के सीपेज का तत्काल समाधान किये जाने तथा इस सीपेज से जिन कृषकों की फसलों की क्षति हुई है उन्हें मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		7—बिजली के बढ़े हुए दरों को वापस लिये जाने तथा कृषकों को कम से कम 22 घन्टा बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		8—कृषकों के उपयोग में आने वाली समस्त उर्वरक कृषि यंत्र आदि वस्तुओं के दाम घटा कर जनता शासन के दाम पर किये जाने के सम्बन्ध में ।
		9—क्षेत्र समितियों के चुनाव तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में ।
29	श्री जटाशंकर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित उल्लेख नहीं किया है :—
		1—जनपद बहराइच एवं नानपारा तहसील की विगत प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसलों की क्षति को देखते हुए लगान एवं कृषि देयों की पूर्ण माफी की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में ।
		2—जनपद बहराइच के भयंकर पाले से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति अथवा राहत दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		3—नानपारा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ।
		4—जिला बहराइच के प्रत्येक राजस्व ग्राम के स्कूल, अस्पताल तथा सस्ते गल्ले की दुकान संस्थापित करने के सम्बन्ध में ।
		5—प्रत्येक ब्लाक मुख्यालयों पर पूर्णकालिक विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
		6—पूरे नानपारा तहसील के गन्ना कृषकों के खड़े गन्ने का क्रय करने की सुनिश्चित गारण्टी दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		7—जनपद बहराइच के नानपारा तहसील मुख्यालय पर चिकित्सालय भवन एवं ब्लाक मिहीपुरवा मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8—नानपारा में राजकीय महाविद्यालय (डिग्री कालेज) खोलने के सम्बन्ध में।
		9—नानपारा तहसील के प्रत्येक राजस्व ग्राम को पक्की सड़कों द्वारा मण्डियों एवं बाजारों से जोड़ने की योजना के सम्बन्ध में ।
		10—नानपारा तहसील के वनों से लगे बसे ग्रामों के जानवरों की निःशुल्क चराई एवं गृह निर्माण हेतु लकड़ी तथा फूस निःशुल्क वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
		11—मिहीपुरवा कस्बे को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ।
		12—नानपारा नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका (म्युनिस्पिलटी) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ।
		13—नानपारा तहसील के अन्तर्गत निर्माणाधीन शारदा एवं सरजू नहर परियोजनाओं की नहरों की निर्माण प्रक्रिया के तहत डिवाटिरिंग से पानी से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों, खेतों, के डूबे रहने से अगली न बोये जाने की क्षति तथा नगर के विभिन्न निर्माणों हेतु अधिग्रहीत जमीनों का तत्काल मुआवजा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।
		14—निर्माणाधीन नहरों का (नानपारा तहसील) ग्रामों एवं सार्वजनिक मार्गों पर सुनिश्चित रूप से पुल बनाये जाने की गारण्टी दिये जाने के सम्बन्ध में ।
		15—नानपारा तहसील में थारू एवं हरिजन तथा कमजोर वर्ग के नागरिकों की बेहतरी के लिए कुटीर उद्योगों, शिक्षा, चिकित्सा की किसी भी योजना के सम्बन्ध में ।
30	श्री नन्द राम	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
(उपस्थित किया हुआ माना गया)		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में घोषणा नहीं की है:—
		1—जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर में ग्राम मल्लपुर रोड से बिथरी चेनपुर जाने वाली रोड को पक्का तथा ग्राम राघोपुर से ग्राम रूपापुर जाने वाली रोड को पक्का करने के संबंध में ।
		2—ग्राम फैजनगर से ग्राम सुन्हा रोड (जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर) के बनवाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—बरेली जिले की तहसील फरीदपुर के ग्राम मैनी से रमपुरातन होती हुई ग्राम खलपुर जाने वाली सड़क के बनाने के संबंध में ।
		4—जनपद बरेली के ग्राम रसूला और वहनपुर के बीच नाले पर एक पुल निर्माण कराने के संबंध में ।
		5—बरेली जिले के ग्राम डोहरा के पास नकटिया नदी पर पुल निर्माण कराने के संबंध में ।
		6—तहसील फरीदपुर जिला बरेली, के ग्राम रसूला-वाहनपुर में गन्ना खरीद का सेन्टर चालू कराने, के संबंध में जबकि बीसलपुर शुगर मिल चालू हुए 4 माह बीत गये हैं।
		7—बरेली जिले के ब्लाक भुता में स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में ।
		8—ग्राम ककराकलां ब्लाक भुता, जिला बरेली में जू0 हा0 स्कूल तथा कन्या पाठशाला खुलवाने के संबंध में ।
		9—ग्राम भगवानपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में ट्यूबवेल बने दो वर्ष बीत गया किन्तु उसे विद्युत लाइन से जोड़ने का कार्य अब तक न किये जाने के संबंध में ।
		10—उ0प्र0 के गन्ना काश्तकारों के बकाये के भुगतान कराने का कोई उल्लेख नहीं किया, के संबंध में ।
31 (उपस्थित किया हुआ माना गया)	श्री मुख्तार अनीस	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:—
		1—राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम तथा अन्य कारपोरेशनों में हो रहे भयंकर घाटे के संबंध में ।
		2—उत्तर प्रदेश में उत्पन्न शांति व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के संबंध में ।
		3—सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच और बाराबंकी में घाघरा और शारदा की बाढ़ से उत्पन्न प्रति वर्ष भयंकर खतरे की चर्चा तथा एरा पुल से एल्गन ब्रिज तक का बन्धा लखीमपुर और बाराबंकी के मध्य बनाने के संबंध में ।
		4—सीतापुर जिले के माजरी क्षेत्र रेउसा, बेहटा और सकरन ब्लाकों के मध्य एक चीनी मिल बनाने के संबंध में।
		5—शारदा सहायक परियोजना से उत्पन्न सीपेज की समस्या के समाधान के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
32	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणा नहीं की:—

1—उ0 प्र0 के बुन्देलखण्ड विकास आयोग गठित करने तथा क्षेत्र के पिछड़ापन दूर करने हेतु एक अरब धनराशि के प्राविधान करने के संबंध में ।

2—बुन्देलखंड क्षेत्र के बुनकरों को सस्ती दरों पर सूत दिलाने के संबंध में ।

3—बुन्देलखंड सम्भाग में कर्बी को जिला बनाये जाने के संबंध में ।

4—झांसी जनपद में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने तथा खासकर लघु सिंचाई की योजना को बड़े पैमाने की बनाने के संबंध में ।

5—झांसी तथा ललितपुर जनपद में हरिजन खेतिहर मजदूरों की सीलिंग तथा गांव सभा कृषि योग्य बन्जर भूमि के पट्टे करने और पट्टों पर ही दी गयी भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में।

6—स्थानीय निकायों, ग्राम सभाओं, जिला परिषदों, न्याय पंचायतों, विकास खंडों के शीघ्र चुनाव कराये जाने के संबंध में ।

7—झांसी तथा ललितपुर जनपद को अकाल पीड़ित घोषित कर लगान तथा सभी कर माफ किये जाने के संबंध में।

8—बुन्देलखंड क्षेत्रके सभी जनपदों में व्यापक उद्योगीकरण करके बेरोजगारी दूर करने के संबंध में ।

9—बुन्देलखंड सम्भाग में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए तथा सस्ती दरों में उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दिलाने के संबंध में।

10—20सूत्रीय योजना को कार्यान्वित करने में झांसी सम्भाग में बर्ती जा रही अनियमितताओं एवं धांधलियों की जांच कराने के संबंध में ।

11—झांसी शहर में भयंकर गन्दगी को हटवाकर जन-जीवन को बीमारियों से बचाने के संबंध में ।

12—बुन्देलखंड विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13—झांसी शहर तथा मऊरानीपुर में नगर, महरोनी में राजकीय कन्या इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज खोलने के संबंध में ।
		14—झांसी नगर के छात्र तथा युवक तैराकी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी झांसी नगर में तरणताल बनाये जाने की कोई व्यवस्था न किये जाने के संबंध में ।
		15—झांसी में शिक्षा के प्रसार हेतु इंजीनियरिंग कालेज तथा कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।
		16—झांसी शहर में सभी मोहल्लों में पेयजल की लाइन को बिछाकर पानी की कमी को समाप्त करने के संबंध में।
		17—परिवहन विभाग, झांसी में जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच कराके दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के संबंध में ।
		18—जिला अस्पताल, झांसी की बढ़ोतरी करके अलग से महिला चिकित्सालय निर्माण करने के संबंध में ।
		19—ललितपुर जनपद में जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक क्षेत्रीय विधायकों तथा जनता द्वारा की गयी अवैध जंगल के कटाने की शिकायती पत्रों की जांच कराकर दोषी ठेकेदारों तथा अधिकारियों को दंडित करने के संबंध में ।
		20—ललितपुर जनपद में पत्थर की खदानों के पट्टा प्रथा समाप्त होने के कारण हजारों मजदूर के बेकार होने पर उनके लिए काम की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
		21—बुन्देलखंड क्षेत्र की बोलचाल की सरल सरस समृद्धि साहित्य एवं विविध लोककला तथा वाङ्मय से परिपूर्ण बुन्देली भाषा के सर्वोमुखी विकास हेतु बुन्देली अकादमी के तत्काल स्थापना किये जाने के संबंध में ।
		22—आयुर्वेदिक चिकित्सालय विज्ञान के विकास हेतु तथा आयुर्वेदिक शोध संस्थान एवं अष्टांग आयुर्वेदिक चिकित्सालय को सर्वोत्मुखी प्रगति हेतु प्रभावी योजना लागू करने तथा झांसी के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शिक्षण संबंधी सभी कमियों को समाप्त करने की व्यवस्था करने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23—झांसी शहर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।
		24—झांसी सम्भाग में खदान योजना के अन्तर्गत बनाये गये सम्पर्क मार्गों को पक्का किये जाने के संबंध में ।
		25—झांसी सम्भाग में बढ़ते हुए जरायम को रोकने हेतु ठोस उपाय करने तथा उ0 प्र0 सरकार में फिजूल खर्ची रोक कर, प्रशासन को स्वच्छ व सक्षम बनाने, शिक्षा को व्यवहारिक व रोजगारपूरक बनाने, प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने व कृषि मजदूरों की आर्थिक हालत सुधारने, मूल्य बृद्धि को रोकने, बिक्री-कर समाप्त करने भ्रष्ट मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच कराने, प्रदेश के युवकों के कल्याण हेतु एक युवक कल्याण निगम बनाने तथा कृषकों की स्थिति को सुधारने के संबंध में ।
		26—बुन्देलखंड के सभी जिलों को जो कि सूखा, बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें सभी करों से माफ किये जाने के संबंध में ।
		27—हमीरपुर जिले की तहसील महोबा जो कि जिले में सबसे बड़ी आबादी वाली है को जिला बनाने के संबंध में ।
		28—बुन्देलखंड के सभी लोगों को काम तथा सभी खेतों को पानी व्यवस्था कराये जाने के संबंध में ।
		29—बुन्देलखंड के हर गांव में जिनकी आबादी 1000 है एक सस्ते गल्ले की दुकान खुलवाये जाने के संबंध में।
		30—बुन्देलखंड के हर गांव को एक मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में ।
33 (उपस्थित किया हुआ माना गया)	श्री अकबाल हुसैन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—
		1—प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में प्रभावी ढंग से सुधार लाने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में।
		2—प्रदेश के किसानों के लूट के रोकने के संबंध में ।
		3—प्रदेश के बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न के अभाव में फैली हुई भुखमरी से बचाने के उपाय किये जाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4—प्रदेश के किसानों पर फर्जी सहकारी ऋण का बहुत बड़ा भार है उसको माफ करने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
		5—प्रदेश के मजदूरों, श्रमिकों, किसानों के शोषण को रोकने का उपाय किये जाने, बेगार की समाप्ति, न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
		6—जनपद गोण्डा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरण के बड़े उद्योग की स्थापना की घोषणा किये जाने के संबंध में।
		7—जनपद गोंडा के उत्तरी अचल तुलसीपुर तथा पचपेड़वा में कागज मिल के बड़े उद्योग के स्थापना की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
		8—जनपद गोण्डा के ट्रांसराप्ती क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन को चुस्त बनाने हेतु तुलसीपुर में नई तहसील कायम करने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
		9—जनपद गोण्डा के राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती आंचल में, पचपेड़वा उतरौला मार्ग के निर्माण तथा तुलसीपुर उतरौला मार्ग के 7 कि0मी0 शेष भाग का निर्माण तथा पिपराघाट राप्ती नदी पर पक्का पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में ।
		10—नचौरा जहदरिया मार्ग को पक्का कराने और उसको गैसडी धोबहा मार्ग से जोड़ने के संबंध में।
		11—पचपेड़वा जनपद गोण्डा में सरकारी अथवा सहकारी चीनी मिल की स्थापना किये जाने के संबंध में ।
		12—पचपेड़वा जनपद गोण्डा में चित्ताड़गढ़ बांध तथा सरयू परियोजना को समय में पूरा करने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
		13—पचपेड़वा जनपद गोण्डा में मुख्य राप्ती नहर पर मिनी जल विद्युत परियोजना की घोषणा किये जाने के के संबंध में ।
		14—गैंसड़ी जनपद गोण्डा में राजकीय हाई स्कूल तथा तुलसीपुर और पंचपेड़वा में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में ।
		15—बलरामपुर जनपद गोण्डा को प्रदेश में शासन को चुस्त करने के लिए नया जिला बनाने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16—प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राप्ती सरयू, घाघरा नदियों के बाढ़ के नियंत्रण की योजना बनायी जाने के संबंध में ।
		17—प्रदेश में प्रशासन को चुस्त तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में जनपद गोण्डा, बहराइच तथा बस्ती को मिला कर एक नया आयुक्त मंडल (कमिश्नरी) स्थापित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में ।
34 (उपस्थित किया हुआ माना गया)	श्री मोहन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—
		1—उ0 प्र0 के वित्तीय संसाधनों का समापन करने में यह सरकार जुटी हुई है जिसके चलते 1983-84 की वार्षिक योजना को अभी तक केन्द्रीय सरकार अन्तिम रूप नहीं दे सकी । शासन तंत्र का नियंत्रण समाप्त हो गया है जिसके कारण एक साथ पूरे प्रदेश का सम्यक विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है । पिछले एक वर्ष में क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है, रोजगार के अवसर सिकुड़े हैं और कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ ढीली हो गयी है। एक तरफ पिछले वर्ष फर्जी मुठभेड़ के नाम पर निरपराध लोगों की हत्यायें की गयीं और अब वहीं राजनैतिक आधार पर, जो सरकार के विरोधी हैं, उनके विरुद्ध फर्जी अपराध के मुकदमें कायम कर अपमानित करने का काम किया है ।
		2—सम्पूर्ण उ0 प्र0 में स्कूल, कालेजों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण समाप्त हो गया है। इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर के विश्वविद्यालयों में विगत सत्र की परीक्षाएं अभी तक आयोजित नहीं हो पायीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र को नियमित करने के नाम पर पिछले 4 वर्षों से छात्र संघ पर ताला पड़ा हुआ है । शिक्षा नीति में एक वर्ष में नीति परिवर्तन संबंधी अनेक घोषणायें हुई हैं जैसे कि जूनियर हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा के लिए तृतीय वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम की वयवस्था और प्रदेश की राज भाषा के संबंध में एक सम्यक नीति के अभाव में यह प्रदेश सरकार हमारे प्रदेश को अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ढकेलती जा रही है ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जितनी पुरानी बृहद योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन सही समय और ठीक ढंग से न होने के कारण उनका व्यय भार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है जिसको बरदास्त करने में अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था अक्षम है ।
35	श्री शंकर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
(उपस्थित किया हुआ माना गया)		किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में :—
		1—बुन्देलखंड के उद्योगीकरण के प्रति सरकार की उदासीनता की भर्त्सना नहीं की, न ही बुन्देलखंड के उद्योगीकरण के लिए किसी योजना की घोषणा की है ।
		2—बुन्देलखंड में लगने वाले शासकीय नलकूपों की संख्या में सन् 1982-83 में भारी कटौती करने के लिए सरकार की भर्त्सना नहीं की और न ही अगले वर्ष के लिए बुन्देलखंड में प्राथमिकता के आधार पर शासकीय नलकूप लगवाने की घोषणा की है ।
		3—बुन्देलखंड में पड़ रही भुखमरी के लिए सरकार को प्रताड़ित नहीं किया न ही वहां के ग्रामों तथा कस्बों की गरीब भूखी जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न दिलाने के लिए कोई बात कही । साथ ही मजदूरों को जिन्दा रखने के लिए किसी भी तरह के राहत कार्य कराने की भी घोषणा नहीं की ।
		4—प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर पुलिस द्वारा की गयी निरीह हत्याओं की न्यायिक जांच कराने की घोषणा नहीं, की, न ही दिन पर दिन बढ़ रहे पुलिस अत्याचार को रोकने के लिए किसी कार्यवाही की घोषणा की।
		5—दिसम्बर, 82 में सचिवालय के अन्दर हुए उपद्रव के लिए अक्षम राज्य सरकार की भर्त्सना नहीं की।
		6—राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विभागों में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की न ही भ्रष्ट मंत्रियों तथा अधिकारियों की जांच कराने की घोषणा की ।
		7—प्रदेश में जिला परिषद्, विकास खण्डों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की कोई तिथि घोषित नहीं की ।
		8—बाल्टी बाबा को खाद्य निगम की अध्यक्षता से हटाने की घोषणा नहीं की।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
36	श्री मोहम्मद आजम खां	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

(उपस्थित किया हुआ माना गया) किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—

1—आजाद लोकतांत्रिक देश में जिस तरह नफरतों का फैलाव हो रहा है वह मुल्क और समाज दोनों के लिए कैंसर की तरह है जैसे मेरठ का साम्प्रदायिक दंगा जो अभी तक शान्त नहीं है।

2—कपड़ा मिल मजदूरों के असंतोष के कारणों का तथा दूसरे छोटे उद्योगों का जिनमें परस्पर मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है।

3—गन्ना काश्तकारों के गन्ना मूल्य की अदायगी में 30 प्रतिशत टैगिंग करके जिस प्रकार सरकार द्वारा गरीब काश्तकार के प्रति अन्याय ।

4—सरकार ने उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने को कहा था, परन्तु ऐसा न होने पर उर्दू भाषियों में असंतोष व्याप्त है।

निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र तक नहीं किया है —

37 श्री विद्या सागर नौटियाल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

(उपस्थित किया हुआ माना गया) किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है :—

1—कि राज्य में कानून व व्यवस्था डगमगा गयी है। आजमगढ़ में जिला जज के न्यायालय के अन्दर घुस कर पुलिस ने अधिवक्ताओं को लाठियों से मार कर घायल कर दिया, टिहरी में बेकसूर लोगों को पुलिस ने बुरी तरह मारा ।

2—कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से किसी भी तरह ठीक कर सकने के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं और "शक्ति भवन" में विद्युत अधिकारियों की एक समानान्तर सरकार की स्थापना की गयी है।

3—कि राज्य सरकार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधायकों का अपमान किया जाना एक सामान्य बात हो गयी है। विधान मण्डल के सदस्यों के गौरव को इस सरकार ने धूलि-धूसरित करने में तत्परता दिखाई है।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4—कि केन्द्रीय वन विधि संशोधन की आड़ में राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में समस्त निर्माण कार्य ठप्प कर दिये गये हैं।
		5—कि टिहरी जनपद में 55 में से 53 राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों में विगत ढाई वर्षों से डाक्टर नहीं हैं।
		6—कि पर्वतीय क्षेत्र में एक भी इण्टर कालेज ऐसा नहीं है जिसमें अध्यापकों की संख्या पूरी हो।
		7—कि टिहरी बांध से प्रभावित जनता को बलात ढंग से हटाने की गैर कानूनी प्रक्रिया कायम कर दी गयी है। सरकार के पास टिहरी बांध के विस्थापितों को बसाने हेतु किसी प्रकार की योजना नहीं है। टिहरी बांध के कन्ट्रोल बोर्ड में जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। टिहरी बांध में तथा नदी घाटी योजनाओं में लबाबब भ्रष्टाचार भरा है।
38	श्री बलबीर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है कि :—
		1—उ0 प्र0 के ग्रामों में कृषि उत्पादन तथा कुटीर तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 24 घंटे बिजली, नलकूपों तथा उद्योगों को दी जायेगी।
		2—उ0 प्र0 के गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का गन्ना मूल्य जो 55 करोड़ है मय ब्याज के तुरन्त भुगतान करने की, व्यवस्था की जायेगी,
		3—रामपुर जनपद की हर तहसील स्वार, बिलासपुर, मिल्क, टांडावावली, टाउन एरिया, चमरौआ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना और 1983 तक स्नातक की शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा,
		4—उ0 प्र0 के बेकार स्नातकों को रोजगार दिया जायेगा अन्यथा बेकारी भत्ता दिया जायेगा,
		5—चूंकि रामपुर जनपद में सभी सी क्लास की नहरें हैं और उनकी सींचन क्षमता 25 प्रतिशत है इसलिए रामपुर जनपद में 2500 नलकूपों की स्थापना की जायेगी,
		6—रामपुर में एक मेडिकल कालेज खोला जायेगा,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

7—रामपुर में मा0 उच्च न्यायालय की पीठ खोली जायेगी,

8—रामपुर जनपद के हर ग्राम को 1983 तक पक्की सड़कें बनाकर पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा,

9—1974 से रामपुर जनपद पिछड़ा जिला घोषित है परन्तु पिछड़ा जिला होने की छूटें अभी तक नहीं दी गयी हैं यह जो कैपिटल सबसिडी, कच्चे माल की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया जायेगा, सेल्स टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में छूट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर बिलासपुर स्वार, टांडा बावली, मिलक, शाहबाद, सैदपुर नगर को 24 घंटे बिजली तथा सभी छूटें वहीं पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

10—रामपुर जनपद में भारी उद्योग लगाये जायेंगे,

11—बिलासपुर, जिला रामपुर के डी0 ए0 वी0 हाई स्कूल को इण्टर कालेज की मान्यता दी जायेगी,

12—स्थानीय निकायों, नगर महापालिका, जिला परिषदें, सहकारी समितियों, उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन, जिला सहकारी बैंकों के तुरन्त चुनाव कराये जायेंगे,

13—उ0 प्र0 शासन अपने अन्य भण्डारों की स्थापना कर भुखमरी और महंगाई का मुकाबला करेगी,

14—उ0 प्र0 से भ्रष्टाचार को खत्म किया जायेगा।

15—भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों को दंडित कर सेवा मुक्त किया जायेगा,

16—सम्पूर्ण उ0 प्र0 में आज तक 30 प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था है शत प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी,

17—कृषि उत्पादन लागत के अनुसार गन्ने के मूल्य 30/- प्रति क्विंटल, गेहूं के 200 रुपया क्विंटल, धान 160 रु0 क्विंटल प्राईज स्पोर्ट नीति बना कर सरकार द्वारा खरीद की जायेगी,

18—पूरे उ0 प्र0 का गन्ना निर्धारित मूल्य पर गन्ना सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से खरीदा जायेगा,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19—उ0 प्र0 में हर न्याय पंचायत पर स्नातक तक की 500/- से कम आय वाले नागरिकों के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा का प्राविधान 1986 तक किया जायेगा तथा हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के लिये छात्रावास जिसमें ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन, वस्त्र, पुस्तकों की नि:शुल्क व्यवस्था होगी, खोली जायेगी,
		20—1986 तक हर न्याय पंचायत स्तर तक जच्चा बच्चा केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर सभी नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार किया जायेगा,
		21—आवश्यक खेती बीमा योजना लागू की जायेगी,
		22—आवश्यक जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा लागू किया जायेगा,
		23—उ0 प्र0 के हर नागरिक का परिचय-पत्र शासन द्वारा जारी किया जायेगा,
		24—हर विभाग की कार्यकलापों को कार्यान्वित करने हेतु तथा प्रगति देखने हेतु जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर समितियों का गठन होगा,
		25—प्रदेश में हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा की व्यवस्था 1986 तक की जायेगी,
		26—प्रदेश में सूखे और बाढ़ की बुरी दशा को 1986 तक सभी नदियों को गहरा कर उसमें से नहरें निकाल कर शत प्रतिशत सिंचाई का प्रबन्ध कर सैलाब बाढ़ का बुरी लागत को खतम किया जायेगा,
		27—प्रदेश की सभी निजी व सहकारी व सरकारी औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को भागीदार बनाया जायेगा,
		28—जनपद रामपुर में स्थित धिमोरा शिवा पेपर मिल्स के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी जो नहीं मिल रही है 10 रुपये रोज के हिसाब से पिछली बकाया और आगे दिलायी जायेगी,
		29—प्रदेश की सभी अन्डरटेकिंग संस्थाओं में हर जिला पर या जहां भी उनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके कार्यकलापों की देखरेख उनके कार्य में तेजी लाने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जन प्रतिनिधियों की समितियों का गठन किया जायेगा,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

30—प्रदेश के सभी किसानों को रसायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं, लघु सिंचाई हेतु पम्प सेट, खरीद करने पर कम से कम 33 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, तथा इन्हें कर्जे पर लेने के लिए तथा फसली कर्जा लेने पर ब्याज की दर घटा कर केवल 2 प्रतिशत ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके और जो विदेश से अन्न मंगाना पड़ता है नहीं मंगाना पड़े, कर दी जायेगी,

31—ग्रामीण बैंक में कृषि उत्पादन हेतु हर 10 किलोमीटर पर डीजल व मिट्टी के तेल के पम्प लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्था करायी जायेगी,

32—ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के विकास के लिए लगान की पूरी राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी,

33—प्रदेश की सभी चीनी मिलों से निकले शीरे, खोई पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रकार के लघु उद्योग लगाकर प्रदेश की गरीबी और बेरोजगार को दूर किया जायेगा,

34—कन्ट्रोल नीति तथा लाइसेंसिंग प्रथा को और अनाज पर लगी आवागमन पर लगी सभी पाबंदियों को हटाकर स्मगलिंग, चोरबाजारी और खाद्य तथा रसद विभाग के बड़े भ्रष्टाचार को खत्म किया जायेगा,

35—सन् 1986 तक सभी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था जल निगम द्वारा करायी जायेगी।

36—ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी सहकारी समितियों की तुरन्त मंहगाई को खत्म करने के लिए गरीब किसानों और मजदूरों को गेहूं, चावल, आटा, चीनी, सस्ते कपड़े की सप्लाई तुरन्त की जायेगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी जिन-जिन शहरों में उपभोक्ता वस्तुएं राशन की दुकानों में नहीं भेजी गयी हैं तुरन्त भिजवाई जायेगी,

37—प्रदेश के हर कृषक परिवार को शंकर गायों की बछियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी और दुधारु पशुओं की खरीददारी के लिए कृषकों, गरीब किसानों तथा मजदूरों को सस्ते ब्याज दर यानी केवल 2 प्रतिशत पर दूध को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
39	श्री माता प्रसाद पाण्डे (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—

1—कि बस्ती जनपद के पिछड़ेपन एवं बाढ़ की रोक का कोई समुचित निदान किया जायेगा।

2—कि बस्ती जनपद के उत्तरी हिस्से में राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती की बाढ़ जो प्रति वर्ष हजारों गांव को मुख्य रूप से विसकोहर से लेकर कठेला और सुनौली जोत घाट से लेकर महुआपाठक सेहरा घाट तक बरबाद कर देती है। इसके बचाने का कोई कारगर उपाय किया जायेगा।

3—विगत 5 वर्षों से बस्ती जनपद के उत्तरी हिस्से में निरन्तर बाढ़ व सूखे से उत्पन्न स्थिति से किसान अपना सरकारी देय अदा नहीं कर सका इसको माफ किया जायेगा।

4—पुलिस प्रशासन डकैतों से मिलकर बस्ती जनपद में डकैती व राहजनी करता है जिसके रोकने का कोई कारगर उपाय किया जायेगा ।

5—बस्ती जनपद के गन्ना कृषकों के मिलों पर बकाया धन की वसूली मुख्य रूप से गोरखपुर मण्डल विकास निगम द्वारा खरीदे गये गन्ने का मिलों द्वारा भुगतान न किये जाने से किसानों की परेशानी के हल का निदान किया जायेगा।

6—उ0 प्र0 के पूर्वी और पश्चिमी तथा मध्य हिस्सों में गन्ने का मूल्य में एकरूपता लाने का प्रयास किया जायेगा।

7—कानून व्यवस्था की उत्तरोत्तर गिरावट के रोक हेतु कदम उठाया जायेगा।

8—बस्ती जनपद में हरिजनों के हरिजन कालोनी बना कर उन्हें कालोनियों में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0—378 विधान सभा (776)—1984--813 ।